खण्ड-405, अंक-8
बुधवार, 2 वैशाख, शक संवत् 1914
(22 अप्रैल, 1992 ई0)

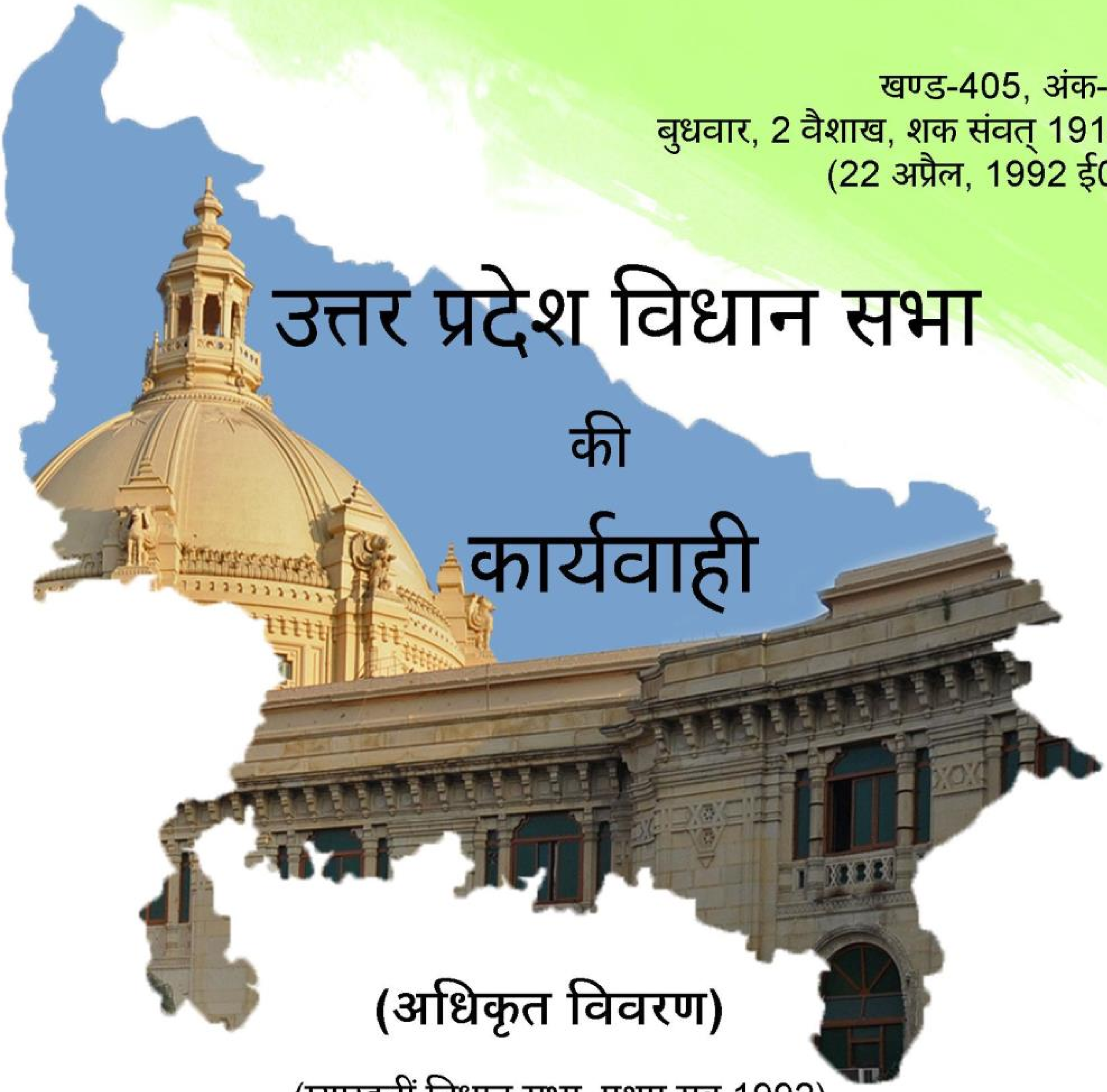

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(ग्यारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 1992)

खण्ड 405 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
1992

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क–ख
नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित किये जाने की सूचना	1
प्रश्नोत्तर	1-111
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	111
जनपद गढ़वाल के थलासैंण एवं वीरौखाल क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के अभाव के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	111-112
जनपद खीरी की पलिया रेंज सुमेरपुर वीर में हरे पेड़ों की कटाई से वन सम्पदा को क्षति होने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	112
जनपद इटावा में अहनैया नदी को ग्राम नगला ताल से रौरा तक गहरा एवं चौड़ा करने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	112
ऋषिकेश-बद्रीनाथ एवं ऋषिकेश-गंगोत्री यात्रा मार्गों पर स्थित धर्मशालाओं के अनधिकृत कब्जे हटवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	113
फैजाबाद में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की मांगों से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	113-114
जनपद बांदा के विकास खण्ड तिंदवारी, जसपुरा तथा बडोखरखुर्द में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना ...	114
उ० प्र० आवास विकास परिषद द्वारा भवन आंवटन में विधायक श्री मोहम्मद रिजवानुल हक के साथ मनमानी किये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	114-115
ससंदीय कार्य मंत्री के आश्वासन के बाबजूद काशीपुर में समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ज्ञापन न लिये जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	115-117
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	117
आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्य को उ० प्र० विधान सभा में नाम निर्देशित न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	117-119
विधायकों के शिकायती पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही करने एवं उन्हें वस्तुस्थिति से अवगत कराये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	119-121
कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मथुरा में व्याप्त भ्रष्टचार विषयक निर्धारित वक्तव्य न दिलाये जाने के सम्बंध में औचित्य का प्रश्न ...	121-122
भारतीय किसान यूनियन द्वारा पश्चिमी उ० प्र० में मुर्दा पशुओं का ठेका बेंचे जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	122-123

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
प्रथम सत्र, 1992 के तीसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 141 का उत्तर त्रुटिपूर्ण होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	123-124
जनपद गाजियाबाद के बार एशोसियेशन के अध्यक्ष श्री कुशल पाल त्यागी की हत्या विषयक कार्य–स्थगन प्रस्ताव की सूचना ...	124-130
बांदा जनपद के विकास खण्ड जसपुरा के ग्राम मरझा के नीचे तुर्रा नाले पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बंध में याचिका (उपस्थित की गयी) ...	130
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	130-132
सदस्यों के अधिकाधिक चर्चा में भाग लेने हेतु कार्य–मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित समय में परिवर्तन किये जाने का सुझाव	132-133
नियम 311 एवं 56 की समेकित कार्य–स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (जारी)	133-141
सदन की कार्यवाही के अंश निकाले जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (जारी)	141
नियम 311 एवं 56 की समेकित कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ...	141-149
सदन की कार्यवाही के अंश निकाले जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न..	149
नियम 311 एवं 56 की समेकित कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं ...	149-155
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान–अनुदान संख्या 13 कृषि तथा अन्य सम्बंद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या 12– कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास), अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (जारी) ...	155-156
बजट प्रस्तुत करते समय सदन में केबिनेट स्तर के किसी मंत्री के उपस्थित न होने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न ...	156-157
वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिये मांगों पर मतदान, अनुदान संख्या 13– कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास), अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (स्वीकृत) ...	157-207
जनपद आगरा में यातायात की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 52 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन	207
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं	207-208
प्रदेश में मच्छरों के प्रकोप से संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य ...	208-209

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद देवरिया के माध्यमिक विद्यालयों में बिना पद सृजन के फर्जी रूप से प्रबन्ध समितियों द्वारा अध्यापकों की नियुक्तियां किये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दिये जाने वाले केवल वक्तव्य का स्थगन ...	209
उ० प्र० कांग्रेस कमेटी पर उ० प्र० रा० स० परिवहन निगम के करोड़ों रुपये के बकाया होने विषयक दिनांक 9 अप्रैल 92 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या–1 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा.....	210-213
लखनऊ नगर के स्टेशन रोड पर के० के० सी० कालेज के पास अवैध रूप से गौशाला खोले जाने विषयक दिनांक 28 फरवरी, 1992 के अतारांकित प्रश्न संख्या–114 के सम्बन्ध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा.....	213-215
नत्थियां.....	216-230

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मेरा प्रदेश मेरा सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 22 अप्रैल, 1992

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे :–

अजय प्रताप सिंह उर्फ लल्ला भइया, श्री	गोण्डा	नारायण दत्त तिवारी, श्री	नैनीताल
अतीक अहमद, श्री	इलाहाबाद	पूरन चन्द्र शर्मा, श्री,	अल्मोड़ा
अफजाल अंसारी, श्री	गाजीपुर	पूरन सिंह बुन्देला, श्री	ललितपुर
अमर नाथ यादव, श्री	वाराणसी	फतेहपुर बहादुर सिंह, श्री	महराजगंज
अरविन्द कुमार, डा०	ललितपुर	बंशीधर राज, श्री	लखीमपुर खीरी
अरिमदन सिंह, श्री	आगरा	बनवारी लाल दोहरे, श्री	फर्रुखाबाद
अवध पाल सिंह श्री	एटा	वी० आर० वर्मा, श्री	आजमगढ़
अशोक कुमार, श्री	लखनऊ	बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
अशोक कुमार सिंह, श्री	रायबरेली	बाबू राम एम० काम०, श्री	जालौन
इन्द्र देव सिंह, श्री	बिजनौर	बृजेन्द्र पाल सिंह, श्री	मुरादाबाद
इम्तियाज अहमद, श्री	मऊ	बेनी प्रसाद वर्मा, श्री	बाराबंकी
इस्लाम साबिर, श्री	बरेली	ब्रह्मदत्त द्विवेदी, श्री	फर्रुखाबाद
उमाकान्त, श्री	जौनपुर	भगवन्त प्रसाद, श्री	इलाहाबाद
उमानाथ, श्री	जौनपुर	भरत सिंह, श्री	बलिया
कंवर पाल मास्टर, श्री	सहारनपुर	भानु प्रताप सिंह वर्मा, श्री	जालौन
कमल नयन वर्मा, श्री	रायबरेली	मथुरा प्रसाद तिवारी उर्फ बद्री प्रसाद, श्री	फैजाबाद
केदार सिंह फोनिया, श्री	चमोली	मदन भैया, श्री	मेरठ
चन्द्र भान मौर्य, श्री	आगरा	मयंकर सिंह, श्री	बहराइच
जगदम्बा सिंह, श्री	बस्ती	मस्तराम, श्री	उन्नाव
ज्ञान चन्द्र, श्री	उत्तरकाशी	मारकण्डेय, श्री	बलिया
तेज नारायन त्रिवेदी, श्री	लखीमपुर खीरी	मारकण्डेय चन्द्र, श्री	गोरखपुर
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया	मुन्ना चौहान, श्री	देहरादून
दुलारे, श्री	मिर्जापुर	मुलायम सिंह यादव, श्री	इटावा
धनराज यादव, श्री	सिद्धार्थनगर	मोहम्मद वसीम हाजी, श्री	रायबरेली
धर्मपाल यादव उर्फ डी० पी० यादव	बुलन्दशहर	रघुराज, श्री	जौनपुर
नरेन्द्र सिंह, श्री	फर्रुखाबाद	रणजीत सिंह जूदेव, श्री	झांसी

उत्तर प्रदेश विधान सभा

रमाकान्त यादव, श्री	आजमगढ़	श्याम नारायण, श्री	महराजगंज
सजीव कुमार, श्री	नैनीताल	श्याम बिहारी सिंह, श्री	बरेली
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया	श्रीराम, श्री	मऊ
रामपाल वर्मा, श्री	हरदोई	श्री राम चौहान, श्री	बस्ती
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर	समीउल्ला, श्री	गोण्डा
लल्लन प्रसाद त्रिपाठी, श्री	गोरखपुर	सरजीत सिंह डंग, डा०	मिर्जापुर
लाखन सिंह, श्री	नैनीताल	सुखदेव, श्री	आजमगढ़
लालचन्द्र पाण्डेय, श्री	वाराणसी	सुधीर, श्री	बलिया
विक्रमादित्य पाण्डेय, श्री	बलिया	सुरेन्द्र शुक्ला, श्री	देवरिया
विजय सिंह, श्री	सोनभद्र	सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
विश्वनाथ, श्री	देवरिया	सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
वीरेन्द्र सिंह, श्री	मुजफ्फरनगर	हरनारायन सिंह, श्री	रायबरेली
शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री	महराजगंज	हर चरन यादव, श्री	सुल्तानपुर
श्याम देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी	हरिशंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 22 अप्रैल, 1992

विधान सभा की बैठक सभा मण्डप लखनऊ में दिन के 11 बज कर 4 मिनट पर अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

(सदन की कार्यवाही गणपूर्ति के अभाव में 4 मिनट विलम्ब से आरम्भ हुई)

नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 की सूचनाओं में परिवर्तित किये जाने की सूचना

(सदन के प्रारम्भ होने पर)

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यह सरकार उन सदस्यों को प्रताड़ित करना चाहती है, जो उनके खिलाफ आवाज उठाते हैं । माननीय हरिशंकर तिवारी जी का मामला है.....

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

मुझे उसकी सूचना प्राप्त हुई है । मैंने सभी नियम 311 की सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया है, मद के अनुसार क्रमानुसार आ जायगा ।

प्रश्नोत्तर

आत्मसूचित तारांकित प्रश्न

हड़ताली विद्युत कर्मचारियों की मांगें

**1–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि हड़ताली विद्युत कर्मचारियों की मांगें क्या हैं ? सरकार का हड़ताल के संबंध में क्या दृष्टिकोण हैं ?

ऊर्जा राज्य मंत्री (श्री रविकान्त गर्ग)–

राज्य विद्युत परिषद् में कार्यरत 4 प्रमुख संगठनों द्वारा हड़ताल की दी गयी नोटिस दिनांक 7-1-92 के साथ प्रस्तुत किये गये मांग पत्र की प्रति संलग्न है ।

परिषद् प्रबन्ध और हड़ताल कर रहे संगठनों के मध्य दिनांक 29-2-92 को हुए एक समझौते के परिणामस्वरूप कर्मचारी संगठनों द्वारा दिनांक 5/6 फरवरी, 1992 से की गयी हड़ताल समाप्त हो गयी है ।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ 216-218 पर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, विद्युत कर्मचारियों की हड़ताल काफी दिन चली थी और अव्यवस्था पैदा हो गयी थी । जानना चाहूंगा कि जो मांगें थीं हड़ताली कर्मचारियों की, उनमें से किन-किन शर्तों को मानकर उन्हें क्रियान्वित करने का फैसला लिया है और कौन-कौन सी ऐसी मांगें हैं जिन्हें सिद्धान्त रूप में माना है लेकिन किसी कठिनाई के कारण क्रियान्वित करने का फैसला नहीं लिया गया है ?

श्री रविकान्त गर्ग–

दिनांक 29-2-92 को हड़ताली संगठनों के प्रतिनिधियों तथा बोर्ड के अधिकारियों के मध्य एक समझौता हुआ, उसके तहत यह हड़ताल समाप्त हुई ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जो मांग-पत्र उत्तर के साथ संलग्न किया है उसके सन्दर्भ में पहली मांग आप देखें विद्युत परिषद् की कार्य प्रणाली एवं प्रबन्ध व्यवस्था में सुधार हेतु दिये गये सुझावों को कार्यान्वित किया जाय । इसको कार्यान्वित करने में क्या कठिनाई है ? एक बसन्त सिंह आयोग बैठा था, वरदराजन कमेटी बैठी थी । वरदराजन कमेटी के सुझाव क्या थे ? बसन्त कमेटी के सुझाव क्या थे और उसके कार्यान्वयन में क्या परेशानी है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मेरे पहले प्रश्न का उत्तर नहीं आया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

बसन्त कमेटी, वरदराजन कमेटी के सुझाव आ गये हैं, वे परिषद् के हित में हैं तो मान लेने में क्या कठिनाई है, वे सुझाव क्या हैं ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, हड़ताली कर्मचारियों की जो मांगें थीं उन मांगों पर यह समझौता हुआ.....

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, आप देख रहे हैं प्रश्न क्या है और उत्तर क्या आ रहा है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, माननीय तिवारी जी के प्रश्न का उत्तर दे दें ।

श्री रविकान्त गर्ग–

बसन्त कमेटी और जिस दूसरी कमेटी का नाम ले रहे हैं उसका इस हड़ताल से तो कोई संबंध नहीं रहा....

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, यह मांग नं० 15 में उल्लेख है इसका ?

श्री रविकान्त गर्ग–

प्रबन्ध व्यवस्था को सुधारने के संदर्भ में मांग थी उसे काफी गम्भीरता से लिया गया और उसी के तहत प्रबन्धतंत्र में कर्मचारियों की भागीदारी हो इसके लिए संयुक्त प्रबन्ध काउंसिल का गठन कर दिया गया है ।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

माननीय तिवारी जी आप अपने प्रश्न को दुहरा दें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

नहीं मालूम है तो कह दें सूचना नहीं है अगर गलतबयानी करेंगे तो फंसते चले जायेंगे । बसन्त कमेटी का गठन सरकार ने किया, तत्कालीन मुख्य मंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने उसका गठन किया था, उसकी संस्तुतियां क्या हैं, वरदराजन कमेटी के सुझाव क्या हैं उनके कार्यान्वयन में क्या व्यवहारिक कठिनाई हैं दोनों के सुझाव क्या हैं, बता दें ।

श्री अध्यक्ष–

आपका प्रश्न कर्मचारियों से संबंधित है ।

श्री रविकान्त गर्ग–

कर्मचारियों के संबंध में जहां तक मेरी जानकारी है बसन्त कमेटी ने कोई सुझाव नहीं दिये, जो सुझाव दिये गये थे वह प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में थे प्रबन्ध व्यबस्था के संबंध में कर्मचारियों की भी मांग थी उसके संबंध में संयुक्त प्रबन्ध काउंसिल का गठन किया गया हैं । जहां तक बसन्त कमेटी की सिफारिशों का प्रश्न है वह सरकार के विचाराधीन है यथासमय उसकी सूचना दी जायेगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, अगर आप उत्तर से सन्तुष्ट हों तो ठीक है, अन्यथा स्थगित कर दें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, माननीय तिवारी जी के प्रश्न का उत्तर नहीं आया है । मैंने जो पहले सवाल किया था, जो मांग हड़ताली विद्युत कर्मचरियों द्वारा प्रेषित की गयीं थीं, उनमें से सरकार ने वार्ता के समय किन-किन मांगों को माना और क्रियान्वित करंने का फैसला किया और कितनी ऐसी हैं जिन्हें क्रियान्वित करने का फैसला लिया गया लेकिन अभी तक नहीं हो पायी हैं ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, जो मांगें व्यवहारिक थीं, सिद्धान्त रूप से स्वीकार किये जाने योग्य थी उनको स्वीकार किया गया.....

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहे हैं । प्रश्न कुछ पूछा जा रहा है और उत्तर कुछ दिया जा रहा है । मैं इसे नियम-49 के अन्तर्गत लिखकर दे रहा हूं आप कृपया इसमें चर्चा करा दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, आप मांग-पत्र में जो-जो मांगें स्वीकृत की गयी है उसे बता दें ।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, प्रबन्ध व्यवस्था के संबंध में संयुक्त प्रबन्ध काउंसिल का गठन किया गया जिसमें कर्मचारी बराबर के भागीदार होंगे ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं आया है, मैंने साफ पूछा है कि.....

श्री अध्यक्ष–

अब क्रम संख्या वार बता दीजिए कि कौन-कौन सी मांग स्वीकार की गयीं हैं ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, एक के संबंध में प्रबन्ध काउंसिल का गठन किया गया । दूसरी के संबंध में एन०टी०पी०सी० को दिया जा चुका है, इसलिए कोई बात बाकी नहीं रह गयी है, तीसरी के संबंध में जो मजदूर संगठन था उन्होंने न तो कोई बल दिया और न ही यह व्यवहारिक था ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, एक चीज पूछना चाहता हूं कि जब समझौता चल रहा था तो यह उस समय वहां पर थे या टण्डन जी उस बैठक में थे ।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, शासन से कोई समझौता नहीं हुआ । समझौता तो बोर्ड से हुआ है । इसमें किसी के जाने का प्रश्न नहीं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इसे स्थगित कर दीजिये ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप यह बता दीजिये कि कौन-कौन सी मांगें स्वीकार की गयीं ।

श्री रविकान्त गर्ग–

एक के संबंध में सिद्धान्त रूप से स्वीकार किया गया । क्रम संख्या 3 से 8 को स्वीकार कर लिया और क्रियान्वित करने के आदेश भी कर दिये गये । वेतन विसंगतियों के संबंध में एक कमेटी का गठन किया गया उसके द्वारा उस पर विचार किया जा रहा है जब उसकी रिपोर्ट आयेगी तब हम कार्यवाही सम्पादित करेंगे । हड़ताल समाप्त हो गयी है और हड़ताल में कैसी व्यवस्था विद्युत् की रही है इससे तो आप अवगत ही हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इसे स्थगित कर दें तो उचित होगा ।

श्री अध्यक्ष–

मेरे पास चर्चा के लिए मांग आ गयी है इसलिए मैं इसे चर्चा के रूप में स्वीकार कर रहा हूं ।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय सदस्यों की जो जिज्ञासा है वह सही हैं । जो समझौते के दौरान वार्ता हुई उसे हमारी छिपाने की कोई नियत नहीं है । माननीय मंत्री जी सही उत्तर दे रहे थे । इसमें पहला विवाद था संयुक्त प्रबन्ध समिति का गठन तो इसका गठन किया जा चुका है और इसमें कर्मचारी बराबर के भागीदार होंगे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी मैंने इसे चर्चा के रूप में स्वीकार कर लिया है । अब मैं दूसरा प्रश्न ले रहा हूं ।

उत्पादित सम्पूर्ण गन्ने की खपत की व्यवस्था की मांग

**2–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना काश्तकारों द्वारा उत्पादित सम्पूर्ण गन्ने की खपत कराने की कोई योजना शासन के विचाराधीन है ? यदि हां, तो वह क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

गन्ना विकास मंत्री (श्री हनुमन्त सिंह)–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं है ।

चीनी मिलों की स्थापित पेराई क्षमता के अनुरूप ही उत्पादित गन्ने की खपत को सुनिश्चित कराया जाना सम्भव है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं, आज पूरे उत्तर प्रदेश में 50 प्रतिशत से ज्यादा गन्ने की फसल खेतों में खड़ी है और वह सूख रही है । पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो और भी गम्भीर संकट हो गया है । देवरिया में 4 करोड़ कुन्तल गन्ना सूख रहा है, तो मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उन गन्ने की पेराई कब तक सम्भव है और कितना गन्ना अभी शेष है पेरने के लिए । मान्यवर, गन्ना पड़ा-पड़ा सूख रहा है उसकी पेराई नहीं हो पा रही है.....

श्री अध्यक्ष–

आप कृपया अनुपूरक प्रश्न करें ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि जो शेष गन्ना खेतों में पड़ा है उनकी पेराई कब तक हो जायेगी और यह कब तक सम्भव है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से पूर्व में भी बता चुका हूं कि उत्तर प्रदेश में 120.68 मीट्रिक टन गन्ना पेरा जा चुका है । अभी तक जो इसकी पेराई क्षमता थी वह 32-33 प्रतिशत थी । किन्तु जब से यह सरकार आयी है हमने इसकी क्षमता को बढ़ाया है । हम यह प्रयास कर रहे हैं कि कैसे यह गन्ना चीनी मिलों तक पहुंचायें और उनकी पेराई हो सके । मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि चीनी मिलों की पेराई क्षमता 1,79,992 टन थी उसको बढ़ाकर 2,14,991 टन किया गया है । इसके अलावा हमने 50 नयी चीनी मिल लगाने के लिए केन्द्र सरकार से अनुरोध किया है । जो बोन्डेड केन है उनकी पेराई होकर चीनी मिल बन्द हो जायेंगी और यह मई, जून, जुलाई तक हो जायेंगी ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि प्रदेश में कुल कितना गन्ना उत्पादित हुआ और आपने कहा कि जून तक यह मिल बन्द हो जायेंगी तो कितना गन्ना आप पेर लेंगे, जून तक और कितना गन्ना शेष बच जायेगा और इसमें सरकार की क्या नीति है और वह उन्हें इसका क्या दाम देगी ?

श्री हनुमन्त सिंह–

इस वर्ष 1047.20 लाख मीट्रिक टन गन्ना का उत्पादन हुआ और जो बाण्डेड केन है, 348 लाख कुंतल उसमें से 276 लाख कुंतल गन्ना पेरा जा चुका है । 70-80 प्रतिशत से अधिक गन्ना पेरा जा चुका है और सरकार इस बात का प्रयास कर रही है जो गन्ने की पेराई क्षमता है उसको बढ़ाया जाये । इस संबंध में सरकार चिन्तित है और वह केन्द्र सरकार से बातचीत भी कर रही है....

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया कि पूरे प्रदेश में एक करोड़ बयालीस लाख टन गन्ने का उत्पादन हुआ और बान्डेड गन्ना 348 लाख टन था । इस प्रकार देखा जाय तो लगभग 6 लाख टन के आस-पास गन्ना बच गया । इस बचे हुए गन्ने की सरकार क्या व्यवस्था कर रही है । और इस बचे हुए गन्ने का कितना दाम सरकार गन्ना किसानों को दिलवा रही है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, यह एक व्यवहारिक परेशानी है । आजादी के बाद जो भी सरकारें यहां आयीं, उन्होंने इस ओर ध्यान नहीं दिया । कोल्हू में गन्ने की पिराई हो रही है, क्रेशर में गन्ने की पेराई हो रही है । जो औफर गन्ना है, उसका दाम उतना ही दिया जा रहा है, जो घोषित मूल्य है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं । गन्ने का उतना मूल्य नहीं दिया जा रहा है । यह सदन झूठ बोलने के लिए नहीं है । आप इस सदन की एक समिति बना दीजिए, जो इसकी जांच कर ले । मैं इस्तीफा आपके पास लिखकर देता हूं और माननीय मंत्री जी भी इस्तीफा दें ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने कहा कि 50 चीनी मिलों की स्थापना हेतु केन्द्र सरकार को लिखा गया है । वह शायद इसीलिए है कि वर्तमान में जो पेराई क्षमता है, वह बहुत कम है । पेराई क्षमता बढ़े, इसलिए केन्द्र सरकार को लिखा गया है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि उन्होंने इस संबंध में केन्द्र सरकार को कब लिखा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, 24 जून, 1991 को जब यह सरकार आयी तो उसके सामने विषम परिस्थितियां थीं और साथ ही आर्थिक संसाधनों की कमी थी । फाइनेन्सियल इन्सटीट्यूशन्स से पैसा नहीं मिला । इसके बावजूद भी गन्ना किसानों का गन्ना अधिक से अधिक पेरा जा सके, इसके लिए कई निर्णय लिये गये । चीनी मिलों को 20-25 दिन पूर्व ही चालू कर दिया गया, जिसके कारण 264 लाख टन गन्ने की पेराई हो

सकी, जबकि पिछले वर्ष यह केवल 242 लाख टन हुआ था । हमारा प्रयास है कि अधिक से अधिक गन्ने की पेराई हो सके ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, माननीय गन्ना मंत्री जी ने मेरे प्रश्न का सही जवाब नहीं दिया । गन्ने का उचित मूल्य नहीं दिया जा रहा है । पूंजीपतियों से मिलकर यह सरकार गन्ना किसानों का शोषण कर रही है । यह पूंजी पतियों की सरकार है, किसान विरोधी सरकार है । इसलिए मैं इसके विरोध में सदन का त्याग करता हूं ।

(श्री नरेश अग्रवाल सदन त्याग कर चले गये)

(श्री किशोरी श्याम के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, इस सदन में इस संबंध में कई बार सवाल उठाये गये । नियम-51 व 56 के माध्यम से यहां पर प्रश्न उठे । माननीय मंत्री जी ने कहा कि कोल्हू से व क्रेशर के माध्यम से गन्ना की पेराई हो रही है । मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि कुल कितना गन्ना चीनी मिलों द्वारा पेरा जायेगा....और कितना क्रेशर से पिरायेंगे और कितना कोल्हू से पिरायेंगे अलग-अलग बता दें ?

श्री अध्यक्ष–

वह तो माननीय मंत्री जी ने बता दिया कि जितना मिलों का है वह मिल से पेरा जायेगा बाकी कोल्हू आदि से पेरेंगे । (व्यवधान) अब समय हो गया है ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, मूल प्रश्न मेरा है एक प्रश्न कर लेने दें ।

श्री अध्यक्ष–

इसमें काफी समय दे दिया है, इसका समय हो गया है आगे ले रहा हूं ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 24(4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

गल्ले पर मण्डी शुल्क में बढ़ोत्तरी से प्राप्त राजस्व

*1 –श्री सुरेन्द्र नाथ, श्री नरेश अग्रवाल तथा श्री प्रमोद तिवारी–

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गल्ले पर मण्डी परिषद् द्वारा मण्डी शुल्क एक प्रतिशत से दो प्रतिशत किये जाने से प्राप्त राजस्व भी दोगुना होना चाहिए ? यदि हां, तो बढ़ोत्तरी कितनी है । यदि बढ़ोत्तरी नहीं हुई, तो क्यों ?

कृषि मंत्री (गंगा भक्त सिंह)–

जी हां ।

मण्डी शुल्क में 1 से 2 प्रतिशत की बढ़ोत्तरी 15-11-90 से प्रारम्भ हुई थी । दिनांक 15-11-89 से 14-11-90 के बीच रुपये 46.06 करोड़ मण्डी शुल्क वसूल हुआ था और दिनांक 15-11-90 से 14-11-91 तक रुपये 89.01 करोड़ वसूल हुआ । इस प्रकार 93.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई ।

आय में दोगुनी वृद्धि न होने के निम्नलिखित कारण हैं :–

(क) मण्डी शुल्क 2 प्रतिशत किये जाने के विरोध में व्यापारियों द्वारा हड़ताल ।

(ख) प्रदेश भर की शान्ति व्यवस्था में व्यवधान रहना ।

(ग) चुंगी बैरियर समाप्त हो जाना ।

(घ) मई/जून, 91 में प्रदेश में लोक सभा एवं विधान सभा के निर्वाचन होना ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, हम उत्तर से संतुष्ट हैं अगला प्रश्न ले लें ।

*2 –श्री खालिद गौरी–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

प्रदेश में भूमि अध्याप्ति से प्रभावित काश्तकारों को भूमि आवंटन में प्राथमिकता

*3–श्री मिही लाल–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग द्वारा राजकीय आदेश सं०–3187 आई० पी० 051-डब्लू/57, दिनांक 7 अगस्त, सन् 1971 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर राजकीय आदेश सं०–2828/शाखा/8923/सिंचाई 5/डब्लू/54, दिनांक 7-9-88 जारी करके जिन व्यक्तियों की भूमि अध्याप्ति की गयी है उन्हें प्रदेश के बांधों में निकलने वाली भूमि आवंटन में मिलने वाली प्राथमिकता को समाप्त करते हुए बांध निर्माण हेतु भूमि प्राप्त की अधिकतम सीमा 3-1/8 एकड़ निर्धारित कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार सीलिंग अधिनियम के प्राविधानों के अनुरूप बुन्देलखण्ड के जनपदों में ऐसी सीमा को बढ़ाने पर तथा पूर्ववर्ती शासनादेश के अनुसार बांधों के निर्माण के लिये अध्याप्ति से प्रभावित काश्तकारों को प्राथमिकता देने पर पुनः विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

सिंचाई मंत्री (श्री ओम प्रकाश सिंह)–

जी हां ।

अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की दृष्टि से ऐसा किया गया है ।

जी हां ।

इस सीमा को बढ़ाकर 5 एकड़ किये जाने पर विचार किया जा रहा है ।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38(2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद मैनपुरी ग्राम महोली खेड़ा में कृषि उत्पादन आयुक्त आदि का हेलीकाप्टर से दौरा तथा निरीक्षण रिपोर्ट

*1–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी के ग्राम महोली-खेड़ा में आयुक्त कृषि उत्पादन मण्डी समिति, कृषि सचिव, ग्राम्य विकास एवं पंचायत राज

दिनांक 19-2-92को हेलीकाप्टर से गये थे ? क्या उन्होने आलू के सड़ने तथा किसानों को हुई करोड़ों रुपयों की क्षति की रिपोर्ट शासन को प्रेषित की थी ? यदि हां, तो उस पर शासन क्या कार्यवाही कर रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां कृषि उत्पादन आयुक्त हेलीकाप्टर से दिनांक 18-2-92 को जनपद मैनपुरी के ग्राम महौली खेड़ा गये थे और उनके साथ सचिव कृषि तथा सचिव क्षेत्रीय विकास भी थे । उन्होने जनपद मैनपुरी में सूरजमुखी गोष्ठी में भाग लिया एवं सूरजमुखी कार्यक्रम की समीक्षा की तथा कृषि फसल प्रदर्शन के भूखण्डों का एवं समादेश क्षेत्र के भौतिक कार्यों का भी निरीक्षण किया ।

मैनपुरी जनपद में आलू सड़ने और उसके फलस्वरूप किसानों को हुई करोड़ों रुपयों की क्षति का कथन सही नहीं है । उक्त जनपद में आलू में पछेती झुलसा लगने की जानकारी कृषि उत्पादन आयुक्त को स्थानीय कृषकों द्वारा दी गई थी । पछेती झुलसा केवल उन आलू के खेतों में लगा था जहां कृषकों द्वारा डाईथेन-एम 45 का छिड़काव समय पर नहीं किया गया था । आलू की फसल में जहां समय पर डाईथेन-एम 45 का छिड़काव हुआ था वहां फसल अच्छी दशा में पायी गयी थी । स्थल निरीक्षण से लौटने के बाद कृषि उत्पादन आयुक्त ने पछेती झुलसा के परिणाम की जानकारी के लिए त्वरित सर्वेक्षण के लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण को निर्देश दिये थे । फसल सुरक्षा के लिए समुचित कार्यवाही के साथ-साथ झुलसाग्रस्त जनपदों में डाईथेन-एम 45 की सामायिक उपलब्धता सुनिश्चित कराने के आदेश दे भी दिये गये थे ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जैसा उन्होंने कहा कि वहां पर आलू सड़ने से कोई क्षति नहीं हुई तो क्या यह सूचना किसी सर्वेक्षण पर आधारित है, यदि सूचना सर्वेक्षण पर आधारित है तो कब सर्वेक्षण कराया गया । दूसरा यह कि मैनपुरी खासकर भौरावां विधान सभा क्षेत्र प्रदेश में ही नहीं समूचे भारत में आलू उत्पादन के लिये सबसे अच्छा स्थान है और सबसे अच्छा आलू यहां होता है तो मैं जानना चाहता हूं कि डायथेन एम–45 दवा मांग के अनुसार उपलब्ध थी ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

मान्यवर, जैसा मैंने बताया कि जब कृषि उत्पादन आयुक्त वहां से लौट कर आये उन्होंने यहां से नोटिस दी और वहां से जो समाचार आया उसके आधार पर सूचना दी है ।

श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी में है मैंने वहां क्षेत्र का दौरा किया है और दौरे से पाया कि जो भी दवा डाइथिन आदि उपलब्ध थी वह प्रभावहीन थी, काश्तकारों को बाहर से अधिक दामों में वह दवा लेनी पड़ी और कृषि इकाइयों द्वारा जो दवा उपलब्ध कराई गयी वह दवा वहां इतनी नहीं थी जितनी वहां पर चाहिए थी और जो दवा उपलब्ध कराई गई वह प्रभावहीन थी । तो क्या मंत्री जी इस शिकायत की जांच करायेंगे ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं आई है कि वह दवा प्रभावहीन थी लेकिन उन्होंने दवा की व्यवस्था कराई थी यह बात जरूर है और इसकी जांच मैं करा लूंगा जो आपने शिकायत की है और इस संबंध में आपके पास जो जानकारी हो वह आप हमें दे दीजिये ।

*2 –श्री श्रीराम चौहान–

[8 वें बुधवार के लिये स्थगित]

जनपद बलिया, मऊ व आजमगढ़ में विद्युतीकृत गांवों की संख्या एवं उनके पूर्ण विद्युतीकरण की मांग

*3–श्री अंगद सिंह यादव (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद बलिया, मऊ, आजमगढ़ में पूर्ण विद्युतीकृत अदूर्ध विद्युतीकृत और विद्युतीकरण से वंचित गांवों की जनपदवार व सब डिवीजनवार संख्या व प्रतिशत क्या है ? क्या सरकार पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दृष्टिगत रखते हुए विद्युतीकरण में इन तीनों जनपदों को मुख्य प्राथमिकता देकर सभी गांवों का विद्युतीकरण कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ऊर्जा मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)–

प्रश्नगत जनपदों की जनपदवार ग्रामों के विद्युतीकरण के संबंध में सूचना संलग्न तालिका में दी गयी है ।

सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामों क विद्युतीकरण हेतु जनपदवार लक्ष्यों का निर्धारण करते समय जनपद विशेष के विद्युतीकरण के स्तर को दृष्टिगत रखा जाता है । अतः प्रश्नगत जनपदों हेतु विशेष कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता नहीं है । सामान्य कार्यक्रम के अन्तर्गत वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार अधिक से अधिक ग्रामों के विद्युतीकरण का प्रयास किया जा रहा है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ 219 पर)

लखनऊ की हैदर केनाल के टूटे किनारों की मरम्मत की मांग

*4–श्री हाजी मोहम्मद वसीम (अनुपस्थित)–

क्या सिंचाई मंत्री को यह जानकारी है कि लखनऊ में कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग के निकट स्थित रामलीला मैदान के बीच से बहने वाले हैदर कैनाल के दोनों तरफ के पक्के किनारे टूट चुके हैं और मिट्टी के कटाव के कारण उक्त मैदान से सटे लखनऊ माण्टेसरी इण्टर कालेज तथा अन्य मकानों के ढह जाने से जनता की जान माल का खतरा निरन्तर बना हुआ है ? क्या सरकार हैदर कैनाल के उक्त भाग की पक्की मरम्मत अविलम्ब करवाकर उक्त कटाव से उत्पन्न खतरे को दूर करने का कष्ट करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत नहर (नाला) जो नगर महापालिका लखनऊ की सम्पत्ति है, से कोई सिंचाई नहीं होती है तथा इसके दोनों तरफ के पक्के किनारे टूटे हुए हैं जिसके क्षतिग्रस्त होने एवं इसकी मरम्मत की कार्यवाही सम्बंधित विभागों से विचार-विमर्श के उपरान्त ही सम्भव हो पाएगी ।

[बुधवार, दि० 22 अप्रैल, 1992 के लिए निर्धारित **तारांकित प्रश्न**]

जनपद लखीमपुर खीरी की सहकारी चीनी मिल द्वारा गन्ना विकास विभाग बिलरायां को देय धनराशि

*1–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री को ज्ञात है कि जनपद लखीमपुर खीरी की सहकारी चीनी मिल द्वारा किसानों से विकास के नाम पर लाखों रुपयों की कटौती की गई है ? यदि हां, तो कटौती की गई धनराशि कितनी है ? क्या यह सत्य है कि कटौती की धनराशि गन्ना विकास विभाग बिलरायां को नहीं दी गयी है जिससे उक्त मिल क्षेत्र के मार्ग एवं पुल की मरम्मत एवं अन्य निर्माण कार्य रुके हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त धनराशि कब तक गन्ना विकास विभाग बिलरायां को उपलब्ध करा दी जायेगी ?

श्री हनुमन्त सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

(मूल उत्तर मंत्री जी द्वारा पढ़ा गया कि सूचना एकत्र की जा रही है)

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

यहां पर इतने सीमित प्रश्न का उत्तर इतने विलम्ब से आयेगा तो कैसे काम चलेगा ? सूचना इतने विलम्ब से आयेगी तो श्रीमन्, देखें कि विकास कार्य रुक जाता है । यह इतने विलम्ब का विषय नहीं है ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी आप कार्यसूची देखें । यह प्रश्न 14 नवम्बर को पूछा गया था और पहला प्रश्न 19-12-91 को शासन को भेजा गया था । तब से अब तक चार माह हो गये हैं और सूचना एकत्र की जा रही है । इसमें मुझे साफ ढिलाई लग रही है । ऐसे और हमारे पास कई उदाहरण आये हैं । आप से मैं अपेक्षा करुंगा कि विधान सभा में किये गये प्रश्नों को महत्व दिया जाय ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, मैं इसको देख लूंगा मैंने इस तरह की जानकारी कई जगह से की है, कई फैक्टरियों में ऐसा हो रहा है ।

प्रदेश में उत्पादित आलू के विपणन व निर्यात की समुचित व्यवस्था की मांग

*2–श्री सुरेश प्रताप गांधी– (अनुपस्थित)–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में उपभोक्ताओं की आवश्यकता से अधिक उत्पादित आलू व प्याज का सीधा निर्यात करने में सरकार के समक्ष क्या कठिनाइयां हैं ? क्या आलू उत्पादक कृषकों

को उनकी उपज का उचित मूल्य दिलाने तथा आलू उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में उत्पादित आलू के विपणन व निर्यात की समुचित व्यवस्था करायेंगे ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

वर्तमान व्यवस्था में नेफेड द्वारा आलू के निर्यात में कोई कठिनाई नहीं है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आलू के भाव से, प्रदेश में प्रति इकाई लागत तथा यातायात व्यय सम्मिलित करते हुए, अधिक होने के कारण लाभकारी नहीं है । मात्र आवश्यकता से अधिक उत्पादन के फलस्वरूप विदेशों में निर्यात करना सम्भव नहीं है । प्याज का उत्पादन प्रदेश में आवश्यकता से अधिक नहीं होने के कारण निर्यात किया जाना सम्भावित नहीं है ।

आवश्यकतानुसार बाजार मूल्य हस्तक्षेप योजनान्तर्गत आलू उत्पादक कृषकों को उचित मूल्य दिलाने के उद्देश्य से नेफेड एवं सहकारिता विभाग द्वारा आलू क्रय कराने की व्यवस्था के अन्तर्गत न्यूनतम क्रय मूल्य निर्धारित किया जाता है । नेफेड द्वारा आलू प्रदेश में उत्पादकों की आवश्यकता से अधिक उत्पादन होने की दशा में आलू के अन्तर्राज्यीय निर्यात की व्यवस्था है परन्तु अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में आलू के भाव की तुलना में प्रदेश उत्पादन लागत तथा यातायात व्यय अधिक होने के कारण आलू का निर्यात लाभकारी नहीं है । प्याज का उत्पादन प्रदेश में आवश्यकता से अधिक न होने का कारण निर्यात सम्भव नहीं है ।

प्रदेश की चीनी मिलों के विस्तारीकरण में विलम्ब से सम्बन्धित विभिन्न फर्मों के ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही

*3–श्री राम स्वरूप वर्मा

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि यू० पी० सहकारी चीनी मिल संघ द्वारा प्रदेश के विभिन्न सहकारी चीनी मिलों के विस्तारीकरण के लिए करोड़ों का ठेका विभिन्न फर्मों को दिया गया था, जिनका कार्य वर्ष 1989 में ही पूर्ण होना चाहिए था, किन्तु यह कार्य आज तक पूर्ण नहीं हो सका एवं मिलों को वित्तीय हानि उठानी पड़ी, जिससे परोक्ष रूप में राष्ट्रीय क्षति हुई है ? यदि हां, तो इसके लिए उत्तरदायी लोगों के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? क्या कार्यपूर्ण होने में विलम्ब के लिए विभिन्न फर्मों से किये गये करार के तहत उन फर्मों से क्षतिपूर्ति हेतु, उनके द्वारा जमा की गयी बैंक गारण्टी की धनराशि को जब्त किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

सेमीखेड़ा, सम्पूर्णानगर, सितारगंज एवं वीसलपुर चीनी मिलों के विस्तारीकरण के लिये ठेका विभिन्न फर्मों को दिया गया था ।

वर्ष 1989 में वित्तीय संस्थाओं से समय से धन उपलब्ध न होने के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सका था बल्कि पिराई सत्र 1991-92 के पूर्व विस्तारीकरण कार्य पूर्ण हो गया है जिसके लिये मिलों को ठेके की शर्तों के अनुरूप कोई वास्तविक हानि नहीं उठानी पड़ी ।

प्रश्न नहीं उठता ।

एक आपूर्तिकर्ता की गारण्टी इन्वोक की जा चुकी है तथा अन्य आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गयी देरी के कारणों की समीक्षा की जा रही है एवं यथासमय नियमानुसार एवं आवश्यकता के अनुरूप इनके विरुद्ध कार्यवाही की जायेगी ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जिन चार मिलों का विस्तारीकरण किया गया उसके फलस्वरूप कितना अधिक गन्ना पेरा जाता है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

यह सभी चीनी मिलें साढ़े बारह सौ की सीमा की हैं । सन् 88 में गन्ने की उत्पादकता और मांग को देखते हुए केन्द्र सरकार ने एक निर्णय लिया था कि सभी चीनी मिलों का विस्तारीकरण किया जाय उसके अनुसार ही योजना बनी थी । उसके बाद उसके बाद जहां से, जिन वित्तीय संस्थाओं से हमें ऋण प्राप्त होना था वह नहीं मिल सका जिसकी वजह से यह नहीं हो पाया है । किन्तु उसके बाद भी जो उनकी पुरानी पेराई क्षमता थी उसके आधार पर सारा गन्ना पेरा गया है ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि यदि यह विस्तारीकरण हो जाता तो कितने टन अधिक गन्ना पेरा जाता ?

श्री हनुमन्त सिंह–

पच्चीसों टन ज्यादा इनकी पेराई क्षमता है ? यह कार्य हो जाता तो निश्चित रूप से बहुत ज्यादा पेराई हो जाती ।

श्री राम स्वरूप वर्मा–

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो 91-92 में पेराई नहीं हो सकी तो उससे कितने गन्ने का नुकसान हुआ है ।

श्री हनुमन्त सिंह–

इसके लिए जो तरीका है उसको देखते हुये यह कहना कि कितना नुकसान हुआ है यह सम्भव नहीं है ।

श्री जागेश्वर प्रसाद–

मान्यवर, फतेहपुर बहुत पिछड़ा जिला है और वहां के किसानों की बहुत समस्यायें हैं । हमारा क्षेत्र इलाहाबाद से संबंधित है । हमारे क्षेत्र के किसानों का गन्ना खेतों में पड़ा है और कुछ गन्ना काटने के लिये खड़ा है, इसलिए निवेदन है कि इसमें जांच करा लें और गन्ने के पेरने की व्यवस्था की जाए जिससे वहां के गन्ना किसानों की समस्या हल हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

मंत्री जी मा० सदस्य की समस्या पर आप विचार कर लेंगे ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मंत्री जी ने 4 मिलों का नाम लिये हैं, बरेली मेरी जानकारी के अनुसार, इनके विस्तारीकरण में काफी समय लग जायेगा । इसलिये क्या मंत्री जी बतायेंगे कि सेमीखेड़ा चीनी मिल में कबसे विस्तारीकरण हुआ और कितना लाभ हुआ ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, सेमीखेड़ा 223.93 लाख रुपये का प्रोजेक्ट था और वर्ष 1991-92 में यह चला है। चूंकि फाइनेन्शियल इंस्टीट्यूशन से पैसा नहीं मिला इसलिए पेराई क्षमता जो बढ़नी थी वह नहीं बढ़ी है।

ऊंचाहार ताप विद्युत गृह को एन० टी० पी० सी० को सौंपा जाना

*4–श्री श्याम देव राय चौधरी (अनुपस्थित)–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ऊंचाहार ताप विद्युत गृह को निजी क्षेत्र में या एन० टी० पी० सी० को सौंपे जाने का निर्णय राज्य सरकार द्वारा लिया गया है ? यदि हां, तो उसका कारण क्या है ?

श्री लाल जी टण्डन–

ऊंचाहार परियोजना राज्य सरकार द्वारा दिनांक 13 फरवरी, 1992 द्वारा एन०टी०पी०सी० को सौंप दिया गया है।

आर्थिक मजबूरी के कारण उक्त उपक्रम अपनी अधिकतम क्षमता तक लगातार क्रियाशील रहने में समर्थ नहीं हो पा रहा था। सरकार द्वारा प्रदेश की बढ़ती ऊर्जा मांग एवं अन्य चालू विद्युत परियोजनाओं की संसाधन एवं तकनीकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुये इस परियोजना को एन० टी० पी० सी० को स्थानान्तरित करने का निर्णय लिया गया।

आनपारा "बी" विद्युत परियोजना हेतु प्राप्त धन को मूलधन एवं ब्याज सहित जापान को वापस करना

*5–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बताएंगे कि आनपारा "बी" विद्युत परियोजना हेतु जापान द्वारा कोई आर्थिक सहयोग प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या आर्थिक सहयोग ऋण के रूप में है ? यदि हां, तो मूलधन क्या है ? ब्याज की दरें और शर्तें/किश्तें क्या हैं ? यदि नहीं, तो क्या उक्त आर्थिक सहयोग पूर्णतया सहयोग हो और उस धन को वापस नहीं करना होगा ? यदि हां, तो मुख्य शर्तें क्या हैं ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि जापान द्वारा उ० प्र० सरकार को प्रस्तावित इस आर्थिक सहयोग में केन्द्र सरकार की शर्तें/भूमिका क्या है ?

श्री रविकान्त गर्ग–

जी हां।

जी हां।

मूलधन रु० 2471.20 करोड़ है जो कि जुलाई, 91 के विनियम दर 100 येन–19.16 रु० के अनुसार है। ब्याज की दरे और शर्तें/किश्तें निम्नवत् हैं :–

(1) ओ० ई० सी० एफ० जापान से रु० 1893.20 करोड (110.459 विलियन येन) का जो ऋण प्राप्त होगा, उस पर ब्याज की दर 2.75% एवं 2.5% प्रतिवर्ष देय होग। यह ऋण 10 वर्ष के पश्चात अर्थात सन् 1994 से देना प्रारम्भ होगा तथा अगले 20 वर्षों में ब्याज एवं मूलधन सहित भारत सरकार, जापान सरकार को भुगतान करेगी।

(2) एविजम बैंक, जापान से रु० 578 करोड़ (30.132 विलियन येन) सप्लायर क्रेडिट के रूप में प्राप्त होंगे, इस ऋण पर ब्याज 5.5% प्रतिवर्ष की दर से देय होगी। यह ऋण ब्याज सहित 1994 में 500 मे०वा० की दूसरी इकाई चालू होने के 6 माह पश्चात् देय होगा। ऋण 10 वर्षों में 20 अर्धवार्षिक किश्तों में मूलधन एवं ब्याज सहित उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक्जिम बैंक, जापान को देय होगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

(1) ओ० ई० सी० एफ० ऋण के अन्तर्गत जो आर्थिक सहयोग मिलेगा वह केन्द्र सरकार को ऋण के रूप में प्राप्त होगा और केन्द्र सरकार ही उस ऋण को 10 वर्षों के पश्चात 20 वर्षों में भुगतान करेगी। उक्त ऋण को केन्द्र सरकार 70% एडीशनलिटी के रूप में उ० प्र० सरकार को ऋण के रूप में प्रदान करेगी तथा 30% उपरोक्त जापानी ऋण को अपने पास ही रखेगी। अप्रैल, 91 से उपरोक्त ऋण को 100% एडीशनलिटी के रूप में उ० प्र० सरकार को ऋण के रूप में देगी।

(2) एक्जिम बैंक, जापान के द्वारा ऋण उ० प्र० सरकार को प्राप्त होगा परन्तु पी० एफ० सी० (पावर फाइनेन्स कारपोरेशन) उसमें गारेन्टर के रूप में कार्य करेगी तथा 1/2% की दर से उक्त पर कमीशन लेगी। यह ऋण ब्याज सहित उ० प्र० सरकार, एक्जिम बैंक, जापान को सीधे भुगतान करेगी।

श्री हृदय नारायण दीक्षित:-

श्रीमन्, माननीय मंत्री जी ने आनपारा विद्युत परियोजना हेतु जापान से जो आर्थिक सहयोग ऋण के रूप में मिल रहा है, उसके बाबत उत्तर के अन्तिम पैरा में बताया है कि उक्त ऋण को केन्द्र सरकार 70% एडीशनलिटी के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार को ऋण के रूप में प्रदान करेगी। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि 70% एडीशनलिटी के रूप में अब तक कितनी धनराशि मिल चुकी है ?

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, 3.92 तक ऋण के सम्बन्ध में 361 करोड़ मिल चुके हैं। जैसा कि मैंने पहले अपने उत्तर में कहा कि सरकार के द्वारा 70% दिया जाता था बाद में वह 100 प्रतिशत देने का उन्होंने निर्णय लिया है उसके तहत अब तक 1161 करोड़ रुपये प्राप्त हो चुके हैं।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, सवाल इस तरह से था। उक्त का अन्तिम प्रस्तर देखने का कष्ट करें। उक्त ऋण को केन्द्र सरकार 70% उत्तर प्रदेश सरकार को ऋण के रूप में देगी। तो मान्यवर, मैं यह जानना चाह रहा था कि 70% का जो हिसाब आया भारत सरकार से वह कितना धन है और अप्रैल 91 से लेकर यह जो अप्रैल चल रहा है इसमें 100% एडीशनलिटी के रूप में उत्तर प्रदेश को कितना मिला।

श्री अध्यक्ष–

वह तो प्रश्न के पहले भाग में आ गया है। कुल कितना मिला है, यह तो जोड़ घटाने की बात है।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, पहले हिस्से में शर्तें हैं, दूसरा हिस्सा देखने का कष्ट करें । मान्यवर, भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह रुपया जो 70% एडीशनलिटी के रूप में दिया वह कितना है, इसकी सूचना है तो बता दें 130% जो अपने पास रखेगी उसका नहीं पूछ रहा हूं । 70% के रूप में अद्यतन कितना रुपया प्राप्त हुआ ।

श्री अध्यक्ष–

बता देंगे । वैसे तो उत्तर स्पष्ट है ।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, पृथक-पृथक की जानकारी के लिये तो सूचना की आवश्यकता होगी ।

श्री अध्यक्ष–

मैं कह रहा हूँ उत्तर स्पष्ट है । आप कह रहे हैं कि जानकारी की आवश्यकता होगी ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

आप उत्तर से सन्तुष्ट होंगे । आपको उत्तर स्पष्ट लग रहा होगा । मंत्री जी को नहीं लग रहा है ।

श्री रविकान्त गर्ग–

मान्यवर, पूरे प्रश्न के सम्बन्ध में उत्तर दे चुका हूं और इतने विस्तार से माननीय सदन को पूरी जानकारी दी है ।

(प्रश्न संख्या–10 पुकारे जाने पर)

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इतना बड़ा प्रोजेक्ट है । इसमें यह मालूम हो जाना चाहिए कि कब तक पूरा हो जायेगा । मान्यवर, जापान से सहायता मिल रही है । हमें ब्याज भी देना है और ब्याज बड़ी मात्रा में देना है । इसलिये जानकारी हो जानी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

यह ठीक है कि यह प्रोजेक्ट बड़ा है और महत्वपूर्ण भी है । इसमें जानकारी के लिये अलग से सवाल पूछ लें । इस तरह से कई प्रश्न होने लगेंगे ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, सिर्फ इतना मालूम हो जाय कि बहुत से ऋण ऐसे हैं जो जापान द्वारा पैसा देने के दिन से ही पूरी रकम को ब्याज लेने लगते हैं । चाहे पैसे का ट्रांसफर हुआ हो या नहीं । एलाटमेंट के दिन से ही पूरा ब्याज लेते हैं । तो मान्यवर, इसमें यह जानना है कि एलाटमेंट के दिन से ब्याज देना है धन खर्च कर लेने पर ब्याज देना है । इस प्रोजेक्ट को जल्दी से जल्दी पूरा होना चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

ब्याज स्वीकृत होने की तिथि से होगा या किसी अन्य तिथि से होगा, मंत्री जी बता दें ।

श्री रविकान्त गर्ग–

जब दूसरी इकाई चालू हो जाएगी, तब से ऋण की अदायगी होगी उसमें ब्याज भी समाहित है ।

डा० बृजभान यादव–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सारा का सारा ऋण जापान से एक किश्त में लिया जाएगा या जैसे-जैसे धन खर्च होगा वैसे-वैसे किश्तों में लिया जाएगा ?

श्री रविकान्त गर्ग–

विभिन्न वर्षों में इसका प्राविधान है जैसा मैंने कहा ऋण सीधा केन्द्र सरकार को मिलेगा, हमको केन्द्र सरकार देगी ।

*6–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया]

*7–श्री विजय सिंह (सोनभद्र)–

[राज्य सरकार से असम्बद्ध होने के कारण निरस्त]

जनपद फैजाबाद में यूरिया के पुराने स्टाक को प्रशासन द्वारा घोषित दर पर बिक्री करना

*8–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में माह जून,जुलाई में जिलाधिकारी द्वारा खाद का मूल्य 165 रु० प्रति बोरी और कुछ दिनों बाद 174 रु० प्रति बोरी घोषित किये जाने के परिणामस्वरूप 53 हजार मैट्रिक टन खाद (जो पुराने उत्पादन वाली और पुराने स्टाक की थी) उर्वरक के थोक व फुटकर विक्रेताओं द्वारा प्रशासन द्वारा घोषित दर पर बेचा गया है ? यदि हां, तो मनमाने तरीके से खाद के रेट निर्धारित करके उसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र में कराकर व्यापारियों को गलत लाभार्जन का मौका देने वाले अधिकारियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्यवाही करायी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्या 53 हजार मैट्रिक टन पुराने दर की खाद नये दर पर बिकवा कर किसानों के साथ की गयी लूट की उच्च स्तरीय जांच सरकार करायेगी ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

जनपद फैजाबाद में थोक व खुदरा बिक्री केन्द्रों पर दिनांक 24-7-91 को अन्तिम अवशेष 16468.678 मै० टन यूरिया उर्वरक जो पुराने स्टाक का था उसकी बिक्री दिनांक 24-7-91 को लागू पुरानी दर पर ही की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

माननीय अध्यक्ष जी मैंने मंत्री जी से पूछा है कि माह जून, जुलाई में जिलाधिकारी द्वारा खाद का मूल्य 165 रु० प्रति बोरी घोषित कर दिया गया । तो क्या पुरानी खाद का सत्यापन किया गया ? जिलाधिकारी द्वारा बयान दिया गया और उसका प्रकाशन स्थानीय समाचार पत्र में कराकर

53,000 हजार मीट्रिक टन खाद जो पुराने उत्पादन की थी व्यापारियों की सांठ-गांठ से इसको नये रेट पर बेचा गया । 8 जुलाई के पेपर में बयान दिया गया है । इस तरह से किसानों का शोषण हो रहा है जो किसानों का शोषण किया गया है उसकी जांच मंत्री जी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

कहीं अगर धांधली या गड़बड़ी की गई है इसकी जानकारी अगर माननीय सदस्य देंगे तो इसमें कार्यवाही की जाएगी और जांच कराई जाएगी ।

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि फैजाबाद, टिटहरी भीखापुर में धांधली हुई है ।

प्रदेश की बन्द चीनी मिलों को चलाने का प्रयास

*9–श्री राम ललित चौधरी (अनुपस्थित)–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में कुल कितनी चीनी मिलें हैं जो बन्द पड़ी है ? क्या उनके चलाने के लिए सरकार कोई उपाय कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

केवल बस्ती जनपद की खलीलाबाद स्थित चीनी मिल में वर्तमान पेराई सत्र 1991-92 में गन्ना पेराई का कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है ।

वर्तमान पेराई सत्र 1991-92 में उक्त चीनी मिल द्वारा गन्ना पेराई किया जाना सम्भव नहीं है ।

चीनी मिल में पेराई क्षमता के विस्तारीकरण का कार्य चल रहा है ।

जनपद बांदा में ग्रेटर गगऊ बांध परियोजना के सम्बन्ध में मध्य प्रदेश सरकार से वार्ता

*10–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सरकार ने बांदा जिले के लिए सिंचाई सुविधायें प्रदान करने हेतु निर्मित की गयी ग्रेटर गगऊ बांध परियोजना के संबंध में उत्पन्न जल विवाद को हल करने के लिए मध्य प्रदेश सरकार से कोई वार्ता हाल में की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भारत सरकार ने परियोजना में संशोधन हेतु कोई सुझाव दिया है ? यदि हां, तो वह क्या है ? उक्त बांध परियोजना के निर्माण प्रारम्भ करने हेतु शासन द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

परियोजना संशोधन संबंधी भारत सरकार के किसी सुझाव की सूचना उत्तर प्रदेश सरकार को नहीं है ।

इस परियोजना पर सहमति हेतु मध्य प्रदेश सरकार से वार्ता चल रही है । इस क्रम में अन्तिम बैठक दोनों प्रदेशों के सिंचाई मंत्रियों के मध्य दिनांक 17/18 जनवरी, 1992 को भोपाल में हुई ।

श्री राम प्रसाद सिंह–

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं जो जनवरी में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्रियों के बीच में ग्रेटर गगऊ बांध परियोजना के संबंध में वार्ता हुई थी वह क्या थी ? मध्य प्रदेश के सिंचाई मंत्री द्वारा क्या आपत्तियां प्रस्तुत की गई थीं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

इस परियोजना को जैसा माननीय सदस्य ने स्वयं कहा है कुछ मतभेद रहे विशेष रूप से पानी की मात्रा के संबंध में दोनों प्रदेशों का अलग-अलग आंकलन है इसके लिए निर्णय यह हुआ 17-18 जनवरी की बैठक में, दो मुख्य अभियन्ता मध्य प्रदेश के और दो मुख्य अभियन्ता उत्तर प्रदेश के जाएंगे, चार लोगों की समिति बनाई गई है और यह चारों अध्ययन करेंगे और जो रिपोर्ट देंगे वह दोनों प्रदेशों को मान्य होगी और उसी के आधार पर जल का बंटवारा होगा ।

श्री राम प्रसाद सिंह–

मान्यवर, मैं यह जानना चाहता हूं कि अभी उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कितने पानी की मात्रा की मांग की गयी है और उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के लिये कितना प्रस्तावित है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह––

मान्यवर, 37 टी० एम० सी० पानी इस बंधे से मिलेगा जिस में से आधा-आधा लेने का प्रस्ताव रखा गया है । लेकिन मध्य प्रदेश ने जो योजना इस संबंध में पेश की उसमें आधे से कम पानी मिलता इसलिये उस पर सहमति नहीं हो पायी । यह बांध 1918 का बना हुआ है । इसमें सिल्ट जमा हो गयी है इस कारण से इसकी क्षमता समाप्त हो चुकी है । उत्तर प्रदेश ने प्रस्ताव किया था कि ऊंचा किया जाय और जो पानी एकत्रित हो उसका आधा-आधा ले लिया जाय लेकिन मध्य प्रदेश इस पर सहमत नहीं हुआ ।

श्री ऊदल––

मान्यवर, इस बांध को ऊंचा करने के संबंध में कितने रुपयों का इस्टीमेट बनाया गया है और उसमें से कितना रुपया मध्य प्रदेश वहन करेगा और उत्तर प्रदेश को कितना रुपया वहन करना पड़ेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह––

मान्यवर, 1981 में उत्तर प्रदेश ने ऊंचा करने का प्रस्ताव किया था कि इसको ऊंचा किया जाय । लेकिन मध्य प्रदेश ने एक केन योजना प्रस्तुत कर दी जिसमें उत्तर प्रदेश की जमीन डूब क्षेत्र में आ जाती थी तो इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं किया गया । जो 4 मुख्य अभियंताओं की कमेटी बनी है इसकी रिपोर्ट आयेगी और उस पर सहमति होने के बाद कोई आगे की परियोजना बनेगी तब बताया जा सकेगा कि कितने रुपये का इस्टीमेट है, लागत और जल का बंटवारा उसी के आधार पर तय किया जायेगा ।

श्री जागेश्वर प्रसाद––

एक प्रश्न मेरा नहर से संबंधित है ।

श्री अध्यक्ष––

यह प्रश्न नहर से संबंधित नहीं है, बांध से संबंधित है ।

डा० बृजभान यादव--

मैं सिंचाई मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जहां दो प्रदेशों का संबंध किसी जलाशय से या किसी नदी से रहता है, जैसे कावेरी विवाद था, तो उत्तर प्रदेश सरकार का दृष्टिकोण इस मामले में क्या है ? ब्राड आउट ले बता दें ?

श्री अध्यक्ष--

यह प्रश्न, मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है । आप नीतिगत प्रश्न कर सकते हैं ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, आज्ञा हो तो शासन की नीति बता दूं ।

श्री अध्यक्ष--

बता दें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह--

मान्यवर, जल के बंटवारे के बारे में सामान्य नीति यह रही है कि दोनों प्रदेशों के लोग आपस में मिलकर उसका निर्णय करते हैं । अगर आपस मे निर्णय नहीं हो पाता है तो केन्द्रीय जल आयोग और केन्द्रीय जल संशाधन मंत्रालय उस बीच में पड़ता है, उसके बाद भी अगर निर्णय नहीं हो पाता है तो ट्रिब्यूनल या पंच निर्णय के लिये मामला जाता है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश का प्रयास, इस शासन का यही है कि जिन प्रदेशों के बीच हमारे जल विवाद हैं, उनके साथ हम आपसी सहमति से, वार्ता से तय कर लें, किसी अन्य एजेन्सी को बीच में न लाएं । इसी प्रयास के अन्तर्गत मध्य प्रदेश के साथ जो कई मसलों, कई परियोजनाओं पर विवाद चल रहा था, 17-18 जनवरी को बात की थी । उन विवादों को दो दिन की वार्ता में आपसी सहमति से हल कर लिया है । इसी का परिणाम है कि 4 मुख्य अभियन्ताओं की एक समिति बनाई गयी हैं । जहां तक उत्तर प्रदेश और हरियाणा के बीच यमुना के जल का विवाद है, वह आपसी वार्ता से हल नहीं हो पाया है । इसमें केन्द्रीय जल संसाधन मंत्रालय बैठक बुला रहा है । हम आगे भी प्रयास करेंगे कि आपसी विचार-विमर्श से यमुना जल के बंटवारे का विवाद हल हो जाय ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय सिंचाई मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि जो यह विवाद लगातार कई वर्षों से चल रहा है, इसका मुख्य कारण यह है कि मध्य प्रदेश की सरकार से उत्तर प्रदेश सरकार की जब भी वार्ता होती थी, मुझे भी सम्मिलित होने का अवसर मिला है, वह हमारे हितों को अनदेखा करके अपने हितों को ज्यादा मांग रहे थे, इसलिये विवाद का निपटारा नहीं हो पाया । मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री से स्पष्ट आश्वासन चाहता हूं कि सदन को स्पष्ट आश्वासन दे सकने की स्थिति में हैं पिछली सरकारों द्वारा उत्तर प्रदेश के हितों के लिये पानी के बंटवारे को लेकर जो कदम उठाये गये थे, जो दृढ़ता अपनाई गयी थी, उस पर कायम रहेंगे या विचलित होंगे, यह बताने की कृपा करें ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, वर्तमान सरकार की नीति जनता द्वारा दिये गये जनादेश और उसके हितों के संरक्षण की है । हम पिछली सरकारों ने क्या किया था, क्या वादा किया था, नहीं जानते हैं । लेकिन चाहे मध्य प्रदेश के साथ हो, चाहे यमुना जल का बंटवारा हो उसका प्रश्न किसी राज्य के साथ हो इस सरकार की नीति यही है कि न एक बूंद किसी के हिस्से का लेना चाहते हैं, न एक बूंद पानी अपने हिस्से का छोड़ेंगे।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह बता दें कि पुरानी सरकारों ने कितने पानी पर बल दिया था और नयी सरकार कितने पानी पर समझौता करने जा रही है । इसके बारे में बता दें तो असलियत सामने आ जायगी । मेरी स्पष्ट जानकारी है कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने जनता के हितों को मध्य प्रदेश के दबाव में आकर घुटने टेके हैं । इसलिये स्पष्ट रूप से जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार कितने घन मीटर पानी के लिये दबाव डाल रही थी और आप कितने पर समझौता कर रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष–

वैसे तो उत्तर आ गया है कि 4 लोगों की कमेटी बन गयी है और परीक्षण हो रहा है, लेकिन आप उस समय नहीं थे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, मैं निश्चित जानकारी चाहता हूं कि पिछली सरकारों ने कितने जल की मात्रा के लिये बल दिया है और ये कितने के लिये दे रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने जो कहा, आवश्यकता नहीं थी, अपने इतिहास को खुद खुलवाना चाहते हैं तो मुझे आपत्ति नहीं है । मान्यवर, 1977 में मुख्य मंत्री स्तर की वार्ता हुई थी । जब माननीय नारायण दत्त तिवारी मुख्य मंत्री थे, जनवरी में । उसके बाद जनवरी, 1992 में इस सरकार के पहली बार आने पर मंत्री स्तर की वार्ता हुई । बीच में किसी स्तर की वार्ता नहीं हुई । जिसका परिणाम यह रहा है कि यह मामला लम्बित रहा और इन लम्बित मामलों से यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि बीच की जो सरकारें थीं वे इस प्रदेश के लोगों के हितों के लिये कितनी चिंतित थीं । इससे स्पष्ट हो गया कि इनको चिंता नहीं थी और उसको हमने हल किया है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

77 में एन० डी० तिवारी की सरकार थी और 3 वर्ष तक कोई इस विषय में चिंता ही नहीं की गयी, ऐसा नहीं हो सकता है । मान्यवर, सिंचाई स्तर पर भी तो वार्ता हुई है ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, केन नदी और भसान नदियां जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बीच बहती हैं, दोनों में कितना जल है और उस जल का कितना-कितना हिस्सा दोनों प्रान्तों का बनता है । यह भी तय नहीं हो पाया है कि उनमें कितना पानी है और उस जल को मिलाकर कितनी योजनायें चलाई जा सकती हैं । मान्यवर, इन्हीं सब प्रश्नों पर विचार करने के लिये अपने-अपने मुख्य अभियन्ताओं की एक समिति बनायी गयी है जिससे यह सपष्ट हो जाये कि कितना हिस्सा दोनों प्रान्तों का होगा । मान्यवर, नदी में कितना जल है और कितना हिस्सा है, यह भी अभी तय नहीं है ।

श्री जागेश्वर प्रसाद–

मान्यवर, मैं आपके जिले की बात कहना चाहता हूं । हमारे फतेहपुर, जिले में जरौली से नहर बना रहे हैं और लोवर गंगा में पानी छोड़ा जा रहा है, तो उसमें काम बहुत धीरे चल रहा है । वहां पर बाहर

के इन्जीनियर हैं और काम धीरे कर रहे हैं इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे जिले के इन्जीनियर रखे जायें और तेजी से काम हो । उस पर 5 पुल बन रहे हैं और अगर पानी मिलने लगेगा तो बहुत फायदा होगा । 31 लाख रुपया नहरों की सफाई के लिये मंजूर किया गया है.....

श्री अध्यक्ष–

यह लिखा नहीं जायेगा । अब आप बैठें, आपका सुझाव आ गया है ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है । उत्तर प्रदेश से लगे हुये सज्य-राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश और बिहार के बीच पानी के बंटवारे का मसला बहुत दिनों से चल रहा है । भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी और राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के सिंचाई मंत्रियों की बैठक हुई और एक कमेटी बनायी गयी, तो मैं जानना चाहता हूं कि किन-किन मानकों पर विचार किया जा रहा है । हरियाणा और बिहार से जल के बारे में कोई फैसला नहीं हो रहा है, इसका क्या कारण है ?

श्री अध्यक्ष–

आप दूसरा प्रश्न कर लें, उसमें सारे तथ्य आ जायेंगे ।

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, आपने किसानों के हितों को छोड़कर पानी सरेन्डर कर दिया गया है ।

श्री अध्यक्ष–

इस पर तो आप बहिष्कार नहीं करेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने केन्द्रीय नेतृत्व के दबाव में मध्य प्रदेश को ज्यादा जल दे रही है इस किसान विरोधी अभियान के कारण.....

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं माननीय प्रमोद तिवारी जी, नेता कांग्रेस, यह बिना पूछे और जाने कि 17 और 18 को जो बैठक हुई उसमें किन-किन परियोजनाओं पर बात हुई, क्या निर्णय हुआ, इस बात को बिना जाने.....

(घोर व्यवधान)

श्री प्रमोद तिवारी–

मंत्री जी का आरोप गलत है ।

(अनेक मा० सदस्यों द्वारा खड़े होकर एक साथ बोलने का प्रयत्न करने से घोर व्यवधान)

माननीय मंत्री जी गलत बयानी कर रहे हैं । मैंने पूछा था कि कितना पानी मध्य प्रदेश को स्थानान्तरित कर रहे हैं ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जो 17 और 18 को बैठक हुई और जो विभिन्न मतभेद थे । केवल पानी के बंटवारे पर नहीं बल्कि विभिन्न परियोजनाओं पर भी थे, कहीं काम रुका हुआ था, कहीं वन विभाग की जमीन आड़े आ रही थी, कहीं पर पैसा कोई प्रदेश दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, केवल पानी के बंटवारे की बात नहीं थी । कितना हिस्सा उसका हम लेंगे, इस पर 4 लोगों की कमेटी बना दी गयी है । मध्य प्रदेश के साथ वार्ता में हमने रंचमात्र भी अपने हितों का समर्पण नहीं किया है और न करेंगे ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मा० मंत्री जी की गलत बयानी के लिये विशेषाधिकार की सूचना देता हूं । माननीय नेता, विरोधी दल सिंचाई मंत्री थे और इसी रूप में उन्होंने बैठक में हिस्सा भी लिया था ।

(घोर व्यवधान)

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रदेश सरकार ने अपने हितों का समर्पण किया है, ऐसी कोई सूचना इनके पास हो तो दे दें ।

श्री प्रमोद तिवारी–

कृपया श्री रेवती रमण सिंह जी से पूछ लें, सिंचाई मंत्री के स्तर पर बैठक हुई ।

श्री अध्यक्ष–

जब आप सूचना देंगे, मैं परीक्षण करा लूंगा ।

श्री प्रमोद तिवारी–

इस जनविरोधी सरकार के विरुद्ध मैं और मेरा दल सदन का बहिष्कार करता है ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल सहित सदन त्याग कर चले गये)

श्री भागवत पाल–

गगऊ बांध परियोजना, जिसके बारे में उत्तर प्रदेश सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से वार्ता चल रही है, तो मैं जानना चाहूंगा कि और कौन-कौन परियोजनाओं पर बात चल रही है ? दूसरी बात, जैसा इन्होंने बताया कि 4 मुख्य अभियन्ताओं की कमेटी बनायी गयी है, तो क्या कोई समय सीमा निर्धारित है, और है तो क्या है ? तीसरे, बाणसागर परियोजना के बारे में क्या प्रगति है ?

श्री अध्यक्ष–

आप इस सम्बन्ध में अलग से प्रश्न कर लें ।

नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अभी यहां उपस्थित नहीं था सम्भवतः सिंचाई मंत्री ने यह कहा कि सन् 77 से 92 के बीच में कोई मीटिंग नहीं हुई इसकी सही जानकारी नहीं है आपको ।

(एक माननीय सदस्य द्वारा टोकाटोकी करने पर)

यह उत्तर प्रदेश के जल विवाद से संबंधित है, मुझे भी कुछ जानकारी है और मुझे भी कुछ अधिकार है पूछने का ।

तो मान्यवर, 1989 में यह बैठक हुई थी जिसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधि इसमें भाग लिए थे । मान्यवर, मैं अभी एक आग्रह करूंगा क्योंकि आप सिंचाई मंत्री हैं मैं यह नहीं कह सकता कि आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं लेकिन यह जो परियोजना मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार से बहुत समय से बातचीत चल रही है लेकिन बाण सागर परियोजना को मध्य प्रदेश सरकार आज तक बनाने नहीं दे रही है और उसमें बिहार सरकार भी है तो यह 4-5 परियोजनायें लम्बित हैं । मध्य प्रदेश, बिहार, राजस्थान सरकार से कह दें, आप केन्द्रीय सिंचाई मंत्री से बात करके, इस पर जल्दी मीटिंग कराके, निपटारा करा दें, क्योंकि यह बहुत समय से लम्बित है, उसका फायदा उत्तर प्रदेश को मिलने वाला है, जो मिल नहीं पा रहा है । इसकी मीटिंग हुई थी आप इसको दिखवा लें आपके विभाग से यह रिकार्ड में मिल जायेगा और इन योजनाओं को शीघ्र से शीघ्र कार्यान्वित करवा दें ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी, जों सुझाव नेता विरोधी दल ने दिये हैं उस पर विचार कर लें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, माननीय नेता विरोधी दल तो बहुत विद्वान सदस्य हैं । मान्यवर, प्रदेश के हित में जितनी चिन्ता नेता विरोधी दल को है वही हम लोगों को भी है, हम लोग चाहते हैं कि परियोजना शीघ्र पूरी हो, इसमें वार्ता करके हल निकालने का प्रयास किया जायेगा । उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के मतभेद की जो बात कही गयी उसके लिए एक तिथि तय हुई थी उस पर वार्ता नहीं हो पाई अब अगली तिथि तय करके वार्ता करने वाले हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, 1989 में बैठक हुई थी, गलत बयानी के लिए इनसे माफी मंगवायें या तो कह दें कि बैठक नहीं हुई या तो खेद प्रकट करें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, माफी मांगने का सवाल नहीं है दोनो प्रदेशों के बीच मंत्री स्तर की बात नहीं हुई जिस बात का हवाला दे रहे हैं ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, 77 से 92 तक दिखवा लें, नेता विरोधी दल ने कहा कि 89 में बैठक में भाग लिया है । तो 77 और 92 के बीच 89 है या नहीं तो मान्यवर, यह खेद प्रकट करें, नहीं करते हैं और सम्पूर्ण सदन को गुमराह किये हैं तो मैं विशेषाधिकार की नोटिस देता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

हम उसका परीक्षण करवा लेगें ।

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मान्यवर, तिवारी जी बहुत ही जिम्मेदार राष्ट्रीय स्तर के दल के नेता हैं और मैं समझता हूं कि कोई जब उत्तर दे रहा हो और वह उत्तर दे करके पूरी तरह से बैठ न जाय तब तक बीच में ही यह मान

लेना कि इतने प्रश्न का वही उत्तर है, उचित नहीं है । यह कह दिया गया कि मंत्री स्तर की बैठक हुई तो वह जल संसाधन द्वारा बुलाई गयी बैठक थी न कि दोनों प्रदेशों के मंत्रियों की ।

प्रदेश के गन्ना कृषकों को निर्धारित गन्ने के मूल्य का भुगतान

*11–श्री सुरेन्द्र सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान पेराई सत्र 1991-92 में प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने का मूल्य गन्ना कृषकों को दिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या निजी क्षेत्र की मिलें भी गन्ना कृषकों को सरकार द्वारा निर्धारित गन्ना मूल्य दे रही है ? यदि नहीं तो इसके लिए सरकार क्या नीति निर्धारित कर रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, मैंने पूछा था कि वर्तमान पेराई सत्र 1991-92 में प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने का मूल्य कृषकों को दिया जा रहा है तो माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि 31 मार्च तक इनकी सहकारी जो निगम की चीनी मिलें हैं, निजी क्षेत्र की हैं, कितना रुपया बकाया है इस क्षेत्र में और उसका भुगतान यह कब तक कर देगें ? दूसरा प्रश्न मेरा इसी से संबंधित है कि पहले सेन्टर और गेट में 2 रुपये का अन्तर था अब तीन रुपये का अन्तर आ गया है तो इससे किसानों को कितनी हानि हुई है इस पर माननीय मंत्री जी उत्तर दे दें ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के अन्दर जितनी भी चीनी मिलें हैं, उसका केवल 29% गन्ने का मूल्य ही बकाया है । उस बकाये मूल्य का भुगतान कराने के लिये लगातार दबाव डाल रहे हैं और यहां तक कि दो फैक्ट्रीज के खिलाफ आर० सी० की भी कार्यवाही हुई है ।

(श्री सुरेन्द्र सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष–

सिंह साहब आपको याद होगा कुछ दिन पहले यह प्रश्न आया था उस पर चर्चा भी लगी है । इस लिये इस पर अधिक अनुपूरक न करें ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

सेन्टर और गेट पर जो 3 रुपये का अन्तर कर दिया है इस सरकार ने उससे किसानों पर कितना भार आया है, किसानों का कितना लास हुआ है ।

श्री अध्यक्ष–

यह उस दिन चर्चा में कह लीजिएगा ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

मान्यवर, जो पहले व्यवस्था थी उसमें 2 रुपये का अन्तर आ रहा था इस सरकार ने जो अब व्यवस्था की है उसमें 3 रुपये का अन्तर आ रहा है। तो यह आंकड़ा बता दें कि मार्च माह तक किसानों का कितना लास हुआ है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, मूल प्रश्न पढ़ लें, मूल प्रश्न में क्या कहा गया है। आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि जो चार्ज 2 रुपये थे, पेट्रोल और डीज़ल के दाम बढ़े ट्रांस्पोर्टेशन चार्ज अधिक हो रहे हैं। इसलिए उसमें 3 रुपये की बात आई। मान्यवर, 4 रुपये सरकार ने गन्ना किसानों का बढ़ाया, इस तरह से 150 करोड़ रुपये बढ़ा कर गन्ना किसानों को दिया है। किसानों की क्षति हुई है यह कहना बिलकुल ठीक नही है।

(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह–

यह कहा गया कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े इस बजट के पहले साल में डीजल और पेट्रोल पर कितने दाम बढ़े, किसानों पर कितना भार पड़ा ?

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, जो एक रुपया ट्रांस्पोर्टेशन चार्ज बढ़ाया इससे किसानों पर कितना अधिभार पड़ा इसके आंकड़े बतायें।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, 4 रु० गन्ने का मूल्य मिल गेट पर बढ़ा, गन्ना किंसानों को इसमें 4 रु० बढ़कर दाम मिल रहा है। जो पहले 41 रु० मिलता था। वह मिल गेट पर अब 45 रु० मिल रहा है। पिछले वर्ष शीघ्र पकने वाली प्रजाति का मूल्य जो 44 रु० था वह 48 रु० मिल रहा है। 2 रु० 3 रु० हो जाने से कितना भार पड़ा है। यह इस समय बताना कठिन है इसकी सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री स्वामी नाथ यादव–

अभी कहा गया कि किसानों पर अतिरिक्त भार नहीं पड़ा है। 4 रु० आपने बढ़ाया, 3 रु० ट्रांस्पोर्टेशन में ले लिये क्या इससे उनके मूल्य में कटौती नहीं हो गई। यह जो आपने कहा कि 44 रु० दे रहे हैं तो यह 3 रु० किसानों के गन्ने से कटौती की जा रही है या मंत्री जी अतिरिक्त भार दे रहे हैं ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, सरकार ने 4 रु० बढ़ाया, जो पहले 2 रु० कटौती हो रही थी, उसमें 3 रु० कटौती की बात आई। हमने 41 से बढ़ाकर 45 रु० किया।

श्री निर्वेन्द्र कुमार–

मान्यवर, मेरी जिज्ञासा है, कि उत्तर प्रदेश में कितने वाह्य केन्द्र ऐसे हैं जहां पर ट्रांस्पोर्ट का चार्ज मिल मालिक 3 रु० से कम दे रहे हैं। इन वाह्य केन्द्रों पर जब ट्रांस्पोर्ट के चार्जेज 3 रु० से मिल

मालिक कम दे रहे हैं या सहकारी चीनी मिल वाले दे रहे हैं, तो क्या इन वाह्य केन्द्रों से 3 रु० से कम कटौती करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, यह मूल प्रश्न से संबंधित नहीं है और मेरे पास इसकी कोई सूचना उपलब्ध नहीं, लेकिन आपके माध्यम से पूरे सदन को बताना चाहता हूं कि कोई भी क्रय–केन्द्र ऐसा नहीं है, जहां पर 3 रुपये से अधिक ढुलाई लगती हो ।

श्री इजहार आलम खां–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इन्होंने 4 रु० गन्ने की कीमत बढ़ाई थी और वह गन्ने की कीमत इसलिए बढ़ाई थी, ताकि जो गन्ना किसानों का शोषण हो रहा है, जो गरीबी के कगार पर खड़े है, उनको भी कुछ सहायता मिल सके । लेकिन मंत्री जी के बयान के मुताबिक यह मालूम हुआ कि यह रुपया किसी महँगाई के लिए गन्ना किसानों को नहीं बढाया गया था, बल्कि इन्हें जो 3 रु० चार्ज सेन्टरों से गन्ने की ढुलाई की कीमत लेनी थी, इसलिए यह बढ़ाया गया था । इसका मतलब यह हुआ कि जो अखबारों में इस सरकार ने बयान दिया था कि हमने गन्ने का मूल्य बढ़ा कर गन्ना किसानों को जो राहत देने की बात कही थी, वह गलत थी ।

श्री हनुमन्त सिंह–

मान्यवर, गन्ने का लाभकारी मूल्य 4 रु० बढ़ाया गया था, आपके माध्यम से सम्मानित सदन को बताना चाहता हूं कि इस सरकार ने 4 रु० बढ़ाकर 3 रु० उसमें ढुलाई काटी है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्नों का समय समाप्त हुआ ।

जनपद लखनऊ में आलमबाग के मोहल्ला विराट नगर में विद्युत व्यवस्था में सुधार

*12-श्री कृष्ण चन्द्र–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला विराट नगर, आलमबाग, लखनऊ में दो फेस लाइन बढ़ाने के लिए तत्कालीन ऊर्जा राज्य मंत्री व डिप्टी चीफ रेजीडेन्ट इंजीनियर श्री आर० एन० माथुर के आदेश वर्ष 1989-90 में होने के बावजूद फेस अभी तक न बढ़ाये जाने के क्या कारण हैं ? इस आदेश की अवहेलना के लिए कौन–कौन अधिकारी उत्तरदायी हैं ? क्या सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार यह भी बतावेगी कि उक्त मोहल्ले में कब तक डबल फेस कर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

तत्कालीन ऊर्जा राज्य मंत्री जी ने अध्यक्ष, विराटनगर विकास समिति, आलमबाग, लखनऊ के प्रार्थना पत्र पर विद्युत व्यवस्था में सुधार के लिये आदेश दिये थे, जिन आदेशों के तहत तत्कालीन स्थानीय अभियंता (वितरण–प्रथम) लखनऊ विद्युत प्रदेश उपक्रम ने उप स्थानीय अभियंता, आलमबाग को दिनांक 16-12-1989 को आवश्यक कार्यवाही हेतु निर्देश दिये । उक्त आदेशों के तहत विराटनगर मोहल्ले में 600 मीटर लम्बी सिंगिल फेज एल० टी० लाइन को डबल फेस कर दिया गया है ।

प्रश्न नही उठता है ।

नोटः–नत्थी 'घ' के तारांकित प्रश्न संख्या-11 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हो गया ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

वांछित कार्य सम्पन्न कराया जा चुका है ।

यह कार्य पूर्व में ही कराया जा चुका है ।

उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी परिषद् द्वारा उड़नदस्ते का गठन

*13 –श्री बलराम यादव–

क्या कृषि मंत्री को ज्ञात है कि कृषि उत्पादन मण्डी समितियों द्वारा जिन्स के आवागमन संबंधी मण्डी शुल्क की वसूली की आधी से अधिक रकम मण्डी कर्मचारी खाते पर न तो चढ़ाते हैं न ही उनकी समुचित रसीद बनाते हैं जिससे मण्डी समितियों को भारी घाटा होता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उत्तर प्रदेश राज्य मण्डी परिषद् के मुख्यालय के नियंत्रण/संचालन में ऐसे जांच दस्ते का गठन करेगी, जो बिना सूचना दिये, मण्डी समितियों के कार्य स्थल से मण्डी शुल्क की वसूली तथा रेलवे गोदाम मण्डी स्थल से संबंधित बाजार के माल आदि को दृष्टिगत रखते हुए उक्त जांच करें तथा उसकी रिपोर्ट राज्य मुख्यालय को समुचित कार्यवाही हेतु प्रेषित करें ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्नगत कार्यों के लिए परिषद् मुख्यालय द्वारा एक उड़नदस्ते का गठन किया गया है । साथ ही प्रत्येक सम्भागीय स्तर पर भी उप निदेशक (प्रशासन) के अधीन उड़नदस्ते का गठन किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा के सिंचाई खण्ड में कार्यरत अवर अभियन्ता (श्री बी० के० राय) के विरुद्ध सतर्कता विभाग से जांच कराने की मांग

*14–श्री कृष्ण किंकर सिंह, श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर) तथा श्री शिव पाल सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि सिंचाई खण्ड, गोण्डा में कार्यरत अवर अभियन्ता (श्री बी० के० राय) के विरुद्ध प्रश्नकर्ता द्वारा दिया गया शिकायती पत्र सिंचाई सचिव को तीन माह पूर्व प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पत्र का सम्पूर्ण विवरण क्या है तथा शासन ने इस पर अभी तक क्या कार्यवाही की है ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त अवर अभियन्ता पर पी० डी० बांध की मरम्मत के नाम पर फर्जी मस्टर रोल बनाकर लगभग बीसों लाख रुपयों का सरकारी धन हड़पने का तथा जिला योजना के अन्तर्गत उक्त अवर अभियन्ता के काउन्टर पर आवंटित किये जाने वाले सरकारी धनों का व्यापक घपला करने का आरोप है ? यदि हां, तो क्या सरकार पिछले पांच वर्ष में इनके द्वारा कराये गये भुगतानों की जांच सतर्कता विभाग से कराने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

श्री बी० के० राय, अवर अभियन्ता, सिंचाई खण्ड, गोण्डा के विरुद्ध पी० डी० बांध पर फर्जी बाउचर बनाकर लाखों रुपये का भुगतान करने तथा जिला योजना केन्द्र के अन्तर्गत फर्जी मस्टर रोल

बनाकर लाखों रुपये की धनराशि हड़पने विषयक शिकायती-पत्र विभिन्न स्तरों पर प्राप्त हुए हैं। शिकायती-पत्रों पर विभागीय जांच करायी जा रही है। विभागीय जांच के उपरान्त यदि आवश्यक पाया गया तो इन आरोपों की जांच सतर्कता विभाग से कराने पर विचार किया जायेगा।

जनपद सोनभद्र में मण्डी परिषद् द्वारा निर्माणाधीन भण्डार गृह के निर्माण कार्य को पूरा किये जाने की सम्भावना

*15–श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सोनभद्र जनपद के मुख्यालय राबर्ट्सगंज में मण्डी परिषद् द्वारा एक भण्डार गृह का निर्माण किया जा रहा है जिसमें किसानों को अपने उत्पादन को रख कर 75 प्रतिशत मूल्य तुरन्त प्राप्त करने और शेष मूल्य बाद में अपना उत्पादन बेंच कर प्राप्त करने की व्यवस्था है ? यदि हां, तो उक्त भण्डार गृह का निर्माण कब तक पूरा होगा ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां।

निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण हो जाने की सम्भावना है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इटावा के विधूना तहसील में जल निकास की मांग

*16–श्री धनीराम वर्मा–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि इटावा जनपद की विधूना तहसील में 5 नदियों के प्रवाहित होने के कारण एवं जल निकास की समुचित व्यवस्था न होने से तहसील का उत्तरी, पूर्वी एवं मध्य भाग बरसात के मौसम में जलमग्न हो जाते हैं जिससे किसान या तो फसलें बो नहीं पाते हैं या बोई हुई फसलें नष्ट हो जाती हैं ? क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु जल निकास की समुचित व्यवस्था यथाशीघ्र करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां। कुछ क्षेत्र जलमग्न हो जाते हैं।

यह एक अल्पकालिक प्राकृतिक समस्या है जिसका समाधान धन उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

जनपद आगरा में चम्बल जल योजना के निर्मित व अवशेष कार्य पर अनुमानित व्यय का विवरण

*17–श्री विजय सिंह राणा–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आगरा में चम्बल जल योजना कब स्वीकृत हुई और इसके कब तक पूरा होने का समय निर्धारित किया गया था ? उक्त योजना के निर्धारित अवधि में पूरा न हो पाने के क्या कारण हैं ? अब इसे कब तक पूरा कर दिया जायेगा ? अब तक इस योजना पर कुल कितनी धनराशि व्यय हो चुकी और कितना निर्माण कार्य पूरा हुआ है। शेष कार्य पर आगे क्या खर्च होने का अनुमान है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद आगरा में चम्बल डाल योजना की प्रशासनिक स्वीकृति फरवरी, 1979 एवं वित्तीय स्वीकृति सितम्बर, 1979 में प्रदान की गयी थी तथा परियोजना वर्ष 1983-84 में पूर्ण होनी थी । धन की उपलब्धता अत्यधिक कम होने के कारण परियोजना निर्धारित अवधि में पूर्ण नहीं हो सकी । अब अष्टम् पंचवर्षीय योजना में इस परियोजना को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है । मार्च, 1992 तक कार्यों पर व्यय 1287 लाख रुपये हुआ है । परियोजना का लगभग 30 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुआ है । शेष कार्य पर लगभग 2419 लाख रु० व्यय होने का अनुमान है ।

जनपद इलाहाबाद में नलकूप विभाग में कार्यरत वर्कचार्ज कर्मचारियों को नियमित किये जाने की मांग

*18–डा० बृजभान यादव–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि इलाहाबाद जनपद में नलकूप विभाग के सैकड़ों वर्कचार्ज कर्मचारी विगत 10-15 वर्ष से कार्य कर रहे हैं तथा उनको नियमित नहीं किया गया है ? उक्त कर्मचारियों को अभी तक नियमित न किये जाने का क्या कारण है ? उन्हें कब तक विनियमित कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

इलाहाबाद जनपद के विभिन्न नलकूप खण्डों में कुल 156 वर्कचार्ज कर्मचारी कार्यरत हैं । नियमित अधिष्ठान में रिक्त होने वाले पदों पर नियमानुसार वर्कचार्ज कर्मचारियों को वरीयता दिये जाने तथा अनुरक्षण खण्डों में नियमित पदों के सृजन कराकर उन पर कार्य प्रभारित कर्मचारियों को नियुक्त किये जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हैं ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा प्रतिष्ठानों पर बकाया धनराशि की वसूली की कार्यवाही

*19–श्री राम लखन वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् का नवम्बर, 91 तक विद्युत बिलों का कुल कितना बकाया है ? विद्युत परिषद् के 30 सबसे बड़े कौन-कौन बकायेदार हैं और उन पर कितना-कितना बकाया है ? इन बड़े बकायेदारों से बकाया वसूली हेतु क्या कार्यवाही की जा रही है ?

श्री लालजी टण्डन–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के नवम्बर, 91 के अन्त में विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं पर कुल 924.13 करोड़ रुपया बकाया है ।

विद्युत परिषद् के 30 सबसे बड़े बकायेदारों की सूची व उनके समक्ष बकाये की धनराशि का विवरण संलग्न है ।

न्यायालय में लम्बित मामलों के शीघ्र निस्तारण हेतु तथा सरकारी प्रतिष्ठानों पर बकाया धनराशि के शीघ्रातिशीघ्र वसूली हेतु प्रभावी कार्यवाही की जा रही है ।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ 220-221 पर)

टाण्डा तापीय परियोजना भूमि अध्याप्ति से प्रभावित कृषकों के आश्रितों को स्वीकृत पदों पर सेवायोजित करने पर विचार

*20–श्री लालजी वर्मा–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे टाण्डा तापीय परियोजना, टाण्डा में कुछ कृषकों की भूमि कि अधिग्रहीत की गयी है ? यदि हां, तो क्या ऐसा शासनादेश है कि 50 प्रतिशत से अधिक जमीन अधिग्रहीत होने वाले कृषकों या उनके आश्रितों को उक्त परियोजना में नौकरी दी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक उन्हें नौकरी दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

ऐसा कोई शासनादेश नहीं है, परन्तु इस आशय के परिषदादेश/परिषदीय विनिय के अन्तर्गत 50 प्रतिशत एवं उससे अधिक भूमि अधिग्रहीत होने पर तथा स्वीकृत रिक्त पद उपलब्ध होने की दशा में सेवायोजन दिये जाने का प्राविधान है ।

टाण्डा परियोजना के भूमि अध्याप्ति से प्रभावित अधिकांश कृषकों के आश्रित चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्त किये जाने के योग्य हैं परन्तु परियोजना में चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत रिक्त पदों की अनुपलब्धता के कारण इन्हें सोवायोजन दिया जाना सम्भव नहीं है । स्वीकृत रिक्त पद उपलब्ध होने पर ही उनके सेवायोजन पर विचार किया जायेगा ।

अतारांकित प्रश्न

1–4–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाये गये]

जनपद सीतापुर के गन्ना किसानों के कटौती का प्रकरण

5–श्री नरेन्द्र सिंह (सीतापुर)–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, सीतापुर को गन्ना किसानों से 4 रु० प्रति क्विंटल आवश्यक रूप से कटौती कर किसानों को जबरन इन्दिरा विकास पत्र खरीदने के आदेश प्रदेश सरकार ने दिए हैं ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं, तो क्या दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

जनपद सीतापुर में गन्ना समिति बिसवां में कार्यरत गन्ना ग्राम सेवक श्री राज बहादुर सिंह के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही

6–श्री अनिल कुमार–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना समिति बिसवां सीतापुर में कार्यरत गन्ना ग्राम सेवक श्री राज बहादुर सिंह द्वारा सर्किल परसेण्डी में ग्राम थोंघी मजरा बढ़इनपुरवा में वर्ष 90-91 में ऐसे कितने व्यक्तियों के नाम पट्टे बनाये गये हैं जिनके नाम कोई भूमि नहीं है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

आठ कृषकों के षट्टे अनियमित पाये गये, जिसके लिए गन्ना पर्यवेक्षक के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद गोरखपुर, बुलन्दशहर तथा बहराइच में सहकारी चीनी मिलों की स्थापना हेतु कृषकों द्वारा एकत्रित अंशपूंजी का विवरण

7–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रदेश में नयी चीनी मिलें स्थापित किए जाने के बारे में प्रदेश सरकार द्वारा केन्द्र सरकार को भेजे गये प्रस्तावों में सहकारी क्षेत्र की चीनी मिलें स्थापित किए जाने के बारे में भी प्रस्ताव किया गया है ? यदि हां, तो क्या सहकारी क्षेत्र द्वारा लगवायी जाने वाली नयी चीनी मिलों के क्रम में जनपद फैजाबाद व अकबरपुर क्षेत्र में लम्बे अन्तराल से स्वीकृत सहकारी चीनी मिल की स्थापना कराकर क्षेत्र के विकास में सरकार पहल करेगी ? यदि नहीं, तो जिन क्षेत्रों में सहकारी चीनी मिलें खोले जाने की सम्भावना है वहां के क्षेत्रीय लोगों का अंश धन कब-कब और कितना-कितना जमा कराया गया है ?

श्री हनुमन्त सिह–

जी हां ।

जी नहीं ।

फैजाबाद के अकबरपुर क्षेत्र में सहकारी चीनी मिल की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा दिनांक 20-7-74 को लाइसेन्स जारी किया गया था । जिसे दिनांक 18-3-78 को निरस्त कर दिया गया ।

इस समय प्रदेश में तीन सहकारी चीनी मिलें, धुरियापार (गोरखपुर), जेवर (बुलन्दशहर) तथा चिलवरिया (बहराइच) की स्थापना का कार्य चल रहा है । जिसके लिये कृषकों से दिनांक 29-2-92 तक एकत्रित की गयी अंशपूंजी का विवरण निम्न प्रकार है :–

सहकारी चीनी मिल का नाम	दिनांक 29-2-92 तक एकत्रित की गई अंशपूंजी
1–चिलवरिया (बहराइच)	2.92 लाख रुपये
2–धुरियापार (गोरखपुर)	23.93 लाख रुपये
3–जेवर (बुलन्दशहर)	8.50 लाख रुपये

जनपद मैनपुरी के विद्युत प्रेषण खण्ड में कार्यरत सहायक अभियन्ता के स्थानान्तरण पर विचार

8–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत प्रेषण खण्ड, जनपद मैनपुरी में कार्यरत एक सहायक अभियन्ता द्वारा, बिजली कर्मियों के साथ किए गए उत्पीड़न अभद्र व्यवहार आदि की शिकायत उत्तर प्रदेश बिजली कर्मचारी संघ, मैनपुरी के माध्यम से जनवरी 91 में की गयी है ? यदि हां, तो उक्त सहायक अभियन्ता के विरुद्ध अभी तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि उक्त सहायक अभियन्ता की वर्तमान कार्य शैली से वहां समूचे बिजली कर्मचारियों में भारी रोष व्याप्त है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सहा० अभि० को अन्यत्र स्थानान्तरित करके मामले की जांच करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां, परन्तु जनवरी, 1992 में ।

सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के विरुद्ध छानबीन करने पर कार्यवाही करने का कोई ठोस एवं युक्ति युक्त मामला सम्प्रति नहीं बनता है ।

उनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में स्थानान्तरण नीति के अनुसार यथासमय विचार किया जायेगा ।

9 –श्री किशोरी लाल यादव–

[7वें सोम में अतारांकित प्रश्न संख्या 125 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद उन्नाव के ग्राम व पोस्ट-बारा में विद्युत परिषद् में कार्यरत मृतक के आश्रित श्रीमती महराना को अनुग्रह राशि स्वीकार करने की मांग

10–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्रीमती महराना पत्नी स्व० श्री राम कुमार, निवासिनी ग्राम व पोस्ट बारा, जिला उन्नाव ने दिनांक 13-10-91 को अपने पति के बिजली लगने से मर जाने के कारण मुआवजा दिलाने के लिए अधिशासी अभियन्ता उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् शाखा उन्नाव को कोई प्रार्थना-पत्र दिया है ? क्या किसी विधायक ने भी दिनांक 22-12-91 को अधिशासी अभियन्ता उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् शाखा उन्नाव को कोई पत्र मुआवजा दिलाने के सम्बन्ध में दिया है ? यदि हां, तो इन दोनों पत्रों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

मृतक के परिवार को अनुग्रह क्षतिपूर्ति स्वीकृत करने हेतु क्षेत्रीय समिति की संस्तुति अभी परिषद् में प्रतीक्षित है जिसके प्राप्त होते ही अनुग्रह राशि स्वीकृत कर दी जायेगी । क्षेत्रीय अधिकारियों को क्षेत्रीय समिति की संस्तुति शीघ्र प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं ।

जनपद उन्नाव के थाना तथा ग्राम व पोस्ट-बारा सचरग के श्री नाथू पुत्र श्री लालू के मृत बैल के मुआवजे के भुगतान की मांग

11–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद शाखा उन्नाव के कार्यालय में श्री नाथू पुत्र श्री लालू, निवासी ग्राम व पो० बारा, थाना बारा सचरग, जिला

उन्नाव के एक बैल के बिजली से मर जाने के परिणामस्वरूप मुआवजा दिये जाने का प्रकरण विचारधीन है ? क्या उनके पत्रांक वि० वि० सी० 93/जी० 400, दिनांक सितम्बर 91 के संदर्भ में उक्त पत्र के परिपालन में श्री नाथू पुत्र श्री लालू द्वारा समस्त कागज और कार्यवाही पूरी करने के उपरान्त भी अब तक कोई कार्यवाही न होने का क्या कारण है ? अब नाथू को कब तक मुआवजा प्राप्त हो जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

क्षेत्रीय समिति की संस्तुतियां अभी तक प्रतीक्षित है जिसके कारण अनुग्रह धनराशि स्वीकृत नहीं की जा सकी । मुख्य अभियन्ता, लखनऊ क्षेत्र को आवश्यक निर्देश दिये जा चुके हैं कि वे क्षेत्रीय समिति की संस्तुति शीघ्र उपलब्ध करायें ताकि अनुग्रह धनराशि स्वीकृत की जा सके ।

जनपद सीतापुर के मिश्रिख में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना हेतु प्रस्ताव न प्राप्त होना

12–श्री राम कृष्ण–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर की सबसे अधिक आबादी वाली तहसील मिश्रिख में अब तक मुंसिफ कोर्ट न खोले जाने का क्या कारण है ? उक्त कोर्ट कब तक खोल दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मिश्रिख में मुंसिफ कोर्ट की स्थापना का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं हुआ है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सीतापुर में रामगढ़ में चीनी मिल का निर्माण

13–श्री राम कृष्ण–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में रामगढ़ में चीनी मिल लगाने हेतु लाइसेन्स मिला है ? यदि हां, तो क्या मिल बनना चालू हुई ? यदि नहीं, तो उक्त मिल कब तक वहां चालू हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

चीनी मिल का निर्माण एवं स्थापना कार्य पूर्ण होने के उपरान्त ।

जनपद शाहजहांपुर के नवीन मण्डी स्थल रौजा में व्यापारियों की सुविधा हेतु निर्माणाधीन गोदाम

14–श्री राम मूर्ति सिंह–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद शाहजहांपुर में कृषि उत्पादन मण्डी समिति, रौजा में जो नई 20 दुकानें बनी हैं जिनके आवंटन हेतु एक वर्ष से बराबर आवंटित लिस्टें बनायी जा रही हैं अभी तक आवंटित क्यों नहीं की गयी हैं ? क्या सरकार उसे आवंटित कराने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

बीस नई दुकानें नहीं बल्कि नवीन मण्डी स्थल में कार्यरत व्यापारियों की सुविधा के लिये भण्डारण हेतु बीस छोटे गोदाम निर्मित कराये जा रहे हैं जो अभी निर्माणाधीन हैं ।

अभी प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद फैजाबाद में टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना के निर्माण से प्रभावित परिवार के सदस्यों को नौकरी दिये जाने की मांग

15–श्री बलराम यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फैजाबाद में टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना के कितने परिवार (सदस्य) प्रभावित हुए हैं ? प्रभावित सदस्यों में से कितने को नौकरी दी गयी ? क्या शेष को नौकरी देने पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक और कितने सदस्यों को नौकरी दी जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद फैजाबाद में टाण्डा तापीय शक्ति परियोजना के निर्माण से कुल 1314 परिवार प्रभावित हुए हैं ।

उपरोक्त 1314 परिवारों में से 265 व्यक्तियों को सेवायोजन दिया गया है ।

टाण्डा परियोजना के भूमि अध्याप्ति से प्रभावित अधिकांश कृषकों के आश्रित चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति किये जाने के योग्य हैं परन्तु परियोजना में चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत रिक्त पदों की अनुपलब्धता के कारण इन्हें सेवायोजन दिया जाना सम्भव नहीं है । स्वीकृत रिक्त पद उपलब्ध होने पर ही उनके सेवायोजन पर विचार किया जायेगा ।

भूमि अधिग्रहण से प्रभावित परिवार के ऐसे सदस्य जो परिषदीय आदेश/विनियमावली के अनुसार सेवायोजन हेतु सुपात्र होंगे उनके ही सेवायोजन पर विचार किया जायेगा ।

जनपद आजमगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजनान्तर्गत कोहड़ाताल से कुंवर नदी तक एक नई ड्रेन बनाने का प्रस्ताव

16–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड नं० 32 के अन्तर्गत ग्राम कोहड़ाताल से कुंवर नदी तक कोई नई ड्रेन खोदने का प्रस्ताव विभाग द्वारा स्वीकृत है ? यदि हां, तो कब तक खुदाई का कार्य पूरा कर दिया जायेगा ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना वर्ष 89-90 के अन्तर्गत कोहड़ाताल से कुंवर नदी तक एक नई ड्रेन बनाने का प्रस्ताव स्वीकृत है ।

इसका निर्माण भूमि उपलब्ध न होने के कारण नहीं कराया जा सका है ।

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना के अन्तर्गत भूमि को अधिकृत करने का कोई प्राविधान न होने के कारण निर्माण सम्भव नहीं है ।

चोलापुर रजबाहा में अधिक पानी छोड़ देने से ग्राम गड़खड़ा, जाठी ब्लाक पिंडरा वाराणसी के सैकड़ों एकड़ फसल के डूब जाने के सम्बन्ध में जानकारी

17–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड जौनपुर की चोलापुर माइनर में अधिक पानी छोड़ देने से गांव गड़खड़ा, जाठी ब्लाक पिंडरा वाराणसी की सैकड़ों एकड़ गेहूं की फसल डूब गयी तथा सैकड़ों एकड़ में पानी भर गया जिसमें बोआई नहीं हो पायी ? इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने किसानों की दरख्वास्त को अपने पत्र के साथ तथा अलग से एक पत्र अधिशासी अभियन्ता जौनपुर को दिसम्बर 91 में दिया है ? उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी ? क्या सरकार उक्त माइनर का सुधार कराने का आदेश देगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, चोलापुर रजबाहा में अधिक पानी छोड़ देने से ग्राम गड़खड़ा तथा ग्राम जाठी ब्लाक पिण्डरा वाराणसी की कोई फसल नहीं डूबी और न कोई क्षेत्र इस कारण बोआई से वंचित रहा ।

जी हां ।

पत्र प्राप्त होने के बाद रजबाहे के किनारों के कुछ स्थलों को सुदृढ़ कराया गया ।

यह कार्य कराना धन की उपलब्धता पर निर्भर है ।

एरिया चीफ विद्युत वाराणसी के दफ्तर में कार्यरत अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता आदि कर्मचारियों के ऊपर वर्ष, 91 में हुए व्यय एवं कार्य कलापों की जानकारी

18–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एरिया चीफ वाराणसी के दफ्तर में कितने अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता, सहायक अभियन्ता तथा अन्य कर्मचारी कार्यरत हैं ? इनके ऊपर वर्ष 91 में कितने रु० का खर्चा मय टी० ए० डी० ए० के आया है ? पेट्रोल, डीजल एवं दफ्तर के किराये में कितना रुपया खर्च हुआ है ? एरिया चीफ तथा उनके दफ्तर के लिए क्या कार्य कलाप आवंटित है ?

श्री लाल जी टण्डन–

एरिया चीफ वाराणसी के दफ्तर में 2(दो) अधीक्षण अभियन्ता, 10(दस) अधिशासी अभियन्ता, 11(ग्यारह) सहायक अभियन्ता तथा अन्य 48 (अड़तालिस) अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत हैं ।

इस कार्यालय में कार्यरत समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों के ऊपर वर्ष 1991 (जनवरी 1991 से दिसम्बर 1991 तक) में मय टी० ए० डी० ए० सहित रु० 39,01,250 रु० उनतालिस लाख एक हजार दो सौ पचास मात्र का व्यय हुआ ।

पेट्रोल, डीजल व गाड़ी के रख-रखाव पर कुल रु० 99,500.00 का व्यय हुआ तथा दफ्तर के किराये में कोई व्यय नहीं हुआ है ।

एरिया चीफ को आवंटित कार्यों का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ 222 पर)

राज्य विद्युत परिषद उ० प्र० के सदस्य वितरण द्वारा किसानों के पम्पिंग सेट के लिये पैकेज स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

19–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राज्य विद्युत परिषद, उत्तर प्रदेश के सदस्य डिस्ट्रीब्यूशन, पैकेज स्कीम को मंजूर करता है ? यदि हां, तो क्या वाराणसी विद्युत परिषद ने कोई/पैकेज स्कीम किसानों को पंपिंग सेट के कनेक्शन देने हेतु मई 91 से अब तक भेजी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी कि मई 91 तक के, पैकेज स्कीम के मुताबिक, कार्य किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

राज्य विद्युत परिषद उ० प्र० के सदस्य वितरण द्वारा किसानों के पंपिंग सेट के लिये कोई पैकेज स्वीकृत नहीं किया जाता बल्कि अधीक्षण अभियन्ता (वितरण) द्वारा अधिशासी अभियन्ता (वितरण) की रिपोर्ट के आधार पर मासिक पैकेज अधिशासी अभियन्ता (भण्डार) को प्रेषित किया जाता है और उसी के विरुद्ध स्टोर से सामान प्राप्त होता है ।

मई 91 से अब तक 520 निर्धारित लक्ष्य वाराणसी जिले में पंपिंग सेट का पैकेज भेजा गया और उसके विरुद्ध 507 का सामान मिला तथा 31 मार्च 92 तक ऊर्जीकरण का कार्य सम्पन्न हो गया । अतः पैकेज स्कीम के अनुसार वर्ष 91-92 में निजी पम्प सेट का ऊर्जीकरण किया गया । अतएव जांच का प्रश्न नहीं उठता है ।

लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में अनुरक्षण धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव

20–श्री राम प्रसाद सिंह–

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लिफ्ट सिंचाई योजनाओं में अनुरक्षण धनराशि चार हजार रु० प्रति क्यूसिक प्रति वर्ष 1973 से दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या तत्कालीन निर्धारित धन की अपेक्षा इस दौरान वर्ष 1992 जनवरी तक करीब तीन गुना कीमतें बढ़ गई हैं ? यदि हां, तो पुराने मानक के हिसाब से उक्त अनुश्रवण धनराशि दिए जाने का क्या औचित्य है ? क्या वर्तमान वर्ष की बढ़ी हुई कीमतों का औसत वृद्धि के हिसाब से प्रति क्यूसिक प्रति वर्ष बढ़ाकर 15 हजार रु० किये जाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक यह वृद्धि की जायेगी ? यदि नही, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

कीमतें बढ़ी हैं, लेकिन इसका सही आंकलन उपलब्ध नहीं है ।

अनुरक्षण की धनराशि बढ़ाने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है ।

अनुरक्षण की धनराशि बढ़ाने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है । शासन द्वारा यथाशीघ्र निर्णय लिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सन्दना, सीतापुर में विद्युत सब स्टेशन बनाने की मांग

21–श्री राम कृष्ण–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सन्दना, सीतापुर में विद्युत सब स्टेशन बनाने हेतु स्वीकृत था ? यदि हां, तो उसके लिए कितना धन शासन से दिया गया था ? अभी तक विद्युत उपग्रह क्यों नहीं बनाया गया ? यदि बनाया जायेगा, तो कब तक ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां । सन्दना, सीतापुर में 66/11के० वी०विद्युत उपकेन्द्र को जोड़ने के लिए 66 के० वी० की लाइन के निर्माण का कार्य मार्च, 1971 में प्रारम्भ किया गया था किन्तु विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण हेतु जमीन नहीं उपलब्ध हो पायी थी ।

66 के० वी० की लाइन के निर्माण पर वर्ष 1971 से वर्ष 1977 तक कुल लगभग रु० 6.5 लाख व्यय किया गया था । पुनः वर्ष 1988-89 तथा 1989-90 में उक्त विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण के लिये भूमि हेतु रु० 30,000/- का प्राविधान किया गया था किन्तु जमीन अभी तक उपलब्ध नहीं हो पायी है ।

वर्तमान में संसाधनों की कमी के कारण प्रश्नगत विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का कार्य रुका हुआ है ।

22 –श्री राम कृष्ण–

[दि० 11-3-92 को तारांकित प्र० सं० 4 द्वारा उत्तरित]

जनपद देवरिया के झरही ड्रेन में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा दिये जाने की मांग

23–श्री विश्वनाथ–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के झरही ड्रेन में अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा उन कृषकों को दे दिया गया था जिनकी जमीन अधिग्रहीत की गयी थी ? यदि मुआवजा दे दिया गया तो कितना और शेष कितना है ? इसे कब तक भुगतान कर दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिह–

जी हां ।

रु० 5,87,531.59 का मुआवजा दिया गया । अवशेष शून्य है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

भूमि संरक्षण अधिकारी बांदा के विरुद्ध शिकायती-पत्रों की जांच

24–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी तथा श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री संजय अग्रवाल, संयुक्त सचिव, मुख्य मंत्री के पत्र सं० सी० एम० वि० को०/एम-3/14-249/बु/91 दि० 26-12-91 में जो भूमि संरक्षण अधिकारी, बांदा के विरुद्ध था कृषि सचिव द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

संदर्भित पत्र दिनांक 6-12-91 का है न की 26-12-91 का । पत्र में उल्लिखित शिकायतों की जांच कराई जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

बांदा जनपद के अतर्रा क्षेत्र में नहरों के जंगल रबेहा के जंगल की सफाई के पद पर व्यय विवरण की जानकारी

25–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सिंचाई मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बांदा जनपद के अतर्रा क्षेत्र में नहरों के जंगल, रबेहा के जंगल की सफाई के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक सं०-ग309438/115, दिनांक 6-01-92 उनको लिखा गया था ? क्या उसमें अतर्रा क्षेत्र के जंगल की सफाई में व्यय धनाराशि का व्यौरा मांगा गया था ? यदि हां, तो पत्र के अनुसार अधिशासी अभियन्ता, केन नहर प्रखण्ड द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? क्या प्रश्नकर्ता की जो शिकायत उन्हें प्राप्त हुई हैं, उक्त कार्य में भारी अनियमिततायें पायी गई हैं ? यदि हां, तो क्या पूर्ण विवरण सहित उपरोक्तानुसार जानकारी प्रश्नकर्ता को उपलब्ध करवाई जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

अधिशासी अभियन्ता ने सहायक अभियन्ता द्वितीय अतर्रा की वांछित सूचना भेजने हेतु निदेशित किया ।

प्रश्नकर्ता ने अपने पत्र में कोई शिकायत नहीं की थी, केवल जंगल सफाई में व्यय का विवरण मांगा था ।

सफाई में व्यय की गई धनराशि का विवरण संलग्न है ।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ 223-224 पर)

मुहम्मदाबाद, जनपद फर्रुखाबाद के नलकूपों का कार्य फर्म ए० पी० सिंह यादव द्वारा समय से पूर्ण न करने तथा उनके बकाये का भुगतान न होने के सम्बन्ध में जानकारी

26–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुहम्मदाबाद, जनपद फर्रुखाबाद के नलकूपों का कार्य, नलकूप अलीगढ़, विद्युतीकरण खण्ड, विश्व बैंक उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा फर्म ए० पी० सिंह यादव ने वर्ष 1989 में कराया गया है ? क्या यह सत्य है कि समय से सामग्री उपलब्ध न हो पाने के कारण निश्चित अवधि में कार्य पूरा नहीं हो सका ? यदि हां, तो क्या इसके लिए विभाग ने अनुबन्ध को रद्द करके फर्म का 60 हजार रुपये का भुगतान नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

मैसर्स ए० पी० सिंह यादव को ठीक समय पर सामान उपलब्ध करा दिया गया था परन्तु फर्म ने कार्य पूरा नहीं किया मै० ए० पी० सिंह यादव ने समय में कार्य पूरा नहीं किया इसलिये अनुबन्ध रद्द कर दिया गया । उपरोक्त फर्म का लगभग रु० 24000/- का भुगतान अवशेष है । यह भुगतान इसलिये नहीं किया गया क्योंकि उक्त फर्म के पास परिषद् का उक्त धनराशि से अधिक सामान पड़ा है ।

जनपद गोरखपुर के विकास क्षेत्र ब्रह्मपुर में स्थापित नलकूपों से सम्बन्धित भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में जानकारी

27–श्रीमती शारदा देवी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विकास क्षेत्र, ब्रह्मपुर के ग्राम सभा ब्रह्मपुर में स्थित नलकूप सं०-45 एस० एन० जी० नं० मौना डेहराडाबर में स्थित नलकूप सं०-46 एस० एन० जी० जिस भूमि में स्थापित किया गया है, उन किसानों को विभाग ने भूमि मुआवजा दे दिया ? यदि हां, तो कितना रुपया किन-किन किसानों को भुगतान किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों /

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गन्ना विभाग के अन्तर्गत गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्तों के स्थायीकरण की मांग

28–श्री देवेन्द्र पाल सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विभाग के अन्तर्गत पांच गन्ना निरीक्षकों एवं सहायक चीनी आयुक्तों का स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या उक्त लोगों को स्थायी घोषित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

प्रश्नगत गन्ना निरीक्षक एवं सहायक चीनी आयुक्तों का स्थायीकरण शासनादेश सं०-4816 एस/चीउ०अ०-1/91-2049/76 दिनांक 1-2-92 के द्वारा किया जा चुका है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद गोण्डा में नलकूप आपरेटरों की नियुक्ति में अनियमितता

29–श्री घनश्याम शुक्ल–

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1986-87 से 31 दिसम्बर, 1991 तक जनपद-गोण्डा में विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत तथा इण्डोडच योजना के अन्तर्गत कलस्टर नलकूप लगाये गये हैं ? क्या आपरेटरों की नियुक्ति स्थानीय लोगों की न करके जनपद के बाहर के तथा संबंधित विकास खण्ड के बाहर के लोगों को अनियमित रूप की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार अनाधिकृत नियुक्त आपरेटरों को हटाकर स्थानीय लोगों को आपरेटर के पद पर नियुक्त करने पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

इन नलकूपों पर जनपद गोण्डा के बाहर एवं सम्बन्धित विकास खण्ड के बाहर के अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं की गयी है । शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

30–श्री दलवीर सिंह–

[7वें सोम में आता० प्र० सं० 160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विद्युत विभाग की अनियमितताओं के सम्बन्ध में जांच

31–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत विभाग की अनियमितताओं विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा ऊर्जा मंत्री को मिलकर नेता विरोधी दल के कवरिंग पत्र दिनांक 13-8-91 सहित दिये गये पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? पत्र पर जांच किसने की तथा जांच के निष्कर्ष क्या है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जांच करायी गयी ।

जांच उपखण्ड अधिकारी उन्नाव ने की । जांच में लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं हुई ।

उन्नाव जिले के मौरावां सब स्टेशन पर व्याप्त अनियमितताओं के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र पर कार्यवाही

32–श्री हृदय नारायण दीक्षित–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले के मौरावां सब स्टेशन पर व्याप्त तमाम अनियमितताओं के समबन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री को प्रेषित पत्र दिनांक 17-7-91 मिला है ? यदि हां, तो क्या इस पत्र की प्रति ऊर्जा मंत्री, सचिव, ऊर्जा, उ० प्र० शासन को भी प्रेषित है ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर क्या कार्यवाही की गई है ? पत्र पर जांच किसने की है व जांच के निष्कर्ष क्या है ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

उन्नाव खण्ड से सम्बन्धित विषयों पर जांच उपखण्ड अधिकारी (द्वितीय) उन्नाव ने की । जांच में श्री ओंकार राय, अवर अभियन्ता के सम्बन्ध में किसी भी आरोप की पुष्टि नहीं हुई ।

प्रतापगढ़ खण्ड से सम्बन्धित विषय पर कार्यवाही की सूचना विद्युत वितरण मण्डल (द्वितीय) इलाहाबाद से प्रतीक्षित है ।

अधिशासी अभियन्ता उन्नाव खण्ड शारदा नहर के विरुद्ध जांच

33–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "जवाहर रोजगार योजना" के अन्तर्गत किसी स्वीकृत कार्य पर आवंटित धनराशि, दूसरे कार्यों पर व्यय की जा सकती है ? यदि नहीं, तो अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव खण्ड शारदा नहर द्वारा पिछले 2 वर्षों से किसी भी कार्य पर आवंटित धनराशि दूसरे कार्यों पर क्यों व्यय की जा रही है ? क्या मंत्री जी उक्त अधिशासी अभियन्ता के विरुद्ध व इन कार्यों से संबंधित अन्य अवर अभियन्ताओं के विरुद्ध जांच कराकर कार्यवाही करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

पिछले दो वर्षों में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत किसी कार्य पर आवंटित धनराशि को किसी दूसरे कार्य पर व्यय नहीं किया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता है ।

उपरोक्तानुसार ।

34–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, उन्नाव खण्ड, शारदा नहर के विरुद्ध श्री राज किशोर सिंह, ग्राम-सफियापुर, पो० सफीपुर, जिला-उन्नाव के प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-8-91 की जांच की गई ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने पर विचार करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित शिकायती-पत्र में लगाये गये आरोपों की जांच कर आख्या उपलब्ध कराने हेतु मुख्य प्राविधिक परीक्षक को आदेश दे दिये गये हैं। प्रश्नगत जांच आख्या अभी तक शासन को प्राप्त नहीं हो पाई है अतएव शेष कार्यवाही का अभी प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

सब विद्युत स्टेशन पिंडरा, वाराणसी को सब विद्युत स्टेशन राजा तालाब वाराणसी से विद्युत सप्लाई किये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

35–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब विद्युत स्टेशन पिंडरा, वाराणसी को सब विद्युत स्टेशन, राजातालाब, वाराणसी से विद्युत की कुछ सप्लाई की जा रही थी ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि गत 1 माह से विद्युत विभाग वाराणसी के अधिकारियों ने सप्लाई काट दिया है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार वहां पुनः लाइन चालू करायेगी ?

श्री लाल जी टण्डन–

सब विद्युत स्टेशन पिंडरा, वाराणसी को 132 के० वी० सब स्टेशन राजातालाब, वाराणसी से 16-7-91 से विद्युत सप्लाई की जा रही थी। पहले इसकी सप्लाई 132 के० वी० सब स्टेशन मंडुआडीह से होती थी. किन्तु 132 के० वी० सारनाथ सब सटेशन के 40 एम० वी० ए० ट्रांसफार्मर के क्षतिग्रस्त होने से वाराणसी शहर की सप्लाई 132 के० वी० सब स्टेशन मंडुआडीह से करनी पड़ी। चूंकि वाराणसी शहर की सप्लाई अति आवश्यक थी इसलिये मंडुआडीह का विद्युत भार कम करने के लिये पिंडरा सब स्टेशन को 16-7-91 से 28-10-91 तक राजातालाब से जोड़ दिया गया था। अतः पिंडरा सब स्टेशन को 3 माह 12 दिन तक राजातालाब से विद्युत सप्लाई मिलती रही। इस प्रकार पिंडरा सब स्टेशन की लाइन कभी नहीं कटी, बल्कि 12के० वी० राजातालाब से बिजली दी जाती रही और पुनः 29-10-91 से मंडुआडीह सब स्टेशन से विद्युत आपूर्ति की जा रही है।

विद्युत विभाग, वाराणसी में खम्भा ट्रांसफार्मर ,तार, क्लैम्प आदि की कमी एवं आपूर्ति के सम्बन्ध में जानकारी

36–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत विभाग, वाराणसी के पास वर्षों से खम्भा, ट्रांसफार्मर, तार, क्लैम्प आदि की कमी है ? यदि हां, तो क्यों ? विद्युत विभाग वाराणसी ने सन् 90-91 एवं 91 अप्रैल, से 31 दिसम्बर, 91 तक सामानों के लिए कितनी बार मांग पत्र राज्य विद्युत परिषद् उत्तर प्रदेश को भेजा गया है ? उस पर कितना सामान दिया गया ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि वाराणसी जिले के सामानों की कितनी मांग है ? क्या इसकी आपूर्ति करने का सरकार आदेश प्रदान करेगी ?

श्री लाल जी टंडन–

वाराणसी जनपद में निजी नलकूपों, ग्रामीण विद्युतीकरण के लक्ष्य एवं जमा कार्य के पैकेज के विरुद्ध खम्भा, ट्रांसफार्मर, तार, क्लैम्प आदि की कमी नहीं रही है। अनुरक्षण कार्य के विरुद्ध उपरोक्त सामानों की कमी परिषदीय धनाभाव के कारण रही है। 11 के० वी० एवं एल० टी० विस्तार कार्यों के लिए सामान प्राप्त नहीं हुआ चूंकि इसका लक्ष्य माह जनवरी, 1992 में आया था।

वर्ष 90-91 तथा अप्रैल, 91से 31 दिसम्बर, 91 तक निजी नलकूपों के लिये 996 मांग-पत्र एवं ग्रामीण विद्युतीकरण के लिये 55 मांग-पत्र दिये गये जिनके विरुद्ध सामान की प्राप्ति हुई। अनुरक्षण एवं अन्य कार्य हेतु मांग के विरुद्ध बहुत कम सामान प्राप्त हुआ।

वाराणसी जिले में वर्ष 92-93 में लगभग 1000 निजी नलकूप तथा 50 ग्रामों के विद्युतीकरण हेतु सामानों की मांग है, जिसका लक्ष्य निर्धारित होना है। इसी प्रकार अन्य कार्यों हेतु लक्ष्य निर्धारित किया जा रहा है और तभी मांग की मात्रा सुनिश्चित की जा सकती है।

37–श्री राम प्रसाद सिंह–

[7वें सोम में अता० प्र० सं० 126 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद आजमगढ़ में सोफीपुर सब स्टेशन के अन्तर्गत विद्युत उपभोक्तओं से निर्धारित दर से अधिक रुपये लिये जाने के सम्बन्ध में आपत्ति

38–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में सोफीपुर सब स्टेशन अन्तर्गत जितने भी कनेक्शन लगे हैं, उनसे (इक्यावन) रु० 51.00 प्रतिमाह लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि इस सब स्टेशन के अलावा जो भी कनेक्शन लगे हैं, उनसे प्रति माह (बाईस) रु० 22.00 लिया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? सोफीपुर सब स्टेशन द्वारा जो भी कनेक्शन दिए गए हैं, उनके उपभोक्ताओं के सब के बराबर कब तक (बाईस) रु० 22.00 लिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? अब तक उपभोक्ताओं से अधिक रुपया, जो बिल के रूप में लिया गया, उसे कब तक वापस किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

33/11 के० वी० उपकेन्द्र सोफीपुर के अन्तर्गत समस्त विद्युत उपभोक्ताओं को ग्रामीण शेड्यूल से अधिक विद्युत आपूर्ति होने के कारण 50 यूनिट प्रतिमाह की दर से लिया जाता है । जहां पर विद्युत आपूर्ति ग्रामीण शेड्यूल के अनुसार की जा रही है उन उपभोक्ताओं से 22 रुपया निर्धारित दर से प्रतिमाह लिया जा रहा है ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उक्त क्षेत्र में ग्रामीण शेड्यूल से अधिक विद्युत आपूर्ति होती रही है ।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति आगरा से कृषि उत्पादन मण्डी समिति गाजियाबाद को ऋण दिये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

39–श्री विजय सिंह राणा–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कृषि उत्पादन मण्डी समिति, आगरा से कृषि उत्पादन मण्डी समिति, गाजियाबाद को कोई कर्जा दिया गया है ? यदि हां, तो कितना कर्जा, कब दिया गया है ? क्या कर्जे की उक्त धनराशि को वापिस किया जा रहा है ? यदि हां, तो अब तक कितना कर्जा वापिस कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

मण्डी समिति, गाजियाबाद के नवीन मण्डी स्थल के निर्माण हेतु अर्न्तमण्डी ऋण व्यवस्था के अन्तर्गत मण्डी समिति आगरा ने मण्डी समिति गाजियाबाद को रुपया 25 लाख दि० 5-1-88 को ऋण के रूप में दिया था ।

ऋण की समस्त धनराशि वापिस प्राप्त हो गयी है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

40–श्री विजय सिंह राणा–

[8वें बुध० के लिए स्थगित]

ब्लाक काशी विद्यापीठ, वाराणसी के राजकीय नलकूप बच्छाव-द्वितीय की क्षतिग्रस्त गूल की विशेष मरम्मत कराये जाने की मांग

41–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप. बंदेपुर, बच्छांव, द्वितीय तथा तृतीय व गजाधरपुर, ब्लाक-काशी विद्यापीठ, वाराणसी व कुरहुंआ तथा वच्छांव चतुर्थ की नाली खराब होने से सैकड़ों एकड़ जमीन जलमग्न है, जिसकी बोआई भी नहीं हो सकी है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि कुरहुआव, बच्छांव चतुर्थ की पाइप लाइन भी ठीक नहीं की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और धन देकर नाली व उक्त पाइप लाइन को ठीक कराने का आदेश प्रदान करेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिह–

जी नही, केवल राजकीय नलकूप बच्छांव द्वितीय की पक्की गूल क्षतिग्रस्त हैं ।

जी नहीं ।

राजकीय नलकूप बच्छांव-द्वितीय की क्षतिग्रस्त गूल की विशेष मरम्मत वर्ष 92-93 में कराई जा रही है ।

ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के कतिपय राजकीय नलकूपों का पम्प हाउस बनाये जाने की मांग

42–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय नलकूप टिकरी, मंगारी, इंदरपुर व रामपुर प्रथम, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की फ्री बोरिंग की गयी है ? यदि हां, तो अब तक पम्प हाउस न बनाने का क्या कारण है ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर तुरन्त पम्प हाउस वहां बनवाने का आदेश प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, इन नलकूपों का छिद्रण सिंचाई विभाग द्वारा अपने संसाधनों से किया गया है ।

पम्प हाउस बन गये है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न हीं नहीं उठता ।

पब्लिक नलकूप व सरांव ब्लाक पिंडरा, वाराणसी के टूटे हुए कुलावे तथा क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को ठीक कराये जाने की मांग

43–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पब्लिक नलकूप व सरांव ब्लाक पिंडरा, वाराणसी के सभी कुलाबा टूट गये हैं और पाइप लाइन भी क्षतिग्रस्त है ? क्या पब्लिक नलकूप देवराई की पूर्वी नाली

भी टूट गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी शीघ्र जांच कराकर नालियों को बनाने का आदेश देगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं, पब्लिक नलकूप सराय ब्लाक पिडरा के मात्र 4 कुलावे क्षतिग्रस्त हैं तथा पाइप लाइन दो स्थानों पर क्षतिग्रस्त हैं ।

जी नहीं । पूर्वी गूल 50 मीटर लम्बाई में लीक कर रही है ।

इन नलकूपों के क्षतिग्रस्त कुलावों, पाइप लाइन तथा पक्की गूल की मरम्मत वर्ष 1992-93 में करायी जा रही है ।

सिंचाई खण्ड,जौनपुर में केराकत राजबहा की चोलापुर माइनर, गड़खड़ा माइनर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी तक की खुदाई व साइफन बनाने की मांग

44–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई खण्ड, जौनपुर में केराकत राजबहा की चोलापुर माइनर, गड़खड़ा माइनर, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी तक की खुदाई व साइफन बनाने हेतु धन उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार धन की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो क्या सरकार उसकी पटरी तथा खाई को भी ऊंचा करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्नगत राजबहा व माइनर की खुदाई का कार्य पूर्ण हो चुका है । चोलापुर राजबहा पर साइफन की क्षमता वृद्धि विचाराधीन है । सामान्य बजट प्राविधान के अन्तर्गत ही इस निर्माण कार्य का नियोजन किया जाना है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गलत सट्टे की जांच हेतु जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती को शिकायती-पत्र

45–श्री राम ललित चौधरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतालायेंगे कि दिनांक 6-1-92 को जिला गन्ना अधिकारी, बस्ती को प्रश्नकर्ता का कोई शिकायती-पत्र गलत सट्टे की जांच के लिए प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

जांच करायी गयी और इसमें कोई अनियमितता नहीं पायी गयी ।

शेष का प्रश्न नहीं है ।

46–श्री बी० आर० वर्मा–

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश की फल संरक्षण शाखा के शोध खण्ड और प्रसार खण्ड के कर्मचारियों के ज्येष्ठता के निर्धारण के संबंध में जानकारी

47–श्री ज्ञानेन्द्र –

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान एवं फल प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश की फल संरक्षण शाखा के शोध खण्ड और प्रसार खण्ड के पिछले तीस वर्षो से वर्ग–2 व 3 के अलग-अलग घोषित कर्मचारियों को अब एक में ही सम्मिलित किये जाने का प्राविधान अब बन रही सेवा नियमावली में किया गया है ? यदि हां, तो 30 वर्षों से अलग-अलग घोषित ज्येष्ठता सूची के कर्मचारियों की ज्येष्ठता कैसे निर्धारित की जायेगी, जबकि 1964 में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी के अनेकों कर्मचारी प्रसार खण्ड में पदोन्नति प्राप्त करके वर्ग–एक के पदों पर प्रोन्नति किये जा चुके हैं परन्तु शोध खण्ड में उनसे पूर्व एवं उच्च पद (वर्ग-तीन) पर नियुक्त कर्मचारी अभी भी वर्ग–3 या वर्ग–2 में ही पड़े हुए हैं ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

ग्राम सभा अफोइया, ब्लाक-शाहगढ़, जनपद सुल्तानपुर में विद्युतीकरण की मांग

48–श्री ज्ञानेन्द्र –

क्या सरकार को जानकारी है कि ग्राम सभा-अफोइया, ब्लाक-शाहगढ़ तहसील-गौरीगंज, जनपद-सुल्तानपुर में विद्युतीकरण हेतु वर्ष 1985 में खम्भे लगाकर तार खीच दिया गया है ? परन्तु अभी तक विद्युत की आपूर्ति नहीं की गयी है ? यदि हां, तो विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था कब से प्रारम्भ कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रश्नगत ग्राम के किसी भी सम्भावी उपभोक्ता द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु अनुबन्ध न किये जाने के कारण विद्युत आपूर्ति नहीं की गयी है । जैसे ही कनेक्शन हेतु मांग आयेगी आपूर्ति चालू की जा सकती है ।

सुल्तानपुर जनपद के जयसिंहपुर क्षेत्र के अन्तर्गत कूरेभार ड्रेन की खुदाई का प्रस्ताव

49–श्री अर्जुन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर के जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र में स्थित ड्रेन कूरेभार की खुदाई का प्रस्ताव शासन में विचाराधीन है ? यदि हां, तो इस पर कार्य कब तक आरम्भ हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सुल्तानपुर जनपद के जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कूरेभार ड्रेन की तली का ढाल बहुत कम होने के कारण इस ड्रेन से प्रभावी रूप से जल निकासी सम्भव न होने के कारण इस क्षेत्र की जल निकासी गोमती नदी में करने हेतु वैकल्पिक प्रस्ताव विचाराधीन है।

इस ड्रेन की सफाई (खुदाई) धन उपलब्धता पर सम्भव है।

सुल्तानपुर जनपद को दीन दयाल योजनान्तर्गत लिए जाने का प्रस्ताव

50–श्री अर्जुन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जिले को पंडित दीन दयाल योजना के अन्तर्गत लिया गया है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सुल्तानपुर जनपद को दीन दयाल योजना के अन्तर्गत द्वितीय चरण में लिया जाना प्रस्तावित है।

जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र में कूरेभार ड्रेन पर साइफन बनाने हेतु कार्यवाही की जानकारी

51–श्री अर्जुन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर के जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित कूरेभार ड्रेन पर ग्राम सभा न्योढिया के पास साइफन बनाने हेतु कितना धन स्वीकृत था ? शासन द्वारा कितना धन दिया गया है ? उसको बनवाने के लिए शासन ने क्या कार्यवाही की ? उपरोक्त साइफन का निर्माण कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र में कूरेभार ड्रेन को गोमती नदी में मिलाने के लिए सोनारा लिंक ड्रेन का निर्माण प्रस्तावित हुआ था, जिसके अन्तर्गत सामानान्तर सुल्तानपुर शाखा पर नेवढ़िया ग्राम में एक साइफन का निर्माण भी प्रस्तावित था। उपरोक्त कार्य के लिए आवश्कतानुसार धन का प्राविधान भी शारदा सहायक परियोजना में किया गया। इस कार्य विशेष हेतु शासन द्वारा कोई अलग से धन उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता नहीं थी।

साइफन से लाभ सोनारा लिंक ड्रेन बनने के उपरान्त ही मिल पायेगा।

सोनारा लिंक ड्रेन बनाने हेतु भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है।

भूमि अधिग्रहण के उपरान्त ही धन की उपलब्धता पर सोनारा लिंक ड्रेन तथा साइफन के निर्माण की कार्यवाही की जायेगी।

सुल्तानपुर, फैजाबाद मुझुई ड्रेन की खुदाई के संबंध में जानकारी

52–श्री अर्जुन सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर, फैजाबाद मुझुई ड्रेन की खुदाई हेतु कितना पैसा पिछले बजट सत्र में स्वीकृत हुआ था ? क्या वह पूरा खर्च हो गया ? यदि हां, तो कब ?

यदि नहीं, तो क्यों ? उपरोक्त मद में जो पैसा बचा है उसे अन्यत्र किसी मद् में स्थानान्तरित करने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? शेष कार्य कब तक पूर्ण होगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

मुझुई ड्रेन (नदी) के खुदाई हेतु गत वर्ष बजट में कोई धन स्वीकृत नहीं हुआ था ।

धन स्वीकृत नहीं हुआ था, अतः व्यय का कोई प्रश्न ही नहीं उठता ।

मिर्जापुर सोनभद्र जनपद में अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त पुलों व सड़कों की मरम्मत कराने की मांग

53–श्री यदुनाथ सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि अगस्त 1991 में मिर्जापुर सोनभद्र जनपद में अतिवृष्टि के कारण रिहन्द जलाशय, अहरौरा जलाशय, जरेगा जलाशय, अपर खजुरी जलाशय से क्रमशः कितने क्यूसेक पानी को बहाया गया ? क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि बहाव के लिए अतिरिक्त प्रणाली न होने से मिर्जापुर जनपद में जमालपुर ब्लाक के 69 गांव जलमग्न हो गये थे ? यदि हां, तो क्या ओड़ी बहुआर डवक और ब्लाक की सभी सड़कों को क्षति एवं जनधन क्षतिग्रस्त हो गया था ? क्या मंत्री जी ने अभी तक उक्त जलाशय के स्कैव के कारण क्षतिग्रस्त पुलों व सड़कों के मरम्मत के लिए धनराशि मुहैया करायी है ? यदि हां, तो कितनी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद महराजगंज के ग्राम लोहेपार से जाने वाली स्कयां-रजवाहा नहर के निर्माण पर रोक लगाने के संबंध में जानकारी

54–श्री शिवेन्द्र सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद महराजगंज के ग्राम लोहेपार से होकर गुजरने वाली स्कयां-रजवाहा नहर के कि०मी० 8-25 पर निर्माणाधीन पुल निर्धारित मानक के आधार पर उचित स्थल पर बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो इसका निर्माण कार्य किस अधिकारी के आदेश से रोक दिया गया है ? यदि निर्माण नहीं रोका गया है तो किस नियत तिथि तक पूरा हो जायेगा ? क्या इस पुल के निर्माण के दौरान 8-11-91 को कोई विवाद उत्पन्न हुआ था ? यदि हां, तो विभाग ने उस पर क्या कार्यवाही की ? क्या इस पूरे प्रकरण में पुल से संबंधित किसी कर्मचारी/अधिकारी स्तर से लापरवाही करने का मामला भी प्रकाश में आया है ? यदि हां, तो वह क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

निर्माण कार्य अधिकारी के आदेश से नहीं रोका गया है । कुछ स्थानीय लोगों के व्यवधान उत्पन्न करने के कारण निर्माण कार्य स्थगित हो गया है ।

प्रतिरोध दूर होने के बाद कार्य पूर्ण कराया जायेगा ।

जी हां । पुलिस में रिपोर्ट दर्ज की गयी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत इन्दिरा नगर, प्रयाग नारायण रोड, इन्दिरा नगर कालोनी तथा विवेकानन्द पुरी लखनऊ के आवासों पर अवैध कब्जे की जानकारी

55–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत रिहायशी विद्युत कालोनी, इन्दिरा नगर, प्रयाग नारायण रोड, इन्दिरा नगर कालोनी तथा विवेकानन्द पुरी लखनऊ में ऐसे कितने अधिकारी/कर्मचारी हैं जो अवैध रूप से उनमें कब्जा किये हुए हैं ? क्या यह सत्य है कि वे उक्त मकान अन्य किसी को किराये पर उठाये हुए हैं ? यदि हां, तो क्या उनके वेतन से कटौती की जा रही है ? उनके नाम, पदनाम, तैनाती स्थान क्या हैं ? क्या यह सही है कि अवैध कब्जेदार कर्मचारियों को ही बाद में भवन एलाट कर दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों के नाम क्या हैं ? उनके विरुद्ध शासन द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ? उक्त भवनों के पेनल रेंट से कितने अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन से कटौती की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ? भवनों पर अधिकृत व्यक्ति को कब से कब्जा दे दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् की इन्दिरा नगर स्टाफ कालोनी, प्रयाग नारायण रोड कालोनी, इन्दिरा नगर अधिकारी कालोनी तथा विवेकानन्दपुरी कालोनी लखनऊ में कुल 10 अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा आवासों पर अवैध कब्जा किया गया है ।

परिषद् के संज्ञान में ऐसा कोई मामला नहीं आया है ।

उपरोक्त अवैध रूप से रह रहे अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है । उनके नाम, पदनाम तथा तैनाती स्थान का विवरण संलग्नक ''क'' में दिया हुआ है ।

यह सही है कि कुछ अवैध कब्जेदार कर्मचारियों को जो आवास आवंटन के समय वरिष्ठता क्रम में आ गये हैं, उन्हें आवास आवंटित कर दिया गया है परन्तु उक्त आवंटन इस शर्त के साथ किया गया है कि संबंधित कर्मचारी से अवैध कब्जे की अवधि हेतु परिषद् के नियमों के अनुसार क्षतिपूर्ति की जायेगी । इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है । इन अधिकारियों/कर्मचारियों का विवरण संलग्नक ''ख'' में दर्शाया गया है ।

अधिकृत व्यक्तियों को उनको आवंटित भवन का कब्जा खाली होने पर दे दिया जायेगा ।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ 225-226 पर)

56–श्री लल्लू सिंह–

[दिनांक 1-4-92 को अता० प्र० सं० 115 द्वारा उत्तरित]

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी नीति की जानकारी

57–श्री लल्लू सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कर्मचारियों के स्थानान्तरण संबंधी क्या नीति बनायी गयी है ? क्या यह सही है कि कर्मचारियों की स्वेच्छा पर भी स्थानान्तरण किये जाते हैं ? यदि हां, तो अवर अभियन्ता सहित विभिन्न कर्मचारियों के वर्ष 1989 से

अब तक विद्युत प्रेषण मण्डल से कितने प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए हैं ? उन पत्रों पर क्या कार्यवाही की गयी है और उनके स्थानान्तरण आदेश कब तक निर्गत कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

कर्मचारियों में अवर अभियन्ताओं के संबंध में नीति निर्देशिका के अन्तर्गत एक पद/स्थान पर पांच वर्ष, एक जनपद में एक/विभिन्न पदों पर लगातार सात वर्ष, एक मण्डल में एक/विभिन्न पदों पर दस वर्ष तथा एक /क्षेत्र/परियोजना में एक/विभिन्न पदों पर लगातार पन्द्रह वर्ष की अवधि के उपरान्त स्थानान्तरण पर विचार किया जाता है । अन्य कर्मचारियों जैसे लाइनमैन, लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को कम से कम एक स्थान पर पांच वर्ष के बाद परन्तु जिनकी तैनाती अवधि सबसे अधिक है, स्थानान्तरित किया जाता है । सामान्यतः स्थानान्तरण संबंधी समय-समय पर जारी की गयी निर्देशिकाओं के अनुसार यह प्राविधान रखा गया है कि मास स्केल ट्रान्सफर्स न किये जायें तथा जनहित/प्रशासकीय हित में केवल अनिवार्य तथा आवश्यकतानुसार किये जायें ।

जी हां ।

विद्युत प्रेषण मण्डलों से अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण हेतु वर्ष 1989 से लगभग 150 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुएं हैं । इन प्रार्थना-पत्रों में से लगभग 106 अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण जो उपयुक्त पाये गये उनके आदेश निर्गत किये जा चुके हैं ।

विद्युत प्रेषण मण्डलों से वर्ष 1989 से वर्ष 1991 तक परिचालकीय कर्मचारियों के कुल 414 प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 150 प्रार्थना-पत्रों पर स्थानान्तरण आदेश जारी किये गये । शेष प्रार्थना-पत्रों पर अपूर्ण होने के कारण कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी ।

अब इसका प्रश्न नहीं उठता ।

आजमगढ़ जनपद में 33/11 के०वी० विद्युत उप केन्द्र बरदह के खराब फीडर तथा पैनल को ठीक कराने की मांग

58–श्री लल्लू सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जनपद में 33/11 के०वी० विद्युत उप केन्द्र बरदह के कितने फीडर तथा पैनल कितने समय से खराब चल रहे हैं ? क्या यह सत्य है कि उक्त क्षेत्र की विद्युत आपूर्ति प्रायः बाधित रहती है ? यदि हां, तो बरदह विद्युत उप केन्द्र के फीडर तथा पैनल कब तक सही कराये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत विद्युत उप केन्द्र के दो फीडर पैनेल, यथा जिवली तथा मार्टीनगंज वर्ष 1990 से खराब चल रहे हैं । इन फीडरों को 11 के०वी० फीडर पैनेल बरदह तथा बहादुरपुर के पैनेलों से जोड़कर विद्युत आपूर्ति की जा रही है ।

जी नहीं, लाइन दोषों से कभी-कभी विद्युत आपूर्ति बाधित हो जाती है जिसे दूर करके विद्युत आपूर्ति पुनः चालू कर दी जाती है ।

उपरोक्त दोनों फीडर पैनेलों को संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार तुरन्त ठीक कराया जा सकता है ।

आजमगढ़ जनपद के फूलपुर तहसील मार्टीनगंज ब्लाक के कोहरौली व पिछौरा ग्राम में वर्षा के जल से फसलों की बर्बादी एवं बाहे (नाली) का पुनर्निर्माण किया जाना

59–श्री लल्लू सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ जनपद के फूलपुर तहसील, मार्टीनगंज-ब्लाक के कोहरौली ग्राम की व पिछौरा ग्राम की फसलें वर्षा से कहीं अधिक जल जमाव से प्रत्येक वर्ष बर्बाद होती हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि ग्राम के दक्षिण दिशा में स्थित जल निकासी का बाहा स्थान-स्थान पर किसानों द्वारा पाट लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम के जल निकासी हेतु स्थान-स्थान पर पटे बाहे (नाली) के खुदायी व उसका पुनर्निर्माण का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

आजमगढ़ जनपद के फूलपुर तहसील के मार्टीनगंज ब्लाक के कोहरौली एवं पिछौरा ग्राम की फसलें प्रत्येक वर्ष नष्ट नहीं होती हैं । किसी-किसी साल अत्याधिक जल वृष्टि के कारण अत्याधिक निचले क्षेत्र में बोई गयी कुछ फसलें आंशिक रूप से नष्ट होती हैं ।

ग्राम के दक्षिण दिशा में जल निकासी का प्राकृतिक बाहा कुछ स्थानों पर किसानों द्वारा पाट लिया गया है ।

उपरोक्त कथित नाला प्राकृतिक है, विभाग के द्वारा नहीं खोदा गया है । अतः इसके खुदाई अथवा पुनः निर्माण का कोई प्रश्न नहीं उठता है । किसी भी प्राकृतिक नाले अथवा नदी को विभाग द्वारा साफ करने की नीति नहीं है ।

132 के०वी० उप विद्युत केन्द्र, जौनपुर स्थित आवासीय कालोनी की समस्याओं के संबंध में जानकारी

60–श्री लल्लू सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 132 के०वी० उप विद्युत केन्द्र, जौनपुर स्थित आवासीय कालोनी की समस्याओं से संबंधित उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्रांक-811/दिनांक 8-10-90 अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड प्रथम/द्वितीय, जौनपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो समस्यायें क्या हैं तथा उनका समाधान कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों तथा उसके लिए क्या व्यवस्था स्थायी तौर पर करायी जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

समस्याओं एवं उनके समाधान की बिन्दुवार स्थिति संलग्नक "क" में दर्शायी गयी है ।

प्रश्न ही नहीं उठता है ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ 227 पर)

जनपद सीतापुर में शारदा नहर के सीपेज से प्रभावित क्षेत्र

61–श्री अनिल कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर से निकलने वाली शारदा नहर से जिले का कितना क्षेत्रफल सीपेज से प्रभावित हो रहा है ? उसके निदान में कितनी धनराशि अब तक शासन

द्वारा व्यय की जा चुकी है ? उससे अब तक कितना सीपेज समाप्त कर लिया गया है तथा कितना सीपेज क्षेत्र शेष रह गया है ? शेष क्षेत्र को कब तक पूर्ण रूप से समाप्त कर लिया जाएगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सीपेज से 6262 हे० क्षेत्रफल प्रभावित हुआ ।

अब तक शारदा सहायक पोषक नहर की लाइनिंग तथा ड्रेनों के निर्माण पर 2813.35 लाख रुपये धनराशि व्यय की जा चुकी है ।

अब तक 4933 हे० क्षेत्रफल सीपेज मुक्त किया जा चुका है तथा 1329 हे० सीपेज क्षेत्र शेष रह गया है ।

शेष सीपेज क्षेत्र को आगामी 10 वर्षों में पूर्ण रूप से समाप्त कर देने की सम्भावना है ।

जनपद सीतापुर में शारदा नहर के सीपेज से प्रभावित लोगों को राहत दिये जाने की मांग

62–श्री अनिल कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सीतापुर में शारदा नहर के सीपेज से प्रभावित लहरपुर बिसवां, महमूदाबाद तहसील क्षेत्र के उन निवासियों को राहत पहुंचाने के लिए कोई उपाय शासन में प्रस्तावित हैं जिनकी जमीनें सीपेज में नष्ट हो गयी हैं ? यदि हां, तो उनकी जीविका का संकट पैदा होने पर कब से शासन द्वारा कारगर उपायों पर कार्य शुरू किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

इस हेतु ड्रेनों का निर्माण किया जा रहा है तथा पोषक नहर की लाइनिंग का कार्य प्रतिवर्ष धन उपलब्धता के अनुसार किया जा रहा है ।

उपरोक्त वर्णित उपाय वर्ष 1986 के पश्चात् से लगातार किये जा रहे हैं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर सहकारी चीनी मिल में कर्मचारियों के स्थायीकरण का प्रकरण

63–श्री अर्जुन सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर सहकारी चीनी मिल में ट्रायल सीजन से ही कार्यरत दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को स्थायी करने पर शासन द्वारा विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

यह प्रकरण विचाराधीन है परन्तु मा० उच्च न्यायालय के स्थगनादेश के फलस्वरूप कार्यवाही स्थगित है ।

सुल्तानपुर सहकारी चीनी मिल की पिराई क्षमता बढ़ाने की मांग

64–श्री अर्जुन सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर सहकारी चीनी मिल की पिराई क्षमता बढ़ाने के लिए शासन कुछ विचार कर रहा है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

पर्याप्त गन्ना उपलब्ध न होने के कारण ।

सुल्तानपुर सहकारी चीनी मिल में क्षमता से ज्यादा गन्ने की पिराई

65–श्री अर्जुन सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर सहकारी चीनी मिल को गन्ना पिराई क्षमता से ज्यादा पेरने के लिए दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

सुल्तानपुर सहकारी चीनी मिल के क्रय केन्द्रों पर बैठने एवं पानी आदि की व्यवस्था की मांग

66–श्री अर्जुन सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि सुल्तानपुर चीनी मिल के किसी भी कांटे पर कुर्सी, छाया, पानी एवं बैलों के लिए नांद की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो उपरोक्त व्यवस्था कराने की कृपा करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

चीनी मिल, सुल्तानपुर ने अपने सुरक्षित क्रय केन्द्रों पर कुर्सी, पानी आदि की व्यवस्था कर रखी है। प्रायः सभी क्रय केन्द्र बागों में स्थित हैं जहां प्राकृतिक छाया उपलब्ध है ।

सुल्तानपुर सहकारी चीनी मिल में चीनी का पर्ता कम आने की शिकायत

67–श्री अर्जुन सिंह–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर सहकारी चीनी मिल में पिछले वर्ष की अपेक्षा इस वर्ष पिराई अधिक हो रही है लेकिन चीनी का पर्ता कम आ रहा है ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

सुल्तानपुर चीनी मिल द्वारा वर्ष 1990-91 में 17,16,68,872 कुन्तल गन्ना मिल बन्द होने की तिथि 12-4-91 तक की अवधि में पेर कर 8.67 चीनी का परता प्राप्त किया गया था, जबकि वर्ष 1991-92 में उक्त तिथि तक 20,31,500 कुन्तल गन्ना पेर कर चीनी का परता 8.72 प्राप्त किया गया, जो गत वर्ष की अपेक्षा अधिक है ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून के चकराता आदि विकास खण्डों में विद्युतीकरण के अपूर्ण कार्य की शिकायत

68–श्री मुन्ना चौहान–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद देहरादून के विकास खण्डों-चकराता, कालसी, विकास नगर व सहसपुर में कई ग्रामों को विद्युतीकृत दर्शाया गया है जबकि वहां विद्युतीकरण का कार्य अपूर्ण है? यदि हां, तो क्या सरकार के पास उन सभी ग्रामों की सूची उपलब्ध है जिनमें विद्युतीकरण अपूर्ण है? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि विद्युत विभाग ने उक्त ग्रामों में विद्युतीकरण के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए क्या सघन विद्युतीकरण की कोई योजना बनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस योजना के क्रियान्वयन के लिए विभाग को अलग से धनराशि स्वीकृत करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि अविद्युतीकृत या अपूर्ण रूप से विद्युतीकृत ग्रामों को विद्युतीकृत रिपोर्ट करने के लिए संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

विकास खण्ड चकराता एवं कालसी में क्रमशः 8 एवं 12 ग्राम ऐसे हैं जिनमें कार्य अपूर्ण हैं, परन्तु उन्हें विद्युतीकृत घोषित किया जा चुका है। विकास खण्ड-सहसपुर एवं विकास नगर में ऐसा नहीं है।

जी हां।

उपरोक्त ग्रामों में विद्युतीकरण के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 1991-92 में बनायी गयी योजनानुसार रु० 34.84.739 की आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त विकास खण्ड कालसी एवं सहसपुर में सघन विद्युतीकरण के लिए ग्रामीण विद्युतीकरण निगम से दो अलग-अलग योजनायें स्वीकृत हैं, जिसके अन्तर्गत 13 एवं 33 मजरों का विद्युतीकरण होना है। चकराता विकास खण्ड की 28 मजरों की सघन विद्युतीकरण योजना, परिषद् द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम को स्वीकृत हेतु भेजी जा चुकी है। स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत वर्ष 1991-92 में कोई धन उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। यह भी सूचित करना है कि उपरोक्त 20 ग्रामों के अपूर्ण कार्य को संसाधनों की कमी के कारण पूरा नहीं कराया जा सका है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही कराने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों एवं सहकारी चीनी मिल संघ की प्रबन्ध कमेटियों के चुनाव कराये जाने की मांग

69–श्री मुन्ना चौहान–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की सहकारी चीनी मिलों एवं सहकारी चीनी मिल संघ की प्रबन्ध कमेटियों के गठन हेतु चुनाव लम्बे समय से नहीं कराये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त संस्थाओं के चुनाव कब तक करवाये जा सकेंगे ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां।

जनपद आजमगढ़ में फूलपुर राजवहा की पटरी को पक्का कराये जाने की मांग

70–श्री अंगद सिंह यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ में शारदा सहायक खण्ड-32 में फूलपुर राजवाहा पर बागबहार पवई मार्ग से अम्बारी, माहुल मार्ग तक पटरी पार खड़ंजा का कार्य हुआ है ? क्या नहर की पटरी को पक्का (पिच) करने का शासन में कोई प्रस्ताव जिले के विभागीय अधिकारी द्वारा भेजा गया है ? यदि हां, तो कब तक नहर की पटरी को पक्का (पिच) कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जिला कृषि अधिकारी, बांदा के कार्यालय में एक कनिष्ठ लिपिक की अनियमित पदोन्नति

71–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का एक कनिष्ठ लिपिक की पदोन्नति एवं स्थानान्तरण विषयक पत्र दिनांक 2-12-91 तथा जिला अधिकारी बांदा के आदेश संख्या-1332/4-कृषि/स्था०/91-92. 4-9-91 के अनियमित होने के संबंध में पत्र दिनांक 14-12-91 उनको प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन दोनों पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

इस विषय पर प्रश्नकर्ता का एक पत्र जिस पर 2-12-91 की तिथि टंकित है तथा प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 14-12-91 को हस्ताक्षरित है, प्राप्त हुआ ।

जिला कृषि अधिकारी, बांदा के कार्यालय में एक कनिष्ठ लिपिक की सहायक लेखाकार के पद पर अन्तरोधन व्यवस्था में की गयी अनियमित नियुक्ति को निरस्त कर दिया गया है ।

लखनऊ के विद्युत प्रदेय उपक्रम में कर्मचारियों के सीट रोटेशन की मांग

72–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लेसू (कामर्शियल)/डी० आर० ई०, लखनऊ में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो एक ही सीट या पटल पर पिछले 10 वर्षों या उससे अधिक समय से बिलिंग, बिल रिवीजन, ग्रुप इन्चार्ज एग्रीमेंट एवं पब्लिक डीलिंग संबंधी कार्य कर रहे है । शासन द्वारा बेहतर उपभोक्ता सेवा के लिए कब तक सीट रोटेशन कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

केवल दो लिपिक वर्ग के ऐसे कर्मचारी हैं जो एक ही सीट पर 10 वर्षों के ऊपर की अवधि से कार्य कर रहे हैं ।

उपरोक्त कर्मचारियों का सीट रोटेशन भी वर्ष 1992 के स्थानान्तरण सीजन में कर दिया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत प्रदेय उपक्रम, लखनऊ में एसेसमेंट बिलों को माफ किये जाने का मामला

73–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत प्रदेय उपक्रम, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद्, लखनऊ के अन्तर्गत वर्ष 1990-91 में कितने विद्युत उपभोक्ताओं के एसेसमेंट बिल माफ किये गये हैं तथा उनका आधार क्या था ? क्या लाभार्थियों की सूची भी सदन के पटल पर रखेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम में वर्ष 1990-91 में किसी भी उपभोक्ता के एसेसमेंट बिल को माफ नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

74–श्री रवीन्द्र प्रताप–

[दि० 11-3-92 को अता० प्र० सं० 167 द्वारा उत्तरित]

सिंचाई विभाग, फर्रुखाबाद के नवगठित डिवीजन के क्षेत्र का प्रकरण

75–श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर मण्डल के विधायकों को दि० 29-8-91 को कानपुर में सम्पन्न बैठक में मंत्री जी ने फर्रुखाबाद सिंचाई विभाग के नवगठित डिवीजन में मैनपुरी डिवीजन के फर्रुखाबाद जनपद में आने वाले हिस्से को फर्रुखाबाद डिवीजन से भी जोड़ने के आदेश किये थे ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि नवगठित डिवीजन में फर्रुखाबाद जनपद के हिस्से को, जिले के किसानों की सुविधाओं को देखते हुए ऐसा करने में सरकार को कठिनाई क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कानपुर मण्डल के विधायकों की दिनांक 29-8-91 को कानपुर में सम्पन्न बैठक में यह मांग माननीय विधायक ने की थी परन्तु इस पर कोई आदेश नहीं दिये गये थे ।

निचली गंगा नहर की कानपुर व इटावा शाखा प्रणालियों की विश्व बैंक की सहायता से जल सुधार कार्य प्रस्तावित हैं जिसके लिये खण्डों/मण्डलों का पुनर्गठन विचाराधीन है । उपरोक्त पुनर्गठन करते समय माननीय विधायक की मांग पर भी निर्णय लिया जायेगा ।

76–श्री अरविन्द प्रताप सिंह–

[7वें मंगल में अता० प्र० सं० 140 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सिंचाई विभाग में तदर्थ रूप से कार्यरत सहायक यांत्रिक अभियन्ताओं के नियमितीकरण की मांग

77–डा० बृजभान यादव–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में सिंचाई विभाग में लगभग 55 सहायक यांत्रिक अभियन्ता तदर्थ रूप से सम्प्रति कार्यरत हैं ? यदि हां, तो इनकी सेवाओं को आज तक नियमित क्यों

नहीं किया गया है ? क्या वर्ष 87-88 में इनकी सेवाओं में कृत्रिम व्यवधान उत्पन्न कर दिया गया था ? यदि हां, तो इसे आज खत्म क्यों नहीं किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

प्रश्नगत सहायक अभियन्ता (यांत्रिक) की सेवाओं को "उत्तर प्रदेश (लोक सेवा आयोग के क्षेत्रान्तर्गत पदों पर) तदर्थ नियुक्तियों का विनियमितीकरण (द्वितीय संशोधन) नियमावली, 1989" की पात्रता परिधि में न आने के कारण नियमित नहीं किया गया है ।

जी हां । वर्ष 1987 में इनकी सेवाओं में कुछ दिनों का व्यवधान किया गया था । उक्त व्यवधान के मर्षण का प्रकरण शासन के विचाराधीन है ।

जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र जयसिंहपुर के पास धनपतगंज में प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र

78–श्री अर्जुन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र जयसिंहपुर में उधड़पुर के पास 33/11 के० वी० सब स्टेशन का निर्माण कार्य शासन में विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र के पास धनपतगंज में 33/11 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र प्रस्तावित है जिसे संसाधन उपलब्ध होते ही पूर्ण किया जा सकता है ।

जनपद सुल्तानपुर के जयसिंहपुर विधान सभाई क्षेत्र के कतिपय ग्रामों में पोल लगे होने के बावजूद विद्युतीकरण न होना

79–श्री अर्जुन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र भझना (ब्लाक कूरेभार) रामपुर विरतिहा ब्लाक (कादीपुर, भिदूरा) (ब्लाक जयसिंहपुर) बसई ब्लाक, जयसिंहपुर गेडौरा ब्लाक कूरेभार आदि कई ग्राम सभा में विद्युत पोल वगैरह वर्षों से खड़े है किन्तु विद्युतीकरण नहीं हो पाया है ? क्या उपरोक्त ग्रामों का विद्युतीकरण होगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । प्रश्नगत ग्रामों में विद्युतीकरण हेतु खम्भे खड़े कर दिये गये हैं ।

उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण इस हेतु निर्धारित लक्ष्यों के आधार पर संसाधन उपलब्ध होने पर एवं चयन किये जाने पर किया जा सकता है ।

जनपद सुल्तानपुर की उधड़पुर ग्राम सभा में प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र

80–श्री अर्जुन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र के उधड़पुर ग्राम सभा में कोई 33/11 के० वी० विद्युत उपगृह का कार्य प्रस्तावित है ? यदि हां, तो निर्माण कार्य कब तक शुरू होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्तमान में प्रश्नगत ग्राम में 33/11 के० वी० के किसी उपकेन्द्र का निर्माण प्रस्तावित नहीं है । भविष्य में तकनीकी दृष्टि से आंके जाने पर संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार उपकेन्द्र के निर्माण पर विचार किया जा सकता है ।

जनपद सुल्तानपुर के दियरा विद्युत उपकेन्द्र में खराब पड़े फीडरों के मरम्मत की मांग

81-श्री अर्जुन सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जयसिंहपुर विधान सभा क्षेत्र के दियरा 33/11 के० वी० विद्युत गृह के दो फीडर कई वर्षों से खराब पड़े हैं ? यदि हां, तो क्या दोनों फीडरों का पुनर्निर्माण कब तक होगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

जी नहीं ।

सभी फीडरों को विद्युत आपूर्ति सुचारु रूप से चल रही है । केवल एक स्विच गियर (दियरा) की ट्राली में कुछ खराबी है जिसे तीन माह के अन्दर ठीक कर दिया जायेगा ।

82–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

[7वें मंगल में अता० प्र० सं० 141 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

सचिवालय के चीनी उद्योग अनुभाग में बाहरी व्यक्ति से काम कराये जाने की शिकायत

83–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग के बाहरी व्यक्तियों को अनुभाग से हटाने के विषय में स्पष्ट आदेशों के बावजूद संयुक्त सचिव तथा अनुभाग अधिकारी, चीनी उद्योग अनुभाग-2 के द्वारा चीनी मिल संघ के श्री जी० एस० विष्ट को अनुभाग में पुनः रखकर काम कराया जा रहा है ? यदि हां, तो सरकार इन अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बांदा के पैलानी में विद्युत उपकेन्द्र की मांग

84–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के सब स्टेशन पलरा द्वारा पैलानी फीडर पर विद्युत सप्लाई हमेशा खराब रहती है तथा वोल्टेज कम रहता है ? क्या हजारों की संख्या में विद्युत उपभोक्ताओं की समस्या को हल करने हेतु पैलानी में अलग से विद्युत सब स्टेशन बनवाया जायेगा तथा विद्युत आपूर्ति सही करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अधिशासी अभियन्ता विद्युत वितरण खण्ड, बांदा द्वारा प्रयोग में लायी गयी केबिल

85–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद बांदा में राजकीय नलकूपों के लिये अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, बांदा द्वारा निम्न कोटि की बांदा की ही बनी केबिल ऊंची दर में खरीदकर प्रयोग की जा रही है जिससे अधिकांश नलकूप बन्द पड़े हैं या किसानों को स्वयं अपने पैसे से केबिल लगानी पड़ रही है ? क्या इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों पर कार्यवाही की जायेगी तथा अच्छी किस्म की केबिल व कट आउट उपलब्ध कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लाल जी टण्डन–

राजकीय नलकूपों के लिये संबंधित अधिशासी अभियन्ता ने अपने स्तर से कोई केबिल क्रय नहीं की है बल्कि भंडार सामग्री प्रबन्ध आरगेनाइजेशन द्वारा उपलब्ध कराई गयी केबिल को उपयोग में लाया गया है जिसकी गुणवत्ता सही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देहरादून में विद्युत लाइनों के छूने से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा राशि दिये जाने की मांग

86–श्री मुन्ना चौहान–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि दिनांक 1-3-90 को जनपद देहरादून में पृथक-पृथक घटनाओं में विद्युत लाइन के टूटे हुए तारों से छू जाने से श्री भगवान सिंह पुत्र श्री किशन सिंह तथा श्री रघुवीर सिंह पुत्र श्री नैन सिंह की दुर्घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गयी थी ? यदि हां, तो विद्युत परिषद् द्वारा क्या मृतकों के आश्रितों को मुआवजे की धनराशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो प्रत्येक को कितनी धनराशि का भुगतान किया गया है ? यदि नहीं, तो क्या मुख्य मंत्री जी यथाशीघ्र मृतकों के आश्रितों को सहायता धनराशि उपलब्ध करायेंगे ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

परिषद् के कार्यालय ज्ञाप संख्या 860 इ०ए/राविप(औस-18)/91दि० 1-4-91 तथा संख्या 885ईए/राविप (औस-18)/91 दिनांक 2-4-91 द्वारा क्रमशः श्री रघुवीर सिंह एवं श्री भगवान सिंह के आश्रितों को रुपये दस-दस हजार मात्र की अनुग्रह राशि की स्वीकृति कर दी गयी है ।

स्व० श्री भगवान सिंह के आश्रितों द्वारा उत्तराधिकारी प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किये जाने के कारण एवं स्व० श्री रघुवीर सिंह की पत्नी श्रीमती कृष्णा देवी द्वारा दायर विविध वाद संख्या 151/90 न्यायालय से वापस न किये जाने के कारण उक्त अनुग्रह राशि का भुगतान नहीं किया जा सका है । स्व० श्री भगवान सिंह के आश्रितों द्वारा उत्तराधिकार प्रमाण-पत्र प्रेषित किए जाने व न्यायालय में लम्बित वाद स्व० श्री रघुवीर सिंह की पत्नी द्वारा वापस लेने के उपरान्त अनुग्रह राशि का भुगतान कर दिया जायेगा ।

87–श्री सुरेन्द्र सिंह–

[8वें बुध के लिए स्थगित]

सिंचाई विभाग के अभियन्ता श्री वकील अहमद सिद्दीकी को न्यायालय के आदेशानुसार प्रोन्नति एवं वेतन दिये जाने की मांग

88–श्री राम लखन वर्मा–

क्या सिचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उच्च न्यायालय तथा मा० सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार श्री वकील अहमद सिद्दीकी, अधिशासी अभियन्ता को दिनांक 3-5-79 से अधीक्षण अभियन्ता तथा 1-4-85 से उन्हें अधीक्षण अभियन्ता पद पर स्थायी करने तथा दिनांक 2-9-88 से मुख्य अभियन्ता स्तर-2 और दिनांक 12-4-91 से मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के पद पर प्रोन्नति किये जाने के आदेश का पालन किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उक्त मा० न्यायालय के आदेशों का पालन करते हुए कार्यवाही करायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । श्री सिद्दीकी को शासनादेश दिनांक 12-8-86 द्वारा सेवा से बर्खास्त किया गया था । मा० पब्लिक सर्विस ट्रिब्यूनल एवं मा० उच्च न्यायालय द्वारा श्री सिद्दीकी के बर्खास्तगी के आदेश को निरस्त करते हुए ज्येष्ठता, वेतन एवं निरन्तर सेवा माने जाने सम्बन्धी लाभ देने के आदेश दिए थे । तद्नुसार श्री सिद्दीकी को सेवा में बहाल करते हुए मा० न्यायालय के आदेशें का अनुपालन किया जा रहा है ।

89–श्री अंगद सिंह यादव–

[मा० सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

श्री के० एन० चतुर्वेदी, प्रभारी बीज भण्डार, शिवरामपुर जनपद बांदा से गबन की रिकवरी व चार्ज का प्रकरण

90–श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगें कि जनपद बांदा में श्री के०एन० चतुर्वेदी, प्रभारी बीज भण्डार,शिवरामपुर को किस सम्बन्ध में किस सम्बन्ध में किस तारीख को निलम्बित किया गया था ? यदि गबन का केस था तो क्या रिकवरी की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उन्हें किस अधिकारी के आदेश से, किस आधार पर केंन्द्रीय बीज़ भण्डार से सम्बद्ध किया गया है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

श्री के० एन० चतुर्वेदी नही वरन् श्री के० एम० चतुर्वेदी, प्रभारी, बीज़ भण्डार, शिवरामपुर को स्थानान्तरण आदेशों की अवहेलना करने तथा पदभार हस्तांतरित न करने के आरोप में उप कृषि निदेशक (प्रसार), बांदा के आदेश दिनांक 8-1-91 द्वारा निलम्बित किया गया था ।

श्री चतुर्वेदी के विरुद्ध रु० 13,660.60 के मूल्य के बीज के दुर्विनियोग का केस था जिसमें से रु० 8,663.00 की वसूली की जा चुकी है । शेष की वसूली उनके वेतन से 1/3 भाग की दर से की जा रही है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री चतुर्वेदी को उनके विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही पूर्ण किये जाने के उपरान्त जिला कृषि अधिकारी के आदेश से केन्द्रीय बीज भण्डार से सम्बद्ध किया गया है, किन्तु उन्हें स्टोर/कैश का चार्ज नहीं दिया गया है ।

जनपद बांदा में फर्जी उर्वरक एवं बीज प्रदर्शन की जांच की मांग

91–श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में वर्ष 1991-92 में उर्वरक एवं बीज प्रदर्शन हेतु किन-किन काश्तकारों को बीज दिया गया है ? उनके नाम एवं पते क्या हैं ? क्या फर्जी बीज प्रदर्शन खाद, बीज की उच्चस्तरीय जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जनपद बांदा में वर्ष 1991-92 में खरीफ एवं रबी में कुल 2251 कृषकों को प्रदर्शन हेतु बीज एवं उर्वरक दिया गया । उनकी विस्तृत सूची मेरे कार्यालय में उपलब्ध है । मा० सदस्य देख सकते हैं ।

कृषकों के नाम व पते उक्त सूची में अंकित हैं जो कि मेरे कार्यालय कक्ष में रख दी गयी हैं ।

बीज प्रदर्शन खाद, बीज फर्जी न होने के कारण कोई जांच कराने का प्रश्न नहीं उठता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

नलकूप खण्ड-प्रथम, बदायूं में आरक्षण कोटा पूरा किये जाने की मांग

92–श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नलकूप खण्ड-प्रथम, बदायूं में सभी संवर्गों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या के आधार पर आरक्षण प्राप्त कुल कितने पद सृजित हैं ? क्या उसमें से अनुसूचित जाति के 18 प्रतिशत का कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह कोटा नलकूप खण्ड विभाग के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा पूरा किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कीटनाशी गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, आलमबाग, लखनऊ में कीटनाशी विश्लेषक के स्थानान्तरण की मांग

93–श्री सुन्दर लाल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कीटशाली विश्लेषक उर्वरक एवं कीटनाशी गुण नियंत्रण, प्रयोगशाला, आलमबाग, लखनऊ में वर्ष 1978 से जुलाई, 1991 तक एक ही अधिकारी कीटनाशी विश्लेषक के पद पर अनवरत् रूप से कार्यरत रहा तथा आज भी उसी प्रयोगशाला के प्रांगण में ही कार्यरत है ? यदि हां, तो क्या विभागीय नीति के अन्तर्गत उन्हें मण्डल के बाहर स्थानान्तरित किया गया ? विभागीय नीति के अनुसार उक्त अधिकारी का स्थानान्तरण मण्डल के बाहर कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ में दोहरी घाट पम्प केनाल की शाखा मलेरीकोट की पटरी को पिच कराने की मांग

94–श्री घुरहू–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि जनपद मऊ में दोहरी घाट पम्प कैनाल की शाखा मलेरीकोट की पटरी पर सर्विस रोड बनी है ? यदि हां, तो क्या मंत्री जी जनहित को ध्यान में रखकर उक्त सर्विस रोड को पिच कराने का आदेश प्रदान करेंगे, ताकि लोगों को आने जाने की सुविधा सुलभ हो सके ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद मऊ के घोसी तहसील में ग्राम लखनी की अनुसूचित जाति की बस्तियों के विद्युतीकरण की मांग

95–श्री घुरहू–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मऊ की घोसी तहसील के ग्राम सभा लखनी की दोनों अनुसूचित जातियों की बस्तियों का विद्युतीकरण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या मंत्री जी प्राथमिकता के आधार पर उक्त दोनों अनुसूचित जाति के लोगों की बस्तियों का विद्युतीकरण कराने का आदेश प्रदान करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम बिरालसी तथा सिसौना में विद्युत गृह की मांग

96–डा० जी एस० विनोद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चरथावल क्षेत्र मुजफ्फरनगर के ग्राम बिरालसी के उप विद्युत गृह तथा सिसौना उप विद्युत गृह के निर्माण के लिए कार्यवाही सरकार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक कार्यवाही पूर्ण होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद मुजफ्फरनगर में विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ग्राम विरालसी में 2×3 एम०बी०ए० तथा ग्राम सिसौना में 1×3 एम० बी० ए० क्षमता के विद्युत उपगृह क्षेत्रीय तकनीकी समिति से वर्ष 1985-86 के सैकेन्ड्री वर्क प्रोग्राम में स्वीकृत हैं लेकिन संसाधनों की कमी के कारण प्रश्नगत कार्यों में कोई प्रगति नहीं हुई है ।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम दीदाहेड़ी में काली नदी से कटाव रोकने हेतु बांध के निर्माण की मांग

97–डा० जी० एस० विनोद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि चरथावल, मुजफ्फरनगर में ग्राम-दीदाहेड़ी के किसानों की काली नदी के पानी से लगभग 3 हजार बीघा जमीन का कटाव हो गया है ? क्या सरकार इस कटाव को रोकने के लिए किसानों के हित में बांध बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

चरथावल, जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम दीदाहेड़ी में काली नदी से नदी व ग्राम के मध्य की लगभग 100 बीघा भूमि का कटान हो गया है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता क्योंकि बांध के निर्माण से कटान नहीं रुकेगा ।

चीनी मिल रोहानाकलां, जिला मुजफ्फरनगर में प्रति कुंटल कटौती की गयी धनराशि एवं उसका भुगतान

98–डा० जी० एस० विनोद–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोहानाकलां, मुजफ्फरनगर स्थित चीनी मिल पर दिनांक 1-7-79 से 30-4-79 तक 96 पैसे प्रति कुंटल के हिसाब से 11,69,147-71 रुपये की कटौती की गई थी ? उक्त पैसा कहां-कहां जमा किया गया है और कितनों को इसका भुगतान ब्याज सहित कब तक किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

पेराई सत्र, 1978-79 में भारत सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य क्रय दर के विरुद्ध रिसीवरशिप के प्रबन्धाधीन चीनी मिल, रोहानाकलां द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में दायर याचिका पर माननीय न्यायालय के अन्तरिम स्थगन आदेश के अन्तर्गत चीनी मिल रोहानाकलां, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 1-1-1979 से दिनांक 30-4-1979 तक 0.96 पैसे प्रति कुन्टल की दर से अन्तर की धनराशि रुपया 11,69,147.71 पैसे कलेक्टर, मुजफ्फरनगर के खाते में जमा की गई थी, जिसे चीनी मिल के रिसीवर ने बैंक गारन्टी के आधार पर उक्त धनराशि को कलेक्टर, मुजफ्फरनगर के खाते से निकाल लिया था ।

माननीय उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद में भारत सरकार के विरुद्ध हुये निर्णय के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली में अपील विचाराधीन है, जिसमें सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, रोहानाकलां ने भी पक्ष बनकर उक्त धनराशि को प्राप्त करने हेतु अपना प्रतिशपथ-पत्र दाखिल किया है । माननीय सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के निर्णय के अनुसार कृषकों को उक्त धनराशि के भुगतान के सम्बन्ध में अग्रेतर कार्यवाही सम्भव होगी ।

99–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया]

वाराणसी जिले में आद्यौगिक विद्युत कनेक्शन एवं एल० टी० एक्सटेंशन कार्य बन्द होना

100–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले में विद्युत कनेक्शन औद्योगिक तथा एल० टी० एक्सटेंशन बन्द कर दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्यों ? क्या सरकार इसकी जांच करके उपरोक्त कार्यों को चालू करेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । वाराणसी जनपद में जहां तकनीकी दृष्टि से औद्योगिक कनेक्शन दिया जाना सम्भव है, नियमानुसार दिए जा रहे हैं ।

एल० टी० एक्सटेंशन कार्य वित्तीय संसाधन की कमी के कारण लम्बित हैं जिन्हें संसाधन उपलब्ध होने पर यथाशीघ्र पूर्ण किये जाने के प्रयास किये जायेंगे ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में विद्युत कटौती

101–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी में खास पिंडरा एवं देहाती क्षेत्रों मडुवाडीह तथा सारनाथ, लेढूपुर, वाराणसी से विद्युत आपूर्ति को काट दिया जाता है ? यदि हां, तो क्या इसके लिए एस० ई० (ट्रांसमीशन) व अधिशासी अभियन्ता जिम्मेदार हैं ? क्या सरकार इस संबंध में नवम्बर, दिसम्बर, 91 तथा जनवरी 92 तक की जांच करायेगी ? क्या वाराणसी में देहाती क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई भी काटी जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी भी जांच करायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

हां, वाराणसी में खास पिंडरा एवं देहाती क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई, 132 के० वी० मडुवाडीह तथा सारनाथ (लेढूपुर), वाराणसी से सामान्यतः शाम 6 बजे से 10 बजे के मध्य आवश्यकतानुसार कटौती की जाती है । इसका कारण उपरोक्त दोनों विद्युत उपगृहों पर वाराणसी शहर को सप्लाई देने के कारण अधिक भार का होना है । परन्तु माह अप्रैल, 1992 से मडुआडीह से विद्युत आपूर्ति नहीं काटी जा रही है तथा सारनाथ लेढूपुर से औसतन दो घंटे की रोसटरिंग हो रही है ।

विद्युत आपूर्ति काटने के लिये एस०ई०(ट्रांसमीशन) व अधिशासी अभियन्ता जिम्मेदार नहीं हैं । माह नवम्बर, 1991, दिसम्बर 1991 एवं जनवरी, 1992 की विद्युत आपूर्ति औसतन दो घंटे की कांटी जाती रही है ।

वाराणसी में देहाती क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई काटी जाती रही है । इसका कारण मडुआडीह उपगृह पर अधिक भार तथा सारनाथ लेढूपुर पर "इमरजेन्सी रोस्टरिंग" का होना रहा है । 132 के० वी० उपकेन्द्र कैंट (वराणसी) के चालू हो जाने से स्थिति में सुधार हुआ है और एक, दो माह के उपरान्त वाराणसी के देहाती क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति की स्थिति सामान्य हो जायेगी ।

जनपद वाराणसी में पम्पिग सेट के कनेक्शन हेतु पैकेज स्कीम

102–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसानों को पम्पिंग सेट के लिए कनेक्शन देने हेतु वाराणसी में पैकेज स्कीम के द्वारा कनेक्शन दिया जाता रहा है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि अब तक सिर्फ मई, 91 तक के एग्रीमेंन्ट को ही कनेक्शन दिया जा रहा है ? यदि हां, तो नयी पैकेज स्कीम, बिजली विभाग, वाराणसी ने अब तक क्यों नहीं बनायी ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

वाराणसी तहसील के अन्तर्गत मई, 1991 तक के चकिया-चन्दौली क्षेत्र को अक्टूबर, 1991 तक के और ज्ञानपुर तहसील के अप्रैल, 1991 तक के पम्पिंग सेट हेतु किये गये अनुबन्धों को वर्तमान में कनेक्शन दिया जा रहा है ।

निर्धारित लक्ष्य के अनुसार ही पैकेज स्कीम बनायी जाती है और वर्ष 1992-93 का पम्पिंग सेटों के विद्युतीकरण हेतु लक्ष्य निर्धारित होते ही मासिक पैकेज बना कर भण्डार सामग्री अनुभाग को प्रस्तुत किया जायेगा और सामग्री उपलब्ध होते ही कनेक्शन देने की कार्यवाही की जायेगी ।

विद्युत वितरण खण्ड, वाराणसी को स्टोर आर्गनाइजेशन से आवश्यक सामान की सप्लाई की मांग

103–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने क कृपा करेंगे कि स्टोर आर्गनाइजेशन, महानगर, लखनऊ उत्तर प्रदेश को सन् 91 में तथा 10 जनवरी, 92 तक एस० सी० विद्युत एवं जोनल चीफ ने कितने पत्र लिख कर बिजली के सामानों के लिए मांग की है ? क्या यह सही है कि वाराणसी के लिए स्टोर आर्गनाइजेशन, उत्तर प्रदेश (लखनऊ) ने सामानों की आपूर्ति बहुत कम की है ? यदि हां, तो क्या इसी कारण से

किसानों के हजारों पम्पिंग सेट कनेक्शन तथा लाइट व फैन के घरेलू कनेक्शन नहीं दिये जा रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और वहां पर सामान देने की व्यवस्था करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । सात पत्र लिखे गए ।

विद्युत वितरण मण्डल, वाराणसी के अन्तर्गत 507 पम्पिंग सेट का सामान लक्ष्य 500 के विरुद्ध प्राप्त हुआ और ऊर्जीकृत कर दिया गया तथा घरेलू विद्युत उपभोक्ता जो एल० टी० लाइन से 40 मीटर की दूरी पर हैं, उन्हें नया विद्युत कनेक्शन दिया जा रहा है । 11 के० वी० व नीचे विभव के कार्यों के लिये सामान पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाया है ।

104– श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि स्टोर आर्गनाइजेशन, वाराणसी जो पूरे एरिया में सामान सप्लाई करता है, के अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता, मडुवाडीह, वाराणसी द्वारा सन् 91 में 10 जनवरी, 92 तक कितना सामान दिया गया है ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और सामान की व्यवस्था पूरे वाराणसी के लिए कराने की व्यवस्था करेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

विद्युत वितरण मण्डल, वाराणसी को स्टोर आर्गनाइजेशन द्वारा सन् 91 में तथा 10 जनवरी, 1992 तक 507 निजी नलकूपों तथा 35 ग्रामों को विद्युतीकृत करने के लिये सामान प्राप्त हुआ ।

इस अवधि में स्वीकृत पैकेजों के विरुद्ध मुख्यतः सारे सामान प्राप्त हुए ।

सिंचाई विभाग, गोण्डा के मृत चौकीदार श्री श्रीराम के आश्रित को नौकरी दिये जाने की मांग

105–श्री बिन्दु लाल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मृतक आश्रित को सेवा में अनुग्रह आधार पर लिये जाने का प्राविधान है ? यदि हां, तो ये आदेश कब से प्रभावित है ? क्या उन्हें ज्ञात है कि सिंचाई विभाग, गोण्डा में कार्यरत चौकीदार श्रीराम की मृत्यु दिनांक 14-10-89 को हुई ? यदि हां, तो उसके आश्रित को सेवा में न लिये जाने का कारण क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

कार्यप्रभावित अधिष्ठान में शासनादेश दिनांक 26-9-90 के अन्तर्गत मृतक आश्रित को कार्य प्रभारित अधिष्ठान में ही सेवा में अनुग्रह आधार पर लिये जाने का प्राविधान है । श्रीराम कार्य प्रभारित चौकीदार की मृत्यु दिनांक 26-9-90 के पूर्व हो गयी थी । अतः श्रीराम के आश्रित को नियमानुसार नियुक्ति प्रदान किया जाना सम्भव नहीं है ।

जनपद मुजफ्फरनगर के रोहानाकलां विद्युत गृह में प्रस्तावित नया फीडर

106–डा० जी० एस० विनोद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रोहानाकलां, मुजफ्फरनगर स्थित उप विद्युत गृह में बधाई कलां फीडर के नाम से दूसरा नया फीडर प्रस्तावित है ? यदि हां, तो कब तक वह फीडर बनेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जीं हां ।

प्रश्नगत फीडर के निर्माण हेतु प्राक्कलन स्वीकृत किया जा चुका है जिसे संसाधन उपलब्ध होते ही पूरा कराया जायेगा ।

सिंचाई विभाग में लिपिकों की प्रोन्नति में आरक्षण कोटा पूरा किये जाने एवं पदोन्नति वेतनमान दिये जाने की मांग

107–श्री इकबाल महमूद–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० सिंचाई विभाग में दिनांक 1-9-1983 से जिन कनिष्ठ लिपिकों को वरिष्ठ लिपिक बनाया गया, उसमें अनुसूचित जाति/जन जाति का आरक्षण कोटा पूरा है ? यदि नहीं, तो उसे पूरा करने के लिए सरकार ने आज तक क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्या उन्हें दिनांक 1-9-1983 से पदोन्नति वेतनमान दिया जायेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

वाराणसी में बकाया विद्युत बिल वसूलने की मांग

108–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत बिल का लाखों रुपये का बकाया वाराणसी शहर में सरकारी दफ्तरों तथा सरकारी विभागों के ऊपर वर्तमान में है ? यदि हां, तो उस बकाये को वसूलने हेतु क्या-क्या कार्यवाही अब तक की गयी है ? बकायेदार विभागों के नाम क्या-क्या हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

109–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[6ठे मंगल में अता० प्र० सं० 160 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद जौनपुर के सुजानगंज में प्रस्तावित विद्युत उपकेन्द्र

110–श्री राज नारायण बिन्द–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विकास खण्ड सुजानगंज में 33 के० वी० उपकेन्द्र 1x3 एम० वी० ए० स्कीम नं० 20072 स्वीकृत है ? क्या सरकार इस योजना को अन्तिम रूप देने जा रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां । प्रश्नगत विद्युत उपकेन्द्र आर० ई० सी० स्कीम नं० 200725 के अन्तर्गत स्वीकृत हैं ।

उक्त आर० ई० सी० स्कीम के अन्तर्गत कोई धनराशि प्राप्त न होने के कारण कोई कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका और स्कीम की अवधि समाप्त हो चुकी है ।

111–श्री राम आसरे वर्मा–

[मा० उपाध्यक्ष होने के कारण हटाया गया]

नलकूप निर्माण खण्ड, लखनऊ से सेवानिवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों की पेंशन का प्रकरण

112–श्री बनवारी सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि सिंचाई विभाग में अधिशासी अभियन्ता, नलकूप वि० खण्ड कार्यालय जिला लखनऊ से सेवानिवृत्त हुए वर्ष 31-3-83 के कितने कर्मचारियों/अधिकारियों को पेंशन की सुविधा अभी तक नहीं प्रदान की गयी है और क्यों ? उन्हें उक्त पेंशन की सुविधा कब तक प्रदान कर दी जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

दिनांक 31-3-83 को सेवानिवृत्त हुए एक फोरमैन ड्रिलर नलकूप निर्माण खण्ड, लखनऊ का पेंशन प्रकरण पूर्ण रूप से निस्तारित नहीं हुआ है ।

सेवानिवृत्त के उपरान्त संबंधित शासकीय सेवक का पेंशन प्रकरण महालेखाकार को जुलाई, 1983 में भेजा गया था । महालेखाकार द्वारा संबंधित शासकीय सेवक की सेवा पुस्तिका मांगी गयी । संबंधित शासकीय सेवक की लघु सिंचाई विभाग में प्रतिनियुक्ति के बाद की सेवायें सत्यापित नहीं थी । प्रतिनियुक्ति की सेवायें सत्यापित कराये जाने के दौरान सेवा पुस्तिका खो गयी ।

सेवा पुस्तिका खो जाने के कारण सेवाओं का सत्यापन नहीं हो सका । शासनादेश सं०–3198/दस-932-80, दिनांक 16-1-81 के अनुसार संबंधित सेवानिवृत्त फोरमैन ड्रिलर से शपथ-पत्र मांगा गया है । शपथ-पत्र प्राप्त न होने के कारण पेंशन प्रकरण पर निस्तारण नहीं हो सका है । शपथ-पत्र प्राप्त होने पर कार्यवाही की जायेगी ।

महालेखाकार द्वारा संबंधित शासकीय सेवक को अन्तरिम पेंशन स्वीकृत कर दी गयी है ।

113–श्री रामसरन–

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

114–श्री मिर्जा सुल्तान रजा–

[8वें बुध के लिए स्थगित]

हृदेश चन्द्र शर्मा, सहायक अभियन्ता, विद्युत प्रेषण, मैनपुरी के विरुद्ध शिकायत एवं कृत कार्यवाही

115–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत प्रेषण उपखण्ड, मैनपुरी में सहायक अभियन्ता के पद पर कार्यरत श्री हृदेश चन्द्र शर्मा के विरुद्ध विद्युत कर्मचारी संघ मैनपुरी ने शिकायत करते हुए आरोप पत्र जनवरी, 92 में उन्हें प्रस्तुत किया ? यदि हां, तो सरकार ने उक्त सहायक अभियन्ता के

विरुद्ध क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सच है कि उसका मैनपुरी में कार्य करने का तीन वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है ? यदि हां, तो क्या सरकार उसका स्थानान्तरण अन्यत्र करना सुनिश्चित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

सम्बन्धित सहायक अभियन्ता के विरुद्ध छानबीन करने पर कार्यवाही करने का कोई ठोस एवं युक्तियुक्त मामला नहीं बनता है ।

जी हां ।

उनके स्थानान्तरण के सम्बन्ध में स्थानान्तरण नीति के अनुसार यथा समय विचार किया जायेगा ।

राज्य विद्युत परिषद् में सहायक अभियन्ता के प्रोन्नति के पदों को भरने की मांग

116–श्री दौलत राम–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति के कितने पद/आरक्षित पद रिक्त पड़े हैं ? शासन द्वारा इन रिक्त पदों को दिनांक 4-10-89 व 22-8-91 के शासनादेशों में निहित प्राविधानों के अनुसार कब तक विशेष पदोन्नति करके भर दिया जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में वर्तमान में अनुसूचित जाति/जन जाति श्रेणी हेतु आरक्षित अवर अभि० (विद्युत एवं यांत्रिक) से सहायक अभियन्ता (विद्युत एवं यांत्रिक) पद पर प्रोन्नति हेतु 152 पद और अवर अभियन्ता (जनपद) से सहायक अभियन्ता (जनपद) पद पर प्रोन्नति हेतु 10 पद अग्रेनीत किये गये हैं ।

अवर अभियन्ता से सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति का मापदण्ड श्रेष्ठता है । श्रेष्ठता के आधार पर की जाने वाली पदोन्नति में सामान्य एवं अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों की अलग-अलग पात्रता सूची बनाने का कोई प्राविधान नहीं है । अतः सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 4-10-1989 व 22-8-91 के अन्तर्गत सहायक अभियन्ता पद पर प्रोन्नति के लिये अनुसूचित जाति/जन जाति के अभ्यर्थियों हेतु विशेष चयन करना सम्भव नहीं है तथापि शासनादेशों के अनुसार अनुसूचित जाति/जन जाति के अर्ह अभ्यर्थी उपलब्ध न होने की स्थिति में इन आरक्षित पदों को इन्हीं अभ्यर्थियों से भरने हेतु भविष्य में होने वाले चयन हेतु अग्रेनीत कर लिया जाता है ।

जनपद मिर्जापुर के सिंचाई विभाग के मड़िहान डाक बंगले में शीशम का पेड़ काटने की दर्ज रिपोर्ट एवं कार्यवाही

117–श्री भागवत पाल–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि सिंचाई विभाग, मिर्जापुर के अधिकारी पेड़ों को काटने/बेचने के मामले में आरोपी हैं ? क्या थाना मड़िहान, जनपद मिर्जापुर में अवर अभियन्ता, श्री रघुवंश सिंह व जिलेदार ने डाक बंगला मड़िहान में रु० 80,000 का शीशम का एक हरा पेड़ कटवाया है ? यदि हां, तो क्या इसकी थाना मड़िहान में रिपोर्ट भी दर्ज है ? क्या यह भी सत्य है कि विभागीय रिपोर्ट श्री टेकई राम, पतरौल ने अधीक्षण अभियन्ता को किया है ? यदि हां, तो क्या यह भी सही है कि अधीक्षण अभियन्ता, श्री सोहल भी इस मामले में दोषी रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने इनके खिलाफ क्या कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

जी नहीं ।

मड़िहान डाक बंगला परिसर में श्री हवलदार सिंह निवासी मड़िहान बाजार, थाना मड़िहान, जनपद मिर्जापुर ने एक शीशम का पेड़ कटवाया था, जिसकी रिपोर्ट थाना मड़िहान में दर्ज है तथा उसका अनुमानित मूल्य लगभग रु० 10,000 है ।

जी हां, श्री टाकई प्रसाद, सींचपाल ने थाना मड़िहान में दर्ज करायी गयी रिपोर्ट की प्रतिलिपि अधीक्षण अभियन्ता को भी दी है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

गन्ना मिल रामपुर में डेवलपमेंट पर हुआ व्यय का ब्यौरा

118–श्री मोहम्मद आजम खां–

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि गन्ना फैक्ट्री शहर रामपुर में सन् 1990 के माह जून से 1991 माह जून तक डेवलपमेंट पर कितना धन खर्च हुआ है तथा कितना धन जुलाई, 1991 से दिसम्बर, 91 तक व्यय हुआ है ? यदि यह खर्च पहले के खर्च से अधिक है, तो उसका क्या कारण है ? इस धन को किन-किन मदों में व्यय किया जाता है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

उ० प्र० राज्य चीनी निगम की इकाई रामपुर में माह जून, 1990 से माह जून, 1991 तक गन्ना विकास के मद पर कुल रु० 5,74,582.00 खर्च हुआ है तथा माह जुलाई, 1991 से माह दिसम्बर, 1991 तक इस मद में कुल रु० 8,853.50 खर्च हुआ है ।

माह जुलाई, 1991 से दिसम्बर, 1991 तक गन्ना विकास के मद पर किया गया खर्च माह जून, 1990 से जून, 1991 तक किये गये खर्च से कहीं कम है । गन्ना विकास के विभिन्न मदों में किये गये खर्च का विवरण निम्न प्रकार है :–

(रुपयों में)

क्र०सं०	व्यय का विवरण	माह जून, 1990 से जून, 91 तक	माह जुलाई, 91 से दिसम्बर, 91 तक
1	केन सीड सब्सीडी	1,44,025.00	–
2	केन सीड ट्रान्सपोटेशन	33,066.00	7,433.50
3	लिंक रोड की मरम्मत	2,19,747.00	–
4	प्रचार पर हुए व्यय	1,21,442.00	1,420.00
5	प्लांट प्रोटेक्शन के उपाय एवं उनके क्रियान्वयन	56,302.00	–
	योग :	5,74,582.00	8,853.50

जनपद गोण्डा में शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) की नियुक्ति की मांग

119 –श्री तुलसी दास–

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी वकील, जिनकी आयु 60 वर्ष हो गयी है, उनके स्थान पर नई नियुक्ति न करके उनका कार्यकाल पुनः 2 वर्ष तक बढ़ाने के लिए शासन का कोई निर्देश जिलाधीशों को भेजा गया है ? यदि हां, तो क्या जो डी० जी० सी० के पद रिक्त हैं, उन पदों पर नियुक्ति न किये जाने हेतु किसी न्यायालय का स्थगन आदेश सरकार को प्राप्त हुआ है ? यदि नहीं, तो प्रश्नकर्ता के जनपद गोण्डा में डी० जी० सी० सिविल एवं राजस्व के पदों पर सरकारी वकील की नियुक्ति अब तक क्यों नहीं की गयी है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं । सरकारी वकील की अधिवर्षता आयु 60 वर्ष पूर्ण हो जाने के उपरान्त कार्यकाल में पुनः 2 वर्ष की वृद्धि विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर 7.08 के अधीन अधिवक्ता के लगातार अच्छे कार्य, निर्दोष, सत्यनिष्ठा तथा स्वास्थ्य के आधार पर की जाती है ।

जी नहीं ।

जनपद गोण्डा में जिला शासकीय अधिवक्ता (दीवानी) का पद रिक्त नहीं है वर्तमान में उक्त पद पर कार्यरत अधिवक्ता के कार्यकाल में वृद्धि करने अथवा न करने का प्रस्ताव विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर 7.08 के अन्तर्गत शासन के विचाराधीन है । जनपद गोण्डा में जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) का एक पद रिक्त है, जिस पर जिला मजिस्ट्रेट से विधि परामर्शी निदेशिका के प्रस्तर 7.03 के अधीन प्रस्ताव प्रतीक्षित है ।

जनपद जालौन के ग्राम औरेखी में विद्युतीकरण की मांग

120–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के अन्तर्गत औरेखी में विद्युतीकरण अब तक क्यों नहीं कराया गया है, जबकि उक्त ग्राम की जनसंख्या 8000 है ? उक्त ग्राम में विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद जालौन के विकास खण्ड जालौन के अन्तर्गत ग्राम औरेखी का विद्युतीकरण केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की परिभाषा के अनुसार वर्ष 87-88 में ही हो चुका है । ग्राम के अन्दर एल० टी० लाइन बिछाकर विद्युतीकरण हेतु वर्ष 90-91 में विद्युत सलाहकार समिति द्वारा उक्त ग्राम का चयन किया गया था, परन्तु संशोधित लक्ष्य 27 से घटाकर 21 हो जाने तथा आवश्यक सामग्री उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकृत नहीं हो सका । वर्ष 91-92 में चयन समिति द्वारा इस ग्राम का चयन न करने के कारण इस ग्राम का विद्युतीकरण नहीं हो सका । जिला जनगणना हस्त-पुस्तिका वर्ष 1981 के अनुसार औरेखी के ग्राम की जनसंख्या कुल 2291 है ।

वर्ष 1992-93 में जिला ऊर्जा एवं सिंचाई सलाहकार समिति द्वारा चयन करने के पश्चात् एवं संसाधन उपलब्ध होने पर ही उक्त ग्राम का विद्युतीकरण किया जा सकता है ।

जनपद सुल्तानपुर में हरदौना ड्रेन की खुदाई में हुआ व्यय व उपयोगिता

121—श्री राम चन्द्र चौधरी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र कादीपुर, जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड अखण्ड नगर में हरदौना ड्रेन की खुदाई के लिए पिछली सरकार द्वारा कितना धन खर्च किया गया ? उक्त ड्रेन की खुदाई में अभी कितना धन और खर्च किया जायेगा ? क्या यह सत्य है कि हरदौना ड्रेन की खुदाई हुई, परन्तु अब तक किसानों को कोई लाभ इस ड्रेन से नहीं मिला है ? क्या ड्रेन ज्यों की त्यों बनी हुई है तथा जल भराव की समस्या भी बनी रहती है ? यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा अब तक कौन सी कार्यवाही की गयी ? उक्त कार्यवाही का परिणाम क्या हुआ ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

विधान सभा क्षेत्र कादीपुर जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड अखण्डनगर में हरदौना ताल ड्रेन की खुदाई के लिए पिछली सरकार के कार्यकाल में कोई धन खर्च नहीं किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

हां, यह सत्य है कि वर्ष 1988-89 तक हरदौना ताल ड्रेन की आंशिक रूप से खुदाई तथा चार अदद पुलों का निर्माण सुल्तानपुर राष्ट्रीय ग्रामीण योजना के अन्तर्गत कराया गया था तथा शारदा सहायक परियोजना में वर्ष 1988-89 में उपरोक्त राष्ट्रीय ग्रामीण योजना समाप्त हो जाने के फलस्वरूप कार्यों को पूरा नहीं कराया जा सका । ड्रेन से किसानों को केवल आंशिक लाभ मिला है ।

ड्रेन का कार्य पूर्ण न होने तथा स्थानीय लोगों द्वारा समय-समय पर विभिन्न प्रयोजनों हेतु बंधे लगाने के फलस्वरूप जल भराव की समस्या अभी भी अस्थाई रूप से रहती है । ड्रेन के निर्माण को पूरा करने के लिए प्रस्ताव विचाराधीन है । ड्रेन पर मिट्टी के कार्यों हेतु 10 लाख कुएं की योजना के अन्तर्गत जिला सेक्टर से 29 लाख रु० की योजना स्वीकृत हो चुकी है । जिसके समक्ष 10 लाख रु० का आवंटन हो चुका है । इस उपलब्ध कराई गयी धनराशि के अन्तर्गत कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है ।

जनपद सुल्तानपुर में हरदौना ड्रेन एवं कन्हाइन ताल तथा डोमा ताल की खुदाई की मांग

122—श्री राम चन्द्र चौधरी—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सुल्तानपुर जनपद के तहसील कादीपुर के हरदौना ड्रेन के साथ-साथ कनहाइन ताल तथा डोमा ताल की खुदाई होगी ? यदि हां, तो कब तक ? क्या यह सत्य है कि वर्षा के समय किसानों की खेती वहां डूब जाने से किसानों की फसलें नष्ट हो जाती हैं तथा उनके घर भी गिर जाते हैं ? यदि हां, तो ड्रेन सफाई का कार्य कब तक होगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सुल्तानपुर जनपद के तहसील कादीपुर के हरदौना ताल ड्रेन के पूर्ण निर्माण के उपरान्त ही डोमा ताल की खुदाई का प्रस्ताव बनाना लाभप्रद होगा । धर्मापुर कन्हाई ताल ड्रेन की खुदाई कार्य हेतु जिला सेक्टर की 10 लाख कुओं की योजना के अन्तर्गत 17.00 लाख का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ है ।

जी हां, वर्षा के समय किसानों की फसल आंशिक रूप से नष्ट होती है । जिसमें किसानों द्वारा विभिन्न प्रयोजनों हेतु लगाये जाने वाले बंधों का भी योगदान है ।

ड्रेन की सफाई का कार्य धन उपलब्ध होने पर सम्भव होगा ।

जनपद सुल्तानपुर के कादीपुर विधान सभा क्षेत्र में ग्रामीण विद्युतीकरण

123–श्री राम चन्द्र चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के विधान सभा क्षेत्र कादीपुर के सभी गांवों का विद्युतीकरण 1984 तक हो गया है ? यदि हां, तो किन-किन गांवों का विद्युतीकरण हुआ है ? क्या यह सत्य है कि गांवों का विद्युतीकरण अभिलेखों में कर दिया गया है परन्तु न कहीं तार खिंचे हैं और न ही खम्भे गड़े हैं ? क्या इस योजना में धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि उक्त धन का दुरुपयोग किया गया है, तो किस अधिकारी/कर्मचारी द्वारा तथा अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र के केवल 25 ग्रामों का विद्युतीकरण एल० टी० मेन्स बिछाकर किया जा चुका है ।

जी नहीं ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के घोंघरी व शाहपुर तेलारी के राजकीय नलकूप चालकों के खिलाफ कार्यवाही

124–श्री ऊदल–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय ट्यूबवेल घोघरी व राजकीय ट्यूबवेल शाहपुर तेलारी, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी के नलकूप चालकों के खिलाफ क्रमशः तीन वर्ष व एक वर्ष से शिकायती प्रार्थना-पत्र किसानों ने अधिशासी अभियन्ता, नलकूप, वाराणसी को दिये हैं ? यदि हां, तो उक्त आपरेटरों को अब तक वहां से क्यों नहीं हटाया गया ? क्या उन किसानों के उक्त अवधि के प्रार्थना-पत्रों की जांच की गयी । यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह भी बतायेंगे कि घोंघरी नलकूप, ब्लाक पिण्डरा, वाराणसी के किसानों ने आपरेटर के ऊपर सिंचाई रेंज ज्यादा लिखने का आरोप भी लगाया है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच करायी गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त दोनों नलकूपों के चालकों को तुरन्त वहां से हटाकर उनके बारे में जांच कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

दोनों नलकूपों पर कार्यरत नलकूप चालकों का स्थानान्तरण कर दिया गया है । कृषकों द्वारा लगाये गये आरोपों की जांच की जा रही है ।

जनपद देहरादून में सेडिया नहर के निर्माण हेतु अधिगृहीत भूमि का हस्तानान्तरण

125–श्री मुन्ना चौहान–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देहरादून के विकास खण्ड चकराता में सिंचाई खण्ड अम्बाड़ी द्वारा सेडिया नहर का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या प्रश्नगत नहर बनकर तैयार हो चुकी है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सत्य है कि नहर का निर्माण कार्य देवघार रेंज ट्यूनी

में वन विभाग के लगभग 0.335 एकड़ भूमि का हस्तानान्तरण न हो पाने के कारण रुका हुआ है ? यदि हां, तो क्या अब तक सिंचाई विभाग द्वारा प्रश्नगत भूमि स्थानान्तरित किये जाने के एवज में वनीकरण हेतु वन विभाग को रुपये 10,000 की धनराशि जमा करा दी गयी है ? यदि हां, तो उक्त वन भूमि का हस्तानान्तरण कब तक हो सकेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

गन्ना विकास समिति, हरदोई के कर्मचारियों का वेतन भुगतान

126–श्री खालिद गौरी–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गन्ना विकास समिति, हरदोई में कार्यरत कर्मचारियों को कब से वेतन नहीं मिला है ? बकाया वेतन कब तक अदा कर दिया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जनपद हरदोई में निम्न दो गन्ना समितियां कार्यरत हैं :–

(1) सहकारी गन्ना विकास समिति लि०, हरदोई ।

(2) जिला गन्ना उत्पादक सहकारी समिति लि०, हरदोई ।

इनमें से गन्ना विकास समिति लि०, हरदोई के वेतनभोगी कर्मचारियों को धनाभाव के कारण माह नवम्बर, 91 से अब तक वेतन भुगतान नहीं किया जा सका है । इन कर्मचारियों को देय वेतन का भुगतान शीघ्र कराया जायेगा । जिला गन्ना उत्पादक सहकारी समिति लि०, हरदोई में कार्यरत कर्मचारियों का कोई वेतन भुगतान लम्बित नहीं है ।

विद्युत प्रेषण उपखण्ड, मैनपुरी में कार्यरत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों से घरेलू कार्य लिए जाने की शिकायत

127–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत प्रेषण उपखण्ड, मैनपुरी में कितने चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कार्यरत हैं और कितने पद रिक्त हैं ? क्या यह सच है कि सहायक अभियन्ता, श्री एच० पी० शर्मा के यहां तीन वर्ष से दो विभागीय चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी घरेलू कार्य के लिए लगे हुए हैं और उनकी तनख्वाह विभाग से ही जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन दोनों कर्मियों की तनख्वाह उक्त सहायक अभियन्ता की तनख्वाह से काटेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या सरकार दोषी सहायक अभियन्ता के विरुद्ध कोई कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जनपद लखीमपुर खीरी एवं सीतापुर में गन्ना के सट्टा निर्धारण एवं समितियों की सदस्यता के बारे में शिकायती पत्र एवं कृत कार्यवाही

128–श्री बाला प्रसाद–

क्या गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता ने ऐरा/हरगांव शुगर मिल खीरी/सीतापुर के सट्टा निर्धारण करने व समितियों का सदस्य बनाने के सन्दर्भ में मुख्य मंत्री

को कोई शिकायती पत्र लिखा था और संयुक्त सचिव मुख्य मंत्री ने दिनांक 7-1-92 को पत्र मूल रूप में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रमुख सचिव गन्ना को प्रेषित कर कोई निर्देश दिये थे ? यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

वांछित कार्यवाही के निर्देश जिला गन्ना अधिकारी लखीमपुर व सीतापुर को दे दिये गये हैं ।

जनपद रायबरेली के शारदा सहायक खण्ड-41 के अन्तर्गत वर्क आर्डरों में घपलों की शिकायत एवं कृत कार्यवाही

129–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रायबरेली शारदा सहायक खण्ड-41 के अन्तर्गत वर्क आर्डर नं० 28/93 व 27/93, दिनांक 2-8-90 व एम० बी० नं० 350 (एल) पेज नं० क्रमशः 6 व 5 द्वारा किये गये कार्य की पैमाइश व भुगतान किया गया है ? यदि हां, तो क्या नाले का कार्य हेतु विभाग में कोई नियम 15 जून तक खुदाई व पैमाइश का कार्य पूर्ण होने से संबंधित बना है ? यदि हां, तो उपरोक्त कार्य में इस नियम का पालन न करने का क्या कारण है ? क्या उपरोक्त कार्य की पैमाइश व जांच मौके पर सहायक अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता या अधीक्षण अभियन्ता ने की है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं तो क्यों ? उपरोक्त समय में उक्त नाले की जल बहाव की स्थिति क्या थी ? क्या पैमाइश बहते हुए पानी के समय की गयी है ? यदि हां, तो क्या उक्त बहाव में उक्त कार्य की पैमाइश सम्भव थी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

परन्तु 15 जून के बाद वर्षाकाल में यदि जल प्लावन की समस्या नालों पर लगे बन्धों, ठेक व जंगल आदि के कारण दृष्टिगोचर होती है तो उसके निदान हेतु इनको हटाना आवश्यक हो जाता है । उपरोक्त कार्यों की पैमाइश संबंधित अवर अभियन्ता द्वारा दिनांक 21-8-90 में तथा जांच सहायक अभियन्ता द्वारा दिनांक 21-8-90 में की गयी थी ।

माह अगस्त, 90 में रायबरेली व तिलोई के बीच 15 अगस्त से 28 अगस्त तक वर्षा नहीं हुई थी तथा उक्त नालों में पैमाइश के समय जल प्रवाह कम था जिसमें पैमाइश की जानी सम्भव थी ।

130–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, भ्रष्टाचार विरोधी प्रकोष्ठ, सिंचाई विभाग लखनऊ का अ० शा० पत्रांक-5034/म०वि०-2 दिनांक 30-8-91 व संलग्नक शिकायती पत्र प्रार्थीगण मांहइया कैसरिया, जिला रायबरेली का जिसे स्टाफ अधिकारी, मु० अ० शा० सहायक के पत्रांक 7102/शा०स०अनु०/77 बी-4 डब्लू०/89 शा० स० खण्ड 41 दिनांक 18-9-91 द्वारा भेजा गया था, अधीक्षण अभिन्ता, 16वां मण्डल सिंचाई कार्य, प्रतापगढ़ को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इसकी जांच की गयी है ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां । इस शिकायती पत्र की जांच हेतु दो सहायक अभियन्ताओं की जांच समिति गठित की गयी है । जांच अभी प्रचलित है ।

131–श्री तेजभान सिंह–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद रायबरेली में ब्लाक राही अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-41, रायबरेली में अनुबन्ध संख्या 3/स०अ०4/91-92 के बाद उक्त ब्लाक के नालों पर कितने कार्यों के और अनुबन्ध हुए हैं तथा कार्यादेश संख्या 20/92, दिनांक 20-4-91 के बाद नालों के कार्यों के, कितने और कार्यादेश हुए हैं ? उक्त कार्यों के संबंध में हुए अनुबन्ध व कार्यादेशों की पैमाइश किसने की है और किस माप पुस्तिका में माप अंकित की गयी है ? इस कार्य पर कितने रुपये का भुगतान किया जा चुका है और कितने रुपये का भुगतान किया जाना अभी शेष है ? क्या उपरोक्त सभी कार्यों की जांच किसी अधिकारी से पुनः कराने की आज्ञा प्रदान करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद रायबरेली के ब्लाक राही के अन्तर्गत शारदा सहायक खण्ड-41, रायबरेली में अनुबन्ध संख्या 3/स०अ० 4/91-92 के बाद उक्त ब्लाक के नालों पर दो अनुबन्ध और हुए हैं तथा कार्यादेश संख्या 20/92, दिनांक 20-4-91 के बाद नालों के कार्य के 21 कार्यादेश और हुए हैं । उक्त कार्यों के संबंध में हुए अनुबन्ध व कार्यादेशों की पैमाइश सर्वश्री के० एल० कोहली एवं राम चन्दर प्रसाद, अवर अभियन्ता द्वारा उनको निर्गत की गयी माप पुस्तिकाओं में की गयी है । इस कार्य पर रु० 97,122.00 का भुगतान किया जा चुका है और रु० 76,881.00 का भुगतान किया जाना अभी शेष है ।

उपरोक्त सभी कार्यों की जांच संबंधित अधीक्षण अभियन्ता से करायी जा रही है ।

132–श्री श्रीराम (गोण्डा)–

[6ठे सोम में अता० प्र० सं० 200 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गाजीपुर में दिलदारनगर के विद्युत उपकेन्द्र में फीडर बनवाने का प्रस्ताव

133–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर अन्तर्गत 33 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र दिलदारनगर से रेलवे क्रासिंग पार करके अलग दो विद्युत फीडर बनवाने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो कब तक उक्त कार्यवाही हो जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

दो नं० रेलवे क्रासिंग अण्डर ग्राउण्ड केबुल के द्वारा करने हेतु प्राक्कलन बन चुका है और रेलवे द्वारा क्रासिंग करने की अनुमति भी प्राप्त हो चुकी है । रेलवे द्वारा क्रासिंग करने के लिए धन मांगा गया है जो परिषद् से प्राप्त होते ही जमा कर दिया जायेगा ।

यह कार्य रेलवे द्वारा होना है इसलिए निश्चित समय नहीं बताया जा सकता ।

जनपद गाजीपुर में भदोरा विद्युत उपकेन्द्र के निर्माण का प्रस्ताव

134–श्री ओम प्रकाश (गाजीपुर)–

क्या ऊर्जा मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद गाजीपुर अन्तर्गत 33 के०वी० विद्युत उपकेन्द्र, भदौरा को वर्ष 1991-92 में बनवाने का प्रस्ताव था ? यदि हां, तो वह कब तक बन कर तैयार हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या उसका शिलान्यास 24 नवम्बर, 1990 को हो चुका है ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण प्रश्नगत उपकेन्द्र का कार्य वर्ष 1991-92 में प्रारम्भ नहीं किया जा सका । यदि संसाधन उपलब्ध हो जाते हैं तो निर्माण कार्य चालू वित्तीय वर्ष में पूरा किया जा सकता है ।

जी हां ।

ड्रेनेज खण्ड, नौगढ़, जिला सिद्धार्थनगर द्वारा बनाये गये रिटायर बांध हेतु ली गयी किसानों की भूमि का मुआवजा

135–श्री मो० मुकीम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिद्धार्थनगर जनपद स्थित कूड़ा नदी के पूर्वी तट पर स्थित के० जी० बांध के कि०मी० 29 ग्राम-रमवापुर में वर्ष 1974-75 में ड्रेनेज खण्ड, नौगढ़ द्वारा बनाये गये रिटायर बांध हेतु किसानों से ली गयी भूमि का मुआवजा उन्हें मिल गया है ? यदि नहीं, तो उक्त मुआवजा उन्हें कब तक मिलेगा ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

कि०मी० 29 पर कोई भूमि नहीं ली गयी है । सिद्धार्थनगर जनपद में कूड़ा नदी के पूर्वी तट पर स्थित के० जी० बांध के कि०मी० 27.00 पर ग्राम रमवापुर में ड्रेनेज खण्ड, बस्ती द्वारा रिटायर बांध बनाने हेतु किसानों की भूमि ली गयी है । इस भूमि के अधिग्रहण की कार्यवाही की जा रही है ।

भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही पूर्ण होने पर मुआवजे का भुगतान कर दिया जायेगा ।

श्री पी० एन० मिश्रा, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता शारदा कैनाल, हरदोई के विरुद्ध गबन संबंधी शिकायती पत्र पर कार्यवाही

136–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि दिनांक 1-9-90 को डा० हरिशंकर मिश्र, निवासी ग्राम व पो० मलिहामर, जि० हरदोई ने एक शिकायती पत्र जो पी० एन० मिश्रा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, शारदा कैनाल हरदोई के विरुद्ध लाखों रुपयों के गबन की शिकायतों की जांच गुप्तचर विभाग द्वारा कराये जाने के संबंध में था, उन्हें प्राप्त हुआ था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उद्यान निदेशालय में कतिपय लिपिकों द्वारा अभिलेखों में हेराफेरी की शिकायत

137–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि उद्यान निदेशालय के कतिपय लिपिकों ने अभिलेखों में हेराफेरी व गड़बड़ी की है, जिसकी शिकायत श्री काशीराम, पूर्व विधायक द्वारा की गयी थी और शासन के पत्र संख्या 4796/12-4-90-130/90, दिनांक 7-9-90 द्वारा उस जांच हेतु निदेशक को भेजा गया था ? यदि हां, तो अब तक की गयी कार्यवाही का विवरण क्या हैं ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

श्री काशी प्रसाद पूर्व विधायक द्वारा दिनांक 5 मार्च, 1990 को की गयी शिकायत की जांच के आदेश शासन के पत्र सं०-एम-66(1)/12-4-90, दिनांक 24 मार्च, 1990 द्वारा दिये गये थे । जांच के लिए नियुक्त जांच अधिकारी के निलम्बित होने के कारण जांच पूर्ण न हो सकी । दूसरे जांच अधिकारी की तैनाती कर दी गयी है ।

संयुक्त निदेशक (उद्यान) के विरुद्ध सी० सी० ए० नियमों के अन्तर्गत की जा रही जांच को समाप्त किया जाना

138–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि शासनादेश सं०-3158/12-4-89-214/89, दिनांक 29-5-89 द्वारा संयुक्त निदेशक (उद्यान) के विरुद्ध सी० सी० ए० नियमों में करायी गयी जांच पूर्ण हो गयी है ? यदि हां, तो शासन इस जांच रिपोर्ट पर दोषी अधिकारियों को दण्डित करेगा, यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

शासनादेश सं०-3158/12-4-89-214/89, दिनांक 29-5-89 द्वारा संयुक्त निदेशक (उद्यान) के विरुद्ध सी० सी० ए० नियमों के अन्तर्गत की जा रही जांच को शासनादेश सं०-2034/12-4-90, दिनांक 14-5-90 द्वारा निरस्त कर दिया गया ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रभारी निदेशक, उद्यान के विरुद्ध जांच एवं कार्यवाही

139–श्री सुरेन्द्र नाथ–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्होंने प्रभारी निदेशक, उद्यान के विरुद्ध दिनांक 18-9-91 को जिस उच्च स्तरीय जांच की घोषणा की थी, उस जांच के अधिकारी कौन हैं ? जांच रिपोर्ट कब तक शासन को अपेक्षित है ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां । तत्कालीन प्रभारी निदेशक, उद्यान के विरुद्ध आरोपों की जांच नये सिरे से तत्कालीन संयुक्त सचिव उद्यान श्री देव व्रत दीक्षित से करायी जा चुकी है । जिनकी जांच रिपोर्ट के आधार पर उच्च स्तरीय निर्णय के अनुसार अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया जो प्रगति पर है ।

जनपद लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में सिंचाई एवं सड़क सुविधाओं हेतु योजनायें तथा मण्डी शुल्क के रूप में वसूली गयी धनराशि

140–श्री अशोक कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मलिहाबाद जनपद लखनऊ जो कि एशिया की सबसे बड़ी आम उत्पादन फल पट्टी क्षेत्र है, को सिंचाई के समुचित प्रबन्ध के लिए क्या-क्या सुविधायें मुहैय्या करायी गयी हैं ? निकट भविष्य में वहां पर बेहतर सिंचाई सुविधाओं हेतु क्या योजनायें प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

आम उत्पादक केन्द्र मलिहाबाद में सिंचाई सुविधा पहले से ही उपलब्ध है । अन्य कोई योजना विचाराधीन नहीं है ।

141—श्री अशोक कुमार—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि फल पट्टी मलिहाबाद, जनपद लखनऊ में आम उत्पादकों हेतु राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा क्या सुविधायें दी जा रही हैं ? आम से मण्डी शुल्क के रूप में अर्जित धन का उपयोग मलिहाबाद क्षेत्र में किन-किन योजनाओं के अन्तर्गत किया जा रहा है ? निकट भविष्य में परिषद् की नयी योजनायें क्या हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् द्वारा फल पट्टी क्षेत्र मलिहाबाद से प्रति वर्ष मण्डी शुल्क के रूप में कितना धन अर्जित किया जाता है ? फल पट्टी क्षेत्र मलिहाबाद में आवागमन हेतु अब तक किन-किन सड़कों का मण्डी विभाग द्वारा निर्माण कराया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या भविष्य में फल पट्टी तक जाने हेतु सड़क निर्माण किये जाने वाली योजनायें प्रस्तावित हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

हरदोई रोड पर दुबग्गा नामक स्थान पर पृथक फल-सब्जी मण्डी का निर्माण लगभग 2 करोड़ की लागत से कराया जा रहा है जिसका निर्माण कार्य अन्तिम चरणों पर है ।

मलिहाबाद में उप मण्डी स्थल बनाने की योजना भी विचाराधीन है जिसके लिए भूमि का चयन कर लिया गया है । देश के बाहर की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हवाई पट्टी तथा अन्य संसाधन उपलब्ध कराने की योजना विचाराधीन है ।

गत 3 वर्षों में मण्डी शुल्क के रूप में प्राप्त आय का विवरण निम्न प्रकार है :—

	वर्ष	मण्डी शुल्क से आय
1—	88-89	2,97,869.42
2—	89-90	6,43,755.80
3—	90-91	18,87,772.72

किसी भी सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं किया गया हैं ।

मण्डी समिति, लखनऊ से पारित तथा जिलाधिकारी से अनुमोदित प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण ।

अभी कोई नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी में हण्डिया पम्प कैनाल शारदा सहायक की माइनर पर पुल निर्माण एवं कार्य पूरा कराये जाने की मांग

142—श्री ऊदल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि हण्डिया पम्प कैनाल शारदा सहायक की एक माइनर जो कि डेहरिया बिनायक, ब्लाक आराजी लाइन, जिला वाराणसी में है रामेश्वर-राजा तालाब मार्ग को क्रास करायी जायेगी ? यदि हां, तो क्या आज तक पुल वहां नहीं बनाया गया है और उक्त माइनर को दोनों तरफ खोद दिया गया है ? क्या यह भी सत्य है कि पानी आज तक उक्त माइनर में नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और उक्त माइनर को पूरा कराने व पुल का निर्माण कराने का आदेश प्रदान करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

143—श्री बच्ची सिंह रावत—

[स्पष्टीकरण हेतु हटाया गया]

जिलेदार द्वितीय शारदा नहर हरदोई द्वारा गबन की जांच कराये जाने संबंधी पत्र पर कार्यवाही

144—श्री नरेश अग्रवाल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि शिव बली सिंह, जिलेदार द्वितीय, शारदा नहर हरदोई ने अपने पत्रांक 140 दिनांक 28-5-90 द्वारा प्रमुख अभियन्ता सिंचाई उ० प्र० को गबन के आरोप पर जांच हेतु एक पत्र भेजा था ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

अधिशासी अभियन्ता, शारदा नहर, हरदोई के विरुद्ध वर्क आर्डरों में धांधली की शिकायत

145—श्री नरेश अग्रवाल—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि तृतीय उप खण्ड शारदा कैनाल के लम्ब छिन्नर व प्राक्कलन कब स्वीकृत हुये ? क्या यह सत्य है कि स्वीकृति के पहले माह 11/89 को माप पुस्तिका 2526 के पेज नं० 172, 173, 176, 177, 182 व 183 द्वारा अधिशासी अभियन्ता ने रुपये 227110.50 का भुगतान किया ? यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

146—श्री नरेश अग्रवाल—

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि अधिशासी अभियन्ता शारदा नहर हरदोई द्वारा अपने पत्रांक 3144, दिनांक 31-7-90 द्वारा अपने अन्तर्गत तृतीय खण्ड द्वारा वर्क आर्डर बुक संख्या 610 में जो वर्क आर्डर 18 से निर्गत किये गये थे उसे 11 वर्क आर्डरों द्वारा 51224.00 का फर्जी भुगतान होना दिखाया है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० सहकारी चीनी मिल संघ, लखनऊ में एक भाषी आशुलिपिकों की प्रोन्नति की दोषपूर्ण नीति की शिकायत

147—श्री महेन्द्र जैन—

क्या गन्ना विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० सहकारी चीनी मिल संघ लखनऊ में द्विभाषी आशुलिपिकों एवं एक भाषी आशुलिपिकों के लिए पृथक-पृथक वेतनमान निर्धारित है ? क्या यह सही है कि एक भाषी वरिष्ठ आशुलिपिकों को छोड़ते हुये केवल द्विभाषी आशुलिपिकों को ही उच्च पदों पर पदोन्नत किया जाता है ? क्या शासन में भी इस प्रकार की नीति निर्धारित है ? यदि नहीं, तो संघ में दोषपूर्ण नीति समाप्त करते हुये शासन की भांति एक भाषी आशुलिपिकों को भी पदोन्नति के अवसर प्रदान किये जायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह—

जी हां ।

द्विभाषी आशुलिपिक का वेतनमान एक भाषी आशुलिपिक के वेतनमान से उच्चतर होने के कारण, वरिष्ठता के आधार पर द्विभाषी आशुलिपिक को आवश्यकतानुसार निजी सचिव के पद पर पदोन्नति दी जाती है ।

जी नहीं ।

उ० प्र० सहकारी चीनी मिल संघ में प्रोन्नति संघ की नियमावली के अन्तर्गत दी जाती है । एक भाषी आशुलिपिकों को आठ वर्ष की संतोषजनक सेवा के उपरान्त समयमान वेतनमान प्रदान किया जाता है ।

जनपद आजमगढ़ में बेसों नदी के किनारे जलजमाव से क्षति

148–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ जनपद के फूलपुर लालगंज तहसीलों में बेसों नदी के किनारे बसने वाले ग्रामीणों की फसलें एवं जान माल की क्षति वर्षा के दिनों में जल जमाव के कारण होती है ? यदि हां, तो किन-किन ग्रामों में ? क्या मंत्री जी इस जल जमाव समस्या को समाप्त कराने हेतु कोई योजना बनायेंगे ? यदि हां, तो कब तक और किस प्रकार की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

फसलों एवं जान माल की जब क्षति नहीं होती है तब गांव की सूची देने अथवा जल जमाव समस्या को समाप्त कराने हेतु योजना बनाने का कोई प्रश्न नहीं उठता है ।

विद्युत प्रेषण खण्ड आजमगढ़ से कर्मचारियों का स्थानान्तरण प्रकरण

149–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुख्य अभियन्ता पारेषण पूर्व, इलाहाबाद के अन्तर्गत विद्युत प्रेषण मण्डल, आजमगढ़ से कितने कर्मचारियों का परिषदीय हित में स्वेच्छा से स्थानान्तरण विद्युत प्रेषण खण्ड, जौनपुर में वर्ष 1988-89, 89-90 व 90-91 में किया गया ? उनके नाम व पदनाम क्या हैं ? उनमें से कितने कर्मचारियों का स्थानान्तरण विद्युत प्रेषण खण्ड, जौनपुर से पुनः परिषदीय हित में स्वेच्छा से अन्यत्र किया गया है ? उनके नाम व पद नाम क्या हैं ? क्या यह भी बतायेंगे कि ये स्थानान्तरण किन नियमों के अन्तर्गत किये गये हैं ? स्वेच्छा से स्थानान्तरण चाहने वाले कितने कर्मचारियों के प्रार्थना-पत्र मण्डल कार्यालय को प्राप्त हुए ? कितने प्रार्थन-पत्रों का निस्तारण किया गया व कितने लम्बित हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद के जोनों एवं परियोजनाओं में स्थानान्तरण हेतु नियमावली का पालन

150–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् कर्मचारी (स्थानान्तरण) नियमावली, 1980 के अतिरिक्त अन्य कोई स्थानान्तरण नियमावली भी बनायी गयी है ? यदि हां, तो वह नियमावली क्या है ? क्या यह भी बतायेंगे कि उक्त स्थानान्तरण नियमावली संख्या 2092-एनजी/एस इ बी०/4/80-एनजी/79, दि० 15-4-80 का अनुपालन, अनपरा तापीय परियोजना, ओवरा तापीय एवं जल विद्युत परियोजनायें ओबरा तथा लखनऊ, इलाहाबाद, वाराणसी व गोरखपुर जोन (पारेषण एवं वितरण तथा जनपद) आदि में कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? अब तक नियमावली का अनुपालन न कराये जाने के कारण क्या हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

समस्त परियोजनाओं एवं जोनों में स्थानान्तरण हेतु नियमावली का अनुपालन किया जा रहा है । प्रश्न नहीं उठता ।

अनपरा तापीय परियोजना, सोनभद्र में श्रमिकों द्वारा बहाली हेतु दायर रिट याचिकायें

151–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अनपरा तापीय एवं जल विद्युत परियोजनायें ओबरा तथा लखनऊ सेवा में वापस लिये जाने आदि से संबंधित रिट याचिकायें (याचिका संख्या–5296/86, 23452/87, 2241/88 व रिट सं०–16596/84) माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद में लम्बित चल रही हैं ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ का पत्रांक-232/दिनांक 11-9-91, पत्रांक-3011/दिनांक 30-11-91, पत्रांक-1993/दिनांक 19-9-91 तथा पत्रांक-2612/दिनांक 26-12-91 ऊर्जा मंत्री एवं परिषद् को प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इन पर क्या कार्यवाही की गयी ? क्या लम्बित मुकदमें को न्यायालय के बाहर आपसी समझौता द्वारा तय किया जायेगा ? यदि हां, तो इसके लिए क्या प्रक्रिया अपनायी जाएगी और कब तक ?

श्री लालजी टण्डन–

अनपरा तापीय परियोजना सोनभद्र में जल आपूर्ति के कार्य के लिये समय-समय पर निश्चित अवधि के लिये संविदाकार लगाये जाते रहे हैं, इन संविदाकारों के कतिपय कर्मचारियों ने अपनी सेवा सम्बन्धी मामलों में अपने नियोजक संविदाकारों व परिषद् के विरुद्ध याचिका सं०–5296/8, 23452/87, 2241/88 मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में दाखिल की जहां वे न्यायाधीन हैं ।

उ० प्र० विद्युत मजदूर संघ के पत्रांक 232, दिनांक 11-9-91, पत्रांक 3011, दिनांक 30-11-91 तथा सं० 2612 दिनांक 26-12-91 परिषद में प्राप्त हुये हैं, संघ ने संविदाकारों के श्रमिकों को परिषद् की सेवा में लिये जाने की मांग की है, जिसके लिये परिषद् का कोई दायित्व नहीं है क्योंकि संविदाकारों के श्रमिकों का परिषद् नियोजक नहीं है, ऐसी मांग को स्वीकार किया जाना सम्भव नहीं है ।'

लम्बित मुकदमों में मा० ऊच्च न्यायालय के निर्णय के उपरान्त ही अग्रिम कार्यवाही की जा सकेगी ।

कतिपय जिलों में टू फेसिंग विद्युत प्रक्रिया न अपनाये जाने का कारण

152–श्री भगवती प्रसाद शुक्ल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि शहरी विद्युत उपभोक्ताओं के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में पंखा/बत्ती के विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं ? यदि हां, तो ग्रामीण क्षेत्रों में पंखा/बत्ती हेतु विद्युत आपूर्ति कब-कब की जाती है ? इसके लिए कौन सी प्रक्रिया अपनायी जाती है ? क्या यह सही है कि इसके लिये विद्युत वितरण उप केन्द्रों से टू-फेसिंग की व्यवस्था की जाती है ? यदि हां, तो आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, सुल्तानपुर, वाराणसी, रायबरेली, मऊ आदि अन्य किन-किन जिलों में टू-फेसिंग प्रक्रिया अपनायी जाती है और किन-किन जिलों में नहीं ? जिन जिलों में यह प्रक्रिया नहीं अपनायी जाती है उसके क्या कारण हैं ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां, ग्रामीण क्षेत्रों को भी बत्ती एवं पंखे के लिये विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं । प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों को 14.00 घंटे प्रतिदिन तीन फेस विद्युत आपूर्ति दिन अथवा रात्रि के समय साप्ताहिक चक्रीय कार्यक्रम के आधार पर की जाती है । तीन फेस विद्युत आपूर्ति होने पर ग्रामीण क्षेत्र के उपभोक्ता इसे बत्ती एवं पंखे के लिये भी उपभोग कर सकते हैं । जिस सप्ताह ग्रामीण क्षेत्र को विद्युत आपूर्ति कार्यक्रम रात्रि के समय नहीं होती है उस सप्ताह ग्रामीण क्षेत्र को सायं 18.00 बजे से दूसरे दिन प्रातः 6.00 बजे तक बत्ती पंखे के लिये दो फेस विद्युत आपूर्ति का भी प्राविधान है । ग्रामीण क्षेत्रों को दो फेस विद्युत आपूर्ति करने के लिये सभी विद्युत उपस्थानों पर "सिंगिल फेस आइसोलेटर्स" लगाकर टू-फेसिंग की व्यवस्था की जाती है । आजमगढ़, जौनपुर, बलिया, सुल्तानपुर, वाराणसी, रायबरेली, मऊ जनपदों सहित प्रदेश के अधिकांश जनपदों में टू-फेसिंग प्रक्रिया अपनायी जाती है । प्रदेश के जो जनपद पर्वतीय क्षेत्र, बुन्देलखण्ड क्षेत्र एवं कानपुर देहात के अन्तर्गत आते हैं वहां टू-फेसिंग की प्रक्रिया नहीं अपनायी जाती है । क्योंकि इन जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों को 24. 00 घंटे प्रतिदिन "तीन फेस" विद्युत आपूर्ति का प्राविधान है ।

जनपद सिद्धार्थ नगर के विकास खण्ड मिठवल में जीवा से खुई सम्पर्क मार्ग पूर्ण कराये जाने की मांग

153–श्री सतीश भाटिया–

क्या कृषि मंत्री को जानकारी है कि जनपद सिद्धार्थ नगर के विकास खण्ड मिठवल में जीवा से खुई सम्पर्क मार्ग (पिच) मण्डी समिति द्वारा बनाया जा रहा है ? यदि हां, तो उसकी लागत क्या है और वह कब तक बन जाएगा ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सतीश चन्द्र गोयल, मुख्य अभियन्ता, सिंचाई विभाग सोन, वाराणसी के विरुद्ध जांच

154–श्री ओम प्रकाश–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष, जिला जनता दल (एस) वाराणसी तथा श्री मुसाफिर सिंह यादव व अन्य द्वारा अलग-अलग श्री सतीश चन्द्र गोयल तत्कालीन मुख्य अभियन्ता, सोन, वाराणसी के कार्यकाल के दौरान किये गये पद के दुरुपयोग की अनेकों अनियमिततायें एवं भ्रष्ट कारनामों के विरुद्ध गम्भीर शिकायतें की गयी थीं जिन पर प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग द्वारा जांच की जा रही है ? क्या श्री गोयल, मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध इन शिकायतों पर किसी दूसरे गुप्तचर विभाग/सतर्कता अधिष्ठान द्वारा जांच करायी जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

श्री सतीश चन्द्र गोयल, मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह, अध्यक्ष जिला जनता दल (एस) वाराणसी के शिकायती पत्र पर प्रमुख अभियन्ता द्वारा विभागीय जांच कर आख्या शासन को उपलब्ध करायी गयी है । श्री मुसाफिर सिंह यादव व अन्य का उल्लिखित शिकायती-पत्र प्राप्त हुआ प्रतीत नहीं होता ।

चूंकि प्रकरण में विभागीय जांच अग्रेतर कार्यवाही हेतु शासन में उपलब्ध करा दी गयी है, अतः मामले की जांच पुनः गुप्तचर/सतर्कता अधिष्ठान से कराने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद देवरिया के लक्ष्मीगंज में नयी चीनी मिल की स्थापना

155–श्री दीप लाल भारती–

क्या गन्ना विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम इकाई, लक्ष्मीगंज (देवरिया) में नई चीनी मिल लगाने हेतु भूमि अधिगृहीत करके सामान वहां गिर चुके थे, क्या यह सही है कि उक्त भूमि पर से नये उपकरण गायब हो गये हैं ? क्या चीनी मिल निर्मित होगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लि०, की इकाई लक्ष्मीगंज को आधुनिकीकरण/विस्तारीकरण कर नई चीनी मिल लगाने हेतु की गयी अधिसूचित भूमि पर कोई सामान नहीं गिरा था, अतः अधिसूचित भूमि पर से नये उपकरण गायब होने का प्रश्न नहीं उठता ।

धनाभाव के कारण मिल निर्माण का कार्य स्थगित कर दिया गया है ।

श्री राम कृपाल सिंह भूमि संरक्षण निरीक्षक, रुड़की के विरुद्ध शिकायतें

156–श्री चरन सिंह–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री रामकृपाल सिंह, भू० स० नि०, रुड़की के भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता के पत्र दिनांक 30-1-91,10-5-91, 15-7-91 तथा 12-9-91 में क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

प्रश्नकर्ता के संदर्भित पत्र प्राप्त नहीं हुये हैं । अतः उन पर कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद आजमगढ़ के ग्राम नगवामेदों में विद्युतीकरण की मांग

157–श्री दल सिंगार यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि तत्कालीन विधायक श्री गोमती यादव का ग्राम नगवा मेदों, जनपद आजमगढ़ (सब स्टेशन बिलरियागंज) के विद्युतीकरण किए जाने हेतु पत्र दिनांक 26-1-91 अध्यक्ष, उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त हुआ था ? उस पर क्या कार्यवाही की गयी है ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

कृषि निदेशालय में कार्यरत वरिष्ठ सहायक श्री सैय्यद अंसार को मूल जनपद मण्डल में वापस करने की मांग

158–श्री रामेश्वर दयाल बाल्मीकि–

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि कृषि निदेशालय के अन्तर्गत ए० सी० अनुभाग में वर्ग-3 के कर्मचारियों का स्थानान्तरण/ समायोजन का कार्य वरिष्ठ सहायक सैय्यद अन्सार सम्पादित करते हैं ?

यदि हां, तो उक्त कार्मिक मुख्यालय के कर्मचारी हैं या जिला अथवा मण्डल स्तर के हैं ? यदि जिला अथवा मण्डल स्तर के कार्मिक हैं तो क्या वे मुख्यालय पर अस्थायी रूप से सम्बद्ध हैं ? यदि हां, तो पूर्व मुख्य सचिव के आदेशों के क्रम में शासन में तथा विभागाध्यक्षों के कार्यालय में मण्डल स्तर अथवा जिला स्तर के कार्मिकों को तुरन्त वापस क्यों नहीं किया गया ? उक्त वरिष्ठ सहायक को मुख्यालय से उनके मूल जनपद/मण्डल में कब तक वापस कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

सूचना एकत्रित की जा रही है ।

159–श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[दो विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

श्री आर० पी० द्विवेदी, सहायक अभियन्ता, विद्युत विभाग की गृह जनपद में तैनाती की शिकायत

160–श्री राम ललित चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के सहायक अभियन्ताओं को उनके गृह जनपद में उ० प्र० रा० वि० परिषद् की नीति के तहत नियुक्ति/स्थानान्तरित करने का प्राविधान है ? यदि नहीं, तो आर० पी० द्विवेदी, सहायक अभियन्ता को उनके गृह जनपद फैजाबाद में पिछले तीन वर्षों में लगभग पांच बार किस नीति के तहत स्थानान्तरित/नियुक्त किया गया है ? क्या मंत्री जी उक्त सहायक अभियन्ता को उसके गृह जनपद फैजाबाद से हटाने के आदेश करेंगे ? यदि करेंगे तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में सहायक अभियन्ताओं को सामान्यतः संवेदनशील पदों पर उनके गृह जनपद में नहीं नियुक्त किया जाता है परन्तु अध्यक्ष के अनुमोदन से उन्हें उनके गृह जनपद में तैनात किया जा सकता है ।

विगत तीन वर्षों में श्री आर० पी० द्विवेदी के प्रश्नगत स्थानान्तरण, कार्य के हित, क्षेत्र की अपेक्षाओं एवं आवश्यकताओं तथा सहायक अभियन्ता की व्यक्तिगत कठिनाइयों को ध्यान में रखकर किये गये ।

वर्तमान परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में श्री आर० पी० द्विवेदी को स्थानान्तरण सत्र 1992 में फैजाबाद से स्थानान्तरित करने पर विचार किया जायेगा ।

जनपद जौनपुर के रामपुर सबस्टेशन से खम्भों के गायब होने की शिकायत

161–श्री किशोरी लाल यादव–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के रामपुर सब स्टेशन के नूरपुर फीडर के काकोपुर गांव के रखे 7 लोहे के खम्भे तथा जमालापुर से पचवल तक 33 के० वी० लाइन का खम्भा क्या गायब हो गया है ? यदि हां, तो अब तक सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री लालजी टण्डन–

विद्युत परिषद् द्वारा जनपद जौनपुर के काकोपुर ग्राम में कोई लोहे का खम्भा नहीं रक्खा गया था, अतः उनके गायब होने का प्रश्न नहीं उठता ।

जमालापुर से पचवल के बीच अनुपयोगी 33 के० वी० लाइन के 40 अदद लोहे की रेलें साइट से निकाली गयी थीं जिनमें से 38 अदद रेलें परिषद् द्वारा किये जा रहे दूसरे कार्यों में प्रयोग की जा चुकी हैं और 2 अदद रेलें 33 के० वी० विद्युत उपकेन्द्र रामपुर में रखी हुई हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के रसड़ा में मुंसिफ मजिस्ट्रेट के अदालत की मांग

162—श्री घुरहू—

क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के तहसील रसड़ा में मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत पूर्व में थी परन्तु यहां से मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत किन्हीं कारणों से हटा दी गयी ? क्या सरकार मुंसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत रसड़ा बलिया में खुलवाने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां।

वाद इतनी संख्या में नहीं हैं कि एक न्यायालय की स्थापना की जाय।

प्रश्न नहीं उठता।

भूमि संरक्षण अधिकारी, बांदा के कार्यों की जांच

163—श्री नसीम उद्दीन सिद्दीकी, श्री विश्म्भर प्रसाद निषाद तथा श्री गया चरन दिनकर—

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पत्र संख्या-2323/जे० आर० वाई०/ए० पी० डी० ग० बा० वे 91 दिनांक 13 नवम्बर, 1991 द्वारा प्रश्नकर्ता को, अपर जिलाधिकारी बांदा (परि०) ने, दिनांक 2-11-91 को सम्पन्न जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, बांदा में हुई बैठक की कार्यवाही भेजी है, जिसमें भूमि संरक्षण अधिकारी बांदा द्वारा कराये गये कार्यों की जांच हेतु एक जांच समिति का गठन भी किया गया था ? यदि हां, तो अभी तक जांच समिति द्वारा जांच न करने का क्या कारण है ? क्या यह सत्य है कि जांच में देर किये जाने से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है ? यदि हां, तो कब तक जांच शुरू की जायेगी ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जी हां।

जांच समिति द्वारा जांच पूर्ण कर ली गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

बरेली में कैपटिव पावर प्लान्ट लगाने सम्बन्धी-पत्र पर कार्यवाही

164—डा० दिनेश जौहरी—

क्या ऊर्जा मंत्री को प्रश्नकर्ता का कोई पत्र बरेली में कैपटिव पावर प्लान्ट लगाने के संबंध में मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है, जिसे दिनांक 11-12-91 को ऊर्जा विभाग के सचिव को भेज दिया गया है ? यदि हां, तो क्या उस पत्र पर कोई कार्यवाही की गई ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां इस पत्र में निम्न बातें इंगित की गई थीं –

1–उ० प्र० स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कारपोरेशन लि० कानपुर ने जिन 8 औद्योगिक क्षेत्रों में कैपटिव पावर प्लाट लगाने का निर्णय लिया है उससे उन क्षेत्रों में इण्डस्ट्रीज लगाने में सुविधा होगी तथा ज्वाइन्ट संकाय में कैपटिव पावर प्लान्ट लगा कर उद्यमी लाभान्वित होंगे ।

2–परन्तु यह योजना केवल प्रदेश के थोड़े से भागों में ही सिमट कर रह गई प्रतीत होती है । जैसे अल्मोड़ा, नैनीताल, मुरादाबाद, रामपुर, झांसी इत्यादि एवं विशेष तौर पर बरेली क्षेत्र बिल्कुल अछूता रह गया है ।

3–बरेली जो कि औद्योगिक दौड़ में तेजी से आगे बढ़ सकता है को भी कैपटिव पावर प्लांट लगाने के लिये संलग्न नक्शे में शामिल करने के आदेश दिये जायं ।

इस विषय में निम्नलिखित तथ्य प्रस्तुत है :–

1–उ० प्र० स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलेपमेन्ट कारपोरेशन ने जिन 8 औद्योगिक क्षेत्रों में कैप्टिव पावर प्लांट लगाने का प्रस्ताव दिया है उनका विवरण संलग्नक–क में प्रस्तुत है इनमें से 25 मेगावाट से कम क्षमता की 5 इकाइयों को लगाने की सहमति उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दे दी गई है । शेष तीन मामलों में जहां प्रत्येक उत्पादन इकाई की क्षमता 25 मेगावाट से अधिक है, उनमें भी इस शर्त के साथ सहमति दी गई है कि इन मामलों में केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण की सहमति भी प्राप्त करनी होगी ।

2–जहां तक बरेली जनपद का प्रश्न है, इस विषय में यह सूचित करना है कि यू०पी०एस०आई०डी०सी० से कैपटिव प्लांट लगाने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है फिर भी इस क्षेत्र के मेसर्स इफ्को आंवला तथा मे० सिंथिटिक एण्ड केमिकल्स को क्रमशः 38 मेगावाट तथा 3.25 एमवीए के कैपटिव संयंत्र लगाने की सहमति उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् द्वारा दी जा चुकी है ।

(देखिये नत्थी 'ज' आगे पृष्ठ 228-229 पर)

उन्नाव जनपद की पम्प कैनाल डलमऊ बी में पानी उठाने हेतु लगाये गये मोटरों की संख्या व नये मोटरों की मांग

165–श्री भगवती सिंह विशारद–

क्या सिंचाई मंत्री को ज्ञात है कि उन्नाव जनपद की पम्प कैनाल डलमऊ बी में पानी उठाने के लिये पम्पों के जो मोटर लगे हुए हैं वह पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या यह भी सत्य है कि यह मोटर अन्य स्थान से अनुपयोगी और रिजेक्ट होने के बाद, डलमऊ बी गंगा नहर में लगा दिये गये हैं ? यदि हां, तो वर्तमान समय में डलमऊ बी गंगा लिफ्ट कैनाल में कुल कितने मोटर लगे हैं और वे मोटर कहां-कहां से लाकर लगाये गये हैं ? नहर को पूरी क्षमता से चलाने के लिए नये मोटर वहां कब तक लगाये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

जिला जौनपुर के तहसील मछली शहर में ग्राम सभा रामपुर कलां की हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण की मांग

166—श्री शिव पूजन राम—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम सभा रामपुर कलां, पो० तिलौरा, तहसील-मछलीशहर, जिला-जौनपुर के हरिजन बस्ती का विद्युतीकरण अभी तक नहीं हुआ है जबकि अन्य गांवों में हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण हो गया है ? क्या मंत्री जी उक्त बस्ती में विद्युतीकरण हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देशित करेंगे ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

प्रश्नगत ग्राम के विद्युतीकरण के समय शासन/परिषद् की नीति के अनुसार उसकी 2 हरिजन बस्तियों का विद्युतीकरण किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

गोण्डा विधान सभा क्षेत्र के सरकारी नलकूपों की संख्या एवं खराब पड़े सरकारी नलकूपों को ठीक कराये जाने की मांग

167—श्री तुलसी दास—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोण्डा विधान सभा क्षेत्र में विकास खण्ड वजीरगंज, झंझरी, पंडरी कृपाल व तरबगंज में कितने सरकारी नलकूप हैं ? कितने वर्ष 1990-91 में खराब थे, वर्ष 1991-92 में कितने उसमें से ठीक किये गये ? यदि ठीक नहीं किये गये तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

गोण्डा विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड क्षेत्र वजीरगंज, झंझंरी पंडरी-कृपाल तथा तरबगंज में 104 सरकारी नलकूप हैं।

वर्ष 90-91 में इन विकास खण्डों के अन्तर्गत चलते-चलते अस्थाई रूप से जो नलकूप यांत्रिक/विद्युत दोष से बन्द हुये थे, उनको यथाशीघ्र ठीक कर दिया गया था। उनमें से मात्र 6 नलकूप यांत्रिक दोष से तथा 4 नलकूप विद्युत दोष से जो माह फरवरी/मार्च, 91 में बन्द हुये थे, को वित्तीय वर्ष 90-91 में ठीक नहीं कराया जा सका था।

उक्त यांत्रिक दोष से बन्द 6 नलकूप तथा विद्युत दोष से बन्द 4 नलकूपों को माह अप्रैल/मई 1991 में ठीक करा दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर, मुजफ्फरनगर के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों की शिकायत एवं कृत कार्यवाही एवं प्रमुख अभियन्ता द्वारा पारित किये गये आदेशों का विवरण

168—श्री महेन्द्र जैन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के चौथे गुरु के अता० प्र० सं०—50 व 93 के उत्तर के संदर्भ में अनियमितताओं पर शासन द्वारा विभागीय कार्यवाही करने के लिये प्रमुख अभियन्ता को किस अनियमितता पर क्या-क्या कार्यवाही करने के आदेश दिये ?

प्रत्येक का बिन्दुवार विवरण क्या है ? आदेशानुसार किस अनियमितता पर जांच में दोषी पाये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही हुई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्रश्न में उल्लिखित अतारांकित प्रश्न संख्या–50 व 93 के मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर मुजफ्फरनगर के कार्यों की अनियमितताओं से सम्बन्धित है । उपरोक्त अनियमितताओं में अन्तर्ग्रस्त श्री सुरेश चन्द्र गिरि, तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियन्ता को निलम्बित करते हुए शासन द्वारा प्रमुख अभियन्ता को यह आदेश दिये गये थे कि सहायक अभियन्ताओं के सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही हेतु संस्तुति शासन को भेजें तथा अराजपत्रित कर्मियों के विरुद्ध अपने स्तर से कार्यवाही करें । श्री गिरि तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियन्ता के विरुद्ध आरोप-पत्र स्वीकृत करके जांच अधिकारी की नियुक्ति की गयी जिसकी आख्या शासन में प्राप्त हो गयी है जो परीक्षणाधीन है । इसके अतिरिक्त प्रकरण में तीन सहायक अभियन्ता, 5 अवर अभियन्ता, 5 जिलेदार, 6 सींच पर्यवेक्षक, 5 सींच पाल व एक उप राजस्व अधिकारी अन्तर्ग्रस्त पाए गए । एक अवर अभियन्ता, 3 सींच पर्यवेक्षक एवं 4 सींचपालों के विरुद्ध कार्यवाही की जा चुकी है । 1 सींचपाल तथा 1 सींच पर्यवेक्षक दिवंगत हो गये हैं । अन्य सहायक अभियन्ताओं, कर्मियों तथा 1 उपराजस्व अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही अभी प्रचलित है ।

उपरोक्त सभी अधिकारियों/कर्मियों के विरुद्ध विभिन्न अनियमितताओं एवं कृत कार्यवाही की सूचना काफी विस्तीर्ण है जो मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध रहेगी । इसे माननीय प्रश्नकर्ता महोदय अवलोकित कर सकते हैं ।

169–श्री महेन्द्र जैन–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मु० नगर खण्ड गंगा नहर में शीर्ष स्तरीय आदेशों की उपेक्षा, आदि के संबंध में विभागीय अधिकारियों को प्रेषित एवं मंत्री जी को पृष्ठांकित प्रेमपाल शर्मा के पत्र सं०–32, 36, 39 एवं 1 व 2 क्रमशः दिनांक 29-9-91, 13-11-91, 19-12-91, एवं 14-1-92 व 16-1-92 पर क्या कार्यवाही हुई और उसके क्या परिणाम निकले ? शासनादेश द्वारा अभिलेखों की जांच में पायी गयी अनियमितताओं पर विभागीय कार्यवाही हेतु प्रमुख अभियन्ता द्वारा पारित किए गए आदेशों की संख्या, दिनांक तथा बिन्दुवार विवरण क्या है ? उक्त आदेशानुसार किस बिन्दु पर क्या-क्या कार्यवाही हुई ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

प्राप्त सूचना अनुसार प्रश्न में उल्लिखित शिकायती पत्र दिनांक 13-11-91, 14-1-92 तथा 16-1-92 प्राप्त हुए हैं । दिनांक 13-11-91 के शिकायती-पत्र में शिकायतकर्ता द्वारा श्री सुशील कुमार सींच पर्यवेक्षक को कम दण्ड दिए जाने के आदेशों के सम्बन्ध में आपत्ति की गयी है । अधीक्षण अभियन्ता द्वारा परीक्षणोपरान्त दण्ड से सम्बन्धित उक्त आदेशों में कोई अनियमितता नहीं पायी गयी । दिनांक 14-1-92 का पत्र, श्री गिरि, तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियन्ता द्वारा सींचपालों में से सींच पर्यवेक्षकों हेतु किये गये चयन को प्रमुख अभियन्ता (जांच) के आदेशों के उपरान्त भी निरस्त न करने से सम्बन्धित है । उक्त के सम्बन्ध में कुछ तथ्यों से अवगत कराते हुये मुख्य अभियन्ता द्वारा प्रमुख अभियन्ता से मार्गदर्शन पुनः आदेश मांगे गये हैं । दिनांक 16-1-92 का पत्र फसल 1393 व 1394 खरीफ व रबी में कुछ कर्मियों द्वारा की गयी अनियमितताओं की जांच से सम्बन्धित है, जिसकी जांच प्रचलित है ।

शिकायती-पत्र दिनांक 29-9-91 तथा 19-12-91 उपलब्ध नहीं हो पाए । मा० प्रश्नकर्ता सदस्य किस शासनादेश तथा कौन से अभिलेखों में पायी गयी अनियमितताओं पर जानकारी चाहते हैं, स्पष्ट नहीं है । अतः शासनादेश एवं अभिलेखों का संदर्भ उपलब्ध होने पर ही सूचना देना सम्भव हो पाएगा ।

170—श्री महेन्द्र जैन—

क्या सिचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के चौथे गुरू के अता० प्रश्न सं०-50 के उत्तर में वर्णित अनियमितताओं पर विभागीय कार्यवाही में अधिशासी अभियन्ता गंगा नहर मु० नगर द्वारा सींच पर्यवेक्षक पद के चयन में जांच परिणाम के अनुकूल स्वर्गीय जगदीश प्रसाद के सींच पर्यवेक्षक पद के पेंशन प्रकरण का निस्तारण न होने एवं जांच परिणाम के प्रतिकूल जांच आदेश संख्या-5272, दिनांक 14-10-91 में उक्त चयन को वैध मानकर जिन्स परिवर्तन के प्रकरण का निस्तारण करने अर्थात् दोहरा मापदण्ड अपनाने का क्या कारण है ? यदि अधिशासी अभियन्ता के उक्त आदेशानुसार सींच पर्यवेक्षक के पद का चयन वैध मानना है, तो क्या अभिलेखों में की गयी उच्च स्तरीय जांच आख्या उपरोक्त प्रश्न के उत्तर के माध्यम से सदन को दी गयी सूचना एवं शासन द्वारा प्रमुख अभियन्ता को दिए आदेश असत्य है ? यदि नहीं, तो अधिशासी अभियन्ता की उपरोक्त अन्याय पूर्ण कार्यवाही पर शासन द्वारा क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

विधान सभा के तृतीय सत्र 1990 के 4थे गुरुवार का अतारांकित प्रश्न संख्या-50 तत्कालीन प्रभारी सहायक अभियन्ता (न कि अधिशासी अभियन्ता) मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की अधीक्षण अभियंता प्रथम मंडल, सिंचाई कार्य मेरठ एवं प्राविधिक परीक्षक द्वारा की गई जांच में पाये गये दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के संबंध में था ।

स्व० श्री जगदीश प्रसाद सींच पर्यवेक्षक के पेंशन प्रकरण एवं आदेश संख्या-5272, दि० 14-10-91 में कोई सम्बन्ध नहीं है । क्योंकि श्री जगदीश प्रसाद उक्त आदेश से प्रभावित नहीं है, अतः दोहरा मापदण्ड अपनाने का प्रश्न नहीं उठता ।

सींच पर्यवेक्षक के पद हेतु चयन पर कार्यवाही अधिशासी स्तर पर लम्बित है । अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

171—श्री महेन्द्र जैन—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर में खरीफ 1390 फसली में माइनर दुधलो के कुलाबा नं० 7, 8, 9 पर भरपुर आबपासी तथा माइनर की टेल पसाल के बावजूद आदेश सं०-4758, दिनांक 9-8-85 एवं 5827 दिनांक 17-10-85 द्वारा तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता ने उक्त कुलाबों पर पानी न पहुंचने का कारण दर्शा कर लगभग 25 हजार रुपये की 14 अदद तवानी फसलें निरस्त की है ? यदि फसल निरस्ती का यह कारण सही है तो माइनर की टेल फसल एवं इन कुलाबों पर लिखी गई आबपासी फर्जी है ? इस पर कोई कार्यवाही न होने से यह भी सिद्ध है कि सरकार को धोखा देने के लिए फर्जी फसल व फर्जी आबपासी लिखकर कृषकों का शोषण किया गया है ? क्या पानी न पहुंचने के बावजूद लिखी गई फर्जी आबपासी माफ कर उत्तरदायी कर्मचारियों एवं अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही होगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

कथित कुलावों पर पानी न पहुंचने के कारण तावानी मिसले (न कि फसलें) निरस्त नहीं की गई हैं।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है

प्रश्न नहीं उठता है।

172–श्री महेन्द्र जैन–

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मु० नगर खण्ड गंगा नहर के कार्यों की सितम्बर, 1988 में अभिलेखों से की गयी जांच में पायी गई अनियमितताओं पर प्रमुख अभियन्ता के पत्र सं०-1036, दिनांक 21-2-90 द्वारा विभागीय कार्यवाही के आदेश दिए गए ? आदेशों में सींच पर्यवेक्षक पद का चुनाव निरस्त किया गया है जिसके कारण स्वर्गीय श्री जगदीश प्रसाद का पेंशन प्रकरण डेढ़ वर्ष से लम्बित हुआ है ? यदि हां, तो जिन्स परिवर्तन से राजस्व हानि के आरोपों में लिप्त सुशील कुमार का सींच पर्यवेक्षक पद का चुनाव निरस्त होते हुए भी अधीक्षण अभियन्ता, गंगा नहर, मु० नगर के आदेश सं०-5272, दिनांक 14-10-91 प्रमुख अभियन्ता के निरस्ती आदेशों की अनदेखी करके तथा दोहरा मापदण्ड अपनाकर राजस्व हानि के प्रकरण का निस्तारण सींच पर्यवेक्षक मानकर किए जाने अर्थात सींचपाल होते हुए भी सींचपाल पद पर रहकर की गयी राजस्व हानि की सजा का लोप किए जाने का क्या कारण है? दोषियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां।

इन आदेशों में चयन की कार्यवाही करने के आदेश दिये गये थे।

स्व० जगदीश प्रसाद सींच पर्यवेक्षक का पेंशन प्रकरण अधिशासी अभियन्ता द्वारा मुख्य लेखाधिकारी, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग को भेजा जा चुका है।

मुजफ्फरनगर खण्ड गंगा नहर मु० नगर के अन्तर्गत चौकी बन्दरजुहडा पर खरीफ एवं रबी में सींच अंकन में सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध हेरा फेरी करने की एक शिकायत प्राप्त हुई थी, जिस पर जांचोपरान्त तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता द्वारा इस प्रकरण में लिप्तायमान तीन कर्मचारियों को लम्बित कर दिया गया था। आदेश संख्या-5272, 14-10-91 द्वारा श्री सुशील कुमार सींच पर्यवेक्षक (निलम्बित) को निलम्बन से मुक्त करते हुए सींच पर्यवेक्षक पद से तत्कालिक प्रभाव से सींच पाल के पद पर प्रत्यावर्तित कर दिया गया है। श्री सुशील कुमार के उक्त प्रकरण पर निर्णय लेते समय वे सींच पर्यवेक्षक थे। अतः शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि०, देवरिया में अनियमित नियुक्तियां

173–श्री दुर्गा प्रसाद मिश्र–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 89 एवं 90 में उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि० देवरिया में किन-किन श्रेणी में कितनी नियुक्तियां की गयी हैं ? क्या यह सत्य है

कि उनमें से कुछ लोगों की सेवा समाप्त कर दी गयी हैं ? यदि हां, तो क्यों ? इन्हें वापस कब तक सेवा में ले लिया जायेगा ?

श्री हनुमन्त सिंह–

उत्तर प्रदेश (पूर्व) गन्ना बीज एवं विकास निगम लि०, देवरिया में वर्ष 1989 में समूह "ग" में दो एवं समूह "ख" में एक नियुक्ति की गयी थी । वर्ष 1990 में कोई नियुक्ति नहीं की गयी है ।

जी हां । विषयगत नियुक्तियां अनियमितता के आधार पर समाप्त की गयी थीं । अतः अनियमित रूप से नियुक्त व्यक्तियों को पुनः सेवा में लिए जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधान सभा में कार्यरत ट्यूबवेलों की नालियों को बनवाने की मांग

174–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में इस समय कार्यरत ट्यूबवेलों में से कितने एवं किस-किस गांव के ट्यूबवेल नाली न होने के कारण अपनी क्षमता के अनुरूप सिंचाई नहीं कर पा रहे हैं ? क्या शासन इन ट्यूबवेलों की नाली तुरन्त बनाने के आदेश देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत नलकूपों में से निम्नलिखित 7 नलकूपों पर पक्की गूल/पी० वी० सी० पाइप लाइन पूर्ण न होने के कारण क्षमता के अनुरूप सिंचाई नहीं हो पा रही है :–

क्रमांक	नलकूप सं०/समूह	ग्राम
1	13 एन जी	सीतारामपुर
2	21 ,,	बरगदवा
3	26 ,,	सिरवत
4	27 ,,	शाही
5	24 ,,	करहना
6	28 ,,	जोगीवारी
7	110 ,,	सिरसिया

जनपद योजना में धन की उपलब्धता के अनुसार गूल व पाईप लाईन निर्माण की कार्यवाही की जा रही है ।

जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र के गांवों के विद्युतीकरण की मांग

175–श्री शिव लाल मित्तल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सिद्धार्थनगर के शोहरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1989 से अब तक कुल कितने गांवों का तथा किन-किन गांवों का विद्युतीकरण कराया गया है ? क्या यह सही है कि अन्य क्षेत्रों की तुलना में उक्त क्षेत्र में कम गांवों का विद्युतीकरण हुआ है ? यदि

हां, तो क्यों ? क्या उक्त क्षेत्र में अधिक से अधिक गांवों का विद्युतीकरण कराया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री जटा शंकर तिवारी, ग्राम बरुई, ब्लाक भदैया, जिला सुल्तानपुर का व्यक्तिगत नलकूप कनेक्शन

176–श्री नरेश अग्रवाल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत ब्लाक भदैया के ग्राम बरुई के निवासी श्री जटा शंकर तिवारी व्यक्तिगत नलकूप के लिए प्राप्त बिजली कनेक्शन से विद्युत अधिनियम के नियमों का उल्लंघन करके अपने आवासीय घर के अन्दर लाइन लेकर, हीटर, टेलीविजन, पंखा, जनरेटर आदि चलाकर विद्युत की चोरी कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्या शासन जब से इनका नलकूप लगा है तब से आज तक लाईट हेतु बिल की वसूली करके इनके विरुद्ध शासन के राजस्व हित में वैधानिक कार्यवाही करके दण्डित करेंगे ? क्या नलकूप का कनेक्शन आवासीय घर से काट कर केवल नलकूप घर में ही करायेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद महराजगंज, तहसील फरेन्दा के ग्राम रतनपुर खुर्द में विद्युत तारों के स्पर्श से मृत श्रीमती शीला के परिवार को क्षतिपूर्ति दिये जाने की मांग

177–श्री अकबर–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अगस्त, 91 में बुद्धू हरिजन की ग्राम रतनपुर खुर्द, तहसील फरेंदा, जनपद महराजगंज में हुई मृत्यु का कारण आवासीय मकानों से होकर विद्युत तार (ग्यारह हजार वोल्ट) गुजरना है ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि विद्युत के स्पर्श से उसकी मृत्यु हो गयी है ? यदि हां, तो क्या आवासीय मकानों के ऊपर से गुजर रहे इस खतरनाक तार को हटाया जायेगा ? क्या अब तक मृत लड़की के परिवार को क्षतिपूर्ति की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं । श्री बुद्धू हरिजन की मृत्यु न होकर उनकी विवाहिता पुत्री श्रीमती शीला की विद्युत स्पर्शाघात से दिनांक 8-8-91 को मृत्यु हो गयी थी । यह दुर्घटना श्री बुद्धू के भाई श्री हरी राम द्वारा परिषद् की 11 के०वी० लाइन के नीचे अनधिकृत रूप से भारतीय विद्युत नियमावली, 1956 के नियम-82 के उल्लंघन में भवन निर्माण का कार्य करने के कारण घटित हुई थी । अतः उक्त भवन की लाइन में आवश्यक परिवर्तन कराने तथा मृतक की क्षतिपूर्ति करने हेतु श्री हरी राम को सूचित किया जा चुका है। मृतक के परिवार को क्षतिपूर्ति हेतु विद्युत परिषद् उत्तरदायी नहीं है ।

जनपद हरदोई विकास खण्ड भरावन के अतरौली में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण

178—श्री रामपाल वर्मा—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के वि० ख० भरावन के अन्तर्गत अतरौली में विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण कराया जाना काफी समय से प्रस्तावित है ? यदि हां, तो अब तक उपकेन्द्र का निर्माण न कराये जाने का औचित्य क्या है ? क्या जनहित को ध्यान में रखकर शीघ्र उप केन्द्र का निर्माण कराने की व्यवस्था करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

जी हां ।

संसाधनों की कमी के कारण प्रश्नगत कार्य नहीं किया जा सका है ।

सिंचाई विभाग के तृतीय श्रेणी कर्मचारियों में आरक्षण कोटा पूरा करने की मांग

179—श्री गया चरन दिनकर—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सिंचाई विभाग में कार्यरत तृतीय श्रेणी कर्मचारियों में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति का तथा वरिष्ठ लिपिक पद पर कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या प्रमुख अभियन्ता द्वारा कनिष्ठ लिपिकों को दिनांक 1-9-83 से वरिष्ठ लिपिक का पद नाम एवं वेतनमान दिये जाने के बाद पुनः 12/88 में 23-12-88 से वरिष्ठ लिपिकों को कनिष्ठ लिपिक पद पर प्रत्यावर्तित करते समय अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कर्मचारियों के कोटे का ध्यान रखा गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विद्युत परिषद् मुख्यालय लखनऊ में श्रेणी एक में आरक्षित कोटा पूर्ण किये जाने की मांग

180—श्री गया चरन दिनकर—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषद् मुख्यालय में कितने अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव व अनुसचिव के पद स्वीकृत हैं ? उन पदों पर कितने अधिकारी कार्यरत हैं ? इनमें से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कितने अधिकारी हैं और क्या 18 प्रतिशत एवं 2 प्रतिशत का कोटा पूर्ण है ? यदि नहीं तो कोटा के अनुसार कम से कम अधिकारी परिषद् मुख्यालय पर कब तक तैनात कर दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

परिषद् मुख्यालय में अपर सचिव, संयुक्त सचिव, उप सचिव तथा अनुसचिव के स्वीकृत पदों, कार्यरत अधिकारियों तथा अनुसूचित जाति के अधिकारियों की स्थिति निम्नवत् है :—

पद	स्वीकृत संख्या	कार्यरत अधिकारियों की संख्या	
		सामान्य श्रेणी	अनुसूचित जाति/जनजाति
अपर सचिव	3	3	—
संयुक्त सचिव	12	11	—
उप सचिव	17	18	1
अनु सचिव	15	12	3

आरक्षित कोटा परिषद् मुख्यालय संवर्ग हेतु स्वीकृत पदों में पूर्ण है । अभियंत्रण संवर्ग हेतु स्वीकृत पदों के कोटे की गणना उनके मूल संवर्ग, मुख्य अभियन्ता (श्रेणी-II), अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता में की जाती है ।

अधिशासी अभियन्ता, खण्ड गंगा नहर, मुजफ्फरनगर के विरुद्ध श्री नरेश कुमार शर्मा के शिकायती-पत्र पर कार्यवाही

181—श्री महेन्द्र जैन तथा श्री चरन सिंह—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि मुजफ्फरपुर खण्ड गंगा नहर मुजफ्फरनगर के अधिशासी अभियन्ता के अवैध कार्यों के संबंध में नरेश कुमार शर्मा, सम्पादकगण संग्राम संदेश मु० नगर के शिकायती-पत्र संख्या-406, दिनांक 30-8-91, व पत्र दिनांक 9-12-91 पत्र संख्या-2 दिनांक 17-12-91 प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो इनकी जांच किससे कराई गयी ? जांच के क्या परिणाम निकले ? यदि नहीं ? तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह—

जी हां ।

प्रश्नगत प्रकरण की जांच अधीक्षण अभियंता, सिंचाई कार्य मण्डल-प्रथम, मेरठ द्वारा की जा रही है ।

जांच आख्या अभी प्राप्त नहीं हुई है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रधान प्रबन्धक, बागपत कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, बागपत, जिला मेरठ के विरुद्ध चीनी मिल मजदूर संगठन बागपत के शिकायती-पत्र पर जांच

182—श्री चरन सिंह—

क्या गन्ना विकास मंत्री को जानकारी है कि चीनी मिल मजदूर संगठन बागपत (मेरठ) का पत्र दिनांक 17-12-1991 जो प्रधान प्रबन्धक, बागपत कोआपरेटिव शुगर मिल्स लि०, बागपत, मेरठ के भ्रष्टाचार एवं मजदूर विरोधी कार्यवाही के संबंध में है, उन्हें मिला है ? यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है तथा क्या सरकार दोषी प्रधान प्रबन्धक को तुरन्त निलम्बित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह—

जी हां ।

जांच की जा रही है ।

जांचोपरान्त आवश्यक कार्यवाही की जायगी ।

उद्यान एवं प्रसंस्करण विभाग पर्वतीय क्षेत्र रानीखेत को 1985—86 में सूखा राहत कार्यक्रम में दी गयी धनराशि में भ्रष्टाचार के जांच की मांग

183—श्री अवध पाल सिंह—

क्या उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग पर्वतीय क्षेत्र रानीखेत को 1985-86 में सूखा राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत लगभग दो करोड़ रुपये का आवंटन सरकार द्वारा किया गया था ? क्या इसके तहत विभाग के कतिपय अधिकारियों के सहयोग से गम्भीर आर्थिक घोटाले और उसकी जांच शासन द्वारा सतर्कता विभाग से कराई गई ? यदि हां ? तो क्या सतर्कता विभाग द्वारा गत जुलाई, 1991 में अपनी रिपोर्ट अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करने हेतु शासन में प्रस्तुत की थी ? अब तक उस पर कार्यवाही न करने का क्या कारण है ? क्या सरकार उक्त दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों को दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह—

जी नहीं । वर्ष 1985-86 में शासन द्वारा केवल एक करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश के पर्वतीय क्षेत्र में सूखा-राहत कार्यक्रम के अन्तर्गत आबंटित किया गया था ।

जी हां ।

सतर्कता विभाग द्वारा दिनांक 23 सितम्बर, 1991 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ।

जांच रिपोर्ट का परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षणोपरान्त दोषी पाये गये अधिकरियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

शेष का प्रश्न नहीं उठता।

डायमण्ड कारपोरेशन द्वारा कृषि विभाग, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल से प्राप्त भूमि का दुरुपयोग

184–श्री बंशीधर भगत––

क्या कृषि मंत्री कृपया बतायेंगे कि सम्भागीय कृषि परीक्षण एवं बीज उत्पादन इकाई, हल्द्वानी की कितनी भूमि, जिस पर डायमन्ड कारपोरेशन को डायमन्ड उद्योग, हल्द्वानी को विकसित करने के लिये बेची गई थी ? क्या शासन को यह जानकारी है कि उक्त भूमि अब डायमण्ड कारपोरेशन द्वारा प्लाट बनाकर बेची जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त कारपोरेशन को कृषि विभाग की भूमि पुनः देने का प्रस्ताव है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निगम की बन्दी के कारण कृषि विभाग की भूमि पुनः निगम को दिया जाना स्थगित करेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह––

डायमण्ड कारपोरेशन को डायमण्ड उद्योग हल्द्वानी को विकसित करने के लिये 11 एकड़ भूमि, भूमि के बाजार मूल्य का दो गुना कुल 22.00 लाख रुपया तथा पेड़ों व भूसा गोदाम का मुआवजा रुपया 2,30,819 एवं इसके अतिरिक्त भूमि की मालगुजारी का 40 गुना पूंजीगत मूल्य के रूप में जमा कराकर विक्रय की गई है।

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर द्वारा कतिपय कृषि बीज भण्डारों पर अवैधानिक तालाबन्दी

185–श्री ऊदल––

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला कृषि अधिकारी गाजीपुर ने सैदपुर तथा अन्य तीन कृषि बीज भण्डारों पर जनवरी, 91 से ही ताला लगा दिया था, जिससे किसानों को उर्वरक नहीं मिल सका ? यदि हां, तो क्या बफर गोदाम, गाजीपुर में भी अवैधानिक तरीके से तालाबन्दी कर दी गयी थी ? यदि हां, तो क्यों ? क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता ने कृषि मंत्री से मिलकर उनको ता० 5-2-92 को एक पत्र दिया था, जिस पर मंत्री जी ने जांच का आदेश दिया था ? यदि हां, तो पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? जांच किसके द्वारा कराई गयी ?

श्री गंगा भक्त सिंह––

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां।

जी हां।

जांच के आदेश दिये गये।

जांच संयुक्त कृषि निदेशक (प्रसार) वाराणसी मंडल, वाराणसी द्वारा कराई गई।

जिला कृषि अधिकारी गाजीपुर द्वारा टिसौरा कृषि फार्म के गेहूं की नीलामी

186–श्री ऊदल–

क्या कृषि मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि टिसौरा कृषि फार्म, जिला गाजीपुर का फार्म से पैदा किया हुआ 54 क्विंटल गेहूं, जो अखाद्य घोषित कर दिया गया था उसको नीलाम करना था ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि जिला कृषि अधिकारी, गाजीपुर ने, संयुक्त निदेशक, कृषि मंडल, वाराणसी से बिना स्वीकृति प्राप्त किए ही उक्त 54 क्विंटल गेहूं बेच दिया और रूपया भी जमा नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या पिछली तारीखों में नीलामी की स्वीकृति कराने हेतु संयुक्त, कृषि निदेशक वाराणसी के यहां अब प्रस्ताव किया गया है ? क्या एफ० एम० ओ०, वाराणसी ने इस संबंध में जांच करके अपनी रिपोर्ट संयुक्त निदेशक, कृषि वाराणसी को दे दी है ? यदि हां, तो संयुक्त निदेशक ने जिला कृषि अधिकारी के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं । टिसौरा फार्म पर उत्पादित गेहूं अखाद्य घोषित न कर 71.20 कु० गेहूं की अंकुरण क्षमता मानक से कम होने के कारण बीज प्रमाणीकरण संस्था द्वारा अयोग्य घोषित किया गया ।

जी नहीं । सं० कृ० नि० (प्रसार), वाराणसी की स्वीकृति से ही नीलामी की गई तथा धन कोषागार में जमा किया गया ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद सुल्तानपुर के लम्भुआ के सब-पावर स्टेशन की क्षतिपूर्ति के लिये फर्जी भुगतान की शिकायत

187–श्री राजपाल त्यागी–

क्या ऊर्जा मंत्री को ज्ञात है कि ब्लाक लम्भुआ, सुल्तानपुर में निर्मित 33 के० बी० सब-पावर हाउस किस सन् में आरम्भ हुआ ? इसका निर्माण किस नम्बर की भूमि में किया गया ? क्या भूमि की अधिग्रहण क्षति पूर्ति में निर्माण के पूर्व किसी को विभाग से धन दिया गया ? यदि हां, तो कितना ? क्या शासन की जानकारी में यह तथ्य आया है कि लम्भुआ सब पावर स्टेशन की क्षतिपूर्ति के लिए विभागीय अधिकारियों ने एक असत्य फर्जी पत्रावली तैयार करके 17 लाख 39 हजार 750 रुपया का भुगतान किये जाने की कार्यवाही की है, जिसकी जानकारी होने पर जिला अधिकारी ने भुगतान पर रोक लगायी और उक्त फर्जी भुगतान अभी रुका है ? यदि हां, तो इस विभाग का कौन अधिकारी उक्त भ्रष्टाचार में दोषी था ? क्या उसे दंडित करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

विधान सभा

संयुक्त निदेशक (उद्यान) द्वारा पूर्व में की गयी अनियमितताओं के सम्बंध में कार्यवाही

188–श्री राम औतार शाक्य–

क्या कृषि एवं उद्यान मंत्री कृपया बतायेंगे कि संयुक्त निदेशक (उद्यान) द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजर, देहरादून के पद पर तैनाती के कार्यकाल में कतिपय पदों पर किसी चयन प्रक्रिया एवं निर्धारित शैक्षिक अर्हता तथा मापदण्ड को अपनाये बिना अनियमित रूप से नियुक्तियां की गयी थीं ? यदि हां, तो क्या इस अनियमितता के लिए दोषी अधिकारी के विरुद्ध सरकार द्वारा कोई कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इस अनियमितता के लिए दोषी उक्त अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए उन्हें उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

सम्बन्धित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है । जांच का परिणाम प्राप्त होने पर नियमानुसार यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

शेष का प्रश्न नहीं उठता ।

श्री के० के० सिंह, सहायक लेखाकार, उद्यान विभाग द्वारा स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना के विरुद्ध कार्यवाही

189–श्री राम औतार शाक्य–

क्या कृषि एवं उद्यान मंत्री कृपया बतायेंगे कि उद्यान निदेशालय, लखनऊ में कार्यरत श्री के० के० सिंह, सहायक लेखाकार का स्थानान्तरण, स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत आदेश संख्या–उ० ले०–112/नि० शि०/दिनांक 14-6-90 द्वारा प्रधानाचार्य, खाद्य विज्ञान प्रशिक्षण केन्द्र, मुरादाबाद किया गया था ? यदि हां, तो क्या स्थानान्तरण आदेश की अवहेलना एवं अनुशासनहीनता बरतने के कारण श्री सिंह को आदेश संख्या–डी० एच०–8-13/स्था०–3/दिनांक 1-4-91 द्वारा निलम्बित किया गया था ? यदि हां, तो क्या समस्त आरोप जांच में सिद्ध पाते हुए भी निदेशक, उद्यान ने आदेश संख्या–उ० ले०–613/एस० टी०/दिनांक 22-10-91 द्वारा बिना किसी दण्ड के उन्हें सेवा में बहाल करते हुए आलू विकास अधिकारी, लखनऊ के अधीन पुनः तैनात कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अनियमित आदेश दिनांक 22-10-91 को निरस्त करते हुए दोषी अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां ।

जी नहीं, केवल एक आरोप ही सिद्ध पाया गया । शेष पूर्ण रूप से सिद्ध नहीं हो सके । अतः गुण दोष के आधार पर विचारोपरान्त कठोर चेतावनी देते हुए निदेशक द्वारा सेवा में बहाली की कार्यवाही की गई ।

प्रश्न नहीं उठता ।

संयुक्त निदेशक, उद्यान निदेशालय के विरुद्ध बन्द कक्ष का ताला तोड़ने की शिकायत

190–श्री राम औतार शाक्य–

क्या कृषि एवं उद्यान मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त निदेशक (उद्यान) की पदोन्नति अपर निदेशक उद्यान के पद पर कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार पदोन्नति विषयक शासनादेश सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो किस नियम एवं अधिकार के अन्तर्गत दिनांक 27-9-91 को अपर निदेशक (उद्यान) के बन्द कक्ष का ताला अनधिकृत रूप से तोड़कर कक्ष में प्रवेश करके उसका उपभोग करना प्रारम्भ कर दिया है ? क्या उक्त समस्त कार्यकलाप शासन की नीति/आचार संहिता के विरुद्ध पाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उक्त भ्रष्टाचार/अनुशासनहीनता/नियम विरुद्ध कार्य करने हेतु उक्त अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करते हुए उन्हें उनके मूल पद पर प्रत्यावर्तित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता

अपर निदेशक का पद रिक्त होने के कारण उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय के प्रश्नगत कक्ष का आवंटन निदेशक द्वारा संयुक्त निदेशक (उद्यान) को किया गया । अतः प्रश्नगत कक्ष का ताला अनधिकृत रूप से तोड़े जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उद्यान विभाग के मौन विशेषज्ञ (निलम्बित) श्री पी० सी० सिंह द्वारा श्री रामगुलाम अनुभाग अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार की शिकायत

191–श्री राम औतार शाक्य–

क्या कृषि एवं उद्यान मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्री पी० सी० सिंह मौन विशेषज्ञ (निलम्बित) ने दिनांक 21-9-91 को अपराह्न 4.10 पर अनधिकृत रूप से उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग–1 में प्रवेश करके तत्कालीन अनुभाग अधिकारी श्री राम गुलाम के साथ अभद्र व्यवहार करते हुए असंसदीय भाषा का प्रयोग करके उन्हे जान से मार देने की धमकी दी थी, जिसकी रिपोर्ट अनुभाग अधिकारी ने पत्र संख्या–यू० ओ०–116/58-1-91, दिनांक 21-9-91 द्वारा सचिव, (उद्यान सचिव), (सचिवालय प्रशासन), संयुक्त सचिव, उद्यान को प्रेषित की थी ? यदि हां, तो श्री पी० सी० सिंह के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी ? यदि कोई कार्यवाही नहीं की गयी तो क्या सरकार अब उक्त अनुशासनहीनता के लिए दोषी उक्त अधिकारी को उसके मूल पद पर प्रत्यावर्तित करेगी ? अब तक कार्यवाही न करने हेतु दोषी अधिकारी के विरुद्ध क्या सरकार कठोर कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री गंगा भक्त सिंह–

जी हां, शिकायत की जांच करायी जा रही है । जांच आख्या प्राप्त होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी ।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम खाई खेड़ी के गन्ना क्रय केन्द्र को चालू करने की मांग

192–डा० जी० एस० विनोद–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र के ग्राम खाई खेड़ी, जिला मुजफ्फरनगर में स्थापित गन्ना क्रय केन्द्र आज तक क्यों नहीं चलाया गया है ? क्या क्षेत्र के किसानों की परेशानी को देखते हुए शीघ्र उक्त केन्द्र चलाया जायेगा ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

मोरना चीनी मिल के क्रय केन्द्र खाई खेड़ी पर उपलब्ध गन्ने की खरीद समीपवर्ती क्रय केन्द्रों पर की जा रही है तथा 0.38 लाख कुन्टल गन्ने में से अब तक 0.23 लाख कुन्टल गन्ना क्रय किया जा चुका है।

मोरना चीनी मिल को खाई खेड़ी पृथक क्रय केन्द्र के रूप में यथा शीघ्र स्थापित करके गन्ने की खरीद के आदेश दिये गये हैं।

शेष का प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम जयभगवानपुर आदि में खम्भे लगे होने के बावजूद बिजली आपूर्ति न किया जाना

193–डा० जी० एस० विनोद–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र 409-चरथावल के ग्राम जयभगवानपुर ग्राम-कासमपुर, ग्राम भोजाहेड़ी और ग्राम नूरनगर, जनपद-मुजफ्फरनगर में गत 6 वर्षों से बिजली के खम्भे खड़े हैं ? क्या यह सत्य है कि जिला अधिकारियों को चार बार मिल कर प्रश्नकर्ता ने लिखित रूप में उपरोक्त ग्रामों में खम्भों पर तार खिंचवाकर बिजली की व्यवस्था हेतु पत्र दिया है ? क्या वहां पर बिजली की व्यवस्था की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

जी हां।

संसाधनों की कमी के कारण प्रश्नगत ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य पूरा नहीं किया जा सका है जिसे धन और सामग्री उपलब्ध होने पर कराया जा सकता है।

194–श्री भागवत पाल—

[8वें गुरु में अता० प्र० सं० 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद सीतापुर की ग्राम सभा सरैया कलां में बकवा नाले पर पुलिया निर्माण की मांग

195–श्री राम सरन—

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा सरैया कलां, जनपद सीतापुर में साइफन (बकवा) पर एक भी पुलिया न होने के कारण बरसात में अन्य ग्रामों व बाजारों से, ग्रामीणों का आने-जाने का सम्पर्क खत्म हो जाता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों के साइफन (बकवा) पुलिया का निर्माण कार्य जनहित में करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम् प्रकाश सिंह--

साइफन पर कोई पुल नहीं बनाया जाता है । यदि प्रश्नकर्ता का बकवा साइफन से तात्पर्य बकवा नाले से है तो बकवा नाला ग्राम सरैया कलां से लगभग 3 कि० मी० की दूरी पर स्थित है तथा बकवा नाले पर ग्राम सरैयाकलां के सामने की ओर 2 पुल निर्मित हैं ।

सिंचाई विभाग द्वारा ग्राम सरैयाकलां के बीच से लश्कर पर ड्रेन का निर्माण किया गया है जो बकवा नाले में मिलती है जिस पर 2 पुलिया निर्मित है ।

उपरोक्त विवरण के परिपेक्ष्य में प्रश्न नहीं उठता ।

सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियन्ता (बाढ़) श्री आफाक अहमद द्वारा मशीनों की मरम्मत का फर्जी बिल भुगतान

196--श्री कृष्ण किंकर सिंह तथा श्री लक्ष्मेश्वर सिंह---

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1985-86 में अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड श्री आफाक अहमद द्वारा लखनऊ में बाढ़ की रोकथाम के लिये मशीनों की खरीद आदि में कितना रुपया व्यय किया गया था ? क्या सरकार को ज्ञात है कि जिन मशीनों को 1985 में खरीदा गया था उन्हीं मशीनों की मरम्मत में लगभग एक लाख रुपये का भुगतान बिल उसी वर्ष अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रस्तुत किया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त फर्जी भुगतान बिल को प्रस्तुत करने वाले अभियन्ता की जांच कराकर उन्हें दण्डित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

प्राप्त सूचनानुसार बाढ़ खण्ड में श्री आफाक अहमद नाम का कोई अधिशासी अभियन्ता न तो वर्ष 1985-86 में कार्यरत था और न ही अब सिंचाई विभाग में कार्यरत है । अतः उक्त अधिशासी अभियन्ता द्वारा मशीनों की खरीद आदि में रुपये व्यय किये जाने का प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विधान सभा क्षेत्र पुरवा, जनपद उन्नाव में सिंचाई सुविधा बढ़ाने हेतु योजना

197--श्री हृदय नारायण दीक्षित--

क्या सिंचाई मंत्री बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता के क्षेत्र पुरवा, उन्नाव का कितना क्षेत्र सिंचाई खण्ड उन्नाव, नहर प्रणाली व कितना क्षेत्र शारदा नहर प्रणाली के कमाण्ड एरिया में आता है ? क्या यह सत्य है कि इन दोनों खण्डों के कमाण्ड में आने वाला कुछ क्षेत्रफल ऐसा है जहां 5 या 10 साल से पानी बिल्कुल नहीं पहुंचा है ? यदि हां, तो कितना ऐसा क्षेत्र है जहां रजबहों, माइनरों के टेल तक पानी कम पहुंचने से सिंचाई नहीं हो पाती है ? उक्त नहर कमांड में आने वाले सिंचाई सुविधा से वंचित इस क्षेत्र को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की सरकार की कार्य योजना क्या है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह--

विधान सभा क्षेत्र "पुरवा", उन्नाव के अन्तर्गत सिंचाई खण्ड, उन्नाव व उन्नाव खण्ड शारदा नहर उन्नाव में पड़ने वाला कुल कमाण्ड क्षेत्र क्रमशः 19,485 हेक्टेयर व 13,248 हेक्टेयर है ।

जी हां । सिंचाई खण्ड उन्नाव में कुछ क्षेत्र ऐसा है । किन्तु उन्नाव खण्ड शारदा नहर में ऐसी समस्या नहीं है ।

सिंचाई खण्ड उन्नाव में असिंचित क्षेत्र की स्थिति निम्नवत् है :–

(हिक्टेयर में)

5 वर्ष की अवधि		10 वर्ष की अवधि	
खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
796	428	683	323

उन्नाव खण्ड, शारदा नहर में ऐसी समस्या नहीं है ।

सिंचाई खण्ड उन्नाव में कम पानी पहुंचने से प्रभावित क्षेत्र की स्थिति निम्नवत् है :–

5 वर्ष की अवधि		10 वर्ष की अवधि	
खरीफ	रबी	खरीफ	रबी
1215	802	1057	656

उन्नाव खण्ड, शारदा नहर में ऐसी समस्या नहीं है ।

कोई योजना प्रस्तावित नहीं है ।

जनपद खीरी की ग्राम सभा बरसोला कलां में कौड़ियाला नदी से कटी भूमि विषयक पत्र पर कार्यवाही

198–श्री निर्वेन्द्र कुमार–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं०-344/90, दिनांक 26-9-90 को ग्राम सभा बरसोला कलां, जनपद खीरी के श्री राम गोपाल आदि की भूमि कौड़ियाला नदी द्वारा कटान होने विषयक जिलाधिकारी लखीमपुर खीरी को प्राप्त कराया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

उक्त पत्र में श्री राम गोपाल आदि ने ग्राम सभा बरसोला कलां एवं रामनगर , संकल्पा, परगना खैरागढ़ में बाढ़ के समय नदी से कटे हुए नम्बरानों का विवरण मांगा था जो प्रार्थी को ग्रामवार सूची लेखपाल द्वारा व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करा दी गयी है ।

लखनऊ में ठाकुरगंज के निकट नगरिया/बर्फखाना में उपभोक्ताओं को विद्युत सप्लाई की मांग

199–श्री सुन्दर लाल–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि "राधा ग्राम योजना" के निकट नगरिया/बर्फखाना, ठाकुरगंज, लखनऊ में विद्युत लाइन बिछाये जाने हेतु अधोहस्क्षारकर्ता का पत्र दि० 7-12-91 संलग्नकों सहित उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या इस विद्युत लाइन हेतु "लेसू" द्वारा 3 पोल का कोई इस्टीमेट बनाया गया था ? यदि हां, तो संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा दिनांक 12-8-91 को कुल रु० 10,598.00 इस मद

में जमा करने के बावजूद आज तक उक्त विद्युत लाइन न बिछाये जाने का क्या कारण है ? शासन द्वारा संबंधित लाइन न बिछाने के लिए दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ? उक्त लाइन कब तक वहां बिछा दी जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

जी हां ।

संबंधित उपभोक्ताओं द्वारा दिनांक 12-8-91 को जमा की गयी धनराशि रु० 10,598.00 के अन्तर्गत तीन पोल की एल० टी० लाइन का निर्माण कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्नगत कार्य सम्पन्न कराया जा चुका है । एल० टी० लाइन का निर्माण कार्य पूरा करके लाइन चालू की जा चुकी है ।

जनपद मऊ के विद्युत वितरण खण्ड मऊनाथ भंजन में अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण

200–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत वितरण खण्ड, मऊ नाथ भंजन, जनपद मऊ में कितने अवर अभियन्ता किन परिस्थितियों में 10 वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं ? क्या इन अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण विशेष परिस्थिति में रोका गया है ? यदि हां, तो इसे रोकने का क्या कारण रहा है ? क्या मंत्री जी अवर अभियन्ताओं का स्थानान्तरण अब करने की आज्ञा देंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जनपद मऊ के विद्युत वितरण खण्ड, प्रथम में पांच अवर अभियन्ता ऐसे हैं जो दस वर्ष से अधिक समय से कार्यरत हैं । विद्युत वितरण खण्ड-द्वितीय में कोई भी अवर अभियन्ता दस वर्ष से अधिक समय से कार्यरत नहीं है ।

विद्युत विभाग में वर्ष 1991-92 में परिषद् हित को दृष्टिगत रखते हुए कम से कम स्थानान्तरण शासनादेशों की अनुरूपता में किये गये हैं । अतः इन पांच अवर अभियन्ताओं को परिषद् कार्य हित में स्थानान्तरित करने की आवश्यकता नहीं पड़ी ।

स्थानान्तरित नीति/ निर्देशिकानुसार आगामी स्थानान्तरण सत्र में विचार किया जायेगा ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद वाराणसी के सब-विद्युत स्टेशन, लेहूपुर क्राइस्ट नगर, चोलापुर व नेवादा में खराब ट्रांसफार्मर की जांच

201–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सब विद्युत स्टेशन लेहूपुर-क्राइस्ट नगर, चोलापुर व नेवादा, जिला वाराणसी में 15 नवम्बर, 91 से 9 दिसम्बर, 1991 तक बिजली ठीक से नहीं दी गयी थी ? यदि हां, तो उसका क्या कारण है ? क्या यह सही है कि लेहूपुर सारनाथ, वाराणसी में जो

ट्रांसफार्मर लगाया गया है, उसमें खराबी है ? यदि हां, तो क्या उसकी जांच किसी अधिकारी द्वारा कराई गई ? यदि नहीं तो इसके लिए कौन लोग दोषी हैं ? क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की गयी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

काशी विद्यापीठ, ब्लाक वाराणसी में गांवों का विद्युतीकरण कार्य

202–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अप्रैल, मई व जून, 91 में काशी विद्यापीठ, ब्लाक वाराणसी में कई गांवों का विद्युतीकरण कराया गया था ? यदि हां, तो क्या इस संबंध में प्रश्नकर्ता का पत्र विद्युत मंत्री को जुलाई, अगस्त, 91 में तथा जोनल चीफ विद्युत वाराणसी व एस० ई०, वाराणसी को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी नहीं ।

प्रश्नगत पत्र प्राप्त नहीं हुआ ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत विभाग में लाइनमैन, लिपिक व अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की नीति

203–श्री राम ललित चौधरी–

क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि विद्युत विभाग में लाइन मैन, लिपिक, जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियन्ताओं के स्थानान्तरण की नीति क्या हैं ? क्या उस नीति के अनुसार लम्बे अर्से से कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

विद्युत विभाग के कर्मचारियों की स्थानान्तरण नीति सामान्यतः यह है कि मास स्केल ट्रान्सफर न किये जाने तथा जनहित/प्रशासकीय हित में केवल अनिवार्य तथा आवश्यकता अनुसार ट्रान्सफर किये जायं ।

विभाग में लाइनमैन, लिपिक वर्ग के कर्मचारियों को कम से कम एक स्थान पर पांच वर्ष के बाद परन्तु जिनकी तैनाती अवधि सबसे अधिक है, नीति के अन्तर्गत स्थानान्तरण के पात्र होते हैं ।

जूनियर इंजीनियरों की स्थानान्तरण निर्देशिका के अनुसार सामान्यतः एक पद/स्थान पर पांच वर्ष, एक जनपद में एक/विभिन्न पदों पर लगातार सात वर्ष, एक मण्डल में एक/विभिन्न पदों पर दस वर्ष तथा एक क्षेत्र/परियोजना में एक/विभिन्न पदों पर लगातार 15 वर्ष की अवधि के उपरान्त स्थानान्तरण पर विचार किया जाता है ।

सहायक अभियन्ताओं के सम्बन्ध में नीति यह है कि एक सहायक अभियन्ता किसी भी विद्युत उत्पादन परियोजना पर 10 वर्ष तक तैनात रह सकता है तथापि विद्युत उत्पादन परियोजनाओं में रहने

के इच्छुक सहायक अभियन्ताओं की कमी के कारण एवं उनकी तकनीकी उपादेयता एवं अनिवार्यता आदि को दृष्टिगत रखकर इस अवधि सीमा में छूट देनी पड़ती है ।

वितरण तथा पारेषण क्षेत्रों में सामान्यतः एक सहायक अभियन्ता एक ही क्षेत्र में 10 वर्ष तक तथा एक पद पर 3-4 वर्ष एवं एक ही जनपद में विभिन्न पदों पर कुल मिलाकर पांच वर्ष तक नियुक्त रह सकते हैं ।

लखनऊ नगर में एक सहायक अभियन्ता विभिन्न पदों पर कुल मिलाकर 10 वर्ष तक तैनात रह सकता है ।

सहायक अभियन्ता को उनके गृह जनपद में नियुक्ति न किये जाने की भी नीति है, यथासम्भव प्रयास किये जाते हैं कि जन व्यवहार वाले पदों पर सहायक अभियन्ताओं को उनके गृह जनपद में तैनात नहीं किया जाता है ।

प्रत्येक सत्र में लाइनमैनों, लिपिकों एवं जूनियर इंजीनियरों एवं सहायक अभियन्ताओं को नीति के अनुसार स्थानान्तरित करने का प्रयास किया जाता है परन्तु तकनीकी अनिवार्यता/उपादेयता, क्षेत्र की आवश्यकताओं/अपेक्षाओं आदि को दृष्टिगत करते हुए नीति का पूर्णरुपेण अनुपालन करना सम्भव नहीं होता, फिर भी प्रत्येक स्थानान्तरण सत्र में इनके स्थानान्तरण पर विचार किया जाता है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

ओबरा परियोजना चिकित्सालय के मुख्य औषधि भण्डार का कार्य फार्मेसिस्ट से कराये जाने की शिकायत

204–श्री लल्लू सिंह–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री सी० एन० सिंह, प्रान्तीय कोषाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत मजदूर संघ सम्बद्ध भारतीय मजदूर संघ पत्र संख्या 560/दिनांक 21-8-91 जो कि सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित तथा ओबरा परियोजना चिकित्सालय के मुख्य औषधि भण्डार का कार्य फार्मेसिस्ट से कराने के संबंध में उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

जी हां ।

पत्र में उल्लिखित मामला परिषद् के परीक्षणाधीन है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद बरेली के ग्राम अठकोच में शारदा कैनाल पर फोल्डर पुल बनाने की मांग

205–श्री नन्द राम–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली की फरीदपुर से बीसलपुर मार्ग पर ग्राम अठकोच के निकट शारदा कैनाल पुल टूटा पड़ा है ? क्या एक जनपद से दूसरे जनपद को जोड़ने वाले इस पुल पर फोल्डर पुल बनाने का कष्ट करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जी हां ।

यह पुल लोक निर्माण विभाग की सड़क पर स्थित है। अतः उसी विभाग द्वारा नये पुल का निर्माण प्रस्तावित है।

जनपद वाराणसी पिंडरा ब्लाक के नेवादा सब-विद्युत स्टेशन से बिजली की नियमित आपूर्ति न होना

206—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि सब-विद्युत स्टेशन, नेवादा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की लाइन नवम्बर, 91 से 7 दिसम्बर, 91 तक खराब थी ? यदि हां, तो क्या इसको ठीक करने हेतु 10 दिन के बाद सामान दिया गया ? क्या यह सही है कि उक्त पावर हाउस से अब भी बिजली ठीक से नहीं मिल पा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच विद्युत परिषद् उत्तर प्रदेश से करायेगी ?

श्री लालजी टण्डन—

सब-स्टेशन नेवादा, ब्लाक पिंडरा, जिला वाराणसी की लाइन 8/9 नवम्बर, 1991 की रात्रि से 33 के०वी० कैथी फीडर पर कन्डक्टर चोरी के कारण खराब हो गई जिसे दिनांक 14-11-91 को दूसरा कन्डक्टर लगाकर चालू कर दिया गया। पुनः दिनांक 15-11-91 के प्रातः 6 बजे से 132 के० वी० विद्युत उप-केन्द्र सारनाथ से निर्गत 33 के०वी० कैथी फीडर ओ० सी० बी० खराब हो जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बन्द हो गयी जिसे ट्रांसमिशन के अधिकारियों द्वारा ठीक कर दिनांक 20-11-91 को पुनः चालू कर दिया गया। लाइन को ठीक करने हेतु आवश्यक सामग्री दिनांक 12-11-91 को उपलब्ध करा दी गयी थी। उक्त पावर हाउस (नेवादा उपकेन्द्र) से ग्रामीण क्षेत्रों को विद्युत आपूर्ति दो ग्रुपों में केवल 10 घण्टे प्रतिदिन के हिसाब से दी जा रही है। इसका कारण इस स्टेशन से सम्बन्धित 33 के० वी० कैथी फीडर पर लगी सी० टी० की ओवर लोडिंग हैं।

जनपद वाराणसी के विद्युत उपखण्ड पिंडरा में कर्मचारियों के मकानों के दरवाजे परिवर्तन करने में भ्रष्टाचार की शिकायत

207—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि विद्युत उप खण्ड पिंडरा, वाराणसी में कर्मचारियों का दरवाजा पीछे की तरफ है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि विद्युत वितरण खण्ड प्रथम, वाराणसी ने दरवाजा रोड की तरफ बनाने हेतु इस्टीमेट तीस हजार का बनाया है ? यदि हां, तो क्या यह सही है कि दरवाजे रोड की तरफ नहीं बनाये गये और तीस हजार रु० का पेमेन्ट भी कर दिया गया ? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन—

जी हां।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी के कुवारकोट तथा हमीरापुर में विद्युत आपूर्ति चालू

208—श्री ऊदल—

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कुवार टाउन, ब्लाक बड़ागांव, जिला वाराणसी की लाइन तथा गांव हमीरापुर व कुवारकोट जो उसी से संबंधित थी वह 5-12-91 से दो लेमा टूट जाने से बन्द हो गयी है ? क्या यह सही है कि अब तक न तो लाइन ठीक की गयी और न ही सहायक अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता उसको देखने गये ? क्या सरकार इसकी जांच करायेगी और दोषी लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेगी ? इस लाइन की बिजली आपूर्ति कब से सामान्य हो जायेगी ?

श्री लालजी टण्डन—

जी हां ।

घटना की सूचना मिलते ही संबंधित सहायक अभियन्ता एवं अधिशासी अभियन्ता मौके का निरीक्षण करने गये और प्रश्नगत क्षतिग्रस्त लाइन को दिनांक 28-12-91 को ठीक करा कर चालू कर दिया गया है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

उक्त लाइन से नियमित विद्युत आपूर्ति दिनांक 28-12-91 से हो रही है ।

209—श्री रवीन्द्र प्रताप—

[दिनांक 6-2-92 को आ० प्र० सं० 41 द्वारा उत्तरित]

गन्ना विकास विभाग के श्री फैरूमल वर्मा का त्यागपत्र

210—श्री राजपाल त्यागी—

क्या गन्नाविकास मंत्री दशम विधान सभा के प्रथम सत्र 1991 के दूसरे मंगलवार के अता० प्र० सं० 64 के उत्तर के क्रम में श्री फैरूमल वर्मा का त्याग पत्र सदन के पटल पर रखेंगे ? क्या श्री फैरूमल वर्मा का 28-8-91 का पंजीकृत पत्र गन्ना मंत्री को प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री हनुमन्त सिंह—

श्री फैरूमल वर्मा का त्याग पत्र नियमानुसार स्वीकृत कर लिया गया है और उसे सदन के पटल पर रखने का कोई औचित्य नहीं है ।

जी नहीं ।

शेष का प्रश्न ही नहीं उठता ।

उन्नाव सिंचाई खण्ड की मौरावां ब्रांच के शाहपुर रजबहा पर पुलियों की संख्या एवं क्षतिग्रस्त पुलियों की मरम्मत

211—श्री हृदय नारायण दीक्षित—

क्या सिंचाई मंत्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव सिंचाई खण्ड के अधीन मौरावां ब्रांच के शाहपुर रजबहा पर टेल तक कुल कितनी पुलिया पुल हैं? उसमें कितनी क्षतिग्रस्त हैं ? क्षतिग्रस्त/मरम्मत योग्य पुलियों

की मरम्मत किस वर्ष से प्रस्तावित है ? क्या यह सच है कि इस मद पर धन खर्च किया गया है ? यदि हां, तो कहां खर्च किया गया है ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

17 अदद ।

11 अदद पुलियों की स्लेब, पैरापिट व विंग वाल की मरम्मत की आवश्यकता है । वर्ष 1992-93 में टूटी हुई सभी पुलियों की मरम्मत का कार्य प्रस्तावित है ।

जी नहीं ।

प्रश्न नहीं उठता ।

विद्युत वितरण खण्ड देवरिया एवं गेसू गोरखपुर में 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण आदि का विवरण

212–श्री रवीन्द्र प्रताप–

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड/मंडल/गेसू/लेसू प्रदेय उपक्रम, देवरिया में ऐसे कितने अवर अभियन्ता हैं जो पिछले 10 वर्ष से या उससे अधिक समय उसी स्थान पर तैनात हैं ? क्या इनके लिए विद्युत परिषद् ने कोई स्थानान्तरण की नीति अपनायी है ? यदि हां, तो वह कौन सी नीति है ? क्या इनकी सम्पत्ति के आंकलन के लिए समय-समय पर विद्युत परिषद् ने समस्त अवर अभियन्ताओं से सम्पत्ति का ब्यौरा मांगा है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

विद्युत वितरण खण्ड, देवरिया में 14 ऐसे अवर अभियन्ता हैं जो दस वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात हैं । गोरखपुर क्षेत्र के अन्तर्गत गेसू प्रदेय उपक्रम में कोई अवर अभियन्ता दस वर्ष या उससे अधिक समय से एक ही स्थान पर तैनात नहीं हैं । देवरिया जनपद में लेसू प्रदेय उपक्रम नहीं है वह लखनऊ में है ।

जी हां, परिषद् में अवर अभियन्ताओं के स्थानान्तरण सम्बन्धी आधारभूत सिद्धान्त के अनुसार सामान्यतः एक पद/स्थान पर पांच वर्ष, एक जनपद में एक/विभिन्न पदों पर सात वर्ष, एक मण्डल में एक/विभिन्न पदों पर दस वर्ष तथा एक क्षेत्र/परियोजना में एक/विभिन्न पदों पर लगातार 15 वर्ष तक तैनात रखा जा सकता है ।

परिषदीय आदेशानुसार नियुक्ति के समय तथा प्रत्येक 5 वर्ष के अन्तराल पर चल-अचल सम्पत्ति का ब्यौरा देना प्रत्येक कर्मचारी/अधिकारी को आवश्यक है, अवर अभियन्ता भी इसी परिधि में आते हैं, उसी के आधार पर उनकी सम्पत्ति का आकंलन किया जाता है ।

यथोक्त ।

जनपद मैनपुरी में उपभोग की गई बिजली का भुगतान व बकाया विद्युत मूल्य वसूलने की कार्यवाही

213–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मैनपुरी जनपद में पावर कनेक्शन में उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग करके बिजली को वर्ष 1990-91 में कितनी बिजली की खपत की गयी ? उसकी एवज में

कितने रुपयों का भुगतान हुआ और कितना रुपया बकाया है ? उसकी वसूली की क्या कार्यवाही की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

मैनपुरी जनपद में पावर कनेक्शन में उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग करके वर्ष 1990-91 में 1.24.05054 यूनिट बिजली की खपत की गयी । उसके एवज में वर्ष 1990-91 में 237.23 लाख रुपये का भुगतान हुआ । उक्त अवधि का बकाया कुछ नहीं है ।

प्रश्न नहीं उठता ।

प्रश्न नहीं उठता ।

जनपद मऊ में दुबारी बन्धे के निकट नाले पर पुल निर्माण

214–श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

क्या गन्ना विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-मऊ के अन्तर्गत ग्राम-दुबारी से धर्मपुर की सड़क पर दुबारी बन्धे के निकट नाले में पुल बनाने हेतु प्रश्नकर्ता ने गन्ना आयुक्त, उ० प्र० को दि० 20-12-92 को कोई पत्र दिया था ? क्या उसके परिप्रेक्ष्य में तत्कालीन अपर मुख्य अभियन्ता, गन्ना आयुक्त, श्री आनन्द कुमार रस्तोगी ने जिलाधिकारी, मऊ को अपने पत्रांक 4857-58, दिनांक 22-12-90 द्वारा यह निर्देश दिया था कि प्रस्तावित जगह पर पुल बनाने की कार्यवाही सुनिश्चित करें ? यदि हां, तो उक्त स्थान पर पुल का निर्माण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हनुमन्त सिंह–

जी हां ।

जी हां ।

उक्त स्थान पर गन्ना कृषकों की सुविधा हेतु अस्थायी पुल का निर्माण जनवरी, 1991 में करा दिया गया है ।

प्रश्न ही नहीं उठता ।

जनपद मैनपुरी के ग्राम तिसौली एवं नगला शम्भू के मध्य बेवर फीडर पर फुट ब्रिज की मांग

215–श्री राम औतार शाक्य–

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नहर बेवर ब्रांच एवं बेवर फीडर, ब्लाक सुल्तानगंज विधान सभा क्षेत्र भोगांव, जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत ग्राम तिलियानी एवं नगला शम्भू के मध्य फुट ब्रिज बनाने का कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो जनहित में इसका निर्माण कब तक हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद मैनपुरी के ब्लाक सुल्तानगंज विधान सभा क्षेत्र भोगांव में ग्राम तिसौली (तिलियानी) एवं ग्राम नगला शम्भू के मध्य बेवर-फीडर के कि० मी० 50.929 व बेवर ब्रांच पर पैदल पुल की मांग प्राप्त हुई । इन दोनों नहरों पर फुट ब्रिज बनाने के आदेश स्थल अधिकारियों को निर्गत कर दिये हैं । वर्ष 1992-93 में इन पुलों का निर्माण प्रस्तावित है ।

केन कैनाल प्रखण्ड, बांदा के अन्तर्गत कथित रजबहा नहर में टेल तक पानी की आपूर्ति तथा नहरों के अनुरक्षण पर हुआ व्यय

216–श्री विशम्भर प्रसाद निषाद तथा श्री नसीमउद्दीन सिद्दीकी–

क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा के अन्तर्गत केन कैनाल प्रखण्ड-बांदा के अन्तर्गत रजबहा नहर में किस स्थान तक पानी निर्धारित सीमा के अनुसार नियमित पहुंचाया गया है ? क्या दीनबन्धु विकास योजनान्तर्गत सिंचाई योजना में नहरों की कटिंग रोकने तथा टेलों तक पानी पहुंचाने के आदेश थे ? यदि हां, तो श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल तृतीय सहायक अभियन्ता, केन नहर प्रखण्ड, बांदा द्वारा क्या प्रयास किये गये ? वर्ष 1991-92 में उक्त ए० ई० द्वारा किन-किन कार्यों हेतु कितनी धनराशि खर्च की गयी ? नहरों की सफाई व मरम्मत में मार्च, 1991 से अब तक कितनी धनराशि खर्च की गयी ? क्या टेलों तक पानी पहुंच पा रहा है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार इसका कारण बतायेगी ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

जनपद बांदा में केन कैनाल प्रखण्ड, बांदा के अन्तर्गत रजबहा नहर नाम की कोई नहर नहीं है । अतः पानी पहुंचाने का प्रश्न ही नहीं उठता है ।

जी हां ।

श्री रमेश चन्द्र अग्रवाल, सहायक अभियन्ता ने पुलिस प्रशासन एवं कर्मचारियों के सहयोग से नहरों की टेलों तक पानी पहुंचाने का भरपूर प्रयास किया ।

नहरों की अनुरक्षण एवं मरम्मत कार्यों में रु० 3.90 लाख तथा केन पुनरोद्धार योजना मद में रु० 2.28 लाख व्यय किये गये हैं । नहरों की सफाई व मरम्मत आदि में मार्च 1991 के बाद से रु० 7.13 लाख व्यय किये गये हैं ।

जल उपलब्धता के अनुसार सामान्यतः अधिक से अधिक टेलों पर पानी पहुंचाया गया है । केन नहर में समुचित जल उपलब्ध न होने एवं नहरों के शीर्ष भाग में कृषकों द्वारा अधिक जल उपयोग किये जाने के फलस्वरूप कुछ टेलों में पानी नहीं पहुंचा ।

विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी में विद्युत दुर्घटना में मृत लोगों के आश्रितों को मुआवजे की मांग

217–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1991 में बिजली विभाग के अधिकारियों की दोषपूर्ण प्रक्रिया से जनपद मैनपुरी के विधान सभा क्षेत्र भोगांव में कितने लोगों की असामयिक मृत्यु हुई ? उन मृतकों के वारिसों को शासन द्वारा क्या सुविधा उपलब्ध करायी गयी ? क्या सरकार को जानकारी है कि माह अगस्त, 91 मुख्य मंत्री को श्रीमती सेवनिया विधवा रामसनेही निवासी भोगांव का उनके पति की बिजली से दिनांक 23-7-91 को मृत्यु के कारण आर्थिक सहायता प्राप्त होने का प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ ? यदि हां, तो उसे अभी तक कोई आर्थिक सहायता दी गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लालजी टण्डन–

वर्ष 1991 में विधान सभा क्षेत्र भोगांव (जनपद-मैनपुरी) में दो लोगों की विद्युत दुर्घटना में मृत्यु हुई थी ।

प्रश्नगत पत्र परिषद् में प्राप्त नहीं हुआ है ।

मृतकों के आश्रितों को अनुग्रह राशि स्वीकृत करने हेतु क्षेत्रीय समिति की संस्तुति व पोस्ट मार्टम रिपोर्ट मुख्य क्षेत्रीय अभियन्ता, आगरा से प्रतीक्षित है जिसके प्राप्त होने पर अनुग्रह राशि की स्वीकृति की कार्यवाही की जायेगी ।

विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी में वर्ष 90-91 में ग्रामों का विद्युतीकरण

218–श्री राम औतार शाक्य–

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 1990-91 में विधान सभा क्षेत्र भोगांव जनपद मैनपुरी में कितने ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया ? क्या उनमें बिजली प्रवाहित हो रही है ? यदि नहीं, तो कब तक विद्युत प्रवाह आरम्भ हो जायेगा ?

श्री लालजी टण्डन–

वित्तीय वर्ष 1990-91 में प्रश्नगत विधान सभा क्षेत्र में 11 ग्रामों को विद्युतीकृत किया गया है ।

उपरोक्त में से 9 अदद ग्रामों में विद्युत प्रवाहित हो रही है एवं २ अदद ग्रामों में लाइन के तार की चोरी हो जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बन्द है ।

उपरोक्त दोनों ग्रामों में ग्रामवासियों द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु मांग आने पर लाइन ठीक करके विद्युत आपूर्ति कर दी जायेगी ।

तृतीय उपखण्ड, शारदा नहर, हरदोई में एन०आर०ई०पी० के अन्तर्गत 85-86 में किये गये कार्यों का फर्जी मस्टर रोल भुगतान की शिकायत

219–श्री खालिद गौरी–

क्या सिंचाई मंत्री को जानकारी है कि तृतीय उप खण्ड, शारदा नहर, हरदोई में एन० आर०,ई० पी० के अन्तर्गत वर्ष 1985 व 1986 में किए गए कार्य का भुगतान वर्ष 1990 में फर्जी मस्टर रोल भर कर किया गया है ? यदि हां, तो इस भुगतान की जांच की जायेगी ? यदि हां, तो क्या दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की जायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री ओम प्रकाश सिंह–

वर्ष, 1990 में जिन मस्टर रोलों का भुगतान किया गया है, उनमें कोई मस्टर रोल वर्ष, 1985-86 में किये कार्यों के नहीं है और न ही फर्जी हैं । अतः किसी कार्यवाही का प्रश्न नहीं उठता ।

220–श्री तेज भान सिंह–

[7वें सोम० में अता० प्र० सं० 161 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

विद्युत उप खण्ड, पिंडरा, जिला वाराणसी के बसनी फीडर की ओ० सी० बी० को बदलने की मांग

221–श्री ऊदल–

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विद्युत उप खण्ड, पिंडरा, जिला वाराणसी के बसनी फीडर की ओ०सी०बी० (ट्राली) एक वर्ष से जल गयी है ? क्या बसनी फीडर की लाइन धौकलगंज फीडर जोड़ कर चलवायी जा रही है ? ओ० सी0 बी0 अब तक नहीं बदले जाने का क्या कारण है ? क्या

अधिशासी अभियन्ता खण्ड प्रथम को इसकी जानकारी है ? यदि नहीं, तो अब तक फीडर न बनवाने के संबंध में उक्त अधिशासी अभियन्ता के खिलाफ क्या कार्यवाही की गयी ?

श्री लालजी टण्डन–

सूचना एकत्र की जा रही है ।

[समय : 12 बजकर 21 मिनट]

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज दिनांक 22 अप्रैल, 1992 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 23 सूचनाएं प्राप्त हुईं । प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गयीं :–

पहली सूचना श्री राजेन्द्र सिंह की है, वह अनुपस्थित हैं । अगली सूचना श्री रमेश पोखरियाल की जनपद गढ़वाल के थलासैंण एवं वीरोखाल क्षेत्र में गत 3-4 माह से अनियमित विद्युत आपूर्ति से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है, अगली सूचना श्री निर्वेन्द्र कुमार की, निघासन क्षेत्र (खीरी) की पलिया रैंज सुमेरपुर वीट में रैंज अधिकारी व वन रक्षक द्वारा हरे पेड़ों की कटाई से वन सम्पदा को हो रही क्षति के संबंध में है । अगली सूचना श्री महाराज सिंह यादव की जनपद इटावा में अहनैया नदी को ग्राम नगला ताल से लेकर रौरा तक 5 किलो मीटर क्षेत्र को गहरा एवं चौड़ा करने के संबंध में है । अगली सूचना श्री लाखी राम जोशी की ऋषिकेश बद्रीनाथ एवं ऋषिकेश गंगोतरी यात्रा मार्गों पर स्थित धर्मशालाओं से अनधिकृत कब्जे हटवाने के संबंध में है । अगली सूचना श्री पवन कुमार पाण्डेय की फैजाबाद में लोक निर्माण के कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मांगों को लेकर किये जा रहे धरना प्रदर्शन से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । अगली सूचना श्री राम सेवक सिंह की बांदा के विकास खण्ड, तिंदवारी, जसपुरा तथा बड़ोखर खुर्द में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगवाने के संबंध में है ।

(प्रतीक्षा सूची में श्री बच्ची सिंह रावत और श्री शिव चरन प्रजापति का नाम पुकारने पर और उनके अनुपस्थित रहने पर)

चूंकि प्रतीक्षा सूची के माननीय सदस्य अनुपस्थित हैं (श्री मोहम्मद रिजवानुल हक के खड़े होने पर), इसलिए मैं श्री मोहम्मद रिजवानुल हक की सूचना को ले लेता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

ये सूचनायें पढ़ी हुई मानी गयीं ।

(सदन की सहमति से सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद गढ़वाल के थलासैण एवं वीरोखाल क्षेत्र में विद्युत आपूर्ति के अभाव के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश पोखरियाल–

[मान्यवर, विगत 3-4 माह से जनपद-गढ़वाल के थलासैण एवं वीरोखाल क्षेत्र में विद्युत की घोर अनियमितता हो रही है, भीडा एवं पोखरी क्षेत्र में तो डेढ़ माह से बिल्कुल भी बिजली नहीं है वीरोखाल व थलासैण की विद्युत अनियमितता का कारण वहां पर कार्यरत अधिकारी/कर्मचारियों की लापरवाही है ।

नोटः– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

इस विद्युत आपूर्ति के अभाव में परीक्षार्थियों की पढ़ाई में भी व्यवधान आया है और इससे क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश है, विगत दिन क्षेत्र की जनता ने स्यूसी में एस० डी० ओ० कार्यालय पर ताला भी डाल दिया था और वहां पर धरना भी दिया था पुनः वही स्थिति लगभग आ गई है ।

अंतः आपसे अनुरोध है कि छात्रों के भविष्य को मद्देनजर रखते हुए एवं क्षेत्र में घोर असंतोष को देखते हुए तत्काल विद्युत आपूर्ति नियमित करवाने का कष्ट करें । आपका आभारी रहूंगा ।]

जनपद खीरी की पलिया रेंज सुमेरपुर बीट में हरे पेड़ों की कटाई से वन सम्पदा को क्षति होने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री निर्वेन्द्र कुमार–

[मान्यवर, आपके माध्यम से शासन के संज्ञान में लोक महत्व की सूचना लाना चाहता हूं कि मेरे निर्वाचन क्षेत्र 72 सिघासन खीरी की पलिया रेंज, सुमेरपुर बीट में रेंज अधिकारी तथा वनरक्षक द्वारा हरे पेड़ों का कटान जैसे शीशम, सागौन इत्यादि का कटाया गया है । पुरानी जड़ें साबित करने के कारण पेड़ों की मुढियां जलवाई है तथा पूर्व में काटे गये केसों के मुढ्ढियों का नम्बर वन अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा कटाये गये पेड़ों की मुढ्ढियों पर भी वही नम्बर डाल कर जांचकर्ताओं को तथ्य छिपाते हुए राष्ट्रीय सम्पत्ति की हानि पहुंचा रहे हैं ।

गत शासन में तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसी विषय में जांच के आदेश 27 नवम्बर, 1990 को दिये थे, कोई कार्यवाही रचनात्मक न होने के कारण अवैध कटान चरम सीमा पर पहुंच चुकी है ।

अतः अति शीघ्र उच्च स्तर से उक्त बीट की कुम्बिंग कराकर वन सम्पदा को नष्ट होने से रोका जाय ।]

जनपद इटावा में अहनैया नदी को ग्राम नगला ताल से रौरा तक गहरा एवं चौड़ा करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री महाराज सिंह यादव–

[मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके संज्ञान में 301 के अन्तर्गत लोक-महत्व की यह सूचना लाना चाहता हूं । जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत अहनैया नदी के जल शैलाब के कारण हजारों एकड़ उपजाऊ भूमि जल मग्न रहती है । 1977-78 में उक्त नदी को गहरा चौड़ा करने की योजना स्वीकृत हुई थी । लगभग 1 करोड़ रुपया उक्त योजना के अन्तर्गत खर्च भी हो गया है । अब सिर्फ नगला ताल से लेकर रौरा तक 5 किलोमीटर नदी गहरी एवं चौड़ी न होने के कारण पूरी योजना का लाभ किसानों को नहीं मिल पा रहा है । उपजाऊ भूमि जल मग्न रहती है और हजारों परिवार भूखमरी के कगार पर आ गये हैं और शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं ।

अतः मैं सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि अवशेष भाग की खुदाई के लिए सरकार को निर्देश देने का कष्ट करें ।]

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

ऋषिकेश-बद्रीनाथ एवं ऋषि-गंगोत्री यात्रा मार्गों पर स्थित धर्मशालाओं के अनधिकृत कब्जे हटवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री लाखी राम जोशी–

[मान्यवर, आपके माध्यम से इस अत्यन्त लोकमहत्व के विषय की ओर माननीय अध्यक्ष जी का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं ।

श्री केदार नाथ, श्री बद्रीनाथ, गंगोत्री तथा यमनोत्री धामों को जाने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु टिहरी गढ़वाल रियासत काल में स्थान-स्थान पर धर्मशालाएं निर्मित की गई थीं । इन धर्मशालाओं में सैकड़ों पैदल यात्री, साधु-संत विश्राम किया करते थे । यात्रियों के लिए ये धर्मशालाएं काफी उपयोगी थीं । ये सभी धर्मशालाए अब राज्य सरकार की सम्पत्ति हैं । परन्तु अब इन धर्मशालाओं पर अवैध रूप से कब्जे किए गयें हैं । यात्रियों को आश्रय देने वाली धर्मशालाओं का उपयोग कुछ लोग व्यक्तिगत स्वार्थों की पूर्ति हेतु कर रहे हैं । ऐसी स्थिति में तीर्थ यात्रियों को असुविधा व परेशानियां बढ़ गई हैं साथ ही वे असुरक्षा की भावना से भी पीड़ित हैं ।

मान्यवर, आपसे अनुरोध है कि श्री केदार नाथ, श्री बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमनोत्री तीर्थ धामों को जाने वाले यात्रियों की सुविधा हेतु ऋषिकेश-बद्री नाथ व ऋषिकेश-गंगोत्री मोटर मार्गों पर स्थित सभी धर्मशालाओं के अनाधिकृत कब्जे हटाने की कार्यवाही करने की कृपा करें ।]

फैजाबाद में लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों की मांगों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पवन कुमार पाण्डेय–

[मान्यवर,जनपद फैजाबाद के लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों द्वारा "पी०डब्ल्यू० डी० कर्मचारी यूनियन उत्तर प्रदेश शाखा फैजाबाद" के नेता श्री आनन्द कुमार पाण्डेय व अन्य नेताओं की देखरेख में अपनी जायज और न्यायोचित मांगों को पूरा कराने के लिये कर्मचारी प्रदर्शन कर रहे हैं और धरना दे रहे हैं ।

कर्मचारियों की प्रमुख मांग है कि विभाग में 1-3-87 को 3 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले अस्थाई मस्टर रोल कर्मचारियों को प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा पत्रांक 297व्यय/800यग/88, दिनांक 12-1-89, 16-1-89 तथा परिपत्र संख्या 23/पी०डब्ल्यू०डी०/1686 एम० टी०/52एम 23/89 दिनांक 4-4-89 परिपत्र संख्या 395व्यय/98व्यग/डब्ल्यू०,सी०/92 दिनांक 23-1-92 सहित अनेकों बार भेजे गये आदेश के बाद भी 1-3-87 को 3 वर्ष की सेवा पूरी करने वाले समूह "ग" के अस्थाई कर्मचारियों को कार्य प्रसारित अधिष्ठान में नहीं लिया गया है । ऐसे सारे कर्मचारियों को तुरन्त स्थाई सेवा का अवसर विभाग के रिक्त पदों पर दिया जाय । अधीक्षण अभियन्ता 23वां वृत्त फैजाबाद द्वारा अस्थाई कर्मचारियों की मजदूरी दरों में की गयी विसंगतियां दूर की जाय, संघ द्वारा लम्बित मांगों के बारे में तुरन्त निर्णय लिया जाय आदि ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोटः–[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

कर्मचारियों की न्यायोचित मांगों को पूरा न किये जाने तथा प्रमुख अभियन्ता के आदेशों का क्रियान्वयन न कराये जाने से व्यापक असंतोष व्याप्त है कभी भी सारे के सारे कर्मचारी उग्र भी हो सकते हैं इसलिए स्थिति तनावपूर्ण और विस्फोटक है ।

अतः इस अविलम्बनीय लोक-महत्व के प्रश्न को आपके माध्यम से सदन और सरकार के संज्ञान में लाते हुये कर्मचारियों की समस्याओं का तुरन्त निराकरण कराये जाने और प्रमुख अभियन्ता के आदेशानुसार कर्मचारियों की स्थाई नियुक्ति कराये जाने की मांग करता हूं ।]

जनपद बांदा के विकास खण्ड तिंदवारी, जसपुरा तथा बड़ोखर खुर्द में सिंचाई हेतु राजकीय नलकूप लगवाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

* श्री रामसेवक सिह--

[मान्यवर, जनपद बांदा बुन्देलखण्ड का अत्यधिक पिछड़ा हुआ क्षेत्र है जहां पर सिंचाई की सुविधा की विशेष आवश्यकता है गत वर्षों में हमीरपुर जनपद में 20 राजकीय नलकूप लगाये गये और बांदा में 2 लगाये गये जो आवश्यकता से बिल्कुल ही कम हैं मेरे विधान सभा क्षेत्र तिन्दवारी में सर्वे कराकर निम्नलिखित ग्रामों में राजकीय नलकूप लगाये जायं जिससे पर्याप्त सिंचाई कीं सुविधा उपलब्ध हो सके ।

गाजीपुर, तनगामऊ, झंझरी, खप्टिहा खुर्द बुघेड़ा नरायढ, गड़रिया, नरजिता, सिकहुआ, डाडामऊ, सिन्धन खुर्द व कला, विकास खण्ड जसपुरा तथा नरी, पैलानी, निवाइच, कुकुवा खास अमलोर, रेडुटा, जौहरपुर, डिघवट विकास खण्ड तिन्दवारी तथा चकचटगन, पचुल्ला, पथरी, लुकतरा, चटगन, जमालपुर विकास खण्ड बड़ोखर खुर्द हैं ।]

उ० प्र० आवास एवं विकास परिषद् द्वारा भवन आवंटन में विधायक श्री मो० रिजवानुल हक के साथ मनमानी किये जाने के संबंध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक--

[मान्यवर, मुझे विधायक ने आवास एवं विकास परिषद्, लखनऊ में मुरादाबाद शहर की उच्च आय वर्ग भवन योजना में भवन आवंटन हेतु 15,000 रुपये जमा करके अपनी पंजीकरण कराया था, जिसका पंजीकरण नं० एम० आर० डी०/एच०-363 (आई) 1979 है । परिषद् ने अपने निर्देशन पत्र संख्या 2007 दिनांक 31-10-88 द्वारा मुझे सूचित किया कि दिनांक 3-10-88 को लाटरी से मुझे मुरादाबाद नगर की जिगर विहार योजना में मेरे पंजीकरण के विरूद्ध नगद पद्धति पर भवन बी-80 आवंटित किया गया दिनांक 3-11-88 को अचानक मैं हृदय रोग से गम्भीर रूप से पीड़ित हो गया और काफी समय तक अपना इलाज कराता रहा । मैंने दिनांक 29-11-89 को बीमारी की हालत में एक पत्र लिखकर परिषद् से तीन माह की मोहलत मांगी थी जो नहीं दी गई तत्पश्चात् दिनांक 22-4-89 को परिषद् के अध्यक्ष के नाम एक पत्र लिखकर मैंने अनुरोध किया था कि कृपा करके मेरे इलाज के कागजात देखकर मेरे ऊपर रहम करें और कुछ समय दे दें परन्तु मेरी अपील के विपरीत परिषद् ने मेरे पंजीकरण की जमा धनराशि 16,350 रुपये जो मय सूद के जमा थी उसमें से 13,275 रुपये की कटौती परिषद् द्वारा यह कह कर कर ली गई कि मैं भवन लेने में असमर्थ रहा । परिषद् ने मेरे 3,074 रु०

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

30 पैसा वापसी योग्य दर्शाये हैं। सम्पत्ति के कुल मूल्य पर दिनांक 31-10-88 से 13-12-88 तक दो माह का दण्ड ब्याज 18% की दर से 8,275 रु० तथा बयाना धनराशि 25,000 रु० का 20% रु० 5,000 काटे गये हैं तथा रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया। जबकि उक्त भवन आज तक भी किसी को आवंटित नहीं किया गया तथा यह भी निदेशित किया गया है कि रजिट्रेशन जारी रखने के लिये बाकी धनराशि जमा करा दें। इस प्रकार एक बीमार विधायक का उत्पीड़न किया गया।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि यह मेरी पंजीकरण की धनराशि से कटौती न करें तथा मेरा पंजीकरण भी निरस्त न करें तथा मुझे जिगर विहार योजना मुरादाबाद में भवन आवंटित कराने की कृपा करें।

संसदीय कार्य मंत्री के आश्वासन के बावजूद काशीपुर में समाजवादी जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का ज्ञापन न लिये जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री मोहम्मद आजम खां—

मान्यवर, मैं काशीपुर, नैनीताल के बारे में कहना चाहता हूं.....

श्री अध्यक्ष—

माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने आपसे निवेदन किया था कि आप उनसे मिल लें।.....

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, इसमें मेरे मिलने का तो कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। काशीपुर में विगत पांच दिन से लोगों का धरना चल रहा है और तीन दिन से इस सदन में मामले को उठाया जा रहा है कि वहां पर जाकर कोई सक्षम अधिकारी उनसे ज्ञापन ले ले।

श्री अध्यक्ष–

मननीय सदस्य की शिकायत है कि लोग धरने पर बैठे हैं और कोई ज्ञापन नहीं ले रहा है। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप इसे देख लें।

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं स्वयं माननीय सदस्य के पास जाकर और समस्या को समझकर और जिले की स्थिति के बारे में जानकारी प्राप्त कर लूंगा और यह सुनिश्चित कर लिया जायगा कि ज्ञापन ले लिया जाय।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, आपने तो रामपुर के बारे में कहा था परन्तु आज यहां पर काशीपुर के बारे में कहा जा रहा है। उस दिन भी आपने कहा था कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी इसे देख लें। ज्ञापन लेने में तो कोई कठिनाई नहीं होनी चाहिए। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कल ही इस सदन में बता दें कि ज्ञापन ले लिया गया है।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यदि इस प्रकार से ज्ञापन नहीं लिये जायेंगे तो कल से धरना व घिराव शुरू हो जायेंगे।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री शिवकुमार बेरिया–

मान्यवर, यह केवल काशीपुर में ही नहीं, 18 तारीख को पूरे प्रदेश में समाजवादी जनता पार्टी का जिला मुख्यालयों पर धरना था, कानपुर में भी धरना हुआ, जिलाधिकारी को सूचना भेजी गयी कि हम तीन बजे ज्ञापन देंगे, परन्तु जब तीन बजे पहुंचे तो न ही जिलाधिकारी, न ही ए० डी० एम० और न ही सिटी मैजिस्ट्रेट वहां पर आये और न ही कार्यालय में मौजूद थे ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, मा० सदस्यों ने शिकायत की है कि प्रदेश के कतिपय जनपदों व कतिपय स्थानों पर कुछ लोग धरना दे रहे हैं, परन्तु शासन का कोई अधिकारी उनसे ज्ञापन नहीं ले रहा है, इसलिये यह बात मैं आपके संज्ञान में ला रहा हूं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

हमारी समाजवादी जनता पार्टी का प्रदर्शन हुआ और एक ही दिन पूरे प्रदेश में मेमोरेंडम दिया जाना था प्रदेश भर में ज्यादातर जिलों में मेमोरेंडम ले लिया लेकिन कुछ ने नहीं लिया । कुछ सक्षम अधिकारियों ने आपत्ति नहीं की काशीपुर के सक्षम अधिकारी ने नहीं लिया वहां जिलाधिकारी ही लें ऐसी बात भी नहीं की कोई भी सक्षम अधिकारी ले लेता जब नहीं लिया तो जो धरना दे रहे थे उन्होंने तय किया कि जब तक नहीं लेंगे हम धरने में रहेंगे । तो दो तीन बार हमने सदन में मामला उठाया कि कोई सक्षम अधिकारी मैमोरेंडम ले ले आपकी तरफ से सहानुभूति भी है लेकिन उसके बावजूद मैमोरेंडम नहीं लिया आज तीसरा दिन है जब हम इस बात को कह रहे हैं ।

श्री अध्यक्ष–

आप मुझे कुछ कहने देंगे, आपकी बात संज्ञान में आ गयी है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मैंने उस दिन भी सदन में कहा था आज भी कह रहा हूं इस तरह की पूरी व्यवस्था है कोई राजनीतिक दल या सामाजिक संस्थायें या कोई भी व्यक्ति जो कोई ज्ञापन देने आता है कोई न कोई अधिकारी उसे ले ले । दो स्थानों की बात है जानकारी कर लेंगे उसका परिणाम क्या हुआ आपको बता देंगे और माननीय सदस्य को भी जानकारी दे देंगे ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

3 दिन से सदन में यह बात आ रही है आपके आदेशों का पालन नहीं हो रहा है । (व्यवधान)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

कोई अन्यथा बात वहां हुई हो, वहां के कार्यकर्ताओं ने झगड़ा किया हो तो वह भी सरकार को मालूम होगा (व्यवधान)

श्री मोहम्मद आजम खां–

किसी एस० डी० एम० को या सक्षम अधिकारी को सरकार कह दे कि वह ज्ञापन ले ले तो क्या यह मुमकिन है कि वह न ले (व्यवधान) इसमें कोई दुर्भावना है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय आजम खां साहब, आपके कहने के अनुसार ही प्रदेश के अधिकारियों ने कई स्थानों पर ज्ञापन ले लिये तो यह नहीं कहा जा सकता है कि इसमें कोई दुर्भावना है । केवल दो जगह आप कह रहे हैं नहीं लिया तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के संज्ञान में मैं ला रहा हूं और अपेक्षा करता हूं कि वह इसमें प्रभावी निर्देश दे दें कि जो लोग ज्ञापन देना चाहते हैं उनके ज्ञापन ले लिये जायं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

आज सदन उठने से पहले आपको बता दें ।

श्री अध्यक्ष–

मैंने कह दिया कि प्रभावी निर्देश दे दें (व्यवधान) पता नहीं सदन कब तक चले । (व्यवधान) कोई बात होगी तो कल फिर देख लेंगे ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, ऐसा नहीं होना चाहिये आपकी पीठ से आदेश हो जायं फिर भी ऐसा हो तो हमारे अधिकारों का हनन है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय सदस्य ने जो शिकायत की है उसको संज्ञान में लेते हुये आप प्रभावी निर्देश दे दें । (व्यवधान) अब आप इसे समाप्त करें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

तो मान्यवर, हम कल तक इंतजार करें ।

डा० दिनेश जौहरी–

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है । प्रदेश में तरह-तरह का प्रदूषण हो रहा है यहां सदन में भी ध्वनि प्रदूषण हो गया है लोग यहां इतनी जोर से बोलते हैं अभी माननीय प्रमोद तिवारी उनके साथी नरेश जी इतने जोर से बोल रहे थे कि कुछ माननीय सदस्य जो अर्धनिद्रा में थे सब जाग गये ।

श्री अध्यक्ष–

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है । यह तो माननीय तिवारी और माननीय नरेश जी का स्नेहभाव प्रदर्शित करता है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

जब हम इतने जोर से बोलते हैं तब यह जागते हैं ।

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 300 के अंतर्गत मेरे पास 5 सूचनायें प्राप्त हुईं । जिनमें पहली श्री प्रमोद तिवारी उन्हीं के साथ श्री नरेश अग्रवाल जी की, दूसरी सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित जी की तीसरी, सूचना श्री विजय सिंह राणा जी की, चौथी सूचना श्री मोहम्मद रिजवानुल हक की और पांचवी सूचना श्री राम औतार शाक्य जी की है । इनमें माननीय विजय सिंह राणा, माननीय मोहम्मद रिजवानुल हक और माननीय राम औतार शाक्य की जो सूचनायें हैं यह किसी तरह से नियम 300 में नहीं आती हैं मैंने इनको निरस्त किया है ।

मैंने इनको निरस्त किया है लेकिन माननीय प्रमोद तिवारी जी को उनकी सूचना के बारे में सुनना चाहूंगा ।

आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को उ० प्र० विधान सभा में नाम निर्देशित न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जब से प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, यह वर्तमान मान्य परम्पराओं और मान्यताओं के तोड़ने में कीर्तिमान स्थापित कर रही है । इनका हर काम संविधान के विरुद्ध होता है और अल्पसंख्यकों से तो इनका बैर बहुत पुराना है । उनके साथ इनका वश चले तो यह उन्हें धरती से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

उठा लें । इनको एंग्लो इण्डियन समाज का एक प्रतिनिधि इस विधान सभा में लाना चाहिए । इसके लिये व्यवस्था यह है कि संविधान में कि जब यह किसी एक के नाम के लिये संस्तुति करेंगे तो राज्यपाल इसे नामित करते हैं । साधारणतया उनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, लेकिन इस विधान सभा के गठित हुए हो गये हैं, 11 माह उनकी सरकार को बीत गये हैं लेकिन माननीय कल्याण सिंह जी को आज तक एक एंग्लो इण्डियन सदस्य नहीं मिला । इस तरह से यह विधान सभा अभी अधूरी बनी हुई है । आप एक काम तो कर दीजिये, जो मान्य संविधान की परम्परा है, जो संविधान के अनुच्छेद 333 में दिया हुआ है कि जहां पर आंग्ल समुदाय का कोई प्रतिनिधि नहीं होगा वहां पर उस समुदाय के किसी एक सदस्य को नामित किया जायेगा । यदि यह हो गया होता तो वह सदन की कार्यवाही में हिस्सा लेता और अपने समुदाय की बातों को यहां रखता । इतने दिन हो गये हैं आप उस समुदाय की बात यहां आने से उसे वंचित किये हुए हैं ।

इसके अलावा मेरठ में पांच, बुलन्दशहर में एक हरदोई में एक विधान सभा क्षेत्र और शाहजहांपुर में भी एक विधान सभा क्षेत्र तिलहर में विधान सभा सदस्य का स्थान रिक्त पड़ा हुआ है । उन विधान सभा क्षेत्रों का यहां प्रतिनिधित्व नहीं हो पाया है । आप इसलिये वहां के चुनाव नहीं करा रहे हैं क्योंकि इनके सारे मुद्दे और सारे मोर्चे अब प्रदेश में फेल हो चुके है । इन्हें मालूम है कि चुनाव करायेंगे तो इनकी जमानत जब्त हो जायेगी । इसलिये यह चुनाव कराने से कतरा रहे हैं । तो यह बता दें कि जो एंग्लो इण्डियन या आंग्ल समुदाय का यहां नामित होना है उनको कब तक नामित कर देंगे । इनको नामित नहीं करना है । केवल इनको उसके नाम की राज्यपाल को संस्तुति करनी है । इन्होंने उसके लिये कोई संस्तुति की है तो उसकी तिथि और उसका नाम बता दें और नहीं की है तो कब तक कर देंगे यह वह बता दे, साथ ही रिक्त पड़े स्थानों पर यह चुनाव कब तक करवा देंगे इसके बारे में भी बता दें ?

श्री नरेश अग्रवाल–

मान्यवर, मैं भी.....

श्री अध्यक्ष–

आप नहीं । इसीलिए तो जौहरी जी व्यवस्था का प्रश्न उठाते हैं । आपके नेता तो बोल चुके हैं अब आप बैठें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

आपकी आज्ञा शिरोधार्य है ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, दो बिन्दु यहां उठाये गये । एक बाई–इलेक्शन के बारे में । आठ स्थान यहां मेरी जानकारी के अनुसार रिक्त हैं । माननीय सदस्य को भी जानकारी है कि यह चुनाव की व्यवस्था राज्य सरकार करती है लेकिन समय और निर्देश चुनाव आयोग के द्वारा मिलता है । मेरठ और कई स्थानों के मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं । एक तिलहर ही शेष बचा है । इस संबंध में हमसे तिथि मांगी गयी थी और हमने उसकी सूचना उनको दे दी है । हमने चुनाव आयोग को सूचना दी, लेकिन उसकी तिथि हमें नहीं घोषित करनी चाहिये । घोषणा वहां होगी..... (व्यवधान) .....तीन–चार दिन पहले इसकी सूचना भेजी है । एक सप्ताह करीब हो गया है, 13 तारीख को भेजी है । यह बात यही है कि जो हमारा संविधान है और उसकी प्रतिबद्धता है किसी एक आंग्ल समुदाय के व्यक्ति को महामहिम राज्यपाल विधान सभा में नामित करें, यह हमें करना चाहिये था । इसमें विलम्ब अवश्य हुआ है, लेकिन अब हम उसको जल्दी भेज देंगे ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

ग्राह्यता पर सुनने के उपरान्त अनुच्छेद 333 के अन्तर्गत आंग्ल भारतीय समुदाय के एक सदस्य को नाम-निर्देशित करने का अधिकार श्री राज्यपाल को है । प्रश्नगत मामला न तो प्रक्रिया नियमावली के किसी नियम या संविधान के ऐसे अनुच्छेदों के, जिनसे सदन का कार्य विनियमित होता है, निर्वचन या परिर्वतन के संबंध में नहीं है । अतः यह मामला नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आता है । इसलिए इसको मैं अस्वीकार करता हूं ।

विधायकों के शिकायती पत्रों पर शीघ्र कार्यवाही करने एवं उन्हें वस्तु स्थिति से अवगत कराये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

दूसरी सूचना श्री हृदय नारायण दीक्षित की है जिसको मैंने पढ़ा है और यह भी नियम 300 में नहीं आती है ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, सुन लें । मान्यवर, इसी प्रकार के औचित्य प्रश्न पर आपने निर्देश दिया था कि विधायकों के पत्र पर ठीक से कार्यवाही की जाये । ऐसे पहले भी प्रश्न आये हैं जैसा प्रश्न हमने भेजा है । मान्यवर, जबसे यह सरकार आयी है तबसे विधायकों का सम्मान का अवमूल्यन जितना हुआ है उतना पहले कभी नहीं हुआ था । हमने दो अधिकारियों के पत्र इस औचित्य की नोटिस के साथ संलग्न करके आपको भेजा है । मान्यवर, एक पत्र निदेशक, अन्वेषणालय, पी० डब्लू० डी०, लखनऊ का है, शिकायत किया था जिसे यहां नहीं बताऊंगा । शिकायत के संबंध में उक्त अधिकारी ने लिखा । प्रतिलिपि हमें प्रेषित है और अपेक्षा की है कि प्रारम्भिक जांच अधिकारी से इस पत्र के निर्गत होने की दिनांक से एक महीना पूर्व सम्पर्क स्थापित करें । इसके पहले होता था कि संबंधित जांच अधिकारी हमें पत्र लिखते थे कि किन तिथियों में खाली हैं और उस तिथि को शिकायत के संबंध में जानकारी दें । लेकिन इसमें लिखा है कि सम्पर्क स्थापित करें और आरोपों को साबित करने हेतु साक्ष्य एवं प्रमाण भी उनके सम्मुख प्रस्तुत करें । यदि नहीं प्रस्तुत कर पाये तो माना जायेगा कि शिकायत नहीं भेजा है । शिकायत भेजा है कि नहीं इसमें परम्परा रही है कि उस पत्र की फोटो प्रति भेज दी जाती थी । उसमें पूछा जाता था कि क्या आपने पत्र लिखा है और उसका उत्तर दे देते थे कि हां लिखा है । लेकिन इस प्रकार से वहां उपस्थित नहीं होना होता था अधिकारी के सम्मुख ।

दूसरा पत्र एक अधिकारी जो प्रमुख अभियन्ता के स्तर के हैं उन्होंने लिखा है इसलिए कि प्रारम्भिक जांच अधिकारी से 10 दिनों में सम्पर्क स्थापित करें और साक्ष्य एवं प्रमाण उनके सम्मुख प्रस्तुत करें अन्यथा समझा जायेगा कि उक्त शिकायत नहीं की गयी है और तद्नुसार कार्यवाही कर ली जायेगी ।

मान्यवर, दैनिक कार्यों और सदन के कार्यों से हम जुड़े हैं एवं जहां से चुनकर आते हैं वहां की जनता की समस्याओं के समाधान के लिए अनेक पत्र सरकार को लिखते हैं और यदि इसी प्रकार के दफ्तर से पत्र हमको आयेंगे कि उपस्थित हों तो हम लोगों के दैनिक कार्य कैसे पूरे होंगे ? मान्यवर, यह परम्परा पहली बार इस सरकार के समय में आयी है कि अधिकारी धौंस देते हैं कि उपस्थित नहीं होंगे तो माना जाएगा कि शिकायत नहीं किया है, तो यह विधायक के सम्मान से जुड़ा प्रश्न है, इसलिए इस पर आप व्यवस्था दें ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, महत्वपूर्ण जानकारी मा० सदस्य ने दिया । मान्यवर, हम सहमत हैं कि मा० विधायक वह चाहे इधर के हों या उधर के हों उनका एक विशिष्ट सम्मान है जिसका पूरा-पूरा पालन किया जाना चाहिए । मान्यवर, यह पहले से व्यवस्था है कि जिस मामले में विधायकों ने कोई शिकायत किया है तो उसके संबंध में जांच रिपोर्ट पूरी की जाए । मैं अन्तिम पंक्ति पढ़ रहा हूं । माननीय विधायकों की शिकायत के आधार पर जो जांच की जाय उसमें माननीय विधायकों से पूछ-तांछ कर ली जाय ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, आप पढ़ रहे हैं, कोई शासनादेश हो तो बता दें ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

एक शासनादेश श्री जय नारायण, अतिरिक्त सचिव द्वारा संख्या-10317/452(8), 15 अप्रैल, 1983 निर्गत किया गया है । समस्त सचिवों और विभागाध्यक्षों को दिया गया है । जांच पड़ताल करने के बाद जांच से शासन को अवगत करायें । मैंने खुद इस बात का प्रयास किया है कि विधायकों के संबंध में जितने भी शासनादेश निर्गत किये गये हैं, सब एक-एक शासनादेश को कम्पाइल कराके उनके पास भेज दिया जाय ताकि माननीय सदस्यों को भी जानकारी हो जाय । जिस विशिष्ट बात की ओर माननीय सदस्य ने ध्यान आकृष्ट किया है वह बहुत बड़ी चूक है । होना यह चाहिए था, हम स्वयं विधायक रहे हैं । कोई विधायक शिकायत करते हैं तो विभाग के अधिकारी उनसे स्वयं फोन पर या उनके घर जाकर उनसे सम्पर्क स्थापित करते हैं कि इस संबंध में आपसे वार्ता करना चाहते हैं आपके पास कब समय है, आप कब मिल सकते हैं । कभी-कभी विधायकों को भी उनके कार्यालयों में जाना पड़ता है । मैं समझता हूं कि हम जनता के प्रतिनिधि हैं उनकी भलाई के कामों के लिए हम विभाग आफिस में जाने से भी नहीं कतराते हैं । लेकिन यह जो पत्र लिखकर उसकी जिम्मेदारी आप पर डाली है कि अगर आप जानकारी नहीं देंगे तो यह मान लिया जायेगा कि आप कहना नहीं चाहते इस बारे में । यह गलत है । वह आपसे मिलते और आपसे समय लेते कि कब आप आ सकते हैं या कब आपके पास आयें तो ठीक था । मुझे भी खेद है इस बात का । मैं इस बात का आश्वासन देना चाहता हूं कि हमने यह निर्देश कर दिये हैं कि सभी शासनादेशों को कम्पाइल कराके माननीय सदस्यों को भेज दी जाय । बहुत से नये सदस्य हैं । सबको जानकारी होनी चाहिए । जहां तक मुझे जानकारी है इस दिशा में कार्यवाही हो गयी है । इस सत्र के स्थगन के बाद आप तक पहुंचा दी जायेगी । इससे आपको सहयोग मिल सकेगा कि माननीय विधायकों को क्या-क्या अधिकार दिये गये हैं ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, जिस शासनादेश का उल्लेख माननीय मंत्री जी ने किया है उसके बाद एक शासनादेश मुख्य सचिव, गिरीश द्वारा दिनांक 26 अप्रैल, 1984 को निर्गत हुआ जिसमें यह कहा गया है कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

शिकायतकर्ता विधायक से जांच के दौरान सम्पर्क किया जाय । सम्पर्क करने की बात कही गयी है । माननीय मंत्री जी ने बात कही वह काम चलाऊ है । इस तरह की चूक भविष्य में न हो इसके लिए शासन को निर्देश करें ।

श्री अध्यक्ष–

श्री हृदय नारायण दीक्षित और माननीय संसदीय कार्य मंत्री को सुनने के पश्चात् मेरा निर्णय है कि श्री हृदय नारायण दीक्षित की सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती । माननीय विधायकों द्वारा की गयी शिकायतों की जांच में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के बारे में नवम् विधान सभा की प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति के अष्टम् प्रतिवेदन में सिफारिशें की गयी हैं । उनकी ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है ।

कृषि उत्पादन मण्डी समिति, मथुरा में व्याप्त भ्रष्टाचार विषयक निर्धारित वक्तव्य न दिलाये जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष–

माननीय राणा जी, वैसे तो आपकी सूचना नियम-300 में नहीं आती फिर भी जो आपने सूचना दी है मैं उसको अपने स्तर से सुन रहा हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, 300 में नहीं आयेगी तो बेकार है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं किसी को यह कहने का अवसर नहीं देना चाहता कि हमने उसकी बात नहीं सुनी । आपने सूचना दी थी । मैं सोच रहा था कि अपने स्तर से निस्तारित कर दूंगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

चूंकि यह आपसे संबंधित है, इसलिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि आपके निर्देश से बाहर नहीं जाऊंगा और न कोई ऐसी बात कहूंगा जिससे आपका, आपकी पीठ के ऊपर कोई आक्षेप आये । मैं बड़े सम्मान के साथ, आपका आपकी पीठ का सम्मान करते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं कि नियम-51 में एक सूचना दी गई और वह स्वीकृत हो गयी । स्वीकृत हो जाने के बाद उस पर वक्तव्य दिये जाने की तिथि निर्धारित हो जाने के बाद शासन यह कहे कि इसको निरस्त कर दो । जो विषय नियम-51 का था उसमें साफ लिखा है मण्डी समिति के भ्रष्टाचार के संबंध में । मेरे कहने का मतलब यह है कि शासन जानबूझकर भ्रष्टाचार को संरक्षण देना चाहता है । एक भ्रष्टाचार की स्थिति उत्पन्न हुई उसको रखा । नियम 51 के माध्यम से सदन के पटल पर सदन के सामने उसको आना था । अधिकारी कहते हैं बयान नहीं होना चाहिए मैं समझता हूं इससे स्पष्ट जाहिर हो गया है किसी प्रकार की इसमें अब कोई आवश्यकता नहीं रह गयी है शासन के संरक्षण में भ्रष्टाचार पूरी तरह से फल फूल रहा है । मुझे इसमें कोई शक नहीं है कि कम से कम कृषि मंत्री गंगा भक्त सिंह जी का मैं व्यक्तिगत रूप से हमेशा सम्मान करता हूं । मुझे ऐसा मालूम होता है कि विभाग के अन्दर की छबि को कायम रखने के लिए यह भ्रष्ट अधिकारियों के चंगुल में फंस गये हैं । मान्यवर, तीन-चार बातें मैंने कही हैं कि शासन की इस पर मांग है कि वक्तव्य न दिलायें अब इससे ज्यादा दयनीय स्थिति और क्या हो सकती है । मान्यवर, हम आपके हर निर्देश आदेश का आदर करते हैं । मान्यवर, हम आपके और आपकी पीठ के प्रति सम्मान व्यक्त

करते हुए यह आशा करते हैं कि नियम–51 में, विधान सभा की कार्य संचालन नियमावली में यह नहीं दिया गया है और कोई ऐसी परिपाटी नहीं है वक्तव्य न दिलाया जाए इसलिए हम आपका संरक्षण चाहते हैं आप इस विषय पर अपने प्रकार से विचार-विमर्श कर लें जो आदेश आपके होंगे शिरोधार्य होंगे ।

श्री अध्यक्ष–

मैं माननीय राणा जी की सूचना का पूर्व दृष्टांतों के आधार पर परीक्षण कर लूंगा और यथोचित निर्देश दूंगा ।

भारतीय किसान यूनियन द्वारा पश्चिमी उ० प्र० में मुर्दा पशुओं को ठेका बेचे जाने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरी नियम 300 की सूचना पर बोलने का मौका दिया है। विधिवत् शासन की अवमानना करना.....

श्री अध्यक्ष–

मैं ऐसा करता हूं कि नियम 300 की सूचना को नियम-51 में परिवर्तित कर देता हूं ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, दो मिनट में सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

मैं नियम-300 की सूचना नियम-51 में परिवर्तित कर रहा हूं ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, सुन लें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है कहिए ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, विधिवत् शासन की अवमानना करना ऐडीशन की धारा-124 तथा अवमानना की धारा-500 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है ।

श्री अध्यक्ष–

माननीय हक साहब, आपको सूचित कर दूं, नियम-56 में भी आपने सूचना दी है यह शलाका में आ गई है इसमें आपका नवां नाम है ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

यही सूचना नियम-311 में भी दी है ।

श्री अध्यक्ष–

नियम-311 को मैं नियम-56 में परिवर्तित कर रहा हूं। आपकी सूचना नवें नम्बर पर आ गयी है इसमें शासन का ध्यान आकृष्ट कर देता हूं।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

यह गम्भीर मसला है सुन लें।

श्री अध्यक्ष–

जिस समय नियम-56 की सूचनाओं का निस्तारण करेंगे तो सुन लेंगे।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

जिस समय नियम-56 में दूसरी सूचना दी है।

श्री अध्यक्ष–

आपने नियम-311 में दी थी वह नियम-56 में परिवर्तित कर दी है।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, आज पश्चिमी उ० प्र० में मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर में भारतीय किसान यूनियन इस सरकार के समानान्तर सरकार चला रही है। पशुओं की हड्डी तथा खाल के ठेके जिला परिषद् के माध्यम से दिये जाते थे लेकिन पिछले साल से भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष ब्लाक स्तर पर उन ठेकों को बेच रहे हैं और मोटी-मोटी रकमें ले रहे हैं। जो ठेकेदार ठेके लेते हैं और पशु उठाने जाते हैं तो भारतीय किसान यूनियन के लोग पशु को उठाने नहीं देते हैं और झगड़ा होता है तथा लाठी गोली चलती हैं। वहां बहुत खतरनाक स्थिति पैदा हो गयी है। मान्यवर, सरकार गोवध निवारण अधिनियम एमेंडमेंट बिल तो ले आयी है लेकिन कहीं भी यह उल्लेख नहीं किया गया है कि मरे हुए गोवंश पशुओं को दफनायेंगे या उनकी हड्डी तथा खाल का ठेका बेचेंगे तथा चमड़े के जूते पहनेंगे। मुरादाबाद में 19 ब्लाक हैं वहां पर ए० एम० ए० इतना भ्रष्ट है कि वह प्रत्येक ठेके से 15-20 हजार रुपये लेता है। इस वर्ष उसने साढ़े तीन लाख रुपये कमाये हैं। मैं नहीं चाहता कि आप उसे सजा दें, मैं चाहता हूं कि उससे हिस्सा बांटें, वह कुछ कमजोर हो जायेगा। भारतीय किसान यूनियन इस सरकार के समानान्तर सरकार चला रही है और उसके आगे यह सरकार असहाय हो गयी है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय रिजवानुल हक को सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम-300 के अतर्गत नहीं आती है। इस सूचना को मैं अस्वीकार करता हूं।

प्रथम सत्र, 1992 के तीसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या 141 का उत्तर त्रुटिपूर्ण होने के संबंध में औचित्य का प्रश्न

* श्री राम औतार शाक्य–

मान्यवर, मेरा प्रश्न प्रथम सत्र, 1992 के तीसरे शुक्रवार हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या-141 के रूप में निर्धारित था उसमें माननीय सहकारिता मंत्री जी की तरफ से जवाब आया था। मेरा प्रश्न यह था कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लि०, लखनऊ के अंशदान का कितना रुपया पी० सी० एफ० पर बकाया है। मान्यवर, पी० सी० एफ० सहकारिता का मेरुदण्ड है। उसका करोड़ों रुपया पी० सी० एफ० पर बकाया है। लेकिन विवाद तय नहीं हुआ जिससे कर्मचारियों की तनख्वाह नहीं निकल पा रही है और हजारों कर्मचारियों का भविष्य अन्धकार में है। कर्मचारियों को पेंशन की सुविधा भी नहीं है। अगर पी० सी० एफ० से रुपया प्राप्त हो जाता है तो हजारों कर्मचारियों का भविष्य बच जाता और पी० सी० एफ० की दशा सुधर जाती। मान्यवर, इस संबंध में माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया था कि उत्तर प्रदेश कोआपरेटिव यूनियन लिमिटेड द्वारा अंशदान का 11 लाख 85 हजार रुपया बताया जाता है परन्तु पी० सी० एफ०, लखनऊ का कोई रुपया बकाया नहीं बताया जाता है। यहां पर पी० सी० यू० तथा पी० सी० एफ० का पक्ष बताया गया है जबकि मैंने सरकार का पक्ष पूछा था। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि 1 करोड़ 85 लाख बकाया है। लगता है गलती से एक "जीरो" छूट गया है इसलिए एक करोड़ का फर्क आ गया है। आगे चलकर इससे पी० सी० यू० के भविष्य पर फर्क पड़ेगा क्योंकि एक करोड़ का मामला है। मान्यवर, इस तरह से जब गलत जवाब आते हैं तो इस सदन की अवमानना होती है और आपकी पीठ की गरिमा भी गिरती है। इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष–

माननीय शाक्य जी की सूचना को मैंने पढ़ा और उनको व्यक्तिगत रूप से सुनने के पश्चात् मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि यह सूचना नियम-300 के अन्तर्गत नहीं आती है। माननीय सदस्यों को अध्यक्ष पीठ से दिये गये निदेश संख्या 165-166 में यह अधिकार है कि यदि कोई सदस्य किसी मंत्री या किसी अन्य सदस्य द्वारा सदन में दिये गये वक्तव्य में कोई त्रुटि या अशुद्धि की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहे तो उस विषय का निदेश सदन में करने से पूर्व अध्यक्ष को पत्र लिखकर उस त्रुटि या अशुद्धि की ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। तो उसके निराकरण के लिए उसके अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं। यह अस्वीकृत करता हूं।

जनपद गाजियाबाद के बार एशोसियेशन के अध्यक्ष श्री कुशल पाल त्यागी की हत्या विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना

श्री अध्यक्ष–

मैंने सभी 311 की सूचनाओं को 56 में परिवर्तित कर दिया है, वह मद लेंगे तो हो जायेगा। मैंने कल कहा था कि प्रश्नकाल के बाद श्री कुशल पाल त्यागी की हत्या के बारे में संसदीय कार्य मंत्री सूचना देंगे। उस विषय को लूंगा। मैंने कल श्री राजपाल त्यागी के भाई की हत्या के संबंध में कहा था कि कल यह विषय लूंगा।

* श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, यहां श्री राजपाल त्यागी स्वयं उपस्थित हैं। मैं आग्रह करूंगा कि उनके भाई की हत्या की गयी है। वे कुछ तथ्यों पर प्रकाश डालना चाहते हैं। वह प्रकाश डाल देंगे तो संसदीय कार्य मंत्री को जवाब देने में आसानी होगी। मान्यवर, कल यह भी तय हुआ था कि मुख्य मंत्री जी बयान देंगे। मैं आग्रह करूंगा कि श्री राजपाल त्यागी को पहले सुन लें, उसके बाद मुख्य मंत्री जी को सुन लें तो सुविधा होगी।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष–

कल बड़े भावुक और उत्तेजनापूर्ण वातावरण में चर्चा हुई थी । इसलिए संयमित भाषा में अपनी बात कहें ।

*श्री राजपाल त्यागी–

मान्यवर, मेरा बड़ा दुर्भाग्य है कि अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सदन को सम्बोधित कर रहा हूं । कल कुशल पाल त्यागी अध्यक्ष, बार एसोशियेशन की नृशंस हत्या के बारे में जो प्रकरण उठा था, मैं उसका बड़ा भाई हूं । मान्यवर, मैं तो इसलिए बीच में आया ताकि मैं जो वक्तव्य दूं उसके आधार पर सरकार कोई गलत वक्तव्य देने से बच सके । मैंने तो अपना भाई खो दिया । किसी माननीय सदस्य का भाई न खोये, इसलिए इस सदन के सामने वे तथ्य जो मेरे और पुलिस अधिकारियों के बीच हत्या के पूर्व और बाद में हुए, उनको रखना चाहता हूं । मान्यवर, 15-4-92 को पौने दस बजे मेरे भाई की हत्या हुई । गाजियाबाद में रिपोर्ट नामजद हुई । हत्यारे रोहितास पंडित, मनीश शर्मा उर्फ पप्पू व लक्ष्मण तथा एक अन्य थे । रिपोर्टकर्ता व गवाहों के अलावा बहुत से लोगों ने हत्या करते हुए देखा । रिपोर्ट सही हुई, नामजदगी सही हुई । मान्यवर, मैं आपका ध्यान 12-4-92 की सुबह की ओर ले जाना चाहता हूं । 12-4-92 को सुबह एस० पी० सिटी, गाजियाबाद और मैं आमने-सामने बैठे थे । उन्होंने कहा कि यही अभियुक्त रोहितास पंडित के बारे में बताया कि उसने हमारी कस्टडी में बयान दिया कि कुशल पाल त्यागी, अध्यक्ष, बार एसोसियेशन के लिए मेरी अन्तिम इच्छा है कि उनकी हत्या करना चाहता हूं । किस तरह से पुलिस ने बयान लिया । मैंने उनसे कहा कि आपको तो तुरन्त वह बयान दर्ज करके रोहितास पंडित के खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए । उसके पास बड़े हथियार हैं । उन हथियारों को लेना चाहिए और मेरे भाई की रक्षा करनी चाहिए । मैं बिल्कुल स्पष्ट कह रहा हूं कि एस० पी० सिटी, गाजियाबाद ने कहा कि वह भाई बार एसोसियेशन का अध्यक्ष है और मैं आपको यकीन दिलाता हूं, विधायक जी कि रोहितास पंडित, जिसने कत्ल किया आपके भाई का, उसको अन्य मुजरिमों के साथ छोड़ूंगा नहीं । उनसे हथियार लूंगा और आपके भाई की रक्षा करूंगा ।

मान्यवर, 12-4-92 को मैं, एस० पी० सिटी आमने-सामने बैठे थे, एस० पी० सिटी ने कहा कि विधायक जी रोहितास पंडित, बदमास हमारी कस्टडी में है, रोहितास पंडित ने तुम्हारे भाई कुशल पाल त्यागी की हत्या करने की बात कही है । मैंने उनसे कहा कि आप तुरन्त रोहितास पंडित अपराधी के खिलाफ कार्यवाही करें, उस पर हथियार हैं, उन्हें रिकवर करें और मेरे भाई को सुरक्षा दें । एस० पी० सिटी ने मुझे आश्वासन दिया और संतुष्ट किया कि रोहितास पंडित को छोड़ा नहीं जायेगा, उससे हथियार रिकवर किये जायेंगे और तुम्हारे भाई को सुरक्षा दी जायेगी । इसके बाद रोहितास पंडित 9 अप्रैल, से लेकर 11 अप्रैल, 1992 तक तो लिंक रोड थाने में रहा, उसके बाद 11 अप्रैल से लेकर 13/14 की रात कबिनगर थाने में रहा और इसी 13/14 की रात में छोड़ दिया । मेरे भाई कुशल पाल त्यागी को न तो रोहितास पंडित के छोड़ने की सूचना दी और न ही कुशल पाल त्यागी को कोई सुरक्षा दी । इसी बीच में 11 तारीख की रात में रोहितास पंडित के जो दो अन्य साथी थे, मेरे भाई के कातिल हैं, मनीष उर्फ पप्पू तथा लक्ष्मण को मय मारुति कार नं० डी एल० 4-सी० 2798 से थाना कबिनगर ले आये, फिर रोहितास पंडित जो मेरे भाई का हत्यारा है, उनको व इनको मय कार के 13 तारीख की रात को छोड़ दिया । दिनांक 15-4-92 की सुबह इन तीनों हत्यारों ने, एक अन्य ने इसी मारुति कार से मेरे भाई की हत्या की । मेरे भाई की हत्या में पुलिस की साजिश है । जब मैंने एस० पी० सिटी से पूछा कि आपने रोहितास पंडित आदि हत्यारों को क्यों छोड़ दिया जिन्होंने मेरे भाई की हत्या कर दी और आपने

मेरे भाई को सुरक्षा भी नहीं दी और छोड़ने की सूचना भी नहीं दी, तो एस० पी० सिटी ने कहा कि मैंने तो एस० ओ०, कबिनगर को मना किया था कि रोहितास पंडित, बदमास को मत छोड़ना, मगर मेरे मना करने के बावजूद भी इसे छोड़ दिया । फिर मैंने एस० ओ०, कबिनगर से पूछा कि मेरे भाई के हत्यारे रोहितास पंडित को आपने क्यों छोड़ा, तो उन्होंने कहा कि मैंने एस० पी० सिटी के आदेश से छोड़ा है ।

मान्यवर, मेरे भाई की मृत्यु से बराबर टेलीफोन पर धमकियां आ रही थीं, तो मैं 19-4-92 की रात में एस० पी० सिटी के घर गया, उनसे अपनी सुरक्षा व धमकियों की बात की । जैसे ही मैं बाहर आ रहा था एस० पी० सिटी मुझे गेट तक छोड़ने के लिए आये, तो वहीं पर एस० ओ० कबिनगर मौजूद थे, उन्होंने एस० पी० सिटी से कहा कि आपने विधायक जी को झूठा बताया है, मैंने तो आपके आदेश से रोहितास पंडित को 13 तारीख की रात में छोड़ा था । एस० पी० सिटी ने एस० ओ०, कबिनगर से कहा कि तुम्हें नौकरी नहीं करनी है, एस० ओ०; कबिनगर ने कहा कि एस० पी० साहब मेरी नौकरी रहे या जाय, मैं झूंठ नहीं बोलूंगा । मैंने तो आपके आदेश से ही हत्यारे को छोड़ा था । मेरे लिए तो यही दुःख की बात है कि कुशल पाल त्यागी, विधायक जी के भाई ही नहीं, बल्कि बार एसोसियेशन के अध्यक्ष भी हैं और उनकी हत्या मेरे थाने के जूरिस्डिक्शन में हुई है । मेहरबानी है कि गहलौत जी ने इस संबंध में मुख्य मंत्री जी से बात की । मान्यवर, मुलजिम आज भी गाजियाबाद में उसी तरह से घूम रहे हैं । अगर गवर्नमेन्ट मशीनरी ने ऐसा किया तो एक बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो जायेगी और एक खतरनाक स्थिति पैदा हो जायेगी । मैं प्रार्थना करता हूं कि सरकार मानवता के नाते उन हत्यारों को गिरफ्तार करे और कुशल पाल त्यागी के दो बच्चे हैं और उनकी पत्नी है, उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करे ।

* मुख्य मंत्री. (श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मैं माननीय राजपाल त्यागी के दुख में सहभागी हूं । श्री कुशल पाल सिंह जो बार एसोसियेशन के अध्यक्ष, गाजियाबाद की हत्या हुई । यह गम्भीर मामला है और सरकार ने उसे गम्भीरता से लिया है । मोटे तौर पर तीन बातें उभर कर सामने आयी हैं । एक तो हत्यारों की गिरफ्तारी का प्रश्न है और दूसरा कुशल पाल सिंह त्यागी के परिवार और राजपाल सिंह त्यागी के परिवार की सुरक्षा का प्रश्न है और तीसरी बात 15 अप्रैल से पहले किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष यह कहा जाना, जैसा कि आरोप लगाया गया है कि कुशल पाल त्यागी को मार दिया जायेगा । श्रीमन्, मैं तीनों के संबंध में सरकार का पक्ष रखना चाहता हूं । इस माननीय सदन को मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि श्री कुशल पाल सिंह त्यागी के हत्यारों को बहुत जल्दी ही बेनकाब करके गिरफ्तार करेंगे । अभी 5-6 टीमें बना दी गयी हैं, परसों तक 4 ही थीं, 35 स्थानों पर छापे मारे जा चुके हैं और भी स्थानों पर छापे मारने की योजना बनायी गयी है, लेकिन यहां पर उनका उल्लेख करना उचित न होगा, लेकिन मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि शासन ने इसे गम्भीरता के साथ लिया है और बहुत जल्दी उनको हम गिरफ्तार करेंगे और वह सजा पायेंगे । मान्यवर, दूसरा प्रश्न उठता है, सुरक्षा का, तो मैं पुनः बड़ी नम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि कुशल पाल सिंह त्यागी के परिवार की सुरक्षा और श्री राजपाल के परिवार की सुरक्षा, जो वादी हैं एफ० आई० आर० में उनकी सुरक्षा और जो चश्मदीद गवाह हैं उनकी सुरक्षा का शासन ने प्रबन्ध कर दिया है । थाने में किस पुलिस अधिकारी के सामने यह कहा गया कि कुशल पाल सिंह त्यागी

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वलोकन नहीं किया ।

को जान से मार देंगे, इस बात की भी गहराई से छानबीन कर ली जायेगी और अगर किसी का दोष बनता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होगी, हम वास्तव में बहुत दुखी हैं कि उनकी निर्मम हत्या हुई है। श्रीमन्, पूरी मुस्तैदी के साथ कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, इस सदन की सर्वमान्य परम्परा रही है माननीय मुख्य मंत्री जी भी इससे अवगत हों कि जब कोई सम्मानित सदस्य इस सदन में पूरी जिम्मेदारी के साथ कोई बात कहता है तो उसकी जांच नहीं करायी जाती है। मान्यवर, राजपाल त्यागी जी भी स्पष्ट रूप से चाहेंगे कि उनके भाई के सही हत्यारे कानून की गिरफ्त में आयें वह कभी नहीं चाहेंगे कि उनके भाई के हत्यारे घूमते रहें और बेगुनाहों को परेशान किया जाय। वह पूरे विश्वास के साथ कह रहे हैं कि मेरे सामने रोहितास पंडित उपस्थित था, एस० पी० सिटी ने कहा कि इसने कहा है कि मैं तुम्हारे भाई कुशल पाल त्यागी की हत्या करूंगा। यह घटना तारीख 12 की है उस समय विधायक श्री राजपाल त्यागी ने अनुरोध किया था कि इसने अपना इरादा बता दिया है कि मेरे भाई की हत्या करना चाहता है इसको छोड़िये नहीं और अगर छोड़िये तो मेरे भाई की व्यापक सुरक्षा का प्रबन्ध कर दीजिए ताकि उनकी हत्या न हो सके। अब माननीय सदस्य सुखबीर सिंह गहलौत दूसरे सदस्य हैं ये कांग्रेस से हैं और वे जनता दल के हैं दोनों सदस्य बार-बार कह रहे हैं कि एस० पी० सिटी ने ऐसा कहा। मुख्य मंत्री जी अपनी जिद आप छोड़ दीजिए। आप क्या चाहते हैं कि विरोधी दल का एक-एक विधायक मार दिया जाय उनके परिवार का सफाया हो जाय ? दो विधायक आपसे कह रहे हैं और आप जांच की बात कर रहे हैं। कहीं मानवता की बात करिये, आप इंसाफ करना चाहते हैं तो इन विधायकों की बात पर विश्वास करते हुए आप उन पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही कीजिए अगर ऐसा नहीं कर सकते हैं तो हम जनता के बीच में जायेंगे और अपनी सुरक्षा की गुहार करेंगे। अगर इन दो विधायकों की बात का सम्मान करते हैं तो ठीक है नहीं करते हैं तो हमें आपकी झूठी दिलासा नहीं चाहिए।

* नेता विरोधी दल कुंवर रेवती रमण सिंह–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी माननीय राजपाल त्यागी जी ने जिस घटना का जिक्र किया वह इतनी हृदय विदारक घटना है। मान्यवर, मैं आपकी निष्ठा पर, आपके उस पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं लेकिन इतना जरूर आपसे अपेक्षा करूंगा और याद भी दिलाना चाहता हूं कि आज यह प्रदेश में ऐसी घटनायें बढ़ती जा रही हैं उसमें इस घटना में सबसे बड़ा फर्क यह है कि एस० पी० सिटी, गाजियाबाद ने स्वयं बुलाकर माननीय राजपाल त्यागी जी से यह बात कही सुखबीर सिंह गहलौत, माननीय सदस्य, गाजियाबाद से भी उन्होंने यह बात कही। मान्यवर, सबसे बड़ी चिन्ता का विषय यह है कि उसके बाद बात कहने के बाद जिन परिस्थितियों में उन अभियुक्तों को छोड़ दिया गया तो खुलेआम इस बात का एलान कर रहे थे कि हम कुशल पाल त्यागी की हत्या करेंगे। मान्यवर, इससे गम्भीर आरोप किसी प्रशासनिक अधिकारी पर और दूसरा हो नहीं सकता। राजपाल त्यागी जी को मैं वर्षों से जानता हूं उन्होंने आज तक विधान सभा में कभी किसी आफिसर के ऊपर या किसी के ऊपर आरोप-प्रत्यारोप नहीं लगाये। आज उनके सगे भाई की हत्या हुई और वह अभियुक्तों के खिलाफ कोई बात नहीं कह रहे हैं लेकिन एस० पी० सिटी जिन्होंने यह बयान दिया है उनके खिलाफ आप साक्ष्य के रूप में सुखबीर सिंह

---

* वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

गहलौत भी मौजूद हैं । मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि अगर आप पूर्व दृष्टान्त चाहेंगे तो मौजूद हैं । मा० हरीश जी के मामले में पूरा सदन एक मत होकर उस समय के तत्कालीन मुख्य मंत्री के पास आपके साथ हम सब नेता लोग गये थे और उस समय केवल अपमान की बात थी । जिसमें कि कार्यवाही हुई थी । मैं चाहूंगा कि सदन में भले ही घोषणा न करें, लेकिन आपके कार्यालय में मा० मुख्य मंत्री जी जो समय निर्धारित कर दें इस बात का फैसाला जरूर होना है कि जिस प्रशासनिक अधिकारी ने इस तरह का आचरण किया है उसके खिलाफ कार्यवाही जरूर होनी चाहिए । उसका स्थानान्तरण कर दें इसके बाद जांच करवा लें । स्थानान्तरण कोई सजा नहीं होती है । कोई भी बड़े से बड़ा अफसर इस तरह की हरकत करता है तो उसे अहसास होना चाहिए कोई अफसर इस तरह की हरकत करके बच नहीं सकता, इसका मतलब षड़यंत्र में वह भी शामिल था । नहीं तो इनको बुला कर उसने कहा और हत्या हो गयी । इस तरह से लोग मरते जायें और आप सुरक्षा देते जायं इससे क्या फायदा । मैं स्वयं और विपक्ष के सभी विधायकगण आपकी सुरक्षा वापस करने के लिए तैयार हैं । यह मानवता और इन्सानियत का सवाल है, शासन पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है । आप कहते हैं कि जांच करा लेंगे तो पहले स्थानान्तरण कर दीजिए फिर जांच करवा लीजिए अगर दोषी पाया जाय तो आई० पी० सी० की धारा-120 और सी० आर० पी० सी० में मुकदमा दर्ज करके जेल भेजिए । ऐसी दुघटनाओं पर तो कहीं तो रोक लगे । अगर आप रक्षा नहीं कर सकते, एक आदमी चिल्लाकर कह रहा है कि जान का खतरा है, मुल्जिम थाने में कह रहा है कि जान से मार देंगे, आप जांच क्या करायेंगे ? हमको भी उधर बैठने का मौका मिला है । भावनाओं का भी ख्याल किया कीजिए । जो नीचे से लिखकर आ जाय उसी पर सफाई दे रहे हैं यह ठीक नहीं है ।

श्री विजय सिंह राणा–

मा० अध्यक्ष जी, मुख्य मंत्री जी की निष्ठा पर कोई संदेह नहीं है परन्तु श्री राजपाल त्यागी की थरथराती हुई आवाज उनकी कांपती हुई बोली और आंखों से झरते हुए आंसुओं की धार देख कर ऐसा लगता है कि आगे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है । उन्होंने एक कही बैननि, अनेक कही नैननि, रही सही सोऊ, कहि दीनी हिचिकिन सों । जब श्री राजपाल त्यागी बोल रहे थे तो ऐसा लगता था कि कोई बात रह नहीं गयी । आपने तीन बिन्दुओं पर प्रकाश डाला, तीन ही बिन्दु मैं रखना चाहता हूं । मेरठ, बुलन्दशहर, गाजियाबाद और मुजफ्फरनगर में स्वयं पता लगा लें कि वहां के अपराधी आखिर किस संरक्षण में पल रहे हैं ? आपने कहा कि छापा मारा जा रहा है । टोलियां बना दी गयीं हैं फिर कहना चाहता हूं कि कहां छापा मारा जा रहा है ? कहां टोलियां बनाई जा रही हैं, मेरठ और मुजफ्फरनगर के सारे अपराधी पुलिस के संरक्षण में जी रहे हैं और सारा अपराध कर रहे हैं, फिर कहां छापा मारा जा रहा है ? कहां, कितने छापे मारे जा रहे हैं, कल हरेन्द्र मलिक ने कहा था, गाजियाबाद में हत्याकाण्ड होते हैं, अपराधी पकड़े जायं, वह मुजफ्फरनगर के सी० ओ० (सिटी) के यहां सोते हैं । यह सिलसिला कानूनी मशीनरी के अन्दर चल रहा है तो फिर छापे की बात छापे डालने वालों की बात कहां रह गयी, वह कहां स्टैण्ड करते हैं, यह आप समझ सकते हैं । माननीय राजपाल त्यागी ने एक बात कही है तीन दिन पहले हत्यारे पुलिस के यहां थे और यही बात खुलकर सभी माननीय सदस्यों के सामने आ गयी । मैं पूछना चाहता हूं कि वहां की जी० डी० देखी गयी उसमें इन्ट्री है कि उनको क्यों पकड़ा गया वे क्यों आये थे थाने में उनसे कोई बात हुई थी किस प्रसंग में वहां आये थे अगर जी० डी० में इन्ट्री नहीं है तो पुलिस की इन्ट्री, इन्टेग्रिटी दोनों स्वतः साफ हो जाती हैं । जितने बड़े-बड़े भू-माफिया हैं, उनकी अथाह धन शक्ति के बल पर अपराध कर रहे हैं और वहां अपराध केवल एक अपना उद्योग बना कर पनप रहे हैं, वहां पर सामान्य जांच की प्रक्रिया, सामान्य गति से नहीं चल सकती है । वहां कुछ

विशेष ही करना पड़ेगा । मा० मुख्य मंत्री जी आपकी भावनाओं पर कहीं कोई सन्देह नहीं है किन्तु मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि आपकी भावनायें पवित्र हैं, आपकी निष्ठा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं तो यह सारे के सारे प्रसंग में जो जांच बिन्दु हैं । वह कम से कम आपके सामने स्पष्ट हो चुके हैं । मैं चाहता हूं कि जांच बिन्दु यही रहें, जांच की प्रक्रिया कहां से निष्पक्ष रूप से चल सकती है, जायज ढंग से चल सकती है, उस प्रक्रिया को चयन करने का काम आपका है हम उसमें कहीं हस्तक्षेप नहीं करना चाहते हैं । पर हमें यह लगे तो सही कि कहीं कुछ हो रहा है । यह बहुत बड़ी घटना है । क्योंकि एक विधायक होने के नाते एक घटना जिस रूप में हो गयी, उनसे उनका महत्व स्थापित हो गया अन्यथा सामान्य रूप से तो बहुत घटनायें होती हैं, बहुत से लोग जान पर खेल चुके हैं, बहुत से निर्दोष लोग स्वर्ग सिधार चुके हैं, पर इस तरह की गम्भीरता नहीं आयी । लेकिन आज यह चीज पैदा हो गयी है । इसमें यह राजपाल त्यागी के भाई के हत्यारे पकड़े जायेंगे, उनके साथ कार्यवाही होगी ही, उनके साथ जो कुछ होना होगा, वह होगा, लेकिन वहां की सामान्य जनता न्याय प्राप्त कर सके, सामान्य ढंग से जीवन यापन कर सके, उस संबंध में तुरन्त प्रभावी और सटीक निर्णय लें जिसमें हम लोगों को भी लगे कि कहीं न्याय से विचलित नहीं हो रहे हैं, न्याय के पथ पर हैं । हम चाहते हैं कि जैसे कि न्याय प्रक्रिया है, न्याय होना ही नहीं चाहिए बल्कि सामान्य जनता को लगना चाहिए कि न्याय हो रहा है ऐसी प्रक्रिया सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, अभी जब माननीय विधायक अपनी बात रख रहे थे तो आपने महसूस किया होगा कि इस पक्ष के उस पक्ष के माननीय सदस्य बड़े गहरे दुख में डूब गये थे । मान्यवर, हर चौथे, पांचवे दिन जब से इस आदरणीय सदन की बैठक हो रही है, प्रतिदिन हमारे पक्ष से इस प्रकार के दुख भरे अवसर जो उनके परिवारों पर बीतते हैं, हम लोगों पर बीतते हैं यह उचित नहीं है । मान्यवर, आप जानते हैं कि लोकतंत्र में विपक्ष की एक खास जिम्मेदारी होती है और हम लोग आपकी अनुइ से ऐसा कह रहे हैं जिससे बाहर घूम रहे अपराधी, मैं तो पूरी विनम्रता के साथ और खुलकर कहना चाहता हूं कि राजनीति संरक्षण पा रहे अपराधी और पुलिस के संरक्षण में छुट्टा घूम रहे अपराधी, विपक्ष के परिवार के लोगों को माननीय सदस्यों को और उनकी पूरी पार्टी को एक सुनियोजित षडयंत्र के तहत खत्म करना चाहते हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि जो हत्या हुई थी, विधायक के भाई की और विद्वान अधिवक्ता की, यह बड़ा दुखद प्रसंग है चूंकि पुलिस के उच्च अधिकारियों को इसकी जानकारी थी तो आप इस प्रसंग की जांच करायें । तो श्रीमन्, विधायक जी ने जो रोकर कहा है, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता हूं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि जो बात उन्होंने कही है उसे सत्य मानकर उस अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही की जाये और मुख्य मंत्री एवं उनकी सरकार नये सिरे से अपने कार्यशैली पर विचार करें । ऐसा क्यों होता है कि विपक्ष के लोग बार-बार मारे जाते हैं, सताये जाते हैं, उनके परिवार के लोग असुरक्षित हैं तो इस मौके का लाभ उठाकर माननीय मुख्य मंत्री जी एवं उनकी सरकार आत्म विश्लेषण करे कि क्या इसी तरह से लोकतंत्र चलता है ? आज हम लोग असुरक्षित हैं, हमारे परिवार के लोग मारे जा रहे हैं तो इस विषय को गम्भीर मानकर यह सरकार अपनी कार्यशैली पर विचार करे । कहीं कोई त्रुटि, श्रीमन्, जरूर हो रही है इसलिए ऐसे प्रसंग बार-बार आते हैं, हम लोग को स्वयं अच्छा नहीं लगता, हम स्वयं यह नहीं चाहते कि हम इस तरह के प्रसंग उठायें लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं तभी इसे उठाते हैं, हम लोग यहां पर जनता की समस्यायें उठाने आये हैं । मान्यवर, सरकार ने भी यह माना है कि हत्यायें बढ़ी हैं, इसलिये तो मुख्य मंत्री जी व सरकार को चाहिए कि अपनी कार्यशैली पर फिर से विचार करें । तो

श्रीमन्, आपसे आग्रह करूंगा कि माननीय विधायक जी ने जो कुछ कहा है उसको सत्य मानते हुए कार्यवाही की जाये और इसको राजनीतिक रंग न दिया जाये ।

श्री कल्याण सिंह–

श्रीमन्, मैंने स्वयं ही इस निर्मम हत्या काण्ड को गम्भीरता से लिया है और मैं पुनः दोहराना चाहता हूं कि किसी भी प्रकार के अपराधी को कोई संरक्षण नहीं देने दिया जायेगा और किसी भी अपराधी को बक्शा नहीं जायेगा, हम अपराधियों से मुक्त करना चाहते हैं इस विषय पर भी मैंने तीन बिन्दुओं में संक्षेप में कुछ बातें कही थीं । मैंने अपनी समझ से कदाचित ऐसी कोई बात नहीं कही जिसमें इतनी उत्तेजना व्यक्त की जाती । माननीय नेता विरोधी दल ने एक बात कही है कि मेरे कक्ष में बैठ कर बातचीत करना चाहेंगे तो मैं उससे सहमत हूं ।

बांदा जनपद के विकास खण्ड जसपुरा के ग्राम मरझा के नीचे तुर्रा नाले पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में याचिका †

श्री विशम्भर प्रसाद निषाद–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से बांदा जनपद के विकास खण्ड जसपुरा के ग्राम मरझा के नीचे तुर्रा नाले पर पुल निर्माण कराये जाने के संबंध में श्री जागेश्वर, प्रधान, ग्राम सभा झंझरी, जनपद बांदा आदि द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं ।

[समय 1 बजकर 35 मिनट]

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा समय निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

मद संख्या-6 पर कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिशों के संबंध में प्रस्ताव की सूचना है, यदि आप लोगों की अनुमति हो तो इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

(सदन की सहमति से सूचना पढ़ी हुई मानी गयी ।)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 21 अप्रैल, 1992 की बैठक में सदन के दिनांक 22 अप्रैल, 1992 से 13 मई, 1992 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित सिफारिशें की हैं :–

1–दिनांक 5 मई, 1992 को सदन की बैठक न रखी जाय और उस दिन के लिए निर्धारित पर्यावरण विभाग, वन विभाग तथा उत्तरांचल विकास विभाग के अन्तर्गत अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान को दिनांक 6 मई, 1992 के लिए निर्धारित विभागों के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान के पश्चात् रखा जाय ।

2–दिनांक 6 मई, 1992 को नियम-56, नियम-300 तथा नियम-311 की सूचनायें न ली जायं ।

---

† छापी नहीं गयी ।

नोट :– [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया ।

3–सदन के दिनांक 22 अप्रैल, 1992 से 13 मई, 1992 तक के उपवेशनों के कार्यक्रम को निम्नलिखित संशोधित रूप में निर्धारित किया जाय :–

अप्रैल, 1992

22 बुधवार		वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
23 गुरुवार	..	1–उत्तर प्रदेश गोवध निवारण (संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं उसका पारण–आधा घण्टा ।
		2–वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
24 शुक्रवार	..	1–दण्ड प्रक्रिया संहिता (उत्तर प्रदेश संशोधन) विधेयक, 1992 पर विचार एवं उसका प्रारण–आधा घण्टा ।
		2–वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
25 शनिवार 26 रविवार	..	बैठक नहीं होगी ।
27 सोमवार 28 मंगलवार	..	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
29 बुधवार 30 गुरुवार		
मई, 1992		
1 शुक्रवार 2 शनिवार 3 रविवार 4 सोमवार 5 मंगलवार	..	बैठक नहीं होगी ।
6 बुधवार 7 गुरुवार 8 शुक्रवार	..	वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

9 शनिवार	..	बैठक नहीं होगी ।
10 रविवार		
11 सोमवार	..	1–वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान ।
		2–4:00 बजे अपराह्न
		उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 1992 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण ।
12 मंगलवार	..	असरकारी दिवस।]
13 बुधवार		

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य-मंत्रणा की सिफारिश, जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश के संबंध में मा० संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उससे यह सदन सहमत है ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सदस्यों के अधिकाधिक चर्चा में भाग लेने हेतु कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा निर्धारित समय में परिवर्तन किये जाने का सुझाव

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, कार्य-मंत्रणा समिति सदन के कार्य-संचालन को तय करती है, परन्तु मैं विगत दिनों से यह देखता आ रहा हूं कि एक दिन में तीन-तीन, चार-चार बजट रख दिये जा रहे हैं, फलस्वरूप सदन का कार्य देर रात बारह बजे तक चलता है । इस कारण जो अन्य विषय हैं, जैसे नियम-51, 49 आदि में चर्चा नहीं हो पा रही है । ऐसा करके अन्य विषयों के साथ न्याय नहीं हो रहा है, इसलिए मेरा सुझाव है कि इसमें थोड़ा परिवर्तन किया जाय ताकि जो अन्य विषय हैं उन पर चर्चा हो सके ।

श्री अध्यक्ष–

इस सत्र में मैं देख रहा हूं कि माननीय सदस्यों में जागरूकता बहुत दिखायी पड़ी है । मैंने देखा है कि एक-एक विभाग की अनुदान मांगों पर पैंतीस-चालीस के करीब मा० सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया है । आमतौर से जो प्रक्रिया अपनाई जा रही है कि विभिन्न दलों के नेताओं से नाम इस पीठ पर आ जाते हैं और उन्हें बोलने की अनुमति दी गयी है, इसके अतिरिक्त भी जो माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं उन्हें भी यथासम्भव समय दिया जाता है । जिन लोगों ने इच्छा प्रकट की है, लगभग 90 प्रतिशत लोगों

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

को बोलने का अवसर मिला है । यदि मा० नेता विरोधी दल यह तय कर लें कि उनके दल के चार-पांच माननीय सदस्य जो उस विषय में उत्तम ज्ञान रखते हों, ही बोलेंगे । इसके साथ ही वह समय सीमा को भी सीमित रखें तो यह सदन नौ बजे समाप्त हो सकता है ।

*नेता विरोधी दल (कुंवर रेवती रमण सिंह)–

मान्यवर, हमारे इस सदन में बहुत से नये माननीय सदस्य आये हुए हैं । सामान्य रूप से उन्हें बोलने का मौका नहीं मिल पाता है और बजट पर ही वह अपनी बात कह पाते हैं । दूसरा एक दिन में कई बजट यहां प्रस्तुत हुए हैं । भविष्य में इस बात का ध्यान जरूर रखा जाना चाहिए चाहे इसमें समय अवधि बढ़ा दें बजट में 19-20 दिन के बजाय 25-30 दिन कर दिये जायं । बहुत महत्वपूर्ण बजट पर आधे दिन में चर्चा समाप्त हो जाती है । जो आप कह रहे हैं आपका आदेश शिरोधार्य है ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आदेश नहीं सुझाव दे रहा हूं ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मैं निवेदन कर रहा था कि सभी माननीय सदस्य 12 बजे तक बैठे रहते हैं, इसीलिए बैठते हैं कि उनको बोलने का मौका मिलेगा नये सदस्यों को हमें बधाई देनी चाहिए ।

श्री अध्यक्ष–

वे बधाई के पात्र हैं वह तो मैंने पहले ही कहा ।

कुंवर रेवती रमण सिंह–

मेरा सुझाव है इस समय तो नहीं हो पायेगा लेकिन भविष्य में इस बात का ध्यान रखा जाय हमारी नियमावली में प्राविधान कर दें 19 दिन या 22 दिन के बजाय 30 दिन, 25 दिन या 26 दिन बजट के लिए कर दें । महत्वपूर्ण बजट पर पहले दो दिन की चर्चा होती थी तो यह व्यवस्था फिर से देख लें नियम समिति में और कार्य-मंत्रणा समिति में ।

श्री अध्यक्ष–

मैं आपका सुझाव नियम समिति के समक्ष रख दूंगा ।

नियम 311 एवं 56 की समेकित कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

नियम 311 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को नियम 56 में परिवर्तित कर दिया गया है । इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 22 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिनमें शलाका के द्वारा 9 सूचनायें चयनित की गयीं–पहली सूचना माननीय प्रमोद तिवारी, माननीय बेनी प्रसाद वर्मा, माननीय नरेश अग्रवाल, माननीय हृदय नारायण दीक्षित, माननीय सुरेन्द्र नाथ अवस्थी और माननीय कुंवर रेवती रमण सिंह जी द्वारा हस्ताक्षरित प्रदेश की राजधानी लखनऊ में दो गुटों के मध्य हुए खूनी संघर्ष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में हैं । मेरा ख्याल है जिन 6 माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं उनमें से कोई दो जो विषय पर बोलना चाहते हों बोल लें ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

सब को बुलायें ।

श्री अध्यक्ष–

अच्छा एक-एक मिनट सब बोल लें । लेकिन जिन माननीय सदस्यों के हस्ताक्षर हैं, वही बोलें ।

(श्री प्रमोद तिवारी का नाम पुकारे जाने पर)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

बाकी जो सूचनायें हैं उनको भी पढ़ दें ।

श्री अध्यक्ष–

ठीक है दूसरी सूचना श्री भारत सिंह रावत और श्री मुन्ना चौहान जी की है, तीसरी सूचना माननीय अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी की है, चौथी सूचना माननीय महेन्द्र सिंह भाटी, माननीय नरेन्द्र सिंह भाटी जी की है, पांचवीं सूचना माननीय हृदय नारायण जी की है इसी विषय पर माननीय महराज सिंह यादव और माननीय धनीराम वर्मा जी की है । छठी सूचना माननीय निर्वेन्द्र कुमार जी की है, सातवीं सूचना माननीय फरीद महफूज किदवई जी की है (व्यवधान)

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मान्यवर, हमारे साथ यह नाइंसाफी क्यों ?

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

नियम 300 में सुन लिया है ।

श्री मोहम्मद रिजवानुल हक–

मेरी अग्राह्य क्यों कर दी ?

श्री अध्यक्ष–

क्रम से चलने दें सुन लूंगा । (व्यवधान) बाद में आयेगा । (व्यवधान)

माननीय आजम खां साहब ने जो सूचना दी है उसमें विधान सभा के एक विभाग के बारे में है टेलीफोन आदि की बातें हैं मैंने सचिव को निर्देश दे दिया है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं अपनी बात कह लूंगा तो मन हल्का हो जायेगा ।

श्री अध्यक्ष–

अन्त में सुन लूंगा । आठवीं माननीय मोहम्मद हसन साहब की है और नवीं माननीय श्री मोहम्मद रिजवानुल हक साहब की है ।

* नेता विरोधी दल (कुंवर रघुवीर रमण सिंह)–

मान्यवर, मैंने बुनकरों के बारे में दी थी ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री अध्यक्ष–

आप जानते हैं कि श्लाका में जितनी सूचनायें आती हैं वही लेते हैं ।

* श्री प्रमोद तिवारी–

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले 11 माह में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक कीर्तिमान बनाया है और वह यह है कि विरोधी पक्ष के सदस्यों और उनके परिवार जनों को फर्जी मुकदमों और जाली केसों में फंसाया गया है । मान्यवर, 9 अप्रैल को भयमुक्त समाज का नारा देने वाली सरकार को राजधानी में विधान सभा से थोड़ी दूर पर दो गुटों के बीच भयंकर गोलीबारी और सरकार को उसकी कोई सूचना नहीं । मैंने सबसे पहले यहां सम्मानित सदन को सूचित किया था कि यहां से थोड़ी दूर पर दो गुटों में गोलीबारी चल रही है । इसमें सब से ज्यादा दुःख की बात यह रही है कि हमलावर जो आये और जिन्होंने वहां गोलीबारी करके आतंक बरसाया और लोगों को घायल किया उन्हें तो इनकी पुलिस पकड़ नहीं पायी किन्तु बदमाशों की गोलीबारी से जिन्होंने बचने का प्रयास किया और अपने प्राण रक्षा के लिए एक कमरे में शरण ली उन्हीं को एक पुलिस के अधिकारी ने गोली मार दी ।

मुझे इस संदर्भ में कुछ नहीं कहना है । जो जांच चल रही हो, वह चले । उस दिन प्रातः काल से हरिशंकर तिवारी जी सदन में मौजूद थे । क्योंकि उस दिन बजट था और उस बजट अनुदान पर माननीय हरि शंकर तिवारी जी को कटौती का प्रस्ताव भी रखना था । उन्होंने पूरा कटौती का प्रस्ताव भी रखा था और शेष समय यहां रहे भी और दूसरे दिन भी वह यहां रहे और कार्यवाही में भाग लेते रहे । फिर जाने कहां से यह बात सामने आयी, एक बात सामने उभर कर आई कि उसमें उनका भी हाथ था । जबकि 17 तारीख को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा था कि इस काण्ड में श्री हरिशंकर तिवारी, जो विधान सभा के सदस्य हैं और उनके भांजे श्री पाण्डेय, जो विधान परिषद् के सदस्य हैं, वांछित नहीं हैं । लेकिन बाद में पता नहीं किन स्थितियों में, कौन सी परिस्थिति बनी कि अब उनको उस मामले में गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा है और उन लोगों को टाडा में गिरफ्तार करने की कार्यवाही की जा रही है । मैं नहीं जानता हूं, माननीय मंत्री जी जब इसका जवाब देने खड़े हों तो वह इसको भी बता दें कि क्या लखनऊ में यह टाडा नोटीफाइड है या नहीं । जो माननीय सदस्य इस सदन की कार्यवाही में पूरे दिन भाग ले और सदन में बैठा रहे दूसरे दिन की सदन की कार्यवाही में भाग ले और कहीं जाता भी नहीं । उसको इस तरह से फंसाया जा रहा है । लेकिन मात्र चूंकि उनको फंसाना है इसलिए 120 का आधार लेकर कांसप्रेशी की बात कह कर उनको फंसाने का प्रयास किया जा रहा है । इसके पीछे उनका आधार यह है कि लखनऊ की पुलिस ने इनके बारे में सूचित किया है मैं मुख्य मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि जिस समय यह घटना हुई है, उसके तुरन्त बाद एस० ओ० हजरतगंज, सी० ओ०, डी० आई० जी० और आई० जी० तक सब छोटे-बड़े अधिकारी, पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंच गये । जब सब वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंच गये हैं और यह विवाद का विषय है कि जिसकी हत्या की गयी है उसकी गोली मारकर हत्या की गयी है या हत्यारों द्वारा हत्या की गयी है और जब इसमें कहा जा रहा है कि एक पुलिस अधिकारी की गोली से वह मरे हैं तो पुलिस के इन्वेस्टीगेशन का क्या आधार दिया जा सकता है ? जब एक वरिष्ठ सदस्य को ऐसे मुकदमों में फंसाने का प्रयास किया जा रहा है जिसमें वह सारे दिन सदन में उपस्थित रहे हैं तो इसकी आप कृपया निष्पक्ष जांच करायें । निष्पक्ष जांच जब डी० आई० जी० और आई० जी० स्तर तक के अधिकारी वहां थे तो कोई पुलिस का आदमी नहीं कर सकता है इसलिए इसमें जांच हो.....(व्यवधान) .....17 तारीख को पुलिस ने कहा है कि वह और उनके भांजे वांछित नहीं हैं । इसलिए यह इस सम्मानित सदन के सदस्य की प्रतिष्ठा का प्रश्न है, जीवन-मरण का प्रश्न है आप जांच करा लें सीधे सी० बी० सी० आई०डी० से करा लें ताकि गुनहगार सामने आ सकें ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

श्रीमन्, इस सदन से बड़ी और कोई जगह नहीं हो सकती है और न ही इससे बड़ी कोई गवाही हो सकती है, जिस दिन यह घटना हुई है उस दिन श्री हरि शंकर तिवारी इस सदन में मौजूद थे और उन्होंने उद्योग विभाग पर कटौती का प्रस्ताव भी पेश किया था । उसके बाद दो दिनों तक उनके सम्बन्ध में पुलिस अधिकारियों ने बताया कि उन की इस घटना से कोई संबंध नहीं है । तीन दिन के बाद लगातार यह प्रचार किया जा रहा था कि श्री हरि शंकर तथा उनके पुत्र ने हजरतगंज में यह बहुत बड़ा काण्ड करवाया और उनका हाथ है । श्री हरिशंकर तिवारी का मेरे पास एक तार मेरे नाम आया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि मैं विधान सभा की कार्यवाही में हिस्सा लेना चाहता हूं किन्तु पुलिस मुझे घेरे है और सदन में आने से मुझे रोका जा रहा है, कृपया मेरी सुरक्षा की व्यवस्था की जाय जिससे मैं सदन की कार्यवाही में हिस्सा ले सकूं । चूंकि वह यहां पर बैठे थे और उस दिन कटौती का प्रस्ताव पेश किया था इसलिए इससे बड़ा कोई साक्ष्य नहीं हो सकता है और बाकी बातों के बारे में श्री प्रमोद तिवारी जी ने अभी बताया है ।

मान्यवर, श्री हरि शंकर तिवारी इस काण्ड के दिन जब यहां उपस्थित रहे तो उन पर इस प्रकार की कार्यवाही का किया जाना न्यायसंगत नहीं होगा । अन्यथा, यह माना जायेगा कि प्रथम दृष्टया राजनीतिक विद्वेष के आधार पर उनको फंसाया जा रहा है और उनके खिलाफ षड्यंत्र रचा जा रहा है तथा उनको बहुत बड़े कुचक्र में फंसाने

(इस समय 1 बज कर 53 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पीठासीन हुए ।)

की बात की जा रही है । मान्यवर, आज सम्पूर्ण विपक्ष को इस सरकार के अधिकारी धौंसियाने की बातें करते हैं और जब हममें से कोई यहां किसी अधिकारी की आलोचना करते हैं तो पता नहीं कि हम पर कौनसी धारा लगाकर क्षेत्र में जाने पर मुकदमे में फंसा दिया जाये और कहा जाय कि अमुक मामले में आपकी साजिश है । इस तरह कोई विधायक, कोई व्यक्ति जो सरकार की आलोचना करता है वह सुरक्षित नहीं रहेगा और इस तरह फिर न लोकतंत्र रहेगा न सदन की गरिमा और सुरक्षा रहेगी । इसलिये जैसा श्री प्रमोद तिवारी जी ने इस मामले में सी० बी० सी० आई० डी० से जांच करवाने की जो मांग किया है उसका मैं समर्थन करता हूं और अनुरोध करता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक कर इसमें आप चर्चा करायें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

श्रीमन्, हम इस सदन में यह नहीं कहने आये हैं कि सत्ता पक्ष या विपक्ष का कोई सदस्य कोई जुल्म करता है तो उसको बचाना है । लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि सत्ता रूढ़ दल दो तरह के मानक तैयार करके ठीक काम नहीं कर रहा है । चूंकि इससे विपक्ष के विधायक की कोई सुरक्षा नहीं रहेगी, यदि वह सुरक्षित है तो उसे झुठे मामले में फंसाया जायेगा और सत्ता पक्ष का कोई मंत्री या कोई सदस्य कोई गलत कार्यवाही करेगा तो उसको बचाया जायेगा, इसलिये मुझे शंका होती है । मान्यवर, लखनऊ के विधायक श्री राम कुमार शुक्ला ने एक मकान पर गुण्डों द्वारा कब्जा कर लिया लेकिन उनके खिलाफ कोई मुकदमा दायर नहीं हुआ । इसी तरह शिक्षा मंत्री जी की पत्नी ने इलाहाबाद में और श्री चन्द्र शेखर ने बस्ती में मकानों पर कब्जा किया लेकिन उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई और हम लोगों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जाता है. । माननीय हरि शंकर तिवारी उस दिन यहां मौजूद थे । यह बात न्यायालय में भी उठाई गई कि जिस समय यह घटना हुई उस समय तिवारी जी सदन में मौजूद थे और

शंका इसलिये हो रही है जो लोग मारे गये पुलिस की गोली से मारे गये । मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से चाहूंगा कि जब वह उत्तर दें तो यह जरूर स्पष्ट कर दें कि जो व्यक्ति मारा गया उसे तीन गोली लगी थी । यह बता दें कि गोली किस बोर की लगी थी और कितने डिसटेन्स से लगी थी । मेडिकल रिपोर्ट से सिद्ध हो जायेगा कि पुलिस ने उसकी हत्या की । एस० एस० पी० द्वारा 16 तारीख को बयान दिया गया कि हरिशंकर तिवारी और विधान परिषद् के सदस्य पाण्डेय जी का नाम इसमें शामिल किया गया । 17 तारीख को सरकार द्वारा 120 कान्सपिरेसी में नाम है, उन पर टाडा लगाया जायेगा, कहा गया । यह न्याय मान्यवर, विपक्ष के सदस्यों के साथ हो रहा है । यह मैं इसलिये कह रहा हूं कि आप देख लीजिये अगर वास्तव में यह लोग वहां थे तो एफ० आई० आर० में नामजद होना चाहिए था । दूसरा मारा गया आदमी आपराधिक प्रवृति का था । उसको शैडो क्यों दिया गया ? यहां पर आप भी कहते हैं कि अपराधियों को शैडो नहीं दिया जाता । हम आप सब ही कहते हैं कि अपराधियों को संरक्षण नहीं देंगे फिर किसलिये शैडो दिया गया ? मेडिकल रिपोर्ट में यह स्पष्ट है कि नान प्रोबिटेड बोर से गोली मारी गई ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री नरेश अग्रवाल–

माननीय हृदय नारायण जी ने टेलीग्राम की बात कही है । मेरे पास भी माननीय हरि शंकर तिवारी जी का फोन आया था । मान्यवर, अगर सदन में कोई व्यक्ति अपनी बात कहना चाहता है तो उसको रोकना नहीं चाहिए । मेरा माननीय मंत्री जी से निवेदन है कि जैसा माननीय प्रमोद तिवारी जी ने मांग की है सी० बी० आई० सी० बी० सी० आई० से जांच करा ली जाय । दोनों में कोई फर्क नहीं है हमें दोनों पर विश्वास है । जो भी जांच में आये सदन के सामने रख दें । भविष्य में विधायकों की सुरक्षा की ओर ध्यान देना चाहिए । इस तरह से गलत ब्यानी नहीं होनी चाहिए ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, 11 माह इस सदन में एक विषय पर बहुत चर्चा की गई है । इसी पर ज्यादा समय दिया गया है । कानून और व्यवस्था के बारे में बहुत बातें कही गई हैं । लेकिन आज सारे प्रदेश में क़ानून और व्यवस्था की स्थिति बहुत खराब है । हमारे सम्मानित मुख्य मंत्री जी इस बात का दावा करते रहे हैं कि भयमुक्त समाज देंगे, दंगा रहित प्रदेश देंगे । मान्यवर, उस समय सदन में कार्य-स्थगन पर चर्चा हो रही थी नेता कांग्रेस विधान मण्डल दल, श्री प्रमोद तिवारी ने बीच में यह कहा कि विधान सभा सचिवालय से मात्र 100 कदमों की दूरी पर बम काण्ड हो गया, गोली चल रही हैं । मान्यवर, यह सवाल सदन के एक सम्मानित सदस्य पंडित हरिशंकर तिवारी का नहीं है । मान्यवर, मैं उस समय सदन से उठकर अपने निवास की तरफ जा रहा था और हजरतगंज के सिविल अस्पताल के आपात कक्ष में बहुत ज्यादा भीड़ लगी थी । मैंने पूछा कि क्या हुआ । वरिष्ठ पुलिस अधिकारी जो मेरे पास खड़े थे उन्होने कहा कि दो गिरोहों के बीच में मुठभेड़ हुई और उस मुठभेड़ में माफिया सरगना को गोली लगी है । सम्भवतः पुलिस की गोली लगी है । उस समय मैंने उस मामले पर ज्यादा विचार नहीं किया और अपने आवास से होकर सदन में लौट आया । मैंने देखा उस समय माननीय हरि शंकर तिवारी कटौती का प्रस्ताव पेश करने के लिये अपनी तैयारी कर रहे थे । मान्यवर, जो सदस्य सदन में उपस्थित रहा हो, जिसने कटौती का प्रस्ताव पेश किया हो । वह एक ही समय पर दो स्थानों पर कैसे हो सकता है । इस शहर के वरिष्ठ

पुलिस अधीक्षक सम्मेलन में कहते हैं कि किसी सदस्य का नाम नहीं है और दूसरी तरफ उसी व्यक्ति के ऊपर टाडा की कार्यवाही की जा रही है । जिस सदस्य ने अपने कर्तव्यों का पालन किया । सदन के प्रति अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया उसको इसके साथ–साथ टाडा फेस करना पड़ रहा है । मान्यवर, दोनों एक दूसरे के विपरीत परिस्थितियां हैं सदन में अखबार को संज्ञान में नहीं लिया जाए । लेकिन मान्यवर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने यह कहा है कि घटना की विडियो फिल्म है । उत्तर प्रदेश की पुलिस इतनी अकर्मण्य हो सकती है कि फिल्म तो वह बना सकती है, कैमरा तो चला सकती है लेकिन गोली चलाने वाले लोगों को पकड़ नहीं सकती है मौके पर अपराध करने वाले लोगों को यह पुलिस गिरफ्तार नहीं कर सकी ।

श्री उपाध्यक्ष–

समाप्त करें ।

श्री सुरेन्द्र नाथ–

मान्यवर, नेता कांग्रेस विधान मंडल दल ने एक ही बात पर बल दिया है कि जांच करा ली जाए । हम निष्पक्ष जांच चाहते हैं मान्यवर, सम्पूर्ण प्रकरण की गम्भीरता को देखते हुए, इस समय मुख्य मंत्री जी सदन में हैं, मैं अपेक्षा करूंगा कि हमारी भावनाओं को देखते हुए, हमारी बातों को दृष्टिगत रखते हुए सी० बी० सी० आई० डी० या जो जांच आवश्यक समझें उसको करें ।

* मुख्य मंत्री(श्री कल्याण सिंह)–

श्रीमन्, मैं सबसे पहले दो–तीन बातों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं । यह सरकार किसी के भी विरुद्ध राजनीतिक विद्वेष ावना से कोई कार्यवाही नहीं करती है इस सरकार की कोई भावना ऐसी नहीं है कि किसी भी सदस्य को, चाहे वह विपक्ष का सदस्य हो चाहे वह सत्तापक्ष का सदस्य हो उसे परेशान किया जाए । श्रीमन्, यह सरकार कोई भी काम किसी भी प्रकार के राजनीतिक दबाव में नहीं करती है । जहां तक इस घटना का प्रश्न है दो बातें उभरकर सामने आ रही हैं । एक तो 9 अप्रैल, 1992 को एक व्यक्ति मारा गया । दूसरी बात श्री हरिशंकर तिवारी के खिलाफ 120 बी और टाडा लगाया गया। श्रीमन्, मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं सारे मामले को लेकर एफ० आई० आर० कराई जा चुकी है । जहां तक श्री हरिशंकर तिवारी का इस सदन में रहने का प्रश्न है, यह ठीक है कि श्री हरिशंकर तिवारी मौजूद थे, उनके ऊपर यह आरोप भी नहीं है वह मौके पर मौजूद भी नहीं थे । उनके खिलाफ आरोप है कि हत्या के षड़यंत्र में उन्होंने काम किया और इसीलिए 120 बी लगा आज न्यायालय में इसी मामले को लेकर सुनवाई होने जा रही है । जो गिरफ्तार हुए थे उनमें एक पुरेन्द्र तिवारी भी हैं । एक संकेत और देना चाहता हूं ठेके के प्रश्न को लेकर यह सारा हत्याकांड हुआ है । यह शासन उस दुष्प्रवृत्ति को मिटाना चाहता है । जो दुष्प्रवृत्ति प्रदेश में ठेकों को लेकर के हत्याओं की श्रृंखलाओं के सिलसिले में चल चुकी है । हमारी कोशिश है किसी भी प्रकार के ठेकों को बन्दूक की नोकों पर नहीं छोड़ा जाएगा । हमारी कोशिश है कि ठेकों पर हिंसा का सहारा न लें । ठेका जिसके नाम आवे, वह ले । मैं विस्तार में इसमें नहीं जाना चाहता । श्रीमन्, जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं । इसमें एक पुरेन्द्र तिवारी भी हैं उन्होंने बयान दिया है ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री प्रमोद तिवारी–

किस तारीख को बयान दिया है, पुलिस कस्टडी में बयान दिया है या अलग से बयान दिया है ।

श्री कल्याण सिंह–

श्री पुरेन्द्र तिवारी ने इस बात को कुबूल किया है कि हत्या की साजिश श्री हरिशंकर तिवारी के मकान पर बनायी गयी । आज उसी को लेकर अदालत में बहस हो रही है । श्री पुरेन्द्र तिवारी का जो बयान है वह वीडियो कैसेट में कैद है । वीडियो कैसेट अदालत तलब कर रही है । उसके आधार पर अदालत अपना निर्णय देगी । चूंकि यह मामला अदालत में है और आज उस पर सुनवायी हो रही है इस नाते इस संबंध में इससे अधिक टिप्पणी करना मैं उचित नहीं समझता । लेकिन कुछ बातें स्पष्ट करना चाहता हूं । दिन के उजाले की घटना है । वीडियो कैसेट के माध्यम से 120 बी का आरोप लग रहा है जिसका फैसला अदालत देने जा रही है । मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार की एजेंसी से जांच कराने की आवश्यकता है । शासन दृढ़ प्रतिज्ञ है । कोई कितना ही बड़ा आदमी क्यों न हो अगर उसने कहीं दोष किया है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी ।

श्री प्रमोद तिवारी–

मान्यवर, जिस बयान की बात कर रहे हैं वह किस तारीख को लिया गया है पुलिस कस्टडी में बयान लिया गया है या नहीं यह आप नहीं बता रहे हैं । जब खुद पुलिस अधिकारी दोषी हो तो वह जो चाहे वह बयान किसी से दिलवा सकते हैं । [xxx] इसलिए जांच नहीं कराना चाहते हैं । पुलिस अधिकारी स्वयं संदेह के घेरे में हैं । आप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं । आपकी कथनी और करनी में अंतर है । स्वयं आप कहते हैं कि बड़े से बड़े आदमी के खिलाफ कार्यवाही की जायगी लेकिन आपकी निष्पक्षता कहां चली गयी थी इसलिए मैं और मेरे दल के लोग सदन का बहिष्कार करते हैं ।

(श्री प्रमोद तिवारी अपने दल के सदस्यों के साथ सदन त्याग कर चले गये ।)

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है । हमारे नियमों में व्यवस्था है और पूर्व दृष्टांत हैं कि स्पष्टीकरण किन मुद्दों पर होगा । माननीय तिवारी जी ने स्पष्टीकरण का बहाना लेकर अनेकों आरोप लगाना शुरू कर दिया । इस पर आप व्यवस्था दें । मैं निवेदन करूंगा कि जो बातें स्पष्टीकरण का बहाना लेकर की गयी हैं क्या वह सदन की कार्यवाही का अंग रहनी चाहिये ?

श्री उपाध्यक्ष–

कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में ग्राह्यता पर सुना गया और उस पर स्पष्टीकरण पूछने का कोई औचित्य नहीं है और न मैंने उसके लिये अनुमति दी थी । मैं कार्यवाही को देख लूंगा और यदि कोई आपत्तिजनक बात होगी तो वह कार्यवाही से निकाल दी जायगी ।

(घोर व्यवधान)

[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री लालजी वर्मा–

इस मामले में दो पहलू थे । उसमें एक विक्रम बहादुर की हत्या का मामला है । [xxx] उसकी जांच किससे करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं इस विषय को कार्य-स्थगन प्रस्ताव के रूप में अस्वीकार करता हूं । (घोर व्यवधान) आप सब कृपया बैठिये ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप सब कृपया बैठ जायं, माननीय सदस्य व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं । आप सब बैठ जायं, उनको व्यवस्था के प्रश्न की अनुमति दे दी है ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी के बोलने के बाद सबसे पहले मैं खड़ा हुआ था ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप क्यों खड़े हुए ? आपको अनुमति नहीं दी थी ।

श्री स्वामी नाथ यादव–

क्या हमें अधिकार नहीं है ?

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, विक्रम बहादुर सिंह की हत्या [xxx] तो उसकी जांच किससे करायेंगे ? क्या एस० एस० पी० से ही करायेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैंने दीक्षित जी का नाम लिया है । वह व्यवस्था उठा रहे हैं ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, इस घटना में दो पहलू हैं । एक विक्रम बहादुर की हत्या का मामला है । उस पर आक्रमण किया गया और उसकी हत्या की [xxx] स्वयं दौड़कर विक्रम बहादुर की हत्या की । उसकी जांच किस एजेंसी से करायेंगे ? विक्रम बहादुर ठेका न ले सकें इसलिए जानबूझ कर हत्या की गयी ।

श्री उपाध्यक्ष–

मेरा निवेदन सुन लें । वह प्रकरण समाप्त हो चुका है । उसको अग्राह्य कर दिया है । ग्राह्यता पर सुनने के बाद अग्राह्य किया है ।

[xxx] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया जाय ।

विधान सभा प्रदेश

श्री स्वामी नाथ यादव–

[xxx]

श्री उपाध्यक्ष–

आप कृपया बैठें । सूचना पर आपका नाम नहीं है । स्वामी नाथ यादव जी जो कह रहे हैं, लिखा नहीं जायेगा ।

सदन की कार्यवाही का अंश निकाले जाने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, अभी मा० संसदीय कार्य मंत्री के अनुरोध पर मा० प्रमोद तिवारी जी का वह अंश निकालने के लिए कह दिया, जिस अंश में श्रीमन्, आप नियमावली का नियम 304 देखने का कष्ट करें ।

मान्यवर, आप नियमावली के नियम 304 को देखने की कृपा करें । इसका शीर्षक है, "सदन की कार्यवाही से शब्दों का निकाला जाना" । यदि सदन की राय हो, इस सदन में ऐसा कोई शब्द या ऐसे शब्द प्रयुक्त किये गये हैं, जो मानहानिकारक या अशिष्ट या असंसदीय या अभद्र हैं तो वे स्वविवेक से आदेश दे सकेंगे कि ऐसा शब्द या ऐसे शब्द सदन की कार्यवाही में से निकाल दिये जायं । माननीय प्रमोट तिवारी जी ने जो कुछ सदन में कहा वह आपकी अनुमति से कहा और आपने उन्हें रोका नहीं था और न हीं आपने यह कहा था कि तिवारी जी का कथन लिखा नहीं जायेगा, मगर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी के अनुरोध पर आपने तिवारी जी के भाषण को कार्यवाही से निकालने के आदेश दिये हैं, जो नियम प्रतिकूल हैं । इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, दीक्षित जी । मैंने यह कहा था कि मैं इसे दिखवा लूंगा ।

(श्री स्वामी नाथ यादव के खड़े होने पर घोर व्यवधान)

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं । यह लिखा नहीं जायगा ।

नियम 311 एवं 56 की समेकित कार्य-स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, एक स्पष्टीकरण चाहता हूं । (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

ग्राह्यता पर सुन लिया गया और ग्राह्यता पर सुनने के बाद उसे अग्राह्य कर दिया गया है, अब इसमें स्पष्टीकरण का प्रश्न नहीं उठता है ।

(घोर व्यवधान)

माननीय राणा जी मैं इसकी अनुमति नहीं देता । कृपा करके इसको आगे न बढ़ायें, मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं । जो प्रकरण समाप्त हो गया है, उसके लिए मैं अनुमति नहीं देता हूं ।.....

(घोर व्यवधान)

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं केवल एक स्पष्टीकरण चाहता हूं कि इस प्रदेश में अपराधियों की उत्पत्ति और विशेषकर माफिया गिरोह की उत्पत्ति केवल दो जगहों से हो रही है, एक तो ठेकेदारी प्रथा से और दूसरी कोलोनाइजेशन से। माननीय मुख्य मंत्री जी ने ठेकेदारी प्रथा से जुड़े हुए माफियाओं को समाप्त करने की बात तो स्वीकार कर लिया है, किन्तु मैं चाहता हूं कि कोलोनाइजेशन से जुड़े हुए भू-माफियाओं को समाप्त करने के लिए कोई प्रभावी योजना तैयार कर रहे हैं अथवा नहीं ? मेरा यह सुदृढ़ विश्वास है कि इन दोनों क्षेत्रों से उत्पन्न होने वाले अपराध और अपराधियों को नियंत्रित कर लिया गया, तो यह प्रदेश निश्चित रूप से भय मुक्त बन जायगा।

(घोर व्यवधान)

श्री लाल जी वर्मा–

[x x x]

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

मेरी अनुमति के बिना आप जो बोल रहे हैं वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री स्वामी नाथ यादव–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

यह सदन का समय है। एक माननीय सदस्य का नहीं है। मैं इसे बरबाद नहीं होने देना चाहता हूं।

श्री स्वामी नाथ यादव–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं। स्वामी नाथ यादव जो कुछ बोल रहे हैं, वह नहीं लिखा जायेगा।

(व्यवधान)

माननीय भारत सिंह रावत जी क्या आप नहीं बोलना चाहते हैं ? आप अपनी बात कहें।

(व्यवधान)

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, मैं जनपद देहरादून के बुलाकी गांव.....

(व्यवधान)

[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री स्वामी नाथ यादव–

[x x x]

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया बैठ जायें । स्वामी नाथ जी आप सदन छोड़ें । यह अन्तिम चेतावनी है, आप सदन को छोड़ें ।

(श्री स्वामी नाथ यादव सदन त्याग कर चले गये)

श्री भारत सिंह रावत–

मान्यवर, बुलाकी गांव में 19-3-1992 को वहां के लोग जंगल में लकड़ी काटने के लिये गये थे और वन विभाग के कर्मचारियों ने उन पर अचानक आक्रमण कर दिया और गोली चला दी जिससे एक व्यक्ति घायल हो गया अचानक आक्रमण कर दिया और गोली से मार दिया और दो व्यक्ति घायल हो गये और पुलिस ने उन पर दफा 300 का मुकदमा उन पर चला दिया और एफ० आई० आर० लिख दी । इस पर गांव वाले आक्रोशित हुये और उन्होंने विकास नगर के थाने का घेराव किया और फिर भी थानेदार ने एफ० आई० आर० लिखी नहीं ? वहां के विधायक मुन्ना सिंह चौहान हैं, उन्होंने जब एस० डी० एम०, एस० पी० और डी० एम० से सम्पर्क स्थापित किया तब उन पर मुकदमा कायम किया गया। मान्यवर, यह जो घटना हुई है, उससे जो तथ्य सामने आये हैं उनसे ऐसा मालूम पड़ता है कि वन कर्मियों ने अपने बचाव के लिये मुकदमा कायम करवा दिया । मुन्ना सिंह चौहान के प्रयास से वन कर्मियों पर मुकदमा कायम किया गया । मुकदमा होने के बाद वन कर्मी आन्दोलित हैं और उन्होंने धरना देना शुरू किया है और जो मुख्य वन संरक्षक हैं, उनका घेराव किया है । मान्यवर, गरीब लोगों को मारा गया और अपने पक्ष को मजबूत करने के लिये मुकदमा कायम कराया है और धरना दे रहे हैं । इस पर जांच होनी चाहिये, वहां पर तनाव की स्थिति है । वहां शान्ति व्यवस्था को खतरा होने की स्थिति है । मैं चाहूंगा कि सी० आई० डी० के द्वारा इसकी जांच कराई जाय ताकि तथ्य सामने आये और दोषी व्यक्तियों को दण्डित किया जाय ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)–

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपने ग्राह्यता पर बोलते हुए बहुत सही बात कही कि अखबार में यह मामला छपा है । अगर माननीय सदस्य ने अपने क्षेत्र की वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की होती तो शायद इस आदरणीय सदन में कोई मामला उठाने की जरूरत न होती । यह बात सही है कि 19-3-92 को वन विभाग के कर्मचारी रुटीन के हिसाब से निरीक्षण करने जा रहे थे वहां उन्होंने देखा कि 10–12 आदमी जंगल की लकड़ी काटकर ले जा रहे हैं तो वन कर्मियों ने उनको टोका उसका परिणाम यह हुआ कि इन व्यक्तियों ने वनकर्मचारियों पर हमला बोल दिया, मारपीट की व फायरिंग किया तो वन कर्मचारियों ने भी अपनी सुरक्षा में गोली चलाई यह बात सही है कि दो ग्रामीणों की मृत्यु हो गयी । इसकी एफ० आई०आर० वन कर्मियों ने लिखाई । मान्यवर, यह कहना सही नहीं है कि उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी गयी । मान्यवर, 24 तारीख को धरना दिया गया और एफ० आई० आर० तो थाने में लिखी

[x x x] यह अंश श्री उपाध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया ।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जायेगी 30 तारीख को डी० एम०, एस० पी० स्वयं मौके पर गये जहां पर वारदात हुई थी तो वहां पर गांव के लोग उनसे मिले तो उनके कहने पर उन्होंने कहा कि आप एफ० आई० आर० लिखायें हम कार्यवाही करेंगे । तो मैं जानकारी देना चाहता हूं कि 30 तारीख को ग्रामीणों द्वारा वन कर्मियों के विरुद्ध एफ० आई० आर० अपराध संख्या 103ए/92 धारा 147/148/149/302 आई० पी० सी० का अभियोग पंजीकृत कराया गया । उक्त दोनों अभियुक्तों में नामित अभियुक्तों में से दो-दो अभियुक्त गिरफ्तार किये जा चुके हैं और विवेचना जारी है । तो उसके बाद यह कहना कि परगनाधिकारी द्वारा मृतकों को एक-एक लाख रुपया देने का वायदा किया गया था सही नहीं है । जहां तक रुपया देने की बात है तो जब तक कोई विवेचना न कर लें और स्थिति साफ न हो जाय कि कौन दोषी था और निर्दोष कौन था तब तक कोई रुपये की घोषणा करना उचित नहीं है इसलिए मैंने आपको जानकारी दी ।

(श्री भारत सिंह रावत द्वारा बीच में बोलने से व्यवधान)

मान्यवर, इस पर पूरी कार्यवाही की जा रही है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप ग्राह्यता पर बोल चुके हैं तो फिर आपको बोलने का औचित्य नहीं है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, दोनों तरफ से एफ०,.आई० आर० लिखायी गयी है उनके खिलाफ 302 का और उनके खिलाफ 307 का मुकदमा कायम हुआ है । इसमें निष्पक्ष रूप से अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जायेगी और निरपराध व्यक्ति को दंडित नहीं किया जायेगा ।

उपाध्यक्ष–

कार्यस्थगन प्रस्ताव के रूप में इसको अग्राह्य करता हूं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, यह सरकार जब से शासन में आई है श्रीमन्, जब भी मा० मंत्री लोग इस सदन में भाषण देने के लिए खड़े होते हैं तो सीधे अपनी कमी को ध्यान में रखते हुए सीधे भारत सरकार पर प्रहार करते हैं चाहे वित्त मंत्री का सदन में भाषण रहा हो या और कोई का । अभी कल ही शिक्षा मंत्री का भाषण हो रहा था तो यह सभी भाषण जितने होते हैं वह अपनी कमी को नहीं कहते । बल्कि भारत सरकार पर सीधे आरोप लगा दिया जाता है । उत्तर प्रदेश के सभी अधिकारियों को श्रीमन्, सिखा दिया गया है कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश सरकार के साथ सहयोग नहीं कर रही है । श्रीमन्, देखने की कृपा करें सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 जिसमें कालम 7 पर सरकार की आलोचना, यह उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जारी है इसमें हैं कि कोई सरकारी कर्मचारी किसी रेडियो प्रसारण में या किसी लेख्य में या समाचार पत्रों को भेजे गये किसी पत्र में या किसी-किसी सार्वजनिक कथन में कोई ऐसी तथ्य की बाद या मत नहीं व्यक्त करेगा ।

इसमें निम्न बिन्दु हैं–

(1) जिसका प्रभाव यह हो कि वरिष्ठ अधिकारियों के निर्णय के प्रतिकूल आलोचना हो या उ० प्र० सरकार या केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी के कार्य की प्रतिकूल आलोचना हो,

(2) जिससे उत्तर प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार या किसी अन्य राज्य की सरकार के आपसी संबंधों में उलझन पैदा हो सकती हो,

(3) इसमें केन्द्र सरकार और किसी विदेशी राष्ट्र की सरकार के आपसी संबंधों में उलझन पैदा न हो ।

कोई सरकारी कर्मचारी इस तरह का बयान चाहे लिखित हो या भाषण के माध्यम से हो वह आम जनता तक इस बात को नहीं पहुंचा पायेगा जिससे उलझंन पैदा हो । मान्यवर, "उत्तर प्रदेश संदेश" नाम से एक पत्रिका सूचना निदेशालय द्वारा प्रकाशित होती है जिसमें मुख्य मंत्री जी का फोटो है, वित्त मंत्री जी का फोटो है, दो अप्रैल, 92 का अंक है । इसमें 9 लेख हैं । माननीय वित्त मंत्री जी का पहला लेख है, सातवां लेख है कुमकुम शर्मा का, उसकी हेडिंग है "बढ़ती हुई महंगाई, जिम्मेदार कौन ? "

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आपका बिन्दु आ गया है आप इतना लम्बा न खींचे, समाप्त करें । आप अनावश्यक समय ले रहे हैं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

इस लेख में जो कुछ है उससे उ० प्र० सरकार और भारत सरकार के सबंधों में दूरी बढ़ती जा रही है । अगर उ० प्र० सरकार द्वारा सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली 1956 बनी है तो इस लेख में सीधे भारत सरकार पर आरोप एक उच्च अधिकारी द्वारा लगाये गये हैं, जो आचरण नियमावली का सीधा उल्लंघन है, जिसमें भारत सरकार को आरोपित किया गया है । व्यवस्था चाहूंगा वित्त मंत्री जी से अगर यह उल्लंघन है तो क्या उस अधिकारी पर अनुशासनात्मक और सीधी कार्यवाही करने की कृपा करेंगे ?

श्री छत्रपाल सिंह–

मान्यवर, श्री स्वामी नाथ यादव जी का निष्कासन वापस ले लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

वह आ सकते हैं और सदन में बैठ सकते हैं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, मा० अमरेश चन्द्र पाण्डेय जी को बहुत-बहुत धन्यवाद कि वे शासन की ओर से प्रकाशित साहित्य को गौर से पढ़ते हैं । यह सही है कि राज्य कर्मचारियों की आचार संहिता में उनको निषिद्ध किया गया है कि इस तरह का बयान और लेख न दें । शासन स्तर से जो 8 नीति प्रतिपादित कर दी गयी, हमारे वक्तव्यों का तथा रीतियों का री-प्रोडक्शन करके प्रकाशित करने का दायित्व राज्य कर्मचारियों को दिया है । अगर उसको उन्होंने कोई नियमों का वाइलेशन नहीं किया । मैं विवाद में नहीं जाना

चाहता हूं, अगर हमारी महंगाई बढ़ी, तो कोई न कोई कारण दर्शाये गये, एक कारण दर्शा दिया गया कि केन्द्र सरकार की अमुक-अमुक नीति की वजह से महंगाई बढ़ी । हमारा बयान लेकर एक फीचर के रूप में उसमें प्रकाशित हो गया, तो यह कोई नियमों का उल्लंघन नहीं किया । अगर अपनी तरफ से उन्होंने ऐसा कोई पत्र लिखा होता तो हम समझते कि नियमों का उल्लंघन नहीं किया । वे हमारी नीतियों, हमारे वक्तव्य आदि प्रकाशित करके पब्लिसिटी की व्यवस्था करते हैं । मान्यवर, इसमें कौन सी ऐसी बात है कि सदन की कार्यवाही रोक इस पर चर्चा करायी जाये । मैंने उनकी शंका का समाधान किया । मैं उन्हें बधाई देता हूं कि कम से कम सरकारी साहित्य जो प्रकाशित होता है जिसको मेहनत से अधिकारी बनाते हैं उसको आप पढ़ते हैं ।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, इसमें भारत सरकार की नीतियों पर कहा गया है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप अपनी बातों को पाण्डेय जी अब हल्का न करें । इस सूचना की ग्राह्यता पर सुना, इसको अग्राह्य किया गया ।

श्री महेन्द्र सिह भाटी–

मान्यवर, एमेनेस्टी इन्टरनेशनल ने हिन्दुस्तान के कई ऐसे मामले रखे हैं जिनमें थानों में ही मौत का जिक्र का है । जिन लोगों की मौत का जिक्र कर रहे हैं वह थाने में हुई हैं । उसका एक केस है जिसको एमेनेस्टी इन्टरनेशनल ने अपने केसों में शामिल किया है । सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं दुष्यन्त कुमार की मौत के बारे में । एक ओमबीर नामक सिपाही की हत्या के मामले में पकड़े गये, पिहानी गांव के तीन दुष्यन्त कुमार थे, पुलिस दो दुष्यन्त कुमार को ले आई, एक दुष्यन्त कुमार को मार दिया, एक के हाथ पैर तोड़ डाले और वह अस्पताल में आ गया । दूसरा केस सिकन्दराबाद थाने का है एक किरन पाल नाम के सिपाही को पुलिस की हिरासत में मार दिया गया उसका रिमाण्ड लेने के लिये जो डेड बाडी थी, डैड बाडी का मैजिस्ट्रेट के यहां रिमाण्ड लेने आये मैजिस्ट्रेट ने रिमाण्ड नहीं दिया । रयूसूदीन मेरठ का था, पुलिस की कस्टडी में मार दिया गया । दूसरा रइमूददीन इसे दादरी थाने में पुलिस कस्टडी में मार दिया गया ये मामला एमेनेस्टी इन्टरनेशनल में रैफर किया गया । गिरीश सक्सेना को जहांगीराबाद थाने में मार दिया गया जिस दरोगा के ऊपर आरोप था, उस मेहरा नाम के दरोगा को हटा दिया गया, फिर वह दोबारा भेज दिया गया । पुलिस कस्टडी में हत्यायें हो रहीं हैं, यह पुलिस को दिये गये अधिकारों का सबसे बड़ा दुरुपयोग हो रहा है । यह अविश्वास जो इस प्रशासन के प्रति चलाया जा रहा है इसकी बड़ी भारी चिन्ता लोगों के मन में हैं । यह हत्यायें मामूली हत्याओं से बिल्कुल हटकर हैं अगर इन हत्याओं पर शासन-प्रशासन ने कोई ठोस कार्यवाही नहीं की तो लोगों का विश्वास शासन-प्रशासन दोनों पर से उठ जायेगा । मेरी आपसे प्रार्थना है, मान्यवर, इसमें एक केस रह गया देवी सिंह गाजियाबाद का था गाजियाबाद कोतवाली की पुलिस ने मार दिया उसके सारे कागज खत्म कर दिये गये । इन सबकी जांच सी० बी० सी० सी० आई० डी० से करायें । कुछ ऐसा करें कि जिन लोगों ने यह किया है उन लोगों को सबक मिले । मेरी मांग है कि पुलिस हिरासत में हुयी मौतों की सी० बी० सी० आई० डी० से जांच करायी जाय और इस मामले में आज सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा करायी जाये ।

श्री नरेन्द्र सिंह भाटी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, हमारे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां अपराधियों का जोर है, अपराधों का जोर है वही उसी के साथ-साथ पुलिस भी पीछे नहीं है ! पुलिस निर्दोष लोगों को मार रही है, अपराधी खुले आम घूम रहे हैं और निर्दोष लोगों को थाने में लाकर पीट-पीट कर मारा जाता है । मान्यवर, सियानी की एक घटना है । दुष्यन्त कुमार त्यागी नामक नवयुवक को 15 तारीख को 3.00 बजे सियानी गांव से उठाया गया, इसमें विचित्र बात यह है कि धर्मेन्द्र त्यागी नामक एक युवक ने बताया था कि एक दुष्यन्त कुमार नामक अपराधी इसमें शामिल है, रात को पुलिस सियानी जाती है और वहां जाकर पता चलता है कि वहां पर तीन दुष्यन्त कुमार नाम के तीन युवक हैं । तो पुलिस तीनों के घर दबिश करती है एक दुष्यन्त नहीं मिलता है दो मिल जाते हैं उसमें से एक को पुलिस मार देती है और दूसरा अपने हाथ-पैर तुड़वाकर हास्पिटल में पड़ा हुआ है । मरने के बाद उसका पोस्टमार्टम होता है । मृत्यु का कारण शरीर में आयी चोटें बताया है लेकिन पुलिस कहती है कि दुष्यन्त कुमार के भाई ने उसे अंगूर खिलाया था हो सकता है कि उसमें जहर हो तो इसकी जांच करायी जायेगी और जांच के लिए पेट की धोवन को आगरा भेजा जा रहा है । तो मैं यह कहना चाहता हूं कि एक व्यक्ति की मृत्यु के दो कारण कैसे हो सकते हैं जबकि पोस्टमार्टम में यह स्पष्ट है कि मृत्यु का कारण शरीर में आयी चोटें हैं । रात को तीन बजे उसे उठाया गया, 24 वर्ष का वह नवयुवक है और फिर तीन बजे से सुबह छः बजे तक उसे इस बीच मार दिया गया । अंगूर में जहर नहीं हो सकता है, यह पुलिस मनगढ़न्त कहानी कह रही है । इसलिए पुलिस के खिलाफ 302 का मुकदमा चलाया जाये और दोषी पाये गये लोगों को फांसी की सजा दिलायी जाये । मान्यवर,दूसरा किस्सा मेरठ में रइसुद्दीन का है उसे लेसाड़ी गेट थाने में पुलिस ने मार दिया तीसरा गाजीपुर बाद थाने में 21-9-91 को देवी सिंह नामक युवक को पुलिस ने पीट-पीट कर मार दिया ।

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री नरेन्द्र सिह भाटी–

मान्यवर, संक्षिप्त कर रहा हूं । जितने लोग मरे हैं कम से कम उनके नाम तो ले लूं इसके बाद रइसुद्दीन को दादरी थाने में मारा गया । वह एक चौदह वर्षीय नाबालिग बच्चा था उसको चोरी का अपराधी बताकर, उसका अपराध था कि उसने 30–35 बन्डल माचिस की चोरी किए थे, रात को 18-9-91 को मार डाला गया और उसके बाद यह कहते हैं कि हम मैजिस्ट्रेट से जांच करायेंगे ? अभी हाल ही में पिछले महीने जहांगीराबाद थाने में मेरे जनपद में एस० आई० मेहरा जो थाने में तैनात था, गिरीश सक्सेना, जिसका कोई आपराधिक इतिहास नहीं था, को उठाकर मार डाला गया । उसके तुरन्त बाद उसका स्थानान्तरण किया गया एक महीने के बाद उसको फिर वहीं तैनात कर दिया गया है आज वहां पर तैनात है, वहां पर उसका दबाव बना हुआ है और वह लगातार धमकियां दे रहा है, वह रोजाना कत्ल करेगा और वहीं रहेगा यही स्थिति बुलन्दशहर की है अभी हाल में 16-4-92 को मेरे अपने क्षेत्र में सिकन्दराबाद थाने में सुबह छः बजे एक नवयुवक.....

राम राज्य के नाम पर यह सरकार आयी है और पुलिस की हिमायती है । 18 वर्ष से यू० पी० पी० में नौकरी कर रहा नवयुवक श्री किरनपाल जो गाजियाबाद पुलिस में कार्यरत था, 6 बजे शराब के नशे में पुलिस ने उसको पकड़ा, 9.10 पर जी० डी० में इण्ट्री कर मुकदमा कायम किया गया, 12.45 पर उसका

मेडिकल कराया गया और चार बजे उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाता है । जब उसका परीक्षण किया गया तो मजिस्ट्रेट ने कहा यहां जिन्दा लोगों को रिमाण्ड मिलता है न कि लाशों को रिमाण्ड मिलता है । उसके बाद उसका पोस्टमार्टम किया जाता है । जिला प्रशासन कहता है कि हम मजिस्ट्रेट से जांच करवा रहे हैं । मान्यवर, पुलिस को बचाने के लिए मजिस्ट्रेट की जांच कराकर मामले में फाइनल रिपोर्ट लगा दी जाती है । अतएव मेरी मांग है कि मेरठ, गाजियाबाद और बुलन्दशहर में ऐसे जितने भी मामले हैं जहां पुलिस कस्टडी में लोगों की जाने गयी हैं उन सबके खिलाफ 302 का मुकदमा कायम किया जाय, जांच चलायी जाय और दोषी पुलिस अधिकारियों को दण्डित किया जाय ।

श्री सुखवीर सिंह गहलौत–

मान्यवर, पन्द्रह तारीख को सियानी गांव में तीन दुष्यन्तों के यहां छापा मारा जाता है, क्योंकि एक सिपाही की हत्या हुयी थी । पुलिस का कहना है कि धीरेन्द्र नाम के व्यक्ति ने जब कहा कि इसमें दुष्यन्त ही है परन्तु यह नहीं मालूम था कि कौन सा दुष्यन्त है, चूंकि सिपाही की हत्या हुयी थी उसलिए उन्होंने उनको इतना मारा कि उसमें से एक दुष्यन्त अस्पताल में मर गया और दूसरा दुष्यन्त अभी भी अस्पताल में पड़ा हुआ है । पुलिस का कहना है कि जहरीले अंगूर खाने के कारण उसकी मृत्यु हुयी है । जब थाने का घेराव किया गया तब एस० एस० पी० ने मुकदमा दर्ज करने का आदेश दिया परन्तु आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुयी है । मान्यवर, मेरी मांग है कि इस प्रकार जिन थानों में पुलिस कस्टडी में मौते हुयी हैं और मुकदमें दर्ज हुए हैं, खासतौर से सियानी गेट थाने की पुलिस के खिलाफ जो मुकदमें दर्ज हुए हैं उन पर आप कब तक कार्यवाही पूरी कर देंगे और क्या सी०आई०डी० से जांच करायेंगे ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से जो सूचना दी गयी है उसमें पांच घटनाओं का उल्लेख है । जहां तक श्री दुष्यन्त की मृत्यु का सम्बन्ध है माननीय सदस्य ने स्वयं जानकारी दी है कि एक सिपाही की हत्या के कारण उसे गिरफ्तार किया गया और बाद में अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी । श्रीमन् मैं बताना चाहता हूं कि शासन की यह नीति है कि कानून को अपने हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है । जिस अधिकारी ने भी ऐसा कार्य किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेंगे । लेकिन कार्यवाही भी नियमों के अन्तर्गत व संगत होनी चाहिये। दुष्यन्त की मृत्यु हुयी । पुलिस के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ । 302 की दफा लगायी गयी । यह भी मांग की गयी कि सी० आई० डी० से जांच करायी जाय । मैं बताना चाहता हूं कि सी० आई० डी० से जांच हेतु आदेश जारी कर दिये गये हैं । एक रईस अहमद की मृत्यु के बारे में भी मामला यहां पर उठाया गया । इसमें भी पुलिस कर्मियों के खिलाफ 302 आई० पी०सी० का मुकदमा कायम किया गया । किरनपाल सिंह व अन्य मामलों में मजिस्ट्रेट से जांच करायी जा रही है, जो भी तथ्य सामने आयेंगे उसके अनुसार अवश्य कार्यवाही करेंगे, इसलिए मान्यवर, मैंने सारे तथ्यों को सदन के समक्ष रख दिया है । अब इसे कार्य स्थगन के प्रश्न के रूप में स्वीकार करने का कोई औचित्य नहीं है ।

श्री महेन्द्र सिंह भाटी–

मान्यवर, मजिस्ट्रेट से जांच के आदेश का क्या औचित्य है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मजिस्ट्रेट से जांच करायी जा रही है । पुलिस के खिलाफ 302 का मुकदमा भी कायम किया है । जांच के बाद जो तथ्य आ जायेंगे उसके हिसाब से कार्यवाही की जायेगी ।

श्री उपाध्यक्ष–

सूचना की ग्राह्यता पर सुना गया कार्य स्थगन के प्रस्ताव के रूप में इसे अग्राह्य किया गया है ।

सदन की कार्यवाही का अंश निकाले जाने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न (क्रमागत)

* श्री प्रमोद तिवारी–

व्यवस्था का प्रश्न है । मान्यवर, जब मैं अपने दल के साथ वहिर्गमन कर गया तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी जैसे उनकी आदत है जौहर में यह कहने का उन्होंने प्रयास किया कि जो कुछ मैंने कहा उसे सदन की कार्यवाही से निकाल दिया जाये । जबतक कोई असंसदीय शब्द नहीं होगा तब तक कार्यवाही से कैसे निकाल सकते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष–

मैं आपकी जानकारी में ला दूं कि जो आपने कहा, निकालने की बात नहीं कही गयी यह कहा गया कि दिखलवा लेंगे अगर कोई आपत्तिजनक बात होगी तो उसे निकलवा देंगे, इसलिये व्यवस्था का प्रश्न नहीं बनता है ।

श्री प्रमोद तिवारी–

आपसे यही आशा थी कि इनकी ऊटपटांग बात नहीं सुनेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

मैं तो यही कहूंगा मैं इसकी और आपकी दोनों तरफ की बात सुनूंगा ।

नियम 311 एवं 56 की समेकित कार्य स्थगन प्रस्तावों की सूचनाएं (क्रमागत)

श्री हृदय नारायण दीक्षित–

मान्यवर, इस सदन में अनेकों बार विपक्षी पार्टियों के कार्यकर्ताओं की हत्याओं के मसले उठाये गये इटावा जनपद में समाजवादी जनता पार्टी के लोगों को बन्द किया जा रहा है उनकी हत्यायें की जा रहीं हैं एक मामला मैंने पहले दिन उठाया था कि अनुसूचित जाति के तीन लोगों की हत्यायें हुई आज यह दूसरी घटना ग्राम सभा चन्देठी थना भर्थना जिला इटावा की है जहां दिनांक 20-3-92 को हमारे कार्यकर्ता माननीय राजेन्द्र सिंह की हत्या कर दी गयी इस हत्या में वहां के सी० ओ० गणेश शंकर पचौरी और श्री दुर्गा प्रसाद अवस्थी की सांठ-गांठ है एफ० आई० आर० में दर्ज है कि उसमें कई शातिर बदमाश और डकैत मिले हैं ।

हमारे कार्यकर्ता प्रदीप कुमार यादव की राइफल थी उसे अराजक तत्व छीन कर ले गये बहुत समय बीत गया है तबसे आज तक न घटना की जांच हुई और न उनको गिरफ्तार किया गया है इस मामले में हमारे माननीय विधायक महाराज सिंह ने विभिन्न अवसरों पर विभिन्न स्थानों पर यह मामला उठाया तब से यह अराजक तत्व माननीय महाराज सिंह की हत्या का भी प्रयास कर रहे हैं । भूतपूर्व मुख्य मंत्री माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने इनको सुरक्षा गार्ड और गनर दिया लेकिन इस सरकार ने जो विधायकों की सुरक्षा की बात कहती है उनके गनर को भी छीन लिया अपराधी तत्वों को अभी तक नहीं पकड़ा गया है यह बहुत बड़े शातिर डकैत हैं जो सरे आम घूम रहे हैं । मैं विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि समाजवादी जनता पार्टी के लोगों को चुन-चुन कर खोज-खोज कर मारा जा रहा है इस

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

तरह की उन्होंने एक रणनीति अपनायी है जो लोकतंत्र में निन्दनीय है मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि इससे ज्यादा और विडम्बना दूसरी नहीं हो सकती है । यह अत्यन्त लोक महत्व का विषय है इसलिये इस आदरणीय सदन की कार्यवाही स्थगित कराकर चर्चा करायें और सरकार को निर्देश दें ।

श्री महाराज सिंह यादव–

मान्यवर, जनपद इटावा के समाजवादी जनता पार्टी के समर्थकों की आज गुण्डों के द्वारा यह सरकार सरेआम हत्या करवा रही है ·20-3-92 को चन्द्रेठी के ग्राम प्रधान श्री राजेन्द्र सिंह अपने घर जा रहे थे रास्ते में कुख्यात डाकुओं ने घेरकर उनको मार दिया उनके साथ श्री प्रदीप कुमार यादव भी थे उनकी राइफल भी वे ले गये 20-3-92 से आज तक इस घटना के संबंध में किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई मैंने सभी अधिकारियों से सम्पर्क किया अपराधी घूम रहे हैं और गवाहों को धमकियां दे रहे हैं यह लोग कई दर्जनों डकैतियों में लिप्त हैं आज तक किसी प्रकार की कोई कार्यवाही नहीं हुई हमारे लोगों ने जब इसका विरोध किया तो वह धमकियां देते हैं । मैं लगातार 1980 से विधायक हूं आप जांच करवा लें मैंने गनर के लिये भी कहा माननीय नारायण दत्त तिवारी जी ने सन् 1980 में जो गनर दिया था सुरक्षा गार्ड दिया था उसे भी इन्होंने छीन लिया यह खड़े होकर कहते हैं कि विधायकों की सुरक्षा और सम्मान की हम रक्षा करेंगे मैंने श्री प्रदीप कुमार यादव की जो राइफल छीन ले गये थे उसके बारे में भी कहा वे लोग लगातार घूम रहे हैं वह कहते हैं कि एफ० आई० आर० लिखवाने वालों को भी वह मार देंगे तो इस प्रकार वहां कभी भी सामूहिक हत्यायें हो सकती हैं इसकी जानकारी मैं देने आया हूं यह सी० आई० डी० की जांच हत्यारों को बचाने के लिये कराने जा रहे हैं ।

मैं माननीय गुप्त जी से आग्रह करूंगा वे बड़े योग्य व्यक्ति हैं प्रखण्ड भाषण देते हैं तो मैं कहना चाहता हूं आज राजनीतिक हत्यायें की जा रहीं हैं उनपर बन्दिश लगायें आज पुलिस का मनोबल बढ़ता जा रहा है । माननीय मुख्य मंत्री जी कह रहे हैं कि हम विधायकों की सुरक्षा और उनके सम्मान की रक्षा करेंगे तो यह आप कैसे करेंगे सत्ता पक्ष के विधायकों को ही वहां उठा ले गये तो हमारा कैसे सम्मान हो सकता है मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि यह अति लोक महत्व का प्रश्न है सदन की सभी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराने की कृपा करें ।

* वित्त, संस्थागत वित्त, संसदीय कार्य एवं नियोजन मंत्री (श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त)––

मान्यवर, जिस घटना का उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है मेरी जानकारी के अनुसार वह आपसी रंजिश की घटना है हमारी दिक्कत यह है कि आपसी रंजिश में या किसी की सुरक्षा को खतरा पहुंचाने के लिये किसी की सुरक्षा स्वयं खतरे में पड़ जाये और इसके कारण कोई वारदात हो जाये तो वह व्यक्ति अगर किसी पार्टी का निकल आये तो यह हमारी मजबूरी है । यहां पर कई बार प्रदीपकुमार यादव की चर्चा हुई उनका क्या अपराधिक इतिहास रहा है ?

श्री उपाध्यक्ष––

मा० महाराज सिंह की बात है ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त––

मैं माननीय विधायक की बात नहीं कह रहा हूं प्रदीप कुमार की बात कह रहा हूं । आप मेरी पूरी बात सुन लें तो आपकी बात का समाधान हो जायेगा ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

आपकी सारी बातों से मेरा समाधान रोज होता है और होता रहेगा । आप अपराधिक इतिहास की बात करते हैं तो अपराधिक इतिहास की परिभाषा क्या है ?

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

अभी बता रहा हूं परिभाषा । रंजिशवश यह घटना घटी । श्री प्रदीप कुमार यादव और राजेन्द्र साथ-साथ थे..... व्यवधान श्री प्रदीप कुमार यादव सूचना अनुसार अपराध संख्या 262/88 की धारा 302 में अभियुक्त हैं । पूरी तत्परता से इस मामले की जांच हो रही है और अभियुक्तों को पकड़ने का प्रयास हो रहा है । साथ ही हमने सी० आई० बी० से चेक-अप कराना शुरू कर दिया है । आपने यहां पर पुलिस पर आरोप लगाया इस मामले में भी चेक-अप करायेंगे कि इसमें पुलिस का रोल कहां तक है ? जहां तक माननीय सदस्य की सुरक्षा का सवाल है मेरी जानकारी के अनुसार मा० सदस्य को फिर शैडो प्रदान कर दिया गया है । यदि वह नहीं गया है तो उसको भी हम देख लेंगे । अभियुक्त को पकड़ने की कोशिश जारी है । यह साधारणतया रंजिश की घटना है और इसमें भी हम सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा करायें तो यह कहां तक ठीक है ?

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

अभियुक्त पकड़े नहीं मिल रहे थे तो पुलिस को न्यायालय में जाना चाहिये था और वहां बताना चाहिये था और उनकी फरारी के विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिये थी । ..... व्यवधान .....

श्री उपाध्यक्ष--

सभी सूचनाओं को मैंने सुन लिया है । कार्य स्थगन के अन्तर्गत मैं सभी सूचनाओं को अग्राह्य करता हूं । आप बैठें ग्राह्यता पर आपने अपने विचार व्यक्त कर लिये हैं ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

मैंने उनकी पूरी बात सुनी । एक माह हो गया लेकिन गिरफ्तारी नहीं हुयी तो जब गिरफ्तारी नहीं हुयी तो दफा 87-88 की कार्यवाही होनी चाहिए थी ।

श्री उपाध्यक्ष--

ठीक है, मंत्रि जी अब आप आगे की कार्यवाही में शीघ्रता करा दीजिए ।

श्री हृदय नारायण दीक्षित--

आपने शैडो और गनर में से गनर हटा लिया है । तो आपके पास इनका भी कोई अपराधिक इतिहास रहा होगा ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त--

मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा । माननीय सदस्य के बारे में मुझको लेकर आप गलत बात कह रहे हैं और इसमें बताइये कि आप क्या चाहते हैं ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसके बाद जो श्री निर्वेन्द्र कुमार जी की सूचना है, यह ऐसा विषय है–प्रश्नोत्तर के विषय में है, इसलिए इसके बारे में निदेश 166 में सूचना दी जा सकती है । इसलिए इसको अग्राह्य किया जाता है ।

अगली सूचना है श्री फरीद महफूज किदवई की और दूसरी सूचना है मोहम्मद जी की और तीसरी सूचना है मोहम्मद रिजवानुल हक की । इन सूचनाओं की ओर शासन का ध्यान आकर्षित किया जाता है ।.....(व्यवधान).....आप कृपया बैठें आप की सूचना पर व्यवस्था दी जा चुकी है । शासन का ध्यान आकर्षित करा दिया गया हैं । इस बारे में मैं माननीय सदस्य को यह सूचना दे दूं । जब शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है तो शासन द्वारा उस पर कार्यवाही की जाती है । उसकी एक प्रति माननीय सदस्य के पास और दूसरी प्रति विधान सभा सचिवालय को जाती है इसलिए अब कोई बात नहीं रह जाती है ।

श्री मोहम्मद आजम खां--

मान्यवर, मैं जो मामला यहां रख रहा हूं वह मेरे ही बारे में हैं । मुझे अपने बारे में कहते हुए खेद हो रहा है । बहुत दिनों से परम्परा बन गई है कि हर सदस्य अपनी सहूलियत, अपनी जान, अपने परिवार की जान के खतरों की बातें यहां इतनी बार कह चुके हैं कि मुझे अपने बारे में कहते हुए शर्म सी आती है । लेकिन मेरे साथ ऐसा मामला हुआ है जिसे बताना जरूरी है । अभी एक माननीय सदस्य से कहा गया कि सदन छोड़ कर चले जायें और वह चले गये और एक माननीय सदस्य ने कहा कि उनको वापस बुला लिया जाये आपने उदारता से अपनी पीठ से वापस आने के लिये कहा । तो यही रिश्ता हमारे और उसी पीठ के बीच में होना चाहिए । मान्यवर, एक दिन ऐसे ही मुझे उस पीठ से जाने के लिये कहा गया और मुझे लाबी भी छोड़नी पड़ी । मैं यह इसलिये कह रहा हूं कि हम नियमों से बंधे हैं । मान्यवर, यह देश कानून, संविधान और नियमों द्वारा व्यवस्था से ही चलेगा । अगर कानून नहीं रहेगा तो जंगल का राज्य हो जायेगा । मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी लेकिन पता नहीं किन गुनाहों से मुझे सजा दी गयी थी ।

आज खेद के साथ कह रहा हूं कि जब से चुनकर आया हूं ऐसी छोटी, घटिया और नींच बातें मेरे साथ हो रही हैं जिसके बारे में सोच कर भी शर्म आती है । कोई इल्जाम मेरे साथ लगे जैसे भारत मां को डायन कह दिया कहा जाता है कि मैं देशद्रोही हूं । इसी तरह मुझे पाकिस्तान का ऐजेंट तक यहीं कहा गया है । लेकिन जितने दिन मैं मंत्री रहा और विधायक रहा उसकी जांच करा ले अगर एक बूंद पानी की भी रिश्वत साबित हो तो जी चाहे सजा दें । जितने दिन कार्य में रहा और मंत्री न रहने के बाद फौरन उसको खाली कर दिया । एक-एक तिनका वापस कर दिया । लेकिन फिर भी आखिरी महीने का मेरा वेतन रोक लिया गया । उसके बाद दारूलशफा में मैं रहने के लिये आया तो वहां मुझे पर्दे नहीं मिले । पी० बी० एक्स० से टेलीफोन मिलता है लेकिन वह नहीं दिया गया । सदस्यों के अधिकार संबंधी दो पुस्तकें हैं-एक का नाम है उत्तर प्रदेश राज्य विधान मण्डल के सदस्यों के अधिकार एक अन्य सुविधाओं से संबंधित नियमावली है और दूसरी है विधान सभा सदस्यों के लिये हस्त पुस्तिका इसके पेज 75 और पहली पुस्तक के पेज 23 पर दिया गया है कि लखनऊ में टेलीफोन सरकारी खर्चे पर और रामपुर में भी टेलीफोन दिये जाने की व्यवस्था है लेकिन मुझे लखनऊ में मजबूर हो कर प्राइवेट टेलीफोन लगवाना पड़ा । जिसका पैसा बाद में मिलेगा लेकिन अपने खर्च पर तो लगाना ही पड़ा यह नीतिगत मामला है किसी सदस्य से कोई सरकार कोई विशेष पार्टी नाराज हो जाये तो उसके अधिकारों का हनन कहां तक होगा ? मगर मैंने इसे भी बर्दाश्त किया । लेकिन खेद है कि मैंने जिस खास चीज के लिये नोटिस दिया है और कल 311 में नोटिस दिया था तो अध्यक्ष जी ने कहा था कि नियम-56 में सुन लिया जायेगा । मान्यवर, वह कार्यवाही मैं लेकर आया हूं उसमें छपा भी है । लेकिन कल मुझे नहीं सुना गया । मैंने आज भी निवेदन किया लेकिन जिस नियम में मैं चाहता था अपनी बात रखना, उसमें न सुनकर 56

में सुनी गई । रामपुर में जो हमको टेलीफोन दिया जाता है यनि अपने-अपने मूल निवास स्थान पर टेलीफोन दिया जाता है वह किसी का एहसान नहीं होता । नियमों में ऐसा है इसलिये टेलीफोन लगाया जाता है । मैं सन् 80 में पहली बार विधायक चुना गया था और तब से आज तक लगातार विधायक चला आ रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय आजम खां जी, आपकी सूचना आ गई है । अब आप समाप्त करें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, जो मुझे कहना है वह सुन तो लें । मुझे जो रिलीफ चाहिए अगर मैं सदन में आपके सामने नहीं कहूंगा तो आपके संज्ञान में कैसे आयेगा ? मान्यवर, मेरे पास जो टेलीफोन नम्बर पहले मिला वह 886 था । लेकिन बाद में बोर्ड बढ़ जाने से वह बदल गया और 13 वर्षों से 4886 मेरे पास है । संसदीय कार्य मंत्री जी सुनेंगे तो ठीक से जवाब दे सकेंगे । जब मैं मंत्री बना था तो उस समय उसे अस्थायी टेलीफोन मंत्री का फोन मान लिया गया था ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय आजम खां जी अब आप समाप्त करें । आपकी सूचना पर विधान सभा को निर्देशित कर दिया गया है अगर इसके बाद भी कोई बात रह जाती है तो इसके बारे में कक्ष में आकर बात कर लीजियेगा ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, आप दो मिनट दे दें । मेरी बात सुन लीजिये ।

श्री उपाध्यक्ष–

नियमों में इस तरह की बात उठाने की अनुमति नहीं है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं सोच रहा था कि सदन में इस बात को न लाता । मैं हाई कोर्ट जाता और मुझे स्टे भी मिल जाता । मैंने तमाम वकीलों से बात भी की थी स्टे तो मुझे आज भी मिल सकता है कल भी परसों भी । मैं इसलिये कह रहा हूं कि इस सरकार ने मुझे जो सुरक्षा दी थी वह भी वापस ले ली गयी । मैं आज सुरक्षा की कोई मांग नहीं करता । इस नोटिस में जिक्र जरूर किया है । मैं आज इस सदन में अपनी सुरक्षा की मांग नहीं करता और न अपने दल और न ही अपने सदस्यों से हिमायत चाहता हूं कि वह हाउस के वेल में आये और मेरी सुरक्षा की मांग करें । आपका मानना है जिसको मरना है वह मरेगा ही । आप शोक प्रस्ताव रख देंगे । जो हमारे अधिकार हैं, मैं उनकी बात कह रहा हूं । अगर मैं विधायक भी होता तो भी यह टेलीफोन नम्बर वापस नहीं किया जा सकता । 2500 रुपये विभाग द्वारा जमा करा लिये जाते और नम्बर मुझे मिल जाता । उपसचिव, नसीबुल हसनैन तीन बार नोटिस दे चुके हैं। मान्यवर, नियम–56 में मैंने इस पर नोटिस दिया है । इसकी ग्राह्यता पर मुझे सुन लें ।

श्री उपाध्यक्ष–

नहीं, नहीं, अब बहुत हो गया । अब आप समाप्त करें । आपकी सारी बातें आ चुकी हैं ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मान्यवर, यह मेरा आखिरी बिन्दु है इसलिये सुन लीजिये । आप अपना दिल क्यों छोटा कर रहे हैं । तीन बार नोटिस गई है कि मोहम्मद आजम खां भूतपूर्व मंत्री का टेलीफोन काट दिया जाय । अधिकारी परेशान हैं, उन्होंने कहा कि हमने बार-बार शासन को लिखा कि नियमानुसार यह नहीं काटा जा सकता । यह अस्थायी रूप से मंत्री का टेलीफोन माना गया था इसलिये इस नम्बर को छोड़ दिया जाय । लेकिन बार-बार जिद है इसे काटने की । टेलीफोन तो फिर भी मिल जायेगा लेकिन जिद यह है कि हमको परेशान और अपमानित कैसे किया जाय ? यह नम्बर किस तरह से खत्म किया जाय, परदे न दिये जायं, एक महीने की तन्ख्वाह काट ली जाय । सुरक्षा वापस ले ली जाय वगैरह यह बड़ा ही खेदजनक विषय है किसी भी सरकार के लिये । इसी लिये आपके जरिये सदन में लाया हूं ।

श्री राजेन्द्र कुमार गुप्त–

मान्यवर, आजम खां जी हमारे पुराने साथी हैं । साथ-साथ हम दोनों इस सदन में बैठते रहे हैं । इन्होंने जो बातें कही हैं टेलीफोन की, एक महीने की तनख्वाह, उनके विधायक निवास में पर्दे तो मान्यवर, यह तो यहां सदन से संबंधित नहीं है । हमसे उसका कोई प्रयोजन नहीं है सरकार से प्रयोजन सुरक्षा व्यवस्था से है । मैं आपके माध्यम से आजम साहब को, वैसे उनकी जानकारी में तो है, आदरणीय सदन को जानकारी देना चाहता हूं उनकी सुरक्षा के लिए अंगरक्षक और गनर है, जिला स्तर से गार्ड की व्यवस्था कर दी गयी है ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

संसदीय कार्य मंत्री ऐसी बात कर रहे हैं ।

(व्यवधान)

जो सुरक्षा दी गयी है वह वापस हुई हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

आजम जी, आप बैठें ।

श्री मोहम्मद आजम खां–

मैं सुरक्षा नहीं मांग रहा हूं । मैं सरकार की मंशा बताना चाहता हूं। स्टेट गवर्नमेंट ने नौ साढ़े नौ महीने बाद राज्य से दी गयी सुरक्षा वापस ली है मैं सुरक्षा नहीं मांग रहा हूं सरकार की मंशा बता रहा हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अन्य सूचनायें नियम-56 में चयनित नहीं की गयी उन्हें अस्वीकार किया गया है वह नाम इस प्रकार हैं–श्री महेन्द्र सिंह भाटी, श्री नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री निर्वेन्द्र कुमार मुन्ना, श्री रिजवानुल हक, श्री अकबर हुसैन, श्री स्वामी नाथ यादव, कुवंर रेवती रमण सिंह, श्री जाहिद हुसैन, श्री दिनेश चन्द्र सोनकर, श्री सुरेन्द्र नाथ, श्री पवन कुमार पाण्डेय, श्री सन्त बख्श रावत, श्री सुरेन्द्र सिंह, श्री गिरधारी लाल, श्री जीराम कालपी (जालौन) श्री विजय पाल सिंह तोमर, श्री स्वामी नाथ यादव, श्री सुखवीर सिंह गहलौत, श्री छत्रपाल वर्मा, श्री लक्ष्मेशवर सिंह, श्री सोमांश प्रकाश, श्री श्रीराम कालपी (जालौन),

ठा० वीरेन्द्र सिंह, श्री दिनेश चन्द्र सोनकर इन माननीय सदस्यों की चयनित नहीं की गई । अतः इन सूचनाओं को अस्वीकार करता हूं ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग क्षेत्रीय विकास), अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (जारी)

(समय 3 बजकर 18 मिनट)

श्री उपाध्यक्ष–

अब मैं मद संख्या–9 ले रहा हूं ।

श्री फरीद महफूज किदवई–

मेरा व्यवस्था का प्रश्न है ।

श्री उपाध्यक्ष–

यह व्यवस्था का समय नहीं है ।

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री हरवंश कपूर)–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से एवं श्री राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,05,67,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, मद संख्या–9 का जो (1) है वह पढ़ने से रह गया है यह दूसरा पढ़ रहे हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

उसको बाद में ले लिया जाएगा मैंने अनुमति दे दी है ।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए उन कार्यक्रमों में गतिशीलता लाने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं हमारी सरकार यह समझती है कि जहां उस प्रदेश की कुल जनगणना 13.9 करोड़ 1991 की जनगणना के आधार पर थी ग्रामीण क्षेत्रों की जनगणना 11.13 करोड़ थी । इस प्रकार से प्रदेश की 85 फीसदी से अधिक जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है । इसमें से 50 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा से नीचे अपना जीवन निर्वाह करते हैं । इस बारे में हमारी रणनीत बिल्कुल स्पष्ट है और इसके चार मुख्य आधार बिन्दु रहेंगे ।

प्रथम, विकास संबंधी जो योजनायें कुछ वर्षो से चल रही हैं उन पर प्रभावी अनुश्रवण एवं मूल्यांकन करके उनकी गुणवत्ता में सुधार लाया जाय ।

द्वितीय, चालू योजनाओं के अधीन जो कार्यक्रम लिये गये हैं, परन्तु अधूरे पड़े हैं, उनको पूरा करने का प्रयास किया जाय ।

तीसरा, विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो परिसम्पत्तियां ग्रामीण क्षेत्र में स्थापित की गयीं उनको स्थायित्व प्रदान करने एवं उनके अनुरक्षण की समुचित व्यवस्था करने पर विशेष बल दिया जाय ।

चौथा, कृषि उत्पादन एवं ग्रामीण क्षेत्र चल रहे विभिन्न कार्यक्रमों के संसाधनों एवं लगी हुई जनशक्ति का आपसी समन्वय स्थापित करके एकीकृत रूप से विकास कार्यक्रम किये जायें ।

ग्रामीण क्षेत्रों के विकास एवं आम व्यक्ति की आय में वृद्धि करने हेतु कृषि एवं उत्पादन वृद्धि करने की दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्रों में विपणन की व्यवस्था को सुदृढ़ किया जायेगा ।

समस्त योजनाओं का क्रियान्वयन एकीकृत रूप से करते हुए इस बात को सुनिश्चित किया जायेगा जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में जहां एक ओर समस्त उत्पाद में वृद्धि हो, साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियों का सृजन हो, जिससे रोजगार के अपार अवसर भी स्थानीय लोगों को उनके अपने ही क्षेत्रों में ही उपलब्ध हो सके ।

प्रदेश की बढ़ती हुई जनसंख्या के साथ साथ बेरोजगारी की समस्या भीषण रूप धारण कर रही है और इस समस्या का सुनियोजित ढंग से सभी वर्गों के लिए समाधान ढूंढ़ना अत्यावश्यक है । हमारी सरकार इस आर्थिक एवं सामाजिक समस्या का स्थाई रूप से हल ढूंढ़ने के लिए कटिबद्ध है । विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की नई संभावनाओं एवं अवसरों को सृजित करने हेतु हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण पहल की है । कृषि गैर कृषि एवं कुटीर उद्योगों के क्षेत्रों में विभिन्न परियोजनाओं के माध्यम से रोजगार के नये अवसर सृजित किये जायेंगे । इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन की कार्यशैली सामान्य कार्यक्रमों से भिन्न होगी और वह स्थापित आर्थिक सिद्धांतों पर आधारित होगी ।

विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में बसे हुये लोगों को अधिक से अधिक लाभ मिल सके और उनकी समस्याओं का अविलम्ब निस्तारण हो सके इसके लिये व्यवस्था में भी आवश्यक परिवर्तन किये गये हैं ।

अगले वर्ष जो नये कार्यक्रम स्थानीय आवश्यकताओं को देखते हुये प्रारम्भ किये जा रहे हैं उनमें इस बात का अवश्य ध्यान रखा जायेगा कि उसका लाभ अनुसूचित जाति, जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के लोगों एवं महिलाओं को विशेष रूप से प्राप्त हो । ग्राम्य विकास के समस्त कार्यक्रमों का लाभ गरीबी रेखा से नीचे निवास कर रहे परिवारों, लघु सीमांत कृषकों एवं आर्थिक दृष्टि से पिछड़े परिवारों को पंहुचाने की हमारी पूर्ण कटिबद्धता हैं । ग्रामीण एवं कृषि विकास के कार्यक्रमों में इन श्रेणी के लोगों की सक्रिय सहभागिता सुनिश्चित की जायेगी । वर्ष 1992-93 के बजट का निर्माण करते समय उपरोक्त रणनीतियों का समावेश करते हुए विशेष तौर से ग्रामीण क्षेत्रों में एक नयी कार्य संस्कृति को जन्म दिया जायेगा, जिससे कि विकास कार्यों में वांछित गतिशीलता आये और पिछड़े वर्ग के लोगों को सामाजिक न्याय प्राप्त करना भी सुलभ हो ।

बजट प्रस्तुत करते समय सदन में कैबीनेट स्तर के किसी मंत्री के अनुपस्थित न होने के संबंध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री लालजी वर्मा–

मान्यवर, यहां सरकार है ही नहीं । एक भी कैबिनेट मंत्री यहां उपस्थित नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय लाल जी वर्मा का प्रश्न वाजिब है । कम से कम मंत्रिमण्डल के एक सदस्य को रहना चाहिए ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, ग्राम्य विकास का बजट पेश हो रहा है और एक ऐसे व्यक्ति से पेश कराया जा रहा है जिसका गांव से कोई मतलब नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

सबको बुलाया है । कृपया बैंठें । मैंने अपेक्षा कर दी है । (घोर व्यवधान) मेरी व्यवस्था को आप लोग ही नहीं मान रहे हैं । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । कृपया बैठ जायं ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, सदन कैसे चलेगा, एक मंत्री भी नहीं है ।

श्री उपाध्यक्ष–

आप पहले नियमों की जानकारी कर लें फिर उठावें । मैं अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप बैठ जायं । आप केवल बोलने के लिए न बोलें । पहले नियमों की जानकारी कर लें ।

वित्तीय वर्ष 1992-93 के आय–व्ययक में अनुदानों के लिए मांगों पर मतदान अनुदान संख्या 13- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास), अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास), अनुदान संख्या 14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) (क्रमागत)

ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री हरवंश कपूर)–

मान्यवर, ग्राम्य विकास विभाग की चालू योजनाओं एवं नये कार्यक्रमों की प्रमुख विशेषतायें निम्नलिखित हैं :–

1– दीन दयाल विकास योजना हेतु 50 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है ।

(घोर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

कृपया गम्भीरता का परिचय दें और शान्त रहें ।

श्री हरवंश कपूर–

जिससे क्षेत्र की भौगोलिक स्थिति एवं संसाधनों की उपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए रोजगार सृजन हेतु प्रोजेक्ट एप्रोच के आधार पर योजना चलायी जायेगी ।

2–एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति पूंजी निवेश को 10.000 से बढ़ाकर 12.000 रुपये का प्राविधान रखा गया है ।

3–एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत उन्नत नस्ल के दुधारू पशु लाभार्थियों को उपलब्ध हो सकें और उसकी पारिवारिक आय में वृद्धि हो इस हेतु बछिया पालन योजना कुछ विशेष क्षेत्रों में प्रारम्भ की जायेगी ।

4–एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अवस्थापना मद में उपलब्ध समस्त मात्राकृत धनराशि का उपयोग सुनिश्चित किया जायेगा और एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों के लाभ के लिए डेरी, पशुपालन, मत्स्य, उद्यान, कुटीर एवं उद्योग, रेशम एवं खादी ग्रामोद्योग के मद के अन्तर्गत विविध अवस्थापनाएं स्थापित की जायेंगी ।

5–एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को अपनी इच्छानुसार परिसम्पत्ति क्रय करने हेतु नकद धनराशि भुगतान करने की व्यवस्था जो वर्तमान में 642 विकास खण्डों में लागू है, का विस्तार करके राज्य के समस्त 897 विकास खण्डों में लागू किया जायेगा ।

6–जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत 1693.67 लाख मानव दिवसों के रोजगार का सृजन किया जायेगा ।

7–विभिन्न कार्यक्रमों की धनराशि के साथ जवाहर रोजगार योजना की धनराशि को युगपित करके स्थायी परिसम्पत्तियों का निर्माण किया जायेगा ।

8–जवाहर रोजगार योजना के निर्माण कार्यों में गुणवत्ता बनाये रखने हेतु निर्माण कार्यों का नियमित निरीक्षण एवं अनुश्रवण किया जायेगा ।

9–ग्रामीण क्षेत्रों में निर्बल वर्ग आवासीय योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे निवास कर रहे परिवारों हेतु आवासीय सुविधा ।

10–लघु तथा सीमान्त कृषकों की सहायता कार्यक्रम के अन्तर्गत निःशुल्क बोरिंग की व्यवस्था एवं अतिरिक्त सिंचन क्षमता का सृजन ।

11–अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों के लिए पेय जल योजना ।

12–अम्बेडकर ग्राम्य विकास योजना ।

13 –बायोगैस तथा निर्धूम चूल्हे के कार्यक्रमों पर विशेष बल ।

14–प्रदेश के जल स्रोतों के वैज्ञानिक जल प्रबन्ध एवं समुचित जल उपयोग हेतु भू-गर्भ जल की सर्वेक्षण व्यवस्था का सुदृढ़ीकरण ।

15–ग्रामीण कार्यक्रमों के प्रभावी समन्वय एवं ग्रामीण जनता की समस्याओं का स्थानीय स्तर पर निस्तारण हेतु किसान सेवा केन्द्र की स्थापना ।

16–उत्तरांचल एवं बुन्देलखण्ड की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए इन क्षेत्रों के विकास पर विशेष बल ।

17–विभाग की सभी महत्वपूर्ण योजनाओं के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन गांव सभा की खुली बैठक में किये जाने की व्यवस्था की गयी है ताकि सत्ता के विकेन्द्रीकरण की नीति के अनुरूप जनसाधारण का अधिक से अधिक सहयोग तथा उत्तरदायित्व योजनाओं के कार्यान्वयन में हो सके ।

विभाग के प्रमुख कार्यक्रमों का योजनावार संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है :–

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप अपने भाषण को संक्षिप्त कर दें ।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, दीनदयाल विकास योजना बहुत ही महत्वपूर्ण योजना है । प्रदेश के प्रत्येक अंचल में आवश्यकताओं एवं संसाधनों को देखते हुए बहुमुखी आयामी योजनाओं के विस्तार करने, जिससे निरन्तर रोजगार सृजन हो एवं स्थानीय अर्थ व्यवस्था में गतिशीलता लाने के उद्देश्य से दिनांक 25 सितम्बर, 1991 को दीनदयाल विकास योजना को चालू किया गया । मान्यवर, यह सत्य है कि आर्थिक विकास के केन्द्र बिन्दु हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं । आर्थिक विकास के साथ-साथ सामाजिक न्याय के सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुए यह भी आवश्यक है कि आर्थिक विकास के लाभ यथा सम्भव समान रूप से सभी वर्गों के लोगों को प्राप्त हों । नगरीय क्षेत्रों में बेरोजगार की बढ़ती हुई संख्या में ग्रामीण क्षेत्रों से आये बेरोजगारी की संख्या काफी अधिक है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में कृषि योग्य भूमि पर दबाव पड़ने के कारण एवं अंन्य रोजगार के अवसर अनुपलब्ध होने के कारण लोग नगरों की तरफ नौकरी की तलाश में आते हैं ।

मान्यवर, विभिन्न अध्ययनों से यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण क्षेत्र में गैर कृषि आधारित सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जिसमें सबसे अधिक रोजगार की सम्भावनायें हैं । इन रोजगार की सम्भावनाओं के माध्यम से ग्रामीणवासियों को सतत् रोजगार उपलब्ध कराने के लिए एक व्यवहारिक एवं प्रोजेक्ट अप्रोच आधारित नीति की आवश्यकता है । रोजगार सृजन के कार्यक्रम विभिन्न आर्थिक क्षेत्रों में हो सकते हैं, विभिन्न स्थानों की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए तत्कालिकता एवं आर्थिक अवसर को ध्यान में रखते हुए किये जा सकते हैं । मूल रूप से इन बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए रोजगार सृजन की सम्भावनाओं पर विचार किया जाना आवश्यक है । इन आर्थिक गतिविधियों के सृजन में यह भी आवश्यक है कि शासन केवल प्रेरक की भूमिका निभाये । इसके अन्तर्गत यह समस्त व्यवस्थाएं होंगी जिनका उपयोग करते हुए ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में आम व्यक्ति रोजगार में लग सके, स्वावलम्बी हो सके एवं अपने स्तर में गुणात्मक सुधार ला सकें, इन्हीं उद्देश्यों को दृष्टिगत रखते हुए इस योजना का शुभारम्भ किया गया ।

मान्यवर, मैं माननीय सदन को बताना चाहता हूं कि इस योजना के सफल क्रियान्वयन के लिए माननीय वित्त मंत्री जी की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया गया है । टास्क फोर्स द्वारा प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों की भौगोलिक एवं आर्थिक संसाधनों की उपलब्धता को देखते हुए अलग-अलग योजनायें बनायी जायेंगी । उदाहरण के लिए पर्वतीय क्षेत्र की योजना का स्वरूप अलग होगा, एवं बुन्देलखण्ड के लिए अलग । मान्यवर, यह योजना विभिन्न विभागों द्वारा वर्तमान में क्रियान्वित की जा रही योजनाओं को सुदृढ़ करेगी एवं उनके संसाधनों का उपयोग करते हुए प्रोजेक्ट अप्रोच के आधार पर ग्रामीण क्षेत्रों में सतत् रोजगार के अवसर उपलब्ध करायेगी । यह योजना वर्तमान में चलाई जा रही योजनाओं से कई अर्थों में भिन्न होगी । मान्यवर, यह योजना किसी वर्ग विशेष या जाति विशेष के लिए नहीं है, बल्कि प्रत्येक वर्ग जाति या धर्म का सदस्य इसका लाभ प्राप्त कर सकेगा । इसके माध्यम से सृजित होने वाला रोजगार किसी सीमित अवधि के लिए नहीं होगा बल्कि निरन्तर चलता रहेगा । इन योजनाओं में सरकार सेवायोजक नहीं बनेगी, बल्कि प्रेरक की भूमिका निभायेगी । यह योजनायें अलग-अलग क्षेत्रों में वहां की आवश्यकताओं को देखते हुए चलाई जायेगी और यथा सम्भव उसी उपलब्ध संसाधनों का उपयोग किया जायेगा । योजनायें प्रोजेक्ट अप्रोच के आधार पर चलायी जायेंगी । विभिन्न विभागों के आपसी तालमेल

एवं उपलब्ध संसाधनों का सही मिश्रण एवं रचनात्मक उपयोग करते हुए इन्हें चलाया जायेगा । इन कार्यक्रमों के संचालन के फलस्वरूप प्रदेश में सभी क्षेत्रों में जो आर्थिक गतिविधियां विकसित होंगी, उनकी प्रेरणा एवं सहयोग से भी अन्य क्षेत्रों में रोजगार के नये आयाम विकसित होंगे । मान्यवर, वर्ष 1991-92 में दीनदयाल विकास योजना के अन्तर्गत 7 योजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गयी हैं । इन योजनाओं को मैं बताना आवश्यक समझता हूं । यह हैं, पशु विकास की स्व-रोजगार योजना, बुन्देलखण्ड सघन उद्यानीकरण योजना, सघन मिनी डेरी योजना, चर्म वस्तु उत्पादन एवं विपणन योजना, न्यू माडल चर्खा स्व-रोजगार योजना, यह पर्वतीय क्षेत्रों के लिए है, रेशम विकास की योजना और मत्स्य आस्थान विकास योजना ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, उस सीट पर बैठ कर इतनी गरिमा रखें कि बजट पढ़ा न जाय, यह गलत है ।

श्री हरवंश कपूर–

वर्तमान में इन योजनाओं को हमने 43 जिलों में लागू किया है और इस वर्ष के अन्त में हम प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इस योजना को लागू करेंगे । इस योजना के अतिरिक्त इसमें अन्य योजनायें भी सम्मिलित की जायेंगी । स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार संसाधनों के आधार पर ।

एकीकृत ग्राम्य विकास योजना कोग्रामीणक्षेत्र के निवासियों के जीवन में गुणात्मक सुधार करने के लिए उनकी न्यूनतम आवश्यकतायें उपलब्ध कराने के लिए रोजगार के अवसरों में वृद्धि तथा ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी के स्तर को कम करने के लिए एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के पैकेज के रूप में कार्यान्वित किया जायेगा ।

श्री विजय सिंह राणा–

मंत्री जी, जो आप जानते हों उतना ही कह दें कोई जरूरी नहीं है कि लम्बा-चौड़ा पढ़ें ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी संक्षिप्त रूप से कह दें अनुदान प्रस्तुत कर ही दिया है आपने ।

श्री लाल जी वर्मा–

मान्यवर, भाषण पढ़ा नहीं जाता, यह आप इनको बता दें ।

श्री उपाध्यक्ष–

पढ़ा नहीं जाता लेकिन सहयोग तो लिया ही जा सकता है ।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना में जहां पर गरीबी से नीचे बसर करने वाले लोग थे वह ऊपर उठेंगे इसका हमने औसत 10 हजार रखा था और इसे इस वर्ष हमने 12 हजार आगे बढ़ाया है

इससे निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्रों के वे लोग जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उन्हें अपने जीवन सुधार के लिए पर्याप्त अवसर प्रदान किया जायेगा और उनका जीवन स्तर ऊपर उठेगा । मान्यवर, ग्रामीण योजनाओं को ठीक प्रकार से लागू करने के लिए प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी हमारे माध्यम से चलाया जाता है और स्वतः रोजगार योजना के लिए ट्राइसेम के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र के नवयुवकों को ट्रेनिंग दी जाती है जिससे कि वह अपने को स्वावलम्बी बना सकें । स्वयं रोजगार ढूंढ़ सकें और अपने पांव पर खड़े हो सकें । मान्यवर, ट्राइसेम में भाग लेने वाले प्रशिक्षितों को अनुदान भी दिया जाता है और छात्रवृत्ति का भी प्रबन्ध है । मान्यवर, जैसा मैंने अनुरोध किया था कि हमारी सरकार द्वारा महिलाओं को स्वावलम्बी बनाने के लिए महिलाओं और बच्चों के लिए ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान योजना प्रदेश के 32 जनपदों में कार्यान्वित की जा रही है जोकि वर्तमान में प्रदेश के 25 जनपदों में लागू है और हमारा यह प्रयास रहेगा कि प्रदेश के समस्त जनपदों में इसे लागू किया जाय और महिलाओं को प्रशिक्षित किया जाय ताकि प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों के आधार पर वह रोजगार पा सकें । इस योजना के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार का सामान जैसे टाट पट्टी, दलिया, मसाले, दरी, दोनापत्तल, झोला स्वेटर, पावदान, झाड़ू, मोड़ा आदि काफी मात्रा में निर्मित किया जाता है । ग्रामीण आवास योजना–निर्बल वर्ग आवास के माध्यम से इन्दिरा आवास योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्र में उन लोगों के लिए जिनको मकान नसीब नहीं हैं, जिनके पास रहने का कोई ठिकाना नहीं है उनको गरीबी के आर्थिक आधार पर अनुदान उपलब्ध कराना चाहती है । इस साल एक लाख आवास ग्रामीण क्षेत्र में बनाने का लक्ष्य स्थापित किया है । इस योजना के माध्यम से मैं समझता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के उन लोगों का, जिन्हें एक लाख मकान उपलब्ध होंगे, वे अवश्य उनसे लाभान्वित होंगे जिनको झोपड़ी भी नसीब नहीं होती है । ग्रामीण क्षेत्र के किसानों का, मजदूरों का अपनी जिन्दगी का एक महत्वपूर्ण भाग जिला मुख्यालयों के चक्कर लगाने में कट जाता है, ब्लाकों के चक्कर लगाने में कट जाता है । वे कभी अधिकारियों की तो कभी कर्मचारियों की तालाश करते हैं । अधिकारी/कर्मचारी उन्हें मिल भी जाते हैं तो रिकार्ड उपलब्ध नहीं हो पाता है । हमने वायदा किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो किसानों को, ग्रामीणों को और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों को अधिकारियों की तलाश नहीं करनी पड़ेगी और वे स्वयं उनके द्वार पर जायेंगे । किसान सेवा केन्द्रों की स्थापना करके प्रत्येक न्याय पंचायत में प्रत्येक वृहस्पतिवार को अधिकारी/कर्मचारी उपस्थित रहेंगे और योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को देंगे, योजना का अनुश्रवण करेंगे और समस्याओं का समाधान वहीं करेंगे । इसमें सुनिश्चित किया जाएगा कि योजनाओं का लाभ उस क्षेत्र में उस व्यक्ति को मिल रहा है या नहीं जिसके लिए योजना बनी है । किसान सेवा केन्द्रों पर उपस्थित होकर अधिकारी वहां का रिकार्ड ठीक करेंगे और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले मजदूरों की जो भी आवश्यकता है उसे वहीं पर पूरा करेंगे । अगर उस दिन समय नहीं है तो अगले वृहस्पतिवार को उसका समाधान सेवा केन्द्र पर आकर करेंगे । अनुसूचित जाति और जनजाति हेतु ग्रामीण क्षेत्र में पेयजल योजना–40 साल की आजादी के पश्चात् बहुत कष्ट के साथ कहना पड़ता है कि हम आज तक अपने गांव में पेयजल योजना नहीं पहुंचा सके हैं । कारण जो भी रहा हो परन्तु यह जरूरी है कहा जाता है कि पेयजल ही जीवन है । जिस दिन नगर विकास का बजट सदन में रखा गया था मा० नगर विकास मंत्री जी ने जानकारी दी थी कि 300 से ऊपर आज भी ऐसे गांव हैं, जहां पाठशाला तो क्या खोलेंगे, बिजली क्या देंगे इनको, कृषि सुधार की व्यवस्था क्या करेंगे,

उनके लिए रोजगार क्या उपलब्ध करायेंगे उनके लिए हम पानी पीने तक का नहीं उपलब्ध करा पाये । मान्यवर, वर्तमान सरकार अनुसूचित जाति, जनजाति के वर्गों के लिए, इन वर्गों के बाहुल्य क्षेत्रों के लिए पेयजल की पूरी व्यवस्था करेगी । यह व्यवस्था जल निगम के माध्यम से की जा रही है । इस वर्ष हमने निश्चय किया है कि 61 सौ इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प ग्रामीण क्षेत्रों में लगायेंगे ।

एक सदस्य–

जल निगम नगर विकास में आता है या ग्रामीण विकास में ।

(व्यवधान)

श्री हरवंश कपूर–

जल निगम नगर विकास में आता है परन्तु इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प....

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी मैंने निवेदन किया था कि बजट के जो मुख्य बिन्दु हैं वे बता दें । अभी दूसरे माननीय मंत्री जी को भी बोलना है ।

श्री हरवंश कपूर–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, संक्षेप कर रहा हूं । ग्रामीण विकास विभाग एक महत्वपूर्ण विभाग है । प्रदेश की 85 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है अगर उनकी बात नहीं करेंगे तो किन की बात करेंगे । हमारी राजनीतिक प्रतिबद्धतायें अलग हो सकती हैं हमारी सोच अलग हो सकती है हमारी जाति अलग हो सकती है परन्तु जहां तक विकास की बात है, प्रदेश की 85 प्रतिशत जनता की बात है और उस जनता में जिसमें से 50 प्रतिशत से अधिक गरीबी की रेखा से नीचे रहती है, अपना जीवन यापन करती है, मैं कहूंगा कि 44 वर्षों में हमने मजबूर किया चाहे हम इस बात को कहें कि हमने उनका शोषण किया, योजनाओं का लाभ 15 प्रतिशत जनता तक सीमित रहा 80 प्रतिशत जनता उपेक्षित रह गयी आज हमें चिन्ता करनी है उसमें । हमें खुशी है इस बात की, कि श्री कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री हैं किसान हैं वे जानते हैं कि किसान का क्या दुख हो सकता है । उसके पसीने की क्या कीमत है, खून से शायद महंगी होगी । हम रात को जब सो जाते हैं तो किसान खेत में जाकर पानी लगाता है किसी ने उसकी चिन्ता की दूसरे का पेट भरने के लिए वह मेहनत करता है, जबकि उसके बच्चे रात को भूखे सोने के लिए मजबूर होते हैं । आज हमें उसका संरक्षण करना पड़ेगा । हमें राजनीतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठ कर पारिवारिक भावनाओं से हमें सुनिश्चित करना पड़ेगा । इसे भारतीय जनता पार्टी की वर्तमान सरकार, जिसने लक्ष्य रखा कि बजट का कम से कम 60 प्रतिशत भाग हम ग्रामीण क्षेत्र में देंगे । यह 60 प्रतिशत बजट का लाभ उस जनता को मिल सकेगा उस क्षेत्र को मिल सकेगा । हमें प्रहरी के रूप में खड़े होकर चौकीदारी करनी पड़ेगी । मान्यवर, मैं आगे निवेदन करना चाहता हूं कि राष्ट्रीय बायो गैस परियोजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में पर्यावरण को सुरक्षित रखने हेतु ग्रामीण क्षेत्र में उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग करने हेतु हम बायो गैस को बढ़ावा देंगे और इसके अन्तर्गत हमने इस वर्ष जो दस हजार का लक्ष्य था उसे बढ़ाकर 12 हजार कर दिया है । और इस हेतु आय-व्ययक में

451.5 लाख रुपये का प्राविधान किया है । मान्यवर, जिन शहरों में, जिन नगरों में हमें गैस उपलब्ध है, हम कल्पना करें कि उन दूर दराज के क्षेत्र में पिछड़े हुए क्षेत्र में जहां गैस उपलब्ध करानी है वहां पर हम आवश्यक संसाधन भी उपलब्ध नहीं करा पाते । जंगलों के कटने से जहां लकड़ी को सुरक्षित रखने की आवश्यकता महसूस की जा रही है । हमारी सरकार ने निर्णय लिया है कि उन्नत चूल्हा धूम रहित चूल्हा का विकास किया जायेगा इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहेगा और जो जंगलों का अनावश्यक कटान हो रहा है वह भी नहीं हो पायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय मंत्री जी आप एक अनुदान में इतना समय ले रहे हैं तो मेरा अनुरोध है कि आप कृपया संक्षिप्त कर दें और जो मुख्य-मुख्य बातें हैं उसे ही रखें बाकी बातें अपने उत्तर भाषण में बता दीजियेगा ।

श्री हरवंश कपूर–

ठीक है मान्यवर, मैं संक्षिप्त कर रहा हूं । वर्ष 1992-93 में इस कार्यक्रम के लिए आय-व्ययक में 238 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है तथा 2.31.000 उन्नत चूल्हों का प्राविधान किया गया है जबकि वर्ष 1991-92 में, 2.10.130 उन्नत चूल्हों की स्थापना का लक्ष्य था ।

प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य ग्रामों में सर्वोन्मुखी विकास के लिए अम्बेडकर विकास योजना चलायी जा रही है । इस योजना के अन्तर्गत चयनित ग्रामों में प्राथमिकता के आधार पर स्थायी अवस्थापना सुविधाओं का सृजन, लक्षित वर्गों के परिवारों को उत्पादक परिसम्पत्तियां प्रदान रोजगार के अवसर उपलब्ध कराकर उनकी पारिवारिक आय में वृद्धि करने तथा यथासम्भव इनमें न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया जा रहा है । इस वर्ष प्रत्येक जनपद में 5 अम्बेडकर ग्रामों को चयनित किया जायेगा और यह प्रत्येक विकास खण्ड में और प्रत्येक गांव में होगा । सामुदायिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत निदेशन और प्रशासन पर होने वाले व्यय के अतिरिक्त विकास तथा संग्रहीत जिला विकास कार्यालयों भवनों का निर्माण तथा गाड़ियों की व्यवस्था कार्य किया जा रहा है। वर्ष 1992-93 में आय-व्ययक के भवनों के निर्माण के लिए 1598.25 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । इस धनराशि से विकास खण्डों में 128 आवासीय/अनावासीय भवनों का निर्माण कराया जायेगा । जनपदों में 30 संग्रहीत जिला विकास कार्यालय भवनों का निर्माण कार्य का भी लक्ष्य हमने रखा है...निष्प्रयोज्य घोषित होने वाली गाड़ियों के स्थान पर नई गाड़ियों के क्रय हेतु 89.13 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है । ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में भवनों एवं मार्गों का निर्माण कराया जाता है । इसका अपना कोई मूल बजट नहीं होता है । डिपाजिट वर्क के आधार पर यह विभाग कार्य करता है ।

लघु तथा सीमान्त कृषकों को सहायता देने हेतु भी कई कार्यक्रम चलाये गये हैं । प्रदेश में निजी लघु सिंचाई कार्यक्रम के द्वारा सिंचन क्षमता में वृद्धि करके खाद्यान्न उत्पादन में अधिकाधिक वृद्धि एवं कृषकों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु लघु सिंचाई विभाग सतत् प्रयत्नशील है । मैदानी क्षेत्र में लघु कृषकों को 3000 रु० सीमान्त कृषकों को 4000 रु० तथा अनुसूचित जाति/जनजाति को 5000 रु० की सीमा तक निःशुल्क बोरिंग की सुविधा उपलब्ध है । पम्पसेट/नलकूप पर लघु कृषकों को 25 प्रतिशत अधिकतम रु० 1500 रु० सीमान्त कृषकों को 33.1/3 प्रतिशत अधिकतम 2000 रुपये की सीमा तक अनुदान की सुविधा उपलब्ध है । अनुसूचित जाति के कृषकों को अनुदान आई० आर० डी० पी० के अन्तर्गत 50 प्रतिशत अधिकतम 3000 रुपये तक दिया जाता है । प्रदेश के कठोर एवं गहरे बोरिंग स्ट्रेटा वाले क्षेत्र में रिग मशीन द्वारा निर्मित नलकूपों पर 50 प्रतिशत अधिकतम 30,000 रुपये तक अनुदान की व्यवस्था है यदि कृषक की बोरिंग असफल हो जाती है तो बोरिंग की लागत का 10 प्रतिशत अथवा 1000 रुपये जो भी कम हो, कृषक से लिया जाता है तथा शेष व्यय भार शासन द्वारा वहन किया जाता है । आगरा, एटा, मथुरा एवं अलीगढ़ जनपदों के 24 विकास खण्डों में निःशुल्क बोरिंग के पात्र कृषकों के अतिरिक्त, कृषकों के नलकूप निर्माण पर यदि खारा पानी निकलता है तो उस बोरिंग को असफल माना जाता है । ऐसी असफल बोरिंग पर वास्तविक व्यय का 50 प्रतिशत अधिकतम 2500 रुपये का अनुदान दिया जाता है । प्रदेश के आगरा, मैनपुरी, इटावा एवं जालौन जनपद में हैण्ड बोरिंग सेट से निर्मित आर्टीजन कूप पर लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 5000 रुपये तथा रिग मशीन से निर्मित आर्टीजन कूप पर 50 प्रतिशत अधिकतम 15,000 रुपये तक अनुदान दिया जाता है । प्रदेश के झांसी, बांदा, ललितपुर, हमीरपुर, आगरा तथा वाराणसी जनपद के पठारी क्षेत्रों में गहरी बोरिंग के अतिरिक्त इनबेल रिग मशीन द्वारा बोरिंग करके नलकूप की वास्तविक लागत का 50 प्रतिशत अधिकतम 7500 रुपये का अनुदान दिया जाता है । बुन्देलखण्ड मण्डल तथा इलाहाबाद, वाराणसी, मिर्जापुर एवं आगरा जनपदों के पठारी क्षेत्रों में ब्लास्ट कूप के निर्माण पर 50 प्रतिशत अधिकतम रु० 5000 तक तथा कूपों को गहरा करने पर रु० 10 प्रति होल की दर से अनुदान है । बुन्देलखण्ड मण्डल तथा इलाहाबाद जनपद के पठारी क्षेत्रों में समस्त कृषकों को पम्प सेट एवं नलकूप के निर्माण पर ऋण का 25 प्रतिशत अधिकतम रु० 3000 तक अनुदान है ।

एक सदस्य–

मेरा आपसे अनुरोध है, मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि हमारे लोगों की भावना को सुनने के बाद उनके जवाब में यह चीजें रख देंगे और भी कुछ कह देंगे उस समय तो बहुत अच्छा होगा लेकिन यह उसका अवसर नहीं है ।

श्री हरवंश कपूर–

जहां तक बोरिंग ठीक प्रकार से हो सके, जल की आपूर्ति का लाभ किसानों को मिल सके, उसके लिए भूगर्भ जल विभाग के माध्यम से जगह-जगह पर बोरिंग कराई जाती हैं और हमारा मानना है कि इस विभाग के माध्यम से इस कार्य को और सुदृढ़ किया जायेगा जिससे इसका लाभ प्रदेश की पूरी जनता को मिल सके । किसानों के प्रशिक्षण की जो बात है, अपने अधिकारियों/कर्मचारियों और जन प्रतिनिधियों के लिए भी प्रशिक्षण की पूरी व्यवस्था इस विभाग के द्वारा की जाती है जिससे योजनायें ठीक प्रकार से चल सकें और योजनाओं का पूरा लाभ जनता को मिल सके । मान्यवर, जैसा मैंने निवेदन किया था योजनायें ठीक प्रकार से चलें और उसका जनता को लाभ मिले, उसका लाभ क्षेत्र को मिले उसके लिए हम जहां लक्ष्यों की पूर्ति सुनिश्चित करना चाहते हैं, हम जनता को भी पूरा महत्व देते हैं ।

मान्यवर, हमारी सरकार, जो ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रष्टाचार व्याप्त है, उसको समाप्त करने के लिए भी कृत संकल्प है। हमने वायदा किया था स्वच्छ प्रशासन का। स्वच्छ प्रशासन का हमने संकल्प लिया है। हम अवश्य स्वच्छ प्रशासन जनता को देंगे। जहां हम अपने सहयोगियों और साथियों से सहयोग चाहते हैं, हम सभी के सहयोग की आशा करते हैं। इसके लिए विभाग के माध्यम से भी प्रयास किये गये हैं। जहां-जहां भ्रष्टाचार है, हमने उसको दूर करने का निर्णय लिया है। इतने अल्पकाल में 305 अधिकारियों और कर्मचारियों को हमने ग्राम्य विकास विभाग में दण्डित किया है, 10 अधिकारियों और कर्मचारियों को निलम्बित किया है और 3 को अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया। इसी प्रकार ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा के अन्तर्गत 21 अधिकारी और कर्मचारी निलम्बित किये गये, 40 के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की गयी। यहां तक कि एक पूर्व मुख्य अभियन्ता के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही चल रही है। इसी प्रकार से लघु सिंचाई विभाग के एक अधिकारी को निलम्बित किया गया और एक अनिवार्य रूप से सेवा निवृत्त किया गया था तथा 6 के विरुद्ध अनुशासन की कार्यवाही चल रही है। मान्यवर, मैं पुनः अपने समस्त साथियों से अनुरोध करना चाहता हूं कि हम योजनाओं का लाभ जनता को दे सकें इसके लिए हमें अपने राजनीतिक मतभेदों से ऊपर उठकर एक दूसरे का सहयोग करके यदि हमें कहीं भी अनियमितता नजर आती है तो उसकी जानकारी सरकार को दें तो निश्चित रूप से दोषी व्यक्तियों के खिलाफ और भ्रष्ट लोगों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष–

आपने एक ही अनुदान पर काफी समय ले लिया है, यदि कोई बात रह गयी हो तो उत्तर भाषण में बता दें। और अब आप समाप्त करें।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, थोड़ा ही रह गया है। मैं अपने सहयागियों से बहुमूल्य सुझावों को आमंत्रित करना चाहता हूं और उन्हें विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके जों भी सुझाव होंगे उन्हें शिकायत के रूप में न लेकर सुझाव के रूप में मानते हुए अमल करने की कोशिश करेंगे। हम चाहते हैं कि जो 85 प्रतिशत जनता आज पिछड़ी हुई है उसके उत्थान के लिए हम मिलजुल कर काम करें तो निश्चित रूप से क्षेत्र का विकास और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास होगा। चूंकि हमारा मानना है कि ग्रामीण विकास की योजनायें पारिवारिक भावनाओं से ही चलायी जा सकती हैं और उसे सफल बनाने के लिए एक दूसरे का सहयोग मिलना चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं आप सभी साथियों को धन्यवाद देता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

अनुदान संख्या–12 और 14 के बारे में माननीय पंचायती राज मंत्री जी बजट प्रस्तुत करें।

* पंचायती राज्य मंत्री (श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या–12-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,64,56,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाये।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से और श्री राज्यपाल की सिफारिश से प्रस्ताव करता हूं कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदानं संख्या–14-कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,68,93,000 रुपये से अधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ।

[समय : 4 बजकर 15 मिनट]

मान्यवर, मैं इस सदन सम्मुख पंचायती राज, क्षेत्रीय विकास और प्रान्तीय विकास दल के संबंध में बजट प्रस्तुत कर रहा हूं । यह बजट मुख्यतः उत्तर प्रदेश के 74 हजार ग्राम सभाओं से संबंधित है । देश के प्रशासनिक ढांचे में ग्राम सभा प्राथमिक इकाई है । यदि हम देश और प्रदेश में लोकतंत्र को सफलीभूत देखना चाहते हैं तो प्राथमिक इकाई ग्राम सभा को सशक्त, सबल और सुदृढ़ बनाना होगा । जब तक पंचायती राज संस्थाओं को आर्थिक दृष्टि से सम्पन्न और सुदृढ़ एवं स्वावलम्बी नहीं बनाया जा सकेगा तब तक देश के अन्दर लोकतंत्र भी सफल नहीं होगा, इसलिए लोकतंत्र की सफलता के लिए पंचायती राज संस्थाओं की सफलता आवश्यक है । वर्तमान सरकार की आस्था सत्ता के विकेन्द्रीकरण में है और विश्वास है कि पंचायती राज संस्थाओं को सुदृढ़ और सफल बनाने में यह सफल हो सकेगा और इसलिए यह प्रयास किया है कि हम ग्राम सभाओं को स्वावलम्बी बनायें, उनके आर्थिक स्रोतों को बढ़ाया जाये और जो ग्राम सभाओं के प्रधान हैं, जो चुने मुखिया हैं उनमें उत्तरदायित्व की भावना पैदा की जाये और जो सरकार धन दे रही है उसका ग्रामीण क्षेत्रों में उचित उपयोग किया जाये । इसीलिए 1992-93 में योजना बनायी है कि प्रधानों को छः दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा । इस वर्ष हमने प्रदेश के अन्दर पंचायती राज सम्मेलन आयोजित किया है । पंचायती राज विभाग के अधिकारियों ने उन प्रधानों के अन्दर इस भावना को जाग्रत करने का प्रयास किया है कि वह पार्टीबन्दी और दलबंदी से दूर रहें । गांवों के विकास का प्रयास करें । गांवों के उत्थान और सर्वांगीण विकास की भावना उनमें पैदा हो । इसलिए हमने पंचायती राज का सम्मेलन आयोजित किया है । हमारी चिन्ता इस बात की है कि ग्राम सभाओं को हम आर्थिक स्रोत से कैसे सम्पन्न कर सकते हैं, उनके आर्थिक स्रोत कैसे बढ़ा सकते हैं । इसके लिए अधिकारी स्तर पर संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में और पंचायती राज निदेशक की अध्यक्षता में दो समितियों का गठन किया है । उनसे अपेक्षा की गयी है कि इस प्रकार के सुझाव दें, इस प्रकार के उपाय बतायें जिससे गांवों का सुधार कर सकें । गांवों के आर्थिक स्रोत को कैसे बढ़ा सकें । कैसे गांव आर्थिक स्रोतों से सम्पन्न हो सकें ।

प्रधानों के चुनाव हुए हैं । उनको जन प्रतिनिधि का दर्जा मिले । मुख्यालय, तहसील, थाने पर जाने में उनको एक चुने हुए प्रतिनिधि का सम्मान मिले । देश की आजादी के बाद पहली बार प्रदेश के 74 हजार प्रधानों को इस तरह से आइडेंटिटी कार्ड, परिचय-पत्र जारी करने का निर्णय लिया गया है जिसमें उनका नाम, पता और जिस ग्राम सभा के प्रधान हैं, उस परिचय-पत्र में लिखा होगा । इस तरह के परिचय-पत्र प्रधानों को जारी किये जा रहे हैं । प्रधानों के अन्दर सेवा भावना बढ़े इस बात का हम प्रयास कर रहे हैं । दलबन्दी, पार्टीबन्दी से दूर रहकर काम करें और जैसा जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत उनको जो सुविधायें मिलनी चाहिए प्रदान की जायं । प्रधान गांव का मुखिया है । आज गांवों के विकास में जितने भी काम होते हैं उसमें प्रधान की एक मुख्य भूमिका होती है । अगर ग्राम प्रधान के खिलाफ शिकायत होने पर कार्यवाही होती है तो उस ग्राम पंचायत अधिकारी के साथ भी कार्यवाही होनी चाहिए । दोनों का ज्वाइन्ट खाता है । गांवों में लगने वाले बाजार, हाटों, मेलों को व्यवस्थित करना चाहते हैं । इस वर्ष 1992 में ग्राम के विकास खण्डों में बाजारों, मेलों, हाटों को सुव्यवस्थित करने का

प्रयास किये हैं । आज प्रदेश में साढ़े आठ हजार पंचायती न्याय केन्द्र हैं । तीन हजार के करीब पंचायती भवन बने हैं । इस वर्ष 149 मैदानी क्षेत्र में और 101 पर्वतीय क्षेत्रों में पंचायती केन्द्र बने हैं । वर्ष 1992-93 में भी हमने पिछले वर्ष से परिव्यय अधिक रखा है । हम चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश के सभी न्याय पंचायत केन्द्रों पर कोई भी न्याय पंचायत ऐसी न रहे जहां पंचायत भवन न हों । आगामी दो वर्षों में ऐसी योजना है कि सभी पंचायती भवन बना दिये जायं । इसके साथ ही साथ गांवों का वातावरण बने । पर्यावरण साफ रहे ।

महिलाओं के लिए शौचालय जाने की विशेष असुविधा को ध्यान में रखने हुए प्रदेश सरकार ने गांव के अन्तर्गत दो शौचालयों की योजना है । 1980 से 1990 तक दस वर्ष में एक लाख शौचालय बने । 1991-92 में एक लाख शौचालयों का लक्ष्य था, जिसमें 99 हजार शौचालयों को बनाया गया है । 1992-93 में हमारी एक लाख शौचालयों की योजना है इसके अतिरिक्त विद्यालयों में सार्वजनिक स्थानों पर, बाजारों में सामुदायिक शौचालय ग्रामों में बनाना चाहते हैं । इसका लोगों को लाभ मिले इसकी गुणवत्ता बनी रहे इस पर हमारे विभाग ने विशेष ध्यान दिया है । ग्राम सभायें जिला परिषदों की कड़ी हैं पंचायती राज विभाग की । पिछले 40 वर्षों से जिला परिषदों की उपेक्षा हुई है । राजनीतिक कारणों से, या राजनीतिक दलों के निहित स्वार्थों के कारण । जिला परिषदों का कोई डायरेक्ट्रेट, कोई सचिवालय, कोई निदेशालय नहीं है, तो एक मिनी डायरेक्ट्रेट की स्थापना करेंगे इसमें तीन उप निदेशक होंगे जो जिला परिषदों के कार्यों की समीक्षा करेंगे । भौतिक सत्यापन करेंगे जनता की शिकायतों की स्वयं जांच करेंगे जिससे जिला परिषदों के काम गुणवत्ता बढ़े और आम शिकायतें सुधरें । हमने मण्डलवार जिला परिषदों की मुख्य अधिकारियों की बैठक करके उनके कार्यों की समीक्षा की है उनकी सम्पत्तियों का सत्यापन किया है । मान्यवर, पिछले वर्षों के मुकाबले में जिला परिषदों की आय 30 प्रतिशत बढ़ी है इतना ही नहीं मान्यवर, विशेष अभियान के रूप में आने वाले वर्षों में एक-एक महीने का अभियान चलायेंगे । मान्यवर, जिला परिषदों की भूमि पर जो अनधिकृत कब्जे होते हैं उन अनधिकृत कब्जों से जिला परिषदों को मुक्त कराया जाएगा । जिला परिषदों के लिए पिछले तीन वर्ष से सड़क अनुदान नहीं मिला है । हमने इस वर्ष 397 लाख रुपये सड़क अनुदान, 63 जिला परिषदों को दिया है । जिला परिषदों में कार्य की गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए जिला परिषदों के बकाये धन की वसूली के लिए हमने निर्देश दिये हैं विशेष अभियान चलाकर कि जिला परिषदों का जो बकाया पैसा है इसकी वसूली की जाये, अनधिकृत कब्जों को हटाया जाये । जिला परिषदों में सम्पत्ति रजिस्टर बनाये जायं और उसका सत्यापन कराया जाय । पहले जिला परिषदों में सम्पत्ति रजिस्टर नहीं था इसका सत्यापन नहीं हुआ पहली बार मुख्यालय पर मण्डलवार बैठक की गयी अब इन सम्पत्ति रजिस्टरों द्वारा सत्यापन किया जाएगा । अनुश्रवण कोष्ठक के माध्यम से सभी जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जायेगा । हमने इसके साथ-साथ जिला परिषदों के कर्मचारियों को जो चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती थी, उन्हें अन्य कर्मचारियों की तरह चिकित्सा सुविधा दी जायेगी उनको प्रतिमाह 50 रुपये प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता दिया जायेगा । पर्वतीय क्षेत्रों में पर्वतीय भत्ता और सीमान्त भत्ता भी जिला परिषदों के कर्मचारियों को दिया गया है । 63 जिला परिषदों में से 55 जिला परिषदें ऐसी हैं जो प्रत्येक महीने अपने कर्मचारियों को वेतन देती हैं केवल 8-10 ऐसी जिला परिषदें हैं जो प्रतिमाह अपने कर्मचारियों को वेतन नहीं दे पाती हैं । जिन जनपदों में अब तक जिला परिषदों का गठन नहीं हुआ है वहां दिसम्बर, 91 में इस सरकार ने जिला परिषदों का गठन कर दिया है । मान्यवर, जो जिला परिषदें अवक्रांत थीं वहां पर दिसम्बर, 91 में जिला परिषदें गठित कर दी गयीं हैं और नोटीफिकेशन भी कर दिया गया है ।

उत्तर प्रदेश की ग्राम सभाओं में प्रधान तथा उप प्रधान व सदस्यों के कुछ पद रिक्त हैं उन पर विधान सभा सत्र के बाद चुनाव की प्रक्रिया प्रारम्भ की जायेगी । पिछले कई वर्षों से न्याय पंचायतों का गठन नहीं हुआ है । अक्तूबर माह में इसके गठन करने की प्रक्रिया प्रारम्भ करेंगे । एक प्रसन्नता की बात है कि पंचायत राज विभाग में पहली बार अनुसूचित जाति का कोटा जो कई वर्षों से पूरा नहीं था उसको पूरा ही नहीं किया गया है बल्कि उनके कोटे से अधिक लोगों की नियुक्ति की गयी है । पंचायत राज विभाग में 10241 कर्मचारी हैं जिनमें से 1785 का कोटा बनता है लेकिन उसके विपरीत, अनुसूचित जाति के लोगों की नियुक्ति हेतु विशेष अभियान चलाकर 1842 लोगों की नियुक्ति की गयी है जिससे उनका कोटा पूरा हो गया है । (मेजों की थपथपाहट) मान्यवर, एक विश्वास और दिलाना चाहता हूं कि सरकार का विश्वास सत्ता का विकेन्द्रीकरण करने और पंचायत राज संस्थाओं को मजबूत करने में है । इनके संचालन में राजनीति और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता को आड़े नहीं आने दिया है । इन संस्थाओं को मजबूत बनाने सशक्त बनाने का हमने प्रयास किया है । मान्यवर, उत्तर प्रदेश के बरेली जनपद में एक गोष्ठी हमने आयोजित किया था जिसमें जिला परिषद अध्यक्ष, सभी सांसद तथा जन प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया था । इस प्रकार की गोष्ठियां हम प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर आयोजित करना चाहते हैं जिनमें न केवल जिला परिषद के अध्यक्ष बल्कि वह व्यक्ति जो ग्रामीण आर्थिक विकास में रुचि रखते हों, समाजसेवी व अर्थशास्त्री हों उनकी राय और उनका मशविरा लेना चाहेंगे ताकि उत्तर प्रदेश के अन्दर सही मानों में स्वराज की स्थापना हो सके और पंचायत राज संस्थायें मजबूत हो सकें । ग्राम सभायें प्रशासन की पहली इकाई हैं । हम चाहते हैं कि वह पार्टी बन्दी से दूर रहकर ग्रामीण विकास का एक सक्षम मंच बने ।

मान्यवर, मैं 2-3 मिनट के लिए क्षेत्रीय विकास और प्रान्तीय विकास दल के बारें में कहना चाहूंगा । प्रान्तीय विकास दल के अन्तर्गत मेलों तथा अन्य अवसरों पर वर्दीधारी स्वयं सेवकों को तैनात किया जाता है ।

वर्ष 91-92 में हमने ऐसे 8275 स्वयंसेवकों को ट्रेनिंग दी है; वर्दी दी है । वर्ष 1992-93 में 10 हजार लोगों को प्रशिक्षण देना चाहते हैं और उस प्रशिक्षण में रायफल की ट्रेनिंग भी देंगे ताकि गम्भीर अवसर पर उनकी ड्यूटी ले सकें । इसके अलावा युवा मंगल दल, महिला मंगल दल और ग्राम खेल कूद का आयोजन भी इस विभाग के अन्तर्गत होता है । हम प्रयास करेंगे कि इस वर्ष में प्रत्येक गांव में, प्रत्येक ग्राम पंचायत, प्रत्येक विकास खण्ड और जिला स्तर पर ऐसे ग्रामीण खेल हों और ग्राम व्यायामशालाओं की स्थापना भी करना चाहते हैं । ऐसी 342 के करीब व्यायामशालाएं काम कर रही हैं । इनकी संख्या हम बढ़ा रहे हैं और इसके साथ-साथ युवा केन्द्र जो 20 लाख की लागत से बनता है, ऐसे 21 युवा केन्द्र सम्पूर्ण प्रदेश में बनाए जायेंगे । इसमें 18 का निर्माण शुरू हो गया है, तीन और युवा केन्द्रों का उत्तर प्रदेश में निर्माण होगा जिसमें एक युवा केन्द्र पर 20 लाख रुपया व्यय होगा । इसके अतिरिक्त प्रदेश में व्यायाम शालाओं का खुले में, भवन में आयोजन कर रहे हैं ।

क्षेत्रीय विकास में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि दो योजनाएं इसमें इस विभाग के पास हैं । एक भूखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम है जो 17 जनपदों के 87 विकास खण्डों में लागू है । यह केन्द्र पोषित योजना है । इसका 50 प्रतिशत धन केन्द्र देगा और 50 प्रतिशत प्रदेश सरकार वहन करती है । उत्पादन में वृद्धि, सूखे के प्रभाव को कम करने और रोजगार के सृजन के लिये 17 जनपदों के 87 विकास खण्डों में यह काम हो रहा है । 3 समादेश रामगंगा, गण्डक और शारदा सहायक क्षेत्र हैं । तो समादेश योजना हमारे प्रदेश में काम कर रही है । गण्डक समाप्त कर दी गयी है । रामगंगा और शारदा सहायक योजना

सीतापुर, लखीमपुर, हरदोई, सहारनपुर, बरेली, पीलीभीत, उन्नाव, लखनऊ, नैनीताल आदि क्षेत्रों में, 11 जनपदों में है और रामगंगा परियोजना कानपुर, इटावा, अलीगढ़, मथुरा, आगरा, मैनपुरी, एटा, इलाहाबाद, फतेहपुर, फर्रुखाबाद आदि जनपदों में काम कर रही है । पांच क्षेत्रों में रामगंगा, केन, ईस्ट गंगा, जमरानी और ईस्ट यमुना में यह विभाग काम कर रहा है । इसका मुख्य कार्य सिंचन क्षमता बढ़ाकर खेतों को उपजाऊ बनाना है । नये कुलावे बनाकर कच्ची और पक्की गूलें बनाने का है । गत वर्षों में कच्ची गूलें अधिक बनती थी अब हम पक्की गूलें अधिक बनाएंगे । संक्षेप में पंचायती राज विभाग क्षेत्रीय विकास, प्रान्तीय विकास दल की योजनाएं और बजट मैंने प्रस्तुत किया है । जैसा कि प्रारम्भ में कहा था कि हम गांव की जो प्राथमिक इकाई है उसको मजबूत बनाएंगे जिससे कि ग्राम स्वराज और लोकतंत्र मजबूत होगा ।

एक बात और कहूंगा कि मेरे सम्मानित सदस्य जो भी बोलेंगे, एक ही शिकायत कर सकते हैं कि इस कार्य में भ्रष्टाचार है, पैसे का सदुपयोग नहीं है, आचरण अच्छा नहीं है, काम सही नहीं हो रहा है । मित्रों इस आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता था कि....इसको हम एकांगी रूप में नहीं देख सकते हैं । आज अधिकारी-कर्मचारी किसी दूसरे देश का नहीं है, इसी देश का रहने वाला है । 15 अगस्त, 1947 के बाद वैसी तड़पन, वैसी ललक, वैसी आग आज नहीं है जैसी 15 अगस्त, 1947 से पहले थी, क्योंकि उस समय देश की आजादी का लक्ष्य था, दोष उनका है, मैं राजनैतिक कारणों से दोष नहीं दे रहा हूं, सच्चाई यह है कि 15 अगस्त, 1947 को जिन्होंने सत्ता सम्भाली, उनको नवजवानों के सम्मुख एक लक्ष्य रखना चाहिए, एक उद्देश्य रखना चाहिए था, जैसा कि जापान और चीन ने अपने नवजवानों के सामने रखा । उनको नवजवानों के सामने यह उद्देश्य रखना चाहिए था कि अब देश को बनाने और बिगाड़ने की जिम्मेवारी हमारी है और इस लिये देश के नवजवानों की देश भक्ति, कर्तव्य परायणता, प्रमाणिकता की भावना आती, अगर नवजवानों के सामने यह लक्ष्य रखा और सरकारी कर्मचारियों में यह भावना भरी होती कि वह केवल वेतन भोगी कर्मचारी नहीं हैं, कुछ समर्पण और डेडीकेशन चाहिए था । इन शब्दों के साथ मैं आदरणीय सदन के सम्मानित सदस्यों से आग्रह करुंगा कि वे अपने बहुमूल्य रचनात्मक सुझाव दें ।

श्री हरिवंश सहाय–

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 12–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 13–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि अनुदान संख्या 14–कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय ।

कमी करने का उद्देश्य–विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना ।

मान्यवर, अभी आपके सामने ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर माननीय मंत्री जी ने लम्बा भाषण दिया, पंचायत राज मंत्री जी ने भी एक लम्बा भाषण दिया। मान्यवर, यह सरकार ग्राम्य विकास विभाग की तरफ बिल्कुल उदासीन है। सरकार अभी तक यह नहीं तलाश पाई है कि इस विभाग को पूर्ण दर्जा दिया जा सके, जो इसका संचालन ठीक से कर सके। मान्यवर, माननीय वैश्य जी शहर के रहने वाले हैं, शहर के बारे में जानते हैं लेकिन उन्होंने किताबों को पढ़कर पंचायती राज के बारे में अच्छे सुझाव दिये हैं। मान्यवर, कपूर साहब देहरादून के निवासी हैं, इनको गांव के संबंध में कोई जानकारी नहीं है और गांव से इनका कोई सम्बन्ध नहीं है, अधिकारियों ने इनको बहुत अच्छे तरीके से बजट भाषण तैयार कराया।

गांवों के बारे में इन लोगों को उतना ज्ञान नहीं है, जितना होना चाहिये। अगर कोई आदमी ऐसा होता जो गांव की जानकारी रखता, तो वह इस विभाग को अच्छी तरह से चला सकता था। यह विभाग ग्राम्य जीवन से सम्बन्धित है।

मान्यवर, जब गांव ठीक होंगे तो देश ठीक होगा। महात्मा गांधी ने कहा था कि गांव के दरिद्र नारायण के बारे में हमको सबसे पहले सोचना होगा, विनोबा भावे जी ने भी गांव वालों की सेवा के लिये कहा कि ग्रामवासी सबसे बड़ा देवता है, उसकी सेवा करना भगवान की सेवा करना है। डा० राम मनोहर लेहिया ने कहा था कि हिन्दुस्तान ही ऐसा अभागा देश है, जहां का मानव, मानव को अपने कन्धे पर ढोता है। मान्यवर, हिन्दुस्तान के अन्दर जो ग्रामीण जनता है, उसकी हालत बहुत खराब है। आजादी के पहले यह स्वप्न देखा जाता था कि जब हमारा देश आजाद होगा और अपनी सरकार बनेगी, तो देश के अन्दर कोई भी व्यक्ति नंगा नहीं रहेगा, भूखा नहीं रहेगा, बिना मकान वाला नहीं रहेगा और कोई उपेक्षित नहीं रहेगा। देश के अन्दर गरीब के उत्थान के लिये कार्य किये जायेंगे, लेकिन मान्यवर, हो क्या रहा है, इसका ठीक उल्टा हो रहा है। आज लोगों को खाना नहीं मिल रहा है, मकान नहीं हैं, काम नहीं मिल रहा है और लोग बेरोजगार हैं। बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि गांव की मुख्य समस्या है, स्वास्थ्य, पानी, शिक्षा, बिजली और सिंचाई। स्वास्थ्य के बारे में पिछले दिन विधान सभा में प्रश्न उठा था और यह चीज सामने आयी कि गांव के लिये स्वास्थ्य की मद में कोई पैसा नहीं दिया गया है और पुराना पैसा भी लैप्स हो गया। मैं चाहूंगा कि गांव के विकास के लिये जो समस्या है, उसका अध्ययन किया जाये। माननीय मंत्री जी ने 15 प्रतिशत और 85 प्रतिशत की बात कही। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि 85 प्रतिशत जनता बिल्कुल उपेक्षित है और जो यह बजट बनाया जाता है वह केवल 15 प्रतिशत के लिये बनाया जाता है। अगर आप गौर करें तो यह देखेंगे कि 85 प्रतिशत के लिये कोई काम नहीं किया गया है।

मान्यवर, गांवों में बेरोजगारी एक बड़े पैमाने पर बढ़ी है, उसका क्या कारण है। इसका एक मात्र कारण है कि लोग खेती पर आधारित हैं। अमेरिका के आंकड़े हैं मेरे पास, उनको आपके सामने रखना चाहता हूं। 1920 में 87 प्रतिशत किसान खेतों में काम करते थे, 1985 में तीन प्रतिशत और 1990-91 में दो प्रतिशत काम करते हैं। इसी तरह से इंग्लैंड में 1921 में 12.5 प्रतिशत, 1985 में 2.5 प्रतिशत और 1990-91 में ढाई प्रतिशत से भी कम किसान खेतों पर काम करते हैं और इसके विपरीत हमारे देश की ऐसी स्थिति है कि 1820 में 53 प्रतिशत, 1881 में 74 प्रतिशत 1901 में 76 प्रतिशत, 1951 में 77 प्रतिशत, 1965 में 73 प्रतिशत, 1985 में 72 प्रतिशत से 75 प्रतिशत और 1990 में 70 से 72 प्रतिशत किसान खेतों में काम करते हैं। मान्यवर, गांवों की हालत चिन्ताजनक है, उनकी हालत दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। मान्यवर, 1961 में 18.6 करोड़ हेक्टेयर खेती होती थी। ....

उस समय खेतिहर मजदूर थे 32 लाख और वह 1981 में खेत की संख्या और खेत पर काम करने वालों की संख्या घट गयी वह हो गयी 12.96 करोड़ हेक्टेयर पर खेती होती थी और मजदूरों की संख्या 76 लाख हो गयी । 81 के बाद सड़क बनी है, गांव में चिमनी ईंट भट्ठा लगाकर काफी खुदाई की गयी है । इस तरह से गांव की कम जमीन और गांव में जमीन पर काम करने वाले लोगों की संख्या अधिक हुई है । इससे लगता है कि दिन प्रतिदिन आदमी बेकार होते जा रहे हैं और खेत पर काम करने से उनकी माली हालत दिन प्रतिदिन घटती जा रही है । मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि यह सरकार और पिछली सरकारें, मैं दोनों सरकारों को कहता हूं यह जो बेरोजगारी देश में बढ़ रही है यह सभी लोग इसके जिम्मेदार हैं । जवाहर रोजगार योजना चली है जो आई० आर० डी० स्कीम चली है । मैं समझता हूं कि इससे देश के अन्दर जो गरीबी की रेखा से जीने वाले लोग हैं उनकी दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ रही है और संख्या इसलिए बढ़ रही है कि इनकी जो योजना है उस योजना से गरीबी बढ़ेगी लोग बेकार होंगे । मैं उदाहरण देना चाहूंगा । अभी निःशुल्क बोरिंग का माननीय मंत्री जी ने बड़ा ढ़िंढोरा पीटा । निःशुल्क बोरिंग पर मंत्री जी का कहना था कि जो लघु किसान हैं उसको तीन हजार, सीमान्त किसान को 4 हजार, हरिजन और जनजाति को 5 हजार रुपये देंगे और इसके साथ उन्होंने कहा कि पम्पिंग सेट पर लघु किसान को 1500 रुपये, जो सीमान्त किसान हैं उनको 2,000 रुपये की छूट देंगे और जो हरिजन और जनजाति के हैं उनको 3,000 की छूट देंगे । मान्यवर, आप गांव में रहते हैं वहां जाते हैं और हरिजन के नाम पर 5 हजार और 3 हजार कुल 8,000 रुपये की छूट है तो यह जो आपकी निःशुल्क बोरिंग है इसमें पाइप बेचे जा रहे हैं ।

मान्यवर, जो पम्पिंग सेट हैं, पम्पिंग सेटों का दाम क्रय समिति है जो स्टेट स्तर पर तय करती है, हर पम्पिंग सेटों पर 2,000 से अधिक दाम सीधे लिया जा रहा है । अगर आप कानपुर, गाजियाबाद, मेरठ और लखनऊ में खरीदना चाहते हैं तो जो पम्पिंग सेट 10,000 रु० या 8,000 में मिलता है उसको कैश देने पर 10 हजार वाला 8 हजार में और आठ हजार वाला 6 हजार में, 2 हजार रुपये क्रय समिति ले लेती है भाव तय करने में । आज गांव की हालत क्या है, गरीब कर्जे ले रहा है, 10 हजार रुपये पम्पिंग सेट पर कर्जा मिलता है, जो निःशुल्क बोरिंग है उसमें 50 से 70 फिट पाइप दे रहे हैं और टोटल का टोटल बेचा जा रहा है और कहते हैं कि तुम 10,000 रुपये कर्जा ले लो और इसमें क्या करते हैं कि इसमें ढाई हजार ले लेते हैं और कैश उनको साढ़े सात हजार रुपया देते हैं । करीब-करीब एक फ्री बोरिंग पर 5 से 8 हजार रुपये लूट लिये जा रहे हैं अब जो किसान है उसकी जब वसूली जायेगी तो वह जेलों में बन्द होगा, गांव छोड़ कर भाग जायेगा और इस प्रकार से गरीबी की रेखा से नीचे जीने वालों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जायेगी । तो इसमें आप सुधार कीजिये । मैंने अपने जिले में कम से कम एक दर्जन चिठ्ठी लिखी 89-90, 90-91 और 91-92 में लिखी कि जिन किसानों ने ब्लाकों से ऋण लिया है उनकी सूची दी जाय । मान्यवर, जो बोरिंग दिखाई गयी है इसमें लगभग 25 से 30 फीसदी बिल्कुल फर्जी बोरिंग की गयी है । हमारे विधायक श्री मारकंडेय चन्द्र जी हैं वह बीमार हो गये उनको कटौती पेश करना था, उनके पास सबूत है उन्होंने 300 बोरिंग की जांच किया और उसमें 100 बोरिंग फर्जी पाया तो पूरे प्रदेश में व्यापक पैमाने पर निःशुल्क बोरिंग और पम्पिंग सेट देकर किसानों को लूटा गया है । सिंचाई क्षमता बढ़ाना चाहते हैं वह बढ़े या न बढ़े लेकिन किसान दिन प्रतिदिन गरीब होता जा रहा है । मान्यवर, क्या कारण है कि गरीबी की रेखा से नीचे जीने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। मान्यवर, इसमें कहना है कि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है । मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अब इनके विभाग से कर्जा दिया जा रहा है परचून की दुकान खोलने के लिये बैल खरीदने के लिये, टायर खरीदने के लिए या मुर्गी पालन के लिए इसमें भी भारी कमीशन 25 फीसदी लिया जाता है । मान्यवर, बैंक के

ऊपर आपका कंट्रोल कैसे होगा । मैंने शुरू में ही कहा कि मैं कोई इसी सरकार की बात नहीं करता हूं । इस तथा दूसरे शासन में भी भारी भ्रष्टाचार है । अभी वर्तमान माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण है उनका भाषण पढ़कर सुनाऊंगा कि उनके क्या विचार हैं इस विभाग के बारे में । मेरे पास माननीय मुख्य मंत्री जी का भाषण है उन्होंने ग्राम्य विकास के बारे में कहा है, 1985 में उन्होंने भाषण दिया और कहा कि "10 प्रतिशत अवस्थापना पर खर्च होता है, 15 फीसदी प्रशासनिक सेवाओं पर, 30 फीसदी ग्रामीण तथा लघु उद्योगों पर, 45 फीसदी कृषि पशुधन तथा लघु सिंचाई पर, पूरी धनराशि का 1/4 भाग का पैसा आपने प्रशासनिक संस्थाओं पर गुलछर्रे उड़ाने के लिए पहले से दे रखा है ।"

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि जो आई०आर० डी० विभाग है, यह माननीय मुख्य मंत्री जी का 1985 का भाषण है, मैं जानना चाहता हूं कि यह जो प्रक्रिया है यह 1/4 भाग जो प्रशासनिक सेवाओं पर खर्च हो रहा है, गुलछर्रे उड़ाये जा रहे हैं जैसा कि 1985 में उन्होंने कहा था तो क्या उस पर प्रतिबन्ध लगाया गया है ? इन्होंने दूसरी बात कही कि "इस रुपये से रेफ्रीजरेटर, पंखे, सोफासेट, टी० वी० खरीदे जायेंगे और कार खरीदी जायेगी जो डी० एम० के इस्तेमाल में जायेगी । डी० एम० को आज दूसरा परमात्मा बना दिया गया है, दो कारें रहेंगी, एक डी० एम० की और एक मेमसाहब के लिए ।" मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि 1985 में मुख्य मंत्री ने कह दिया ग्रामीण विकास की कटौती के प्रस्ताव पर बोलते हुए और आज वे उस विभाग के मंत्री हैं तो क्या इस पर उन्होंने कोई अंकुश लगाया ? मैं समझता हूं कि इस पर उन्होंने कोई अंकुश नहीं लगाया है और जैसा कि भाषण पूर्व के मंत्री देते आये हैं यह वैसा ही 10 माह में सरकार अपना कामकाज कर रही है ।

मान्यवर, अभी मंत्री जी ने यह तमाम आंकड़े पेश किये हैं आवास की योजना पर मंत्री जी ने कहा, कि हरिजनों के लिये काफी भवन बनवा रहे हैं । मैं जनता दल के राज्य का और इनके राज्य की बातें कह रहा हूं । ग्रामीण विकास का प्रगति विवरण के पेज 31 पर है लिखा है 89-90 में लक्ष्य था वह 2,34,166 मकान बनाने का, पूर्ति हुई 2,31,720 1990-91 में एक लाख का लक्ष्य था, 97,518 मकान बने । 91-92 में जो जनता दल ने बजट पेश किया था वह एक मिसाल दी जा रही है । एक लाख मकान का बजट पेश किया बनाये 25553 मकान । जो जनता दल ने बजट पेश किया था, इन्होंने पूरा नहीं किया । 92-93 में लक्ष्य रखा है एक लाख का और रुपया दिया है 2177 लाख । मैं समझता हूं कि 2177 लाख में 25 हजार से अधिक मकान नहीं बनेंगे । इनके जो आंकड़े हैं इस आंकड़े से लगता है कि यह गांव का काम हैं यह आंकड़े से सिद्ध होता है ।

गांव की बात कहते हैं, गांव की असली बात यह नहीं कर पाते हैं । मान्यवर, जो भाषण किया है आर० ई० एस० के बारे में कहा गया, पंचायती राज मंत्री जी ने कहा कि अधिकारियों के बारे में कुछ न कहा जाय । जो स्थिति है आर० ई० एस० भ्रष्टाचार का पिरामिड बना हुआ है जो योजनायें अधूरे कामों की, रिपेयर की हर जिले में विभागों को मिलती हैं मैं उसमें साफ कहना चाहता हूं कि 40 हजार रु० किलो मीटर सड़क बनाने के लिये मिलता है । हर एम० एल० ए० को सालाना 6 लाख रु० मिलता है । हमें 6 लाख रु० आवंटित हुआ । 40 हजार रु० में प्रति कि० मी० सड़क कागज में बनती है, मौके पर देखा जाता है तो 20 हजार में ठेकेदार बनाता है, उसमें ठेकेदार को कुछ बचता भी है । इस तरह से 50 फीसदी पैसा इन्जीनियर ले लेता है । इसमें तमाम अधिकारियों की भागीदारी है । मैंने लिख कर दिया जिलाधिकारी को, सरकार को लिखकर दिया । 89-90, 90-91, 91-92, जो यह सड़कें बनी हैं, मैंने ठेकेदारों से भी पूछा, 40 हजार रु० में प्रति कि० मी० सड़क का खर्च दिखाया जाता है उनको मात्र 20 हजार रु० मिलता है 20 हजार टोटल कमीशन में चला जाता है । मैं आपको भी लिखकर दे दूंगा मैं

समझता हूं कि पूरे प्रदेश की बात है। आपके बजट में नहीं है, 10 लाख कूप योजना में काम करवाते हैं यह 10 लाख लूट योजना है। इस 10 लाख कूप योजना में 5 करोड़ देवरिया में मिला। अपने दल के विधायकों से और विरोध पक्ष के विधायकों से पूछा कि आपके जिले में क्या हो रहा है। सभी का कहना था कि 10 लाख की कूप योजना नहीं है लूट योजना है। जबसे दुनिया बनी है तबसे इलाके में जितने नालें हैं सिंचाई विभाग के सभी नालों को नया ड्रेन मानकर 40 हजार रु० प्रति किलोमीटर के हिसाब से पेमेंट हो गया। एक हजार रु० एक कि० मी० में सफाई करने का लगा, 39 हजार रु० लूट लिया गया। देवरिया जिले की ही बात नहीं है पूरे उत्तर प्रदेश की बात है जो 10 लाख कूप योजना है, कई बातें हैं मैं चाहूंगा कि आप लिस्ट मंगा कर देख लें। आपके मंत्रि परिषद् के सदस्य तमाम जिलों में दौरा करते हैं 10 लाख कूप योजना का मखौल कैसे उड़ा रहे हैं। देवरिया में 600 रु० प्रति हजार ईंटा मिल रहा है साइड पर 650 प्रति हजार मिलता है। 900 रु० प्रति हजार ईंट का वसूल किया जा रहा है 150 से 250 प्रति हजार लिया जा रहा है। यह जो लूट हो रही है किसके ऊपर जायेगी यह रुपया गरीबों के ऊपर पड़ेगा। गरीब और गरीब होगा। गरीबी से नीचे वालों की संख्या बढ़ेगी। आप इसकी जांच करा कर इसके ऊपर प्रतिबंध लगाइये।

अभी माननीय पंचायत राज मंत्री जी ने बड़ा अच्छा भाषण दिया, विद्वान है, प्रदेश के अन्दर 73917 ग्राम्य सभायें हैं, 1377 ग्राम्य सभाओं में प्रधान नहीं। 10 महीने हो गये आपने प्रधान का चुनाव अभी तक नहीं कराया। 1680 उप प्रधान हैं, इनका भी आप चुनाव नहीं करा सके। 2690 पंचों का चुनाव नहीं हुआ। न्याय पंचायत का एक बार चुनाव होने जा रहा था फिर रुक गया। मैं चाहूंगा कि आपने जैसा आश्वासन दिया है उसके अनुसार पंचायतों के रिक्त पदों की पूर्ति करेंगे। मंत्री जी ने कहा है कि वे अम्बेडकर के गांव में और हरिजनों के गांवों में खड़ंजा लगवा रहे हैं इनकी पुस्तिका के पृष्ठ संख्या आठ में 90-91 में वित्तीय स्वीकृति मिली 211 लाख की, सामान्य गांव में सड़क बनाने और पुलिया बनाने के लिये 208 लाख रु० स्वीकृति हुआ और अनुसूचित जाति के लिये 3.24 लाख जिसमें 7 गांव में तो खड़ंजे और पुलिया बन गईं लेकिन 208 लाख रुपया वर्ष 1990-91 में खर्च नहीं हुआ बल्कि 91-92 में उसे अम्बेडकर गांव को दे दिया गया और 92-93 में कोई बजट रखा नहीं है। जो बजट प्रस्तुत किया है वह अम्बेडकर गांव के लिये प्रस्तुत किया है। तो सामान्य जो गांव है जो 85% की बात करते हैं उसको एक पैसा दिया नहीं। मान्यवर, इन्होंने बड़ा भारी ढिंढोरा पीट दिया है कि 3097 लाख रुपया हम जिला परिषद् को दे रहे हैं। यह रिपोर्ट कहां से आयी है यह मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा। यह जो पैसा है यह भू-राजस्व का है और इसकी स्वीकृति राजस्व विभाग ने दी है। तो 3097 लाख रुपये की बात कहते हैं। यह पूरा पैसा भू-राजस्व के बराबर है यह जिला परिषद् को आप दे रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी, माननीय पंचायती राज मंत्री जी एवं माननीय कृषि मंत्री जी, जो आप मंत्रि-मण्डल के सदस्य हैं, उनके क्षेत्र में जायेगा जो भू-राजस्व का पैसा गांवों में जा रहा था यह 30 करोड़ के लगभग था इसको आप जिला परिषद् में सड़क बनाने के लिए स्थानान्तरित कर रहे हैं। गांव की माली हालत को तोड़ रहे हैं और मनमाने तरीके से यह 30 करोड़ रुपया जो भू-राजस्व का है यह जिला परिषद् के माध्यम से अपने मित्रों, अपने सम्बन्धी को एलाट करके, जिला परिषद् के माध्यम से, सड़क बनायेंगे। आप गांवों की ग्राम पंचायतों को ठीक नहीं करना चाहते हैं। मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी इस बात का संकेत देंगे कि क्या आपने भू-राजस्व विभाग से इस हेतु अनुमति ली है ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सहाय जी कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री हरिवंश सहाय–

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूं कि क्या उन्होंने भू-राजस्व विभाग की अनुमति ली थी ? गांव सभा की माली हालत को ठीक करने के लिए यह रुपया खर्च होगा और आप उसे सड़क बनवाने में खर्च कर रहे हैं । हमारे जिले के एम० एल० ए० मल्ल जी यहां हैं, शाही जी यहां नहीं हैं वे भी हिस्सा ले लेगें । यह कैसा मंत्रिमण्डल का डीसीजन हैं । मैं चाहूंगा कि इस ओर भी माननीय मंत्री जी ध्यान दें। एक बात और कह कर अपनी बात को समाप्त करुंगा । मान्यवर, एक किताब हमको मिली है, क्षेत्रीय विकास विभाग की, यह सरकार राम की सरकार है, इसमें पृष्ठ–6 पर यह लिखा है कि मुर्गी पालन कर रहे हैं । इनको चाहिए था कि यह भैंस पालन करते, गाय पालन करते, बकरी पालन करते लेकिन यह राम की सरकार मुर्गी पालन कर रही है । मैंने अपनी बात को संक्षेप में कहा है और बातें बाद में कहूंगा। इसी के साथ मैं समाप्त करता हूं ।

श्री सुभाष चन्द्र पटेल–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आप जिधर देखते हैं, सब उधर देखते हैं, हम देखने वालों की नजर देखते हैं, बस ग्राम विकास की समस्याओं को लेकर श्रीमन्, पटेल ग्राम विकास की नब्ज देखते हैं ।

मान्यवर, जैसा कि अभी हमारे सामने बैठे विधायक जी कह रहे थे कि हमारे ग्राम्य विकास मंत्री जी व पंचायती राज मंत्री जी शहरों में रहते हैं । मैं बताना चाहता हूं कि मैं भी एक किसान हूं, प्रधान भी रहा हूं, जिला परिषद् का सदस्य भी रहा हूं और आज विधायक भी हूं । ग्राम्य विकास विभाग, क्षेत्रीय विकास व पंचायती राज, ये बैलगाड़ी के दो पहिये हैं । किसान, अधिकारी और कर्मचारी इस विकास रूपी गाड़ी को चलाते हैं । लोगों का जीवन स्तर ऊंचा करने के लिए, भूमिहीन, खेतहीन, खेतिहर, सीमान्त कृषक, लघु सीमान्त कृषक को खुशहाल बनाना तभी सम्भव है, जब इस विकास रूपी गाड़ी के पहिये मजबूत होंगे और गति ठीक होगी । आजादी के 44 सालों के बाद भी गलत योजनाओं के कारण गांवों के विकास रूपी गाड़ी ठीक प्रकार से नहीं चल सकी । इसके लिए पूर्ववर्ती सरकारें जिम्मेदार हैं । यह बड़ी विडम्बना है कि गांवों में चार में से तीन वोट रहते हैं और शहर में एक वोट रहता है, परन्तु जो योजनायें बनीं, उनमें से 100 में से 75 रुपये शहरों में खर्च हुए । यही कारण रहा कि गांव गरीब होता गया, लोगों का पलायन होता गया, शहर बसने लगे और गांव उजड़ने लगे । लिखा है "परदेश किस्मत में, वतन को याद क्या करना, जहां बेरहम हाकिम हो, वहां फरियाद क्या करना ?" जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, इसने 100 में से 60 प्रतिशत गांवों पर खर्च करने का प्राविधान किया है, जो कि एक ऐतिहासिक कदम है । मैं इसकी भूरि-भूरि प्रसंशा करता हूं ।

मान्यवर, 1820 में अमेरिका में 100 में से 87 लोग खेती में काम करते थे, परन्तु आज वह 2-3 परसेन्ट ही रह गये हैं, इसी प्रकार इंग्लैंड में भी यह दो परसेन्ट है । लेकिन आज भारत में यह 75 प्रतिशत है । जिस कारण आज खेती पर वजन बढ़ता चला गया । खेती रबड़ तो है नहीं कि इसे खींच दिया जाय । इसलिए ऐसी योजनायें बनानी पड़ेंगी, जिससे खेती पर भार कम हो । इस बढ़ते हुये भार को कम करने के लिये हमें ग्राम सभा व न्याय पंचायत स्तर पर छोटे-छोटे लघु कुटीर उद्योग बनाने पड़ेंगे जिसकी आज तक बहुत कमी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

[समय 5-बजकर 15 मिनट]

श्री सुभाष चन्द्र पटेल–

हमारी सोच गांवों को उठाने की है जब गांव उठेंगे । देश उठेगा, गूंजेगी धरती नारों से । देश की खुशहाली का रास्ता गांव-गली गलियारों से ।

मान्यवर, इसी कारण हमने न्याय पंचायत स्तर पर किसानों की सेवा हेतु किसान सेवा केन्द्रों की हर जिले में स्थापना की है इससे किसानों को बहुत उपयोगी सहायता मिलेगी । हर वृहस्पतिवार को इसकी बैठकें होंगी तथा कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने के लिये 50 हजार रुपये का प्राविधान कर बहुउद्देशीय दीनदयाल विकास योजनायें चलायी जा रही हैं । मेरा सुझाव है कि जिला स्तर पर ग्राम्य विभाग की गवर्निंग बाडी में जिसके सदस्य में विधायक व सांसद हैं लेकिन जिला परिषद् अध्यक्ष भी एक महत्वपूर्ण पद है उसको भी उस कमेटी का सदस्य बनाया जाय ।

नहरों की पटरियों को पक्का कराया जाये जिससे आवागमन में सुविधा भी होगी और नहरों का कटान भी समाप्त हो जायेगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री सुभाष चन्द्र पटेल–

मैं इस बजट का पूर्ण समर्थन करते हुये कहना चाहूंगा बजट का विरोध करने वाले बन्धुओं से कि अब चाहे जितना तूफान क्यों न मचायें हमारा संकल्प है–

"सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है
देखना है जोर कितना बाजुये कातिल में है "
जयजवान जयकिसान बन्देमातरम जयश्रीराम ।

श्री भोला सिंह–

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुये आपके सामने कुछ तथ्य रखना चाहता हूं । आर० ई० एस० विभाग जो ग्राम विकास का एक बहुत बड़ा अंग है जिसके माध्यम से करोड़ों रुपया सरकार का खर्च किया जाता है । मान्यवर, इसमें पैसे का दुरुपयोग हो रहा है न कहीं सड़क बनती है और न कोई पुल बनता है सारा का सारा पैसा इन्जीनियरों या अधिकारियों की जेब में चला जाता है या अधिकारी लोग उसको किस रास्ते से वहां घुमा देते हैं पता नहीं चलता है इसको आप कहीं भी देख लें दो-तीन साल पहले जो करोड़ों रुपया खर्च हुआ है उसको देख लें उसमें कितनी सड़कें बनी हैं कितनी नहीं, लाखों रुपया खर्च हो गया पुलों की छतें गिर गयी हैं । मैं आपको इलाहाबाद का उदाहरण देता हूं वहां कोड़ीहार से गंगा किनारे नौ किलो मीटर रेसाया सिन्गापुर मार्ग कचार को जो सड़क जाती है उसमें एक पुल बना है उसकी छत गिर गयी है किनारे से रास्ता बना हुआ है पैसे का दुरुपयोग इसमें हुआ है इसकी आप जांच करा लें और जो दोषी अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें इस सम्बन्ध में मंत्री जी को विधायकों और एम० पी० साहब ने भी लिख कर दिया है होता क्या है

जांच हो जाती है विधायकों को जवाब मिलता है कि कार्यवाही हो रही है अवगत करा दिया जायेगा लेकिन क्या हुआ पता नहीं चलता हमारे यहां इलाहाबाद में शारदा सहायक समादेश में नहरें और नालियां बनीं किसानों को बताया गया कि यह नालियों का पैसा वसूल किया जायेगा इस रेट से कितना पैसा लिया जायेगा इसका कोई जिक्र नहीं है अभी पिछले साल जिस किसान के पास दो बीघा जमीन है उससे नाली का चार हजार रुपया लिया गया और जिसके पास चार बीघा जमीन है उससे दो सौ रुपया लिया । अधिकारी मनमाने ढंग से पैसे की वसूली भेज देते हैं और जबरदस्ती वसूली हो रही हैं जिसके पास जमीन नहीं है उससे भी वसूली की नोटिस जाती है उनको जेल में बन्द कर दिया जाता है । इस तरह से जबरदस्ती किसानों से वसूली हो रही है इसकी आप जांच करायें और अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करें । मुझे उम्मीद है कि आपकी सरकार इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेगी आपके विभाग के जो लोग हैं जो गड़बड़ियां करते हैं उनके खिलाफ कार्यवाही करें इसी तरह से यह जो बोरिंग होती है उसमें कुछ हिस्सा सरकार किसान को वापस करती है लेकिन वह किसी भी किसान को नहीं मिलता इसकी भी आप जांच करवा लें हर जिले में दो चार दस मामलों को देख लें तो आपको मालूम हो जायेगा कि क्या हो रहा है ।

ब्लाक के अधिकारियों की यह हालत है कि आपके यहां जो ग्राम सेवक चले आ रहे हैं उसका काम अब केवल यह रह गया है कि जो उनके खास आदमी हों उनको ऋण दिलवाया जाय और उनसे कमीशन वसूल किया जाय । इसके अलावा किसी ग्राम सेवक या अन्य विकास क्षेत्र के अधिकारी के पास नहीं जाता है न कहीं क्षेत्र में जाता है । उसका न किसी से क्षेत्र में सम्पर्क रहता है और न उनकी कोई मदद करता है । उसका काम केवल कर्ज दिलाना और कमीशन वसूलना रह गया है । इस तरीके से जनपदों में जो पैसा जा रहा है उसका पूरा का पूरा दुरुपयोग हो रहा है । मैं यह चाहूंगा कि उसकी जांच हो और उस पर उचित कार्यवाही हो । इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं और प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात यह कहते हुए समाप्त करता हूं कि आप तथ्यों की जांच करायें ।

डा० सोमनाथ शुक्ल–

मान्यवर, मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और विश्वास करता हूं कि आप कुछ अधिक समय देंगे । मैंने इतिहास के परिप्रेक्ष्य में ग्राम विकास का अध्ययन किया है और मैं विश्वास करता हूं कि जो मैं कह रहा हूं वह प्राचीन तथा अर्वाचीन इतिहास से सम्मत बात हैं । मैं बधाई देता हूं अपने ग्राम्य विकास राज्य मंत्री और पंचायती राज मंत्री को, जिन्होंने यह बजट रखा है । यह ऐतिहासिक बजट इन्होंने रखा है । यह ऐतिहासिक बजट मैं किसी औपचारिकतावश नहीं कह रहा हूं । उन्होंने वास्तविक अर्थों में ग्राम्य विकास का संकल्प लिया है और यह श्रेय उनको जाता है । देश के इतिहास की एक परम्परा है, जिसको वैदिक साहित्य से लेकर महात्मा गांधी तक ने ग्रामीण पुनर्रचना में जिस प्रकार का संदेश दिया, हमारी पूर्ववर्ती सरकारों ने उसे विस्मृत किया है । वैदिक साहित्य में भगवान इन्द्र को पुरन्दर कहा गया है । पुरन्दर शब्द का मतलब है नगरों को तोड़ने वाला । ग्रामों की समृद्धि के लिए, सम्पन्नता के लिये वैदिक साहित्य में प्रार्थना की गयी है । उसी प्रकार से बीसवीं सदी में महात्मा गांधी ने हिन्दू स्वराज्य में ग्रामों की संरचना के लिये सारा प्रयास किया है । लेकिन आजादी के बाद जिस प्रकार से वह परम्परा समाप्त हुयी, उसको पुनर्जीवित करने के लिये हमारी सरकार ने इस बजट में कई अच्छे-अच्छे कदम उठाये हैं । इस संबंध में मैं अपनी पुस्तक समाज और संस्कृतिक से जय प्रकाश नारायण जी के एक कथन को उद्धृत करना चाहता हूं । नगरीकरण को नियंत्रित करने और आज के ग्रामों की पुनर्रचना की समस्या पर

गहराई से अध्ययन करते हुए उन्होंने कहा है "वर्तमान नगरोन्मुख प्रवृत्ति के कुछ आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक कारण हैं। गांव आदि जैसा है, वैसा ही यदि रहना है, तो नगरीकरण की प्रवृत्ति रोकी नहीं जा सकती है लेकिन यदि यह मान्य किया जा सकता है कि मानव समाज का निर्माण छोटे प्राथमिक समुदायों के आधार पर ही करना है, तो आज के गांवों को ऐसी बस्तियों के रूप में परिवर्तित किया जा सकता है, जो हर दृष्टि से आकर्षक होगी, और सब सामान्यतः कोई भी उन्हें छोड़ना नहीं चाहेगा। गांधी जी ने कहा था कि भारत के गांव मरते हैं तो भारत भी मरता है।" मान्यवर, जिस प्रकार से ग्राम्य विकास के लिये चर्तुमुखी योजनायें आज बजट के द्वारा प्रस्तुत की गई हैं, उसमें मैं विशेषकर दीनदयाल विकास योजना के लिये अपनी सरकार को बधाई देना चाहता हूं। इस योजना के अन्तर्गत गांव के विकास के लिये और गांव के निर्धनतम व्यक्तियों और किसानों के विकास के लिये अनेक योजनायें हाथ में ली गयी हैं। मैं विशुद्ध ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं। अब तक ग्राम विकास के लिये उत्तर प्रदेश में जो कुछ हुआ है वह हास्यास्पद ही हुआ है और इस दीन दयाल विकास योजना द्वारा जो ग्रामीण विकास की कल्पना की गई है उससे आर्थिक क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐतिहासिक परिवर्तन होंगे। इस विश्वास के साथ मैं प्रस्तुत पर्याप्त बजट की प्रशंसा और इसका समर्थन करता हूं।

श्री शिव बालक पासी–

मान्यवर, आपने ग्राम्य विकास और पंचायती राज्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग के बजट प्रस्तावों पर अपने विचार व्यक्त करने का मुझे जो अवसर दिया उसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, यह गरीबों से संबंधित विभाग है इसलिये इसमें मैं कुछ सुझाव देने के लिये खड़ा हूं, कृपया कुछ अधिक समय देने की कृपा करेंगे।

मान्यवर, मैंने दोनों मंत्रियों को ध्यान से सुना। एक मंत्री जी को तो विभाग के अधिकारियों ने जैसा बजट भाषण बना कर दें दिया था जिस को उन्होंने सीधा-सीधा यहां पढ़ दिया। दूसरे मंत्री जी ने कुछ अपने बजट भाषण में जोर लगाया। बजट भाषण को सुन कर ऐसा लगा कि जहां एक ओर आपने घिसी पिटी, निष्प्रभावी योजनाओं द्वारा गांव के विकास का, निर्बल वर्गों के, अनुसूचित जातियों और जन जातियों के विकास का एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों के विकास और उत्थान का जहां बीड़ा उठाया, वहीं दूसरी ओर पंचायती राज मंत्री जी ने ग्राम पंचायतों को विकास का नया मेरुदण्ड माना। सही है कि गांव के विकास में ग्राम पंचायतों की पंचायतों की अहम भूमिका है और प्रजातंत्र में ग्राम्य सभायें ही प्रजातंत्र की प्राथमिक आधार इकाई है। मान्यवर, यहां मैं पंचायती राज मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों को विभागों में सेवा योजित करने के लिये जो कोटा निर्धारित है उसके ऊपर उठ कर उन्होंने उन्हें सेवायोजित किया है इसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, इसी जगह एक आश्चर्य की बात है कि ग्राम्य पंचायतों को जहां विकास का मेरुदण्ड आपने माना वहीं पर मान्यवर, मेरे पास कुछ आंकड़े मौजूद हैं। में आपके सामने रखना चाहता हूं और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी को अवगत कराना चाहता हूं कि मान्यवर, प्रदेश के अन्दर कुल ग्राम सभाएं 73,927 हैं और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के ग्राम प्रधानों की संख्या कुल मिलाकर 4,925 है। सेवायोजन की चिन्ता तो माननीय मंत्री जी ने की है, इसके लिये मैं इनको बधाई देता हूं लेकिन मान्यवर, यदि इन ग्राम सभाओं के शीर्ष पदों में आरक्षण की नीति लागू करने की तरफ तनिक भी सोचा होता तो मेरा ख्याल है कि जो हमारे गावों में विकास की योजनाएं चल रही हैं उनको

काफी बल मिलता । अगर ग्राम सभाओं में अनुसूचित जाति का आरक्षण कोटा लागू कर दिया जाय तो यह निश्चित रूप से 4.925 की जगह हमारे अनुसूचित जाति के ग्राम प्रधानों की संख्या पन्द्रह हजार हो जायेगी । मेरा ख्याल है कि आप भी निर्बल वर्ग से जुड़े भारतीय समाज के एक प्रतिनिधि हैं । मैंने पहले निवेदन किया था कि मुझे दो-तीन बातें बहुत जरूरी कहनी हैं । मुझे थोड़ा सा समय और दे दिया जाय । प्रदेश में ब्लाक प्रमुख की संख्या 897 है । मेरा ख्याल है कि इस समय पूरे प्रदेश में 2-4 ब्लाक प्रमुख ही अनुसूचित जाति के होंगे । अगर आरक्षण नीति लागू कर दी जाय तो यह बढ़कर 180 हो जायेगी । मान्यवर, आप अच्छी तरह जानते हैं कि विकास के काम ग्राम सभाओं के जरिये, क्षेत्र समितियों के जरिये और जिला परिषदों के जरिये किये जाते हैं । जिला परिषदों की संख्या पूरे प्रदेश के अन्दर 62 है लेकिन पूरे प्रदेश में एक भी अनुसूचित जाति का अध्यक्ष नहीं है । सारे विकास के काम इन्हीं के जरिये किये जाते हैं । गांवों की तरफ निगाह डालें । पेयजल की योजना हो, गांव के विकास की कोई भी योजना हो शासन की ओर से जो अनुसूचित जातियों के मोहल्लों में लगने के लिये होती हैं लेकिन एक भी ग्राम सभा में उनका प्रतिनिधित्व न होने के कारण अन्यत्र लगा दी जाती हैं ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री शिव बालक पासी–

मैं दूसरी ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं । सम्पर्क मार्ग आप बनाते हैं तो उसमें जो किसानों की जमीन आ जाती है, जब तक उसका प्रतिकर नहीं निशिचत करेंगे करोड़ों रुपयों के लगने के बाद भी मार्ग अधूरा ही रहता है । अगर किसी की आधी बिसवा जमीन भी उसके अन्दर आ गई तो वह सम्पर्क मार्ग आपका आज भी अवरुद्ध पड़ा है । मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि प्रतिकर सुनिश्चित करने की कृपा करें । एक बात और माननीय मंत्री जी ने कही कि एकीकृत ग्राम विकास के अन्दर हम इन्दिरा आवास योजना, निर्बल वर्ग आवास योजना चला रहे हैं । मान्यवर, इन दोनों योजनाओं में बड़ा अन्तर है । इंदिरा आवास योजना में पूरा-पूरा अनुदान देते हैं । निर्बल वर्ग आवास योजना में ऋण भी लगाते हैं । इसकी वजह से दोनों योजनाओं में बड़ा अन्तर है, यह आपस में डिफर करती हैं । इस तरह से आप पूरी तरह से इसमें कामयाबी नहीं पा सकते हैं । इसमें मकानों का नक्शा भिखमंगों की तरह का बना हुआ है । निर्बल वर्ग या इंदिरा आवास में पीछे का एक कमरा स्लैब डालकर, शेष भूमि में बाउन्ड्री वाल बनवा कर, सामने गेट लगवा दें । मान्यवर, एक चीज और आपने कही है कि गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को ऊपर उठाने की योजना बनाई है । इसमें मैं आपको अच्छी तरह बता देना चाहता हूं कि आप देखें हकीकत क्या है । कागज हाउस में पेश कर देने से कि इतने लोगों को गरीबी की रेखा से नीचे जो जीवन यापन कर रहे थे, उठा लिया गया, गलत है । अगर आज आप तहसीलों की तरफ देखें तो आपको पता चलेगा कि गरीबी की रेखा से नीचे कितने लोगों को ऊपर उठाया गया है । मान्यवर, आज तहसील की हवालातों में आपको गरीब लोग बन्द मिलेंगे । इनका कर्ज माफ किया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें । आप मेरी अनुमति के बगैर बोले जा रहे हैं । अब कृपया समाप्त करें ।

श्री शिव बालक पासी–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि ग्राम सभाओं, क्षेत्र समितियों और जिला परिषदों में आरक्षण नीति लागू की जाय । मैं श्री प्रधान मंत्री स्वर्गीय श्री राजीव

गांधी जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने इस बात की घोषणा की थी कि वह स्थानीय निकायों के शीर्ष पदों में आरक्षण नीति लागू करेंगे । मान्यवर, मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हुए कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

* श्री कृष्ण कुमार नवमान–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे ग्राम विकास पंचायत के बजट पर बोलने का अवसर दिया है । मान्यवर, इतना अच्छा बजट इस सरकार ने पेश किया है । विभिन्न प्रकार की योजनाओं की ओर आज तक की सरकारों ने ध्यान नहीं दिया था । दीन दयाल रोजगार योजना के रूप में कुटीर उद्योगों के नये द्वार नये रास्ते खोले हैं । दो लाख निःशुल्क बोरिंग, एक लाख निर्बल वर्ग के आवास,500 इण्डिया मार्क टू हैण्ड पम्प लगाने का इस सरकार ने दृढ़ निश्चय किया है ।

(रिपोर्टर्स टेबिल के स्पीकर में आवाज नहीं आ रही थी जिस कारण ठीक से सुनाई नहीं पड़ रहा था ।)

आपके पूर्व प्रधान मंत्री राजीव गांधी जी का वक्तव्य आप देख लें, उन्होंने जगह-जगह कहा है कि एक रुपया ऊपर से भेजते हैं तो नीचे तक वह पहुंचते-पहुंचते 27 पैसे रह जाता है यह इनकी सरकार की कमी थी यह इनकी सरकार में होता था । अब नयी सरकार आई है । भ्रष्टाचार कमीशनबाजी हटाने का कार्य किया है । एक रुपये में बहुत बड़ा काम हो सकता है । इस बार बजट आया तो टैक्स नहीं बढ़ा । सम्पूर्ण प्रदेश में करों में वृद्धि नहीं की गई ।

(व्यवधान)

आज ज्यादा आय की आज आवश्यकता है इसको सरकार बढ़ायेगी । पहले जनता से चार रुपया लिया जाता था और जनता के पास एक रुपया पहुंचता था वह भी नीचे पहुंचते-पहुंचते 27 पैसे रह जाता था । बीच में इतना भ्रष्टाचार था । उस पर यह सरकार अंकुश लगायेगी ग्रामीण क्षेत्रों में विकास कार्य देगी । हमारी सरकार अच्छे कार्य करके दिखायेगी । यह इस सरकार का दढ़ निश्चय है, संकल्प है, कि पूरे प्रदेश का विकास करेगी और प्रदेश का विकास हो भी रहा है । संतुलित विकास हो रहा है । जनसंख्या बढ़ रही है और असंतुलित रूप से बढ़ रही है लोग नालियों और सड़कों के किनारे मकान बना लेते हैं । हालैन्ड सरकार ने समुद्र से जगह छीनी, बीहड़ों में बहुत जगह पड़ी है नदियों के किनारे जगह पड़ी है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब समाप्त करें ।

श्री कृष्ण कुमार नवमान–

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और जो बजट रखा गया है उसका समर्थन करता हूं ।

श्री मोहम्मद हसन––

मा० उपाध्यक्ष जी, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया । पिछले दस महीनों में गांव के विकास के सिलसिले में इस सरकार की कारगुजारी हमने

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

बहुत अच्छी तरह से देखी है । गांव का विकास पूरी तरह से ठप्प पड़ा है । जिन सड़कों पर काम हो रहा था वह बन्द हो गई हैं हमारे जिले सहारनपुर में 148 किलोमीटर सड़कें ऐसी हैं जिन पर तारकोल नहीं पड़ी है तारकोल न पड़ने से वह सड़कें नष्ट हो रही हैं । आपकी कारगुजारी कर्जे के सिलसिले में बहुत खराब है । मैं कहूंगा कि योजनाओं के नाम बदलने से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है । सवाल इनके इम्प्लीमेंटेशन का है । जो बी० एल० डब्लू० या बी० डी० ओ० आदि बिठाये हैं वह ठीक कार्य नहीं करते हैं । जो काश्तकारों को लोन मंजूर होता है वह नहीं मिलता है । जो भी गांव का गरीब आदमी होता है उस तक पूरा लोन नहीं पहुंच पाता है । बीच के बिचौलिये हैं जिसकी वजह से केवल साठ परसेंट मिल पाता है । मान्यवर, नहरों की सफाई इस सरकार के जमाने में हुई लेकिन नहरों की सफाई नहीं बल्कि हाथ की सफाई हुई । नहरें केवल कागज पर साफ की गयीं और उन पर कोई काम नहीं हुआ और उनके लिये जो पैसा था वह सब अफसरों की जेब में चला गया । जनता को आज बीज नहीं मिल रहा है । काश्तकार या गांव का आदमी जब स्टोर परसामान लेने जाता है तो सामान, बीज वगैरह नहीं मिलते हैं । जो बिजनेस मैन हैं वह स्टोर से सांठ-गांठ किये रहते हैं और फर्जी नामों से एडवांस में बीज आदि खरीद ले जाते हैं और काश्तकार जब बीज आदि लेने जाता है तो स्टोर खाली मिलता है । जवाहर रोजगार योजना है, यह सेंट्रल गवर्नमेंट की योजना है, यह सही नहीं है कि इसमें आप कुछ नहीं करा सकते हैं । आप प्रधान पर सख्ती कर सकते हैं और अगर यह पाया जाता है कि प्रधान ने गड़बड़ी की है तो उसको सस्पेंड कर सकते हैं । कोई प्रधान शायद ही ऐसा होगा जिसने पूरे पैसे को गांव में लगाया हो, तमाम रुपया प्रधानों की जेब में चला गया है । आपकी जो योजनायें हैं इनके बारे में आप जांच करायें कि जो पैसा इनमें दिया गया है वह किसकी जेब में जा रहा है और कैसे इस्तेमाल हो रहा है । आप योजना का ईमानदारी से इम्प्लीमेंटेशन करायें और जो यह भ्रष्टांचार, कमीशनबाजी है इसको खत्म करें । जहां तक जिला परिषदों का सवाल है हमारे यहां सहारनपुर में जिला परिषद् का गठन और चेयरमैन का इलेक्शन नहीं हुआ है । हमारा सुझाव है कि इलेक्शन जल्दी करा दें । इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपका शुक्रिया अदा करता हूं ।

श्री हरिश्चन्द्र–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं जो आपने मुझे बजट पर बोलने के लिये अवसर दिया है । यह पहला अवसर है कि गांव के किसान की आवाज आज विधान सभा में पहुंच रही है । चूंकि मैं गांव से संबंधित हूं इसलिये मैं गांवों की हालत को जानता हूं । मैं ऐसी जगह रहता हूं जहां कोई विधायक पहुंच नहीं सकता है । आज गांवों के लोगों को आशायें बंधी हैं । 44 साल हिंदुस्तान को आजाद हुये हो गये गांव की जनता यह सोचती रही कि हमारा विकास होगा लेकिन गांवों का विकास नहीं हुआ । सब तरफ से निराश होकर उसने भा० ज० पा० का सहारा लिया । आज उसको विश्वास हो गया कि माननीय मंत्री जी और यह सरकार गांवों को विकास के रास्ते पर ले जायगी तथा गांवों का हित होगा । गांवों के विकास के लिये मुख्य रूप से 3-4 चीजों की आवश्यकता होती है । पहली आवश्यकता है सड़क । अगर किसी गांव को सड़क से जोड़ दिया जाय तो वहां का विकास होगा । लेकिन इसके पहले की सरकारें यह काम नहीं कर पायीं और जनता को केवल सब्जबाग दिखाती रहीं । इसीलिये जनता ने भा० ज० पा० को समर्थन दिया । जनता को विश्वास है कि जैसा सरकार ने वादा किया वैसा ही उसको पूरा करेगी । मैं समझता हूं कि प्रदेश की जनता किसी के बहकावे में न आये इसके साथ ही मैं माननीय मंत्री जी ने जो बजट पेश किया है, उसका समर्थन करता हूं ।

* श्री राम औतार शाक्य--

मान्यवर, आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने के लिये अवसर दिया, इसके लिये मैं आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि इस वर्तमान सरकार के पास हमेशा वित्तीय संसाधनों की कमी रहती है, तो मैं वित्तीय संसाधनों की बात नहीं करूंगा। केवल मैं यह चाहूंगा कि माननीय मंत्री जी थोड़ी कलम चला दें तो जनता का हित हो जाय। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो ग्राम सभा के प्रधान होते हैं, उनका निलम्बन और बर्खास्तगी का अधिकार एस० डी० एम० के पास है। यह प्रजातंत्र पर प्रहार है। उसके नाते उन प्रधानों को बर्खास्त करने का अधिकार जो एस० डी० एम० को दिया है, उसमें सरलीकरण करें। मेरी निश्चित राय है कि एस० डी० एम० संस्तुति करे कलेक्टर के लिये और कलेक्टर के एप्रूवल के बाद बर्खास्त हो तो बेहतर होगा। उसके बाद कमिश्नर के पास अपील हो तो बेहतर होगा। इसके लिये धन की नहीं कलम चलाने की जरूरत है। दूसरी बात कहना चाहता हूं कि अभी माननीय मंत्री जी ने अनुसूचित जाति का कोटा पूरा करने की बात कही। मैं आभार व्यक्त करता हूं। लेकिन मुझे खुशी होती कि पिछड़े वर्ग की और भी थोड़ी निगाह डालते। मंत्री जी ने बजट भाषण में पिछड़े वर्गों के लिये कुछ नहीं कहा है। मैं कहूंगा कि उनका 27 परसेंट का कोटा पूरा करने की कार्यवाही सुनिश्चित करें। मैं कहना चाहता हूं कि जहां एक ओर भ्रष्टाचार की बात कही, नौजवानों की जागरूकता की बात कही, भ्रष्टाचार के बारे में कहना चाहता हूं कि मेरे पास एक प्रकरण है उप राजस्व अधिकारी, शारदा सहायक समादेश क्षेत्र, शाहजहांपुर का। यह जो अधिकारी है, इसने कत्ल किया है, 302 और 307 का मुकदमा चल रहा है। अदालत में जनवरी में चार्जशीट लग गयी है, लेकिन मान्यवर, उन अधिकारी को वहीं पर बैठा रखा है। उनके खिलाफ अन्य कर्मचारियों के उत्पीड़न के मुकदमें चल रहे हैं। गबन का मुकदमा ट्रिब्युनल में चल रहा है। माननीय मंत्री जी चेहरे से सुन्दर दिखाई पड़ते हैं। कुछ अधिकारी भी अच्छे हैं, लेकिन कहीं न कहीं गड़बड़ी है। किसी बड़े अधिकारी द्वारा उस अधिकारी को संरक्षण प्राप्त है। अभी तक उस भ्रष्ट अधिकारी का न निलम्बन किया गया न स्थानान्तरण किया गया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि उनके निलम्बन के लिये या अन्यत्र कहीं स्थानान्तरण के लिये कार्यवाही सुनिश्चित करें।

मान्यवर, जहां तक आर्थिक संसाधनों को बढ़ाने की बात है, मैं एक बात आपके माध्यम से माननीय मंत्री के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जिला परिषदों में बहुत सारी भूमि पर तमाम लोगों ने अनधिकृत कब्जा कर लिया है। पूंजीपतियों और साहूकारों ने जमीन दबा ली है। एक अभियान चला कर एक निश्चित समय में उन अवैध कब्जों की भूमि प्राप्त करने की व्यवस्था करें जिससे जिला परिषदों को लाभ हो। एक बात और है कि मान्यवर, अभी मैनपुरी जनपद में 26 मार्च को उच्च न्यायालय ने एक स्थगनादेश कर दिया है कि किसी भी जिला परिषद् के अध्यक्ष को मनोनीत न किया जाय। मैं कहना चाहूंगा कि यह उच्च न्यायालय की अवमानना है। वहां पर स्टैंडिंग काउन्सिल मौजूद था, उसके संज्ञान में कार्यवाही थी लेकिन 27 तारीख को पार्टी के व्यक्ति को नामजद कर दिया है। यह न्यायालय की अवमानना है। मैं कहना चाहूंगा कि यह सुनिश्चित कर लें कि माननीय उच्च न्यायालय का जो स्थगनादेश है उसे क्रियान्वित करें और न्यायालय की गरिमा रखें। इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

* श्री नवल किशोर–

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं अनुदान संख्या 12, 13 और 14 के समर्थन में खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा-पत्र में कहा था कि हम ग्रामीण विकास के लिए बजट का 60 प्रतिशत व्यय करेंगे। ग्रामीण विकास मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया है, पिछले 4 वर्षों के आंकड़े देखें, 89-90 से 468 करोड़ 94 लाख 46 हजार, 90-91 से 62 करोड़ 25 लाख 4 हजार, 91-92 से 19 करोड़, 8 लाख, 26 हजार अधिक व्यय करने का प्रस्ताव है। 1992-93 में बजट का कुल व्यय 807 करोड़, 16 लाख, 95 हजार है। मुझे प्रसन्नता है कि विधान सभा में अब तक जितने भी ग्राम्य विकास विभाग के बजट पेश हुए हैं, अनुदान संख्या 13–ग्राम्य विकास का यह सर्वाधिक बजट है, जैसा कि भारतीय जनता पार्टी की मान्यता है कि ग्रामीण क्षेत्र का विकास मात्र खेतों के ऊपर नहीं निर्भर हो सकता, इसी कारण ग्रामीण विकास के लिए छोटे–छोटे कुटीर उद्योग का जब तक विकास नहीं होगा, जब तक वहां का बेरोजगार नवयुवक छोटे–छोटे कुटीर उद्योग में नहीं लगेगा, तब तक विकास नहीं हो सकता। प्रातः स्मरणीय पंडित दीन दयाल उपाध्याय के नाम से सात योजनाएं लागू की गयी हैं। ऐसे छोटे–छोटे ग्रामीण उद्योग और भी लगाये जायेंगे। नगर में ग्रामीण लोगों का पलायन हो रहा है, उसका कारण यह है कि वहां पर सीमेंट की सड़क मिलती है, बिजली की रोशनी मिलती है, पानी की सुविधा होती है, पक्के मकान मिलते हैं, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों को भी सभी सुविधायें दी जायं, ताकि शहरों की तरफ पलायन रुक सके।

मैं अपने क्षेत्र की बात करता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही 44 साल में गलत प्राथमिकताओं के कारण 96 ऐसे सम्पर्क मार्ग हैं, जिनका अभी तक निर्माण नहीं हुआ है। मुझे विश्वास है कि उनका शीघ्र ही निर्माण होगा। जवाहर योजनाओं में जो पैसा गांव में खर्च होता है, उसका कुछ पैसा सम्पर्क मार्गों में खर्च करें। एक ऐतिहासिक कदम किसान सेवा केन्द्र की स्थापना इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की है, जहां हर वृहस्पतिवार को पंचायत स्तर के सभी अधिकारी एकत्रित होकर ग्रामीण कृषकों की समस्याओं को सुन कर उसका समाधान करते हैं, जैसा कि माननीय मंत्री जी ने बताया है कि उसी वृहस्पतिवार को उसका निदान न हो तो अगले वृहस्पतिवार तक उसका निदान अवश्य होगा। इस ऐतिहासिक और क्रान्तिकारी कदम के लिए मैं बधाई देना चाहता हूं। अन्त में माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट प्रस्ताव रखा गया है, उसका समर्थन करता हूं।

श्री राम प्रसाद सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे ग्राम्य विकास के बजट पर कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, सरकार की जो अभी तक घोषणाएं रहती रही हैं कि गांव के विकास के लिए गांव में बजट का पैसा 60 प्रतिशत खर्च करेंगे, उसको आज मैं देखता हूं तो मुझको बड़ी तरस आ रही है, मैं विशेषकर बांदा की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। यह प्रदेश का सबसे पिछड़ा इलाका है। यहां पर सिंचाई का साधन बिलकुल नहीं है, यहां पर निजी नलकूपों से कुछ सिंचाई की योजनाएं क्रियान्वित की जा सकती हैं। इसमें जो हम देखते हैं, जो मंत्री जी ने बजट पेश किया है, उसमें सिंचाई के लिए लघु सिंचाई के अन्तर्गत जो उन्होंने बजट दिया है, उसमें 3 हजार, 4 हजार और 5 हजार अनुदान सीमान्त, लघु, अनुसूचित जाति के किसानों के लिए देने के लिए

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

प्राविधान किया है और मैं यह बताना चाहता हूं कि यह जो मानक हैं 83-84 के हिसाब हैं, लेकिन आज लागत बहुत बढ़ गयी है, मुझको बहुत उम्मीद थी कि सरकार के द्वारा इसमें कुछ परिवर्तन किया जायगा और हम देखते हैं कि जो पुराना अनुदान दिया जाता रहा है, वही इस साल भी दिया गया है । मैं देख रहा हूं कि लघु सीमान्त कृषकों को जो सहायता दी जाती है, उसमें पम्प सेट अनुदान में इकाई की लागत 7,500 के स्थान पर 6,000 कर दिया गया है, तो इस तरह से जो गांव के विकास की बात कही जा रही है, वह गलत है । किसानों की तरक्की खेती से ही हो सकती है और खेती के लिये सिंचाई की बड़ी जरूरत है और सरकार ने इस बजट के द्वारा उसको पीछे कर दिया है । मैं समझता हूं कि आज पिछले सालों के मुकाबिले में लागत बढ़ी है, कम नहीं हुई है और आज की कीमतों को देखते हुये इस धनराशि को 15 हजार रुपये कर दिया जाना चाहिये, तभी किसानों को सही माने में सहायता हो सकेगी। मान्यवर, आई० आर० डी० स्कीम में वितरण में बहुत घपला होता है । अनुदान का अधिकांश भाग बैंक के कर्मचारी ले जाते हैं और किसान को उसका लाभ नहीं मिल पाता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री राम प्रसाद सिंह–

मान्यवर, इन शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

मेजर जे० पी० सिंह–

मान्यवर, मैं आपका बड़ा आभारी हूं कि आपने ग्राम्य विकास विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

मान्यवर, मैं ऐसे जनपद का रहने वाला हूं, जो काफी विकसित है । मैं अभी अपने विरोध पक्ष में बैठे हुये साथियों की बात सुनता रहा और सभी लोग 24 साल की पुरानी बात कहते रहे और सरकार पर ब्लेम लगाते रहे । 8-9 महीने की सरकार है, मैं भूतपूर्व सैनिक होने के नाते, किसान का बेटा होने के नाते और विधायक होने के नाते थ्री इन वन कहलाता हूं । मैं किसान का बेटा हूं, मै अपने क्षेत्र में घूमता हूं और विकास कार्यों को देखता हूं । मैं हर क्षेत्र में जाता हूं और साथ ही साथ दो महीने में अधिकारियों की बैठक करता हूं, उसमें जिलाधिकारी और विकास से सम्बन्धित अन्य अधिकारी रहते हैं। अभी एक बात कही गयी कि ग्राम प्रधान पैसा खा गये, मैं कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में 97 ग्राम प्रधान निलम्बित हुये हैं, जिन्होने पैसा खाया और अधिकारी भी निलम्बित किये गये । माननीय मंत्री जी ने अभी बताया है कि ग्राम विकास की स्व–रोजगार योजना, बुन्देलखण्ड सघन उद्यानीकरण योजना, सघन मिनी डेरी योजना, चर्म वस्तु उत्पादन एवं चर्खा उन्मूलन योजना, रेशम विकास की योजना और मत्स्य आस्थान विकास योजनायें किसानों के हित में चलाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है । इसके अतिरिक्त स्वतः रोजगार योजना, ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान कार्यक्रम, ग्रामीण आवास योजना, किसान सेवा केन्द्र, अनुसूचित जाति/जन जाति हेतु ग्रामीण क्षेत्रें में पेयजल योजना, राष्ट्रीय बायोगैस परियोजना, उन्नत चूल्हा कार्यक्रम,अम्बेदकर ग्राम्य विकास योजना, ऐसी योजनायें हैं, जिनको हमारी सरकार ने अपने बजट में लिया है । जितने भी इस किस्म के व्यक्ति जो दलाली लेकर पुरानी सरकारों के समय में पनप रहे थे अब ऐसा कोई कार्य नहीं हो पाएगा । हम लोग गांव-गांव में जायेंगे और सरकार

का विकास कार्य हो रहा है या नहीं इसे देखेगें । मा० मंत्री जी ने जो बजट दिया है उसका समर्थन करता हूं और कटौती के प्रस्ताव का विरोध करता हूं ।

श्री विक्रमाजीत मौर्य–

आपका आभारी हूं कि कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । धन्यवाद देता हूं । अभी हमारे पंचायती राज मंत्री जी ने अपना बजट भाषण किया, मैं सुन रहा था अभी मेजर साहब ने भी अपनी बातें कहीं । लग रहा है कि भाजपा की सरकार के रंग में रंगे हैं । हमारे साथ थे तो सही बोलते थे । कुछ योजनाओं की तरफ आपका ध्यान ले जाना चाहूंगा । हमारे यहां निःशुल्क बोरिंग योजना है । जिला इलाहाबाद में चाहे फूलपुर हो या प्रतापपुर हो या अन्य कोई गांव । ए० डी० ओ० (एम० आई०) और बोरिंग मैकेनिक मिलकर व्यापक भ्रष्टाचार कर रहे हैं वापस होना चाहिए मजदूरी का लेकिन ये पैसा खा जाते हैं । मैने एक दो मामलों में शिकायत की थी और पैसा वापस कराया था । इन्दिरा आवास योजना इसके अन्तर्गत जो निर्बल वर्गों के मकान बनाये जाते हैं चाहे जिस विकास खण्ड में हो 90% मकान जीर्ण-शीर्ण हो चुके हैं । उसमें 1 : 8 की सीमेंट लगायी जाती है । इसकी जांच करा ली जाय । कुछ गांवों को अम्बेदकर योजना में लिया है । फूलपुर में गगरा पट्टी गांव है जहां पर प्राथमिक विद्यालय खुल जाना चाहिए था । पैसा भी सैंक्शन हो गया है । मैं ए० डी० एम०, फूलपुर से मिला लेकिन कोई काम नहीं किया । स्कूल की जमीन को दूसरे लोगों ने कब्जा किया हुआ है । शिकायत की लेकिन कोई कार्यवाही नहीं ।

ग्राम्य विकास योजना में भी कोई काम नहीं किया जा रहा है । जैसा हरवंश सहाय जी ने बताया आर० ई० एस० में 40 हजार रुपये प्रति कि०मी० पर मिट्टी का कार्य कराया जाता है लेकिन 20 हजार रुपये से भी ज्यादा नहीं खर्च किया जाता । 20 हजार रुपया जो ठेकेदार को दिया जाता है उसमें भी कमीशन होता है । 20 हजार रुपया उच्च स्तर से ब्लाक के जे० ई० तक खा जाते हैं डी० आर० डी० ए० की योजना में जो भी पैसा बजट में दिया जाता है उसमें बगैर कमीशन के पैसा रिलीज नहीं होता है। चारा मशीन किसानों की खरीदी नहीं गयी है और पूरा पेमेन्ट जिला परियोजना अधिकारी ने अपने रिश्तेदार की सहारनपुर की फर्म को कर दिया है । मैने नियम–301 में भी दिया है । खण्ड विकास अधिकारी जो ब्लाक पर नियुक्त रहते हैं कभी गांव में नहीं जाते हैं । पहले गांव में जाते थे लेकिन आज कोई भी खण्ड विकास अधिकारी गांव में नहीं जाता है । फर्जी टी० ए० का भुगतान ले लेते हैं । मान्यवर, ग्रामसेवक, जिसको ग्राम में रहना चाहिए, ग्राम की सेवा न कर दलाली का काम करता है । बैंक से लेकर बी० डी० ओ० के बीच दलाली का काम करता है । ग्राम के विकास की योजनाओं से उसका कोई सम्पर्क नहीं रहता है । आप जय श्रीराम का नारा लगाने में लगे हुए हैं । आप कह रहे हैं कि सारा भ्रष्टाचार खत्म कर रहे हैं मैं कहना चाहता हूं कि आपके अधिकारी वही हैं जो कांग्रेस और जनता दल की सरकार के समय में थे । आप होश में आयें और अधिकारियों पर रोक लगायें । इसी के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री देवेन्द्र सिंह–

मान्यवर, ग्राम्य विकास और पंचायती राज के बजट पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं । भारतीय परम्परा के मुताबिक जिस तरीके से दो प्राणियों को दाम्पत्य जीवन में बांध कर परिवार चलाने का मौका दिया जाता है, उसी तरह से ग्राम्य विकास और पंचायती राज इन दोंनों ने मिलकर भारतीय परम्परा को कायम रखा है । गरीब किसान बेसहारा की जो आवश्यकता है इन दोनों के बगैर उनका कोई सर्वांगीण विकास नहीं हो सकता । आज माननीय ग्राम्य विकास मंत्री और

पंचायती राज मंत्री ने गरीबों, किसानों और बेसहारों के हित में बजट पेश किया है । लेकिन, मैं क्षमा चाहता हूं कि उधर बैठे हुए लोगों की नीयत बन गयी है कि चाहे काम कितने अच्छे क्यों न हों विरोध करना है । मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि इनको सद्बुद्धि दे । मान्यवर, हमारा प्रदेश कृषि प्रधान प्रदेश है।

(इस समय 6 बजकर 7 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

यहां की 80 प्रतिशत जनता गांव में रहती है इनके लाभ के लिए कोई अच्छी योजना ग्राम्य विकास और पंचायती राज मंत्रियों द्वारा बतायी गयी है कम से कम आप उसका समर्थन करें । मान्यवर, इधर के और उधर के माननीय सदस्यों ने ध्यान आकृष्ट कराया है बैंक के संबंध में । बैंक पर हमारी प्रदेश की सरकार का कोई नियन्त्रण नहीं है । पिछली सरकारों की देन की वजह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था । आज हम कृत संकल्प हैं इसे मिटाने के लिए बैंक पर प्रदेश सरकार का नियंत्रण न होने के कारण कहीं न कहीं कोई न कोई दिक्कत आती है । मिल बैठ कर वार्ता कर लीजिए और बैंक पर नियंत्रण करने की कार्यवाही करें । आर० ई० एस० के बारे में कहा गया पिछली सरकारों की वजह से वहां भ्रष्टाचार होता रहा । लेकिन हमारे जनपद में एक भी उदाहरण आपके पास हो तो बताएं कि वहां भ्रष्टाचार हुआ है । इसी के साथ जो कल्याणकारी बजट पेश किया गया है उसका समर्थन करते हुए, बल देता हूं और अपनी बात को विराम देता हूं ।

श्री मिही लाल–

मान्यवर, आपने मुझे ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं । मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान बुन्देलखण्ड, हमीरपुर जनपद में तहसील चरखारी, कुलिहाड़ पनवाड़ी की तरफ ले जाना चाहता हूं । मान्यवर, वहां पर ब्लास्ट कूप नहीं हैं अतएव वहां पर ब्लास्ट कूप बनवाये जायें । मान्यवर, मेरा क्षेत्र हरिजन बाहुल्य क्षेत्र है और इस क्षेत्र मे पहाड़ों की कण्ठ माला बनी हुई है वैसी ही जैसे शरीर के गले में रुद्राक्ष माला पड़ी होती है । मान्यवर, जो लघु सिंचाई योजना घसान एवं वर्मा अन्य नदी पर बनवाने की मांग करता हूं । मान्यवर, हरिजन बाहुल्य क्षेत्र होने की वजह से इसमें ध्यान दिया जाये क्योंकि बुन्देलखंड सबसे पिछड़ा हुआ है इसलिए मैं इस पर विशेष ध्यान दिलाना चाहता हूं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । धन्यवाद, जयहिन्द ।

श्री मातवर सिंह कण्डारी–

माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग के बजट पर बोलने का अवसर दिया इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूं । मान्यवर, मैं बजट का स्वागत करता हूं और समर्थन करता हूं । हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि यदि हम अपने देश और प्रदेश का विकास करना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें गांव का विकास करना होगा । यही भावना महात्मा गांधी की भी थी और इसी बात को मद्दे नजर रखते हुए हमारी सरकार ने 60 प्रतिशत बजट गांव के विकास के लिए दिया है । मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान जो क्षेत्र में अनियमितताएं होती हैं उस ओर दिलाना चाहता हूं । सबसे पहले मैं आई० आर० डी० की बात करना चाहता हूं । हमारे उत्तरांचल में पहले बकरी पालने के लिए ऋण दिया जाता था किन्तु इस पर अब रोक लगा दी गयी है मेरा सुझाव है कि हमारे पर्वतीय क्षेत्र में बकरी पालन से गरीब लोगों की अच्छी इनकम हो जाती है इसलिए इसके लिए ऋण दिया जाना चाहिए । दूसरा मेरा निवेदन यह है कि ट्राइसम योजना के अन्तर्गत कुछ लोगों को

प्रशिक्षण दिया जाता है मगर उनको व्यवसाय चलाने के लिए बैंक वाले ऋण नहीं देते हैं । मेरा अनुरोध है कि ऐसे व्यक्ति जो ट्राइसम योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण लेते हैं उनको बैंक से ऋण दिया जाना चाहिए। तीसरा बिन्दु मेरा यह है कि जो किसान सेवा केन्द्र की स्थापना की गयी है यह बहुत ही अच्छी योजना है । यहां पर प्रत्येक हफ्ते कर्मचारी आते हैं और किसानों की बात सुनते हैं । मगर इसमें मेरा अनुरोध है कि कर्मचारी लोग नियमित रूप से इस बैठक में नहीं आते हैं । कितना अच्छा होता कि कर्मचारी नियमित रूप से आते और किसानों की समस्याओं को सुनते और उनका समाधान करते । इसके साथ ही मेरा सुझाव है कि यह बैठक एक हफ्ते में न करके महीने में एक बार की जाये क्योंकि कर्मचारी हर हफ्ते आने में परेशान हो जाते हैं । इन्हीं शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री अखिलेश–

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे हरिवंश सहाय जी द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया । मान्यवर, यह जो ग्राम्य विकास विभाग है अन्य विभागों में तो भ्रष्टाचार होता है, चोरी होती है, मगर इसमें तो कफन चोरी होती है । इस संदर्भ में अवगत कराना चाहता हूं कि आई० आर० डी०, निर्बल आवास योजना, इन्द्रा आवास योजना, फ्री-बोरिंग योजना के अन्तर्गत जिन लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं वह आर्थिक रूप से मृतप्राय होते हैं । फ्री-बोरिंग योजना के अन्तर्गत लघु किसान एवं सीमान्त किसानों को क्रमशः तीन हजार, चार हजार रुपया और अनुसूचित जाति एवं जन जाति के किसानों को पांच हजार रुपये की सहायता एवं सामग्री प्रदान की जाती है मगर सहायता पर दृष्टि डालें तो इन्हें मात्र 1500, 1800 की ही सामग्री मिल पाती है बाकी धन कहां जाता है इस बात का पता नहीं लगता । शायद मंत्री जी को पता हो कि यह धन कहां जाता है । कम से कम मेरी यह सोच है कि यह धन सीधे किसानों को उपलब्ध करा दिया जाय जिससे उनको लाभ होगा ।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत 8 हजार रुपये भवन निर्माण हेतु, 1400 रुपये शौचालय हेतु तथा 3300 रुपये स्थल विकास हेतु दिया जाता है । मेरा आपसे कहना है कि पूरे प्रदेश का आप सर्वेक्षण करा लें कि इन्दिरा आवास में भवन निर्माण हेतु पैसा दिया जा रहा है क्या वह शत-प्रतिशत उसमें खर्च हो रहा है ? नहीं हो रहा है । इसमें व्यापक पैमाने पर घोटाला हो रहा है । स्थल विकास हेतु जो पैसा दिया जा रहा है वह पूरा का पूरा हड़प कर लिया जा रहा है । इसलिए मेरा सुझाव है कि इस पैसे को भी सीधे लाभार्थियों को दिया जाय । निर्बल वर्ग आवास योजना के तहत मेरा आपसे अनुरोध है कि पिछड़े वर्ग में जो लोग आर्थिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको निर्बल वर्ग में उसी अनुपात में लाभ मिलना चाहिए । पंचायती राज के बारे में भी दो-तीन बातें कहना चाहता हूं । जवाहर रोजगार योजना के तहत आये दिन भ्रष्टाचार की शिकायतें मिलती हैं । आपने इसमें ग्राम पंचायत अधिकारी को दोषी ठहराया है । मेरा निवेदन है कि सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) व खण्ड विकास अधिकारी को भी इसमें उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए । जब तक आप ऐसा नहीं करेंगे तो इसमें व्याप्त भष्टाचार को दूर नहीं किया जा सकता है । फ्री-बोरिंग के तहत प्लास्टिक की पाइपें खरीदी जा रही हैं । आप पूरे प्रदेश में सर्वे करा लीजिए । पतली प्लास्टिक की पाइपें खरीदी गई हैं । बोरिंग जब की जा रही है तो ये प्लास्टिक की पाइपें फट जा रही हैं । इसको दूर करने की जरूरत है । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

* श्री राम चन्द्र चौधरी–

मान्यवर, पंचायती राज व ग्राम्य विकास के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह जो बजट पेश किया गया है, निश्चित ही परोपकारी व ग्रामोन्मुखी है। इतिहास के पन्नों को पलटने से पता लगता है कि किस प्रकार से 44 सालों में गांवों की उपेक्षा की गयी है। गांवों में पेयजल योजना के लिये तमाम योजनाएं चलायी जा रही हैं। फ्री-बोरिंग की सुविधा दी जा रही है। बायोगैस तथा फल उद्यान का विकास हो रहा है। मैं अपने क्षेत्र काजीपुर (सुल्तानपुर) के अन्तर्गत अम्बेडकर गांव योजना चल रही है। इन योजनाओं में तात्कालिक रूप से गति लायी जाय। पंचायती राज के तहत मेरा एक संशोधन है। गांवों के अन्दर जो छोटे-छोटे बाजार लगते हैं और जिला परिषद् द्वारा उनकी नीलामी की जाती है और ठेकेदार काफी रकम खा जाते हैं, जिससे छोटी बाजारों का विकास रुक जाता है। ग्राम सभाओं के अन्तर्गत आने वाले बाजारों की नीलामी को जिला परिषद् द्वारा समाप्त कराया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। ग्राम्य विकास के संबंध में चाहे इधर के बैठने वाले लोग हों, चाहे उधर के बैठने वाले लोग हों, सभी ने एक ही बात कही है कि ग्राम्य विकास की योजनाओं का कार्यान्वयन ठीक ढंग से नहीं किया जाता है। मैं ज्यादा बोलना नहीं चाहता हूं केवल आलोचना नहीं, रचनात्मक दृष्टि से कुछ सुझाव देना चाहता हूं ताकि अच्छे ढंग से विकास की योजनायें कार्यान्वित हों। माननीय मंत्री जी ने कहा कि अधिकारियों को निर्देश दे दिये हैं। किन्तु मुझे अनुभव है मैं ब्लाक प्रमुख रहा हूं पूरे वर्ष क्षेत्र समितियों की बैठकों में अधिकारी नहीं आते हैं चाहे वह बिजली विभाग के हों चाहे सिंचाई विभाग के हों या दूसरे विभागों के हों कोई अधिकारी क्षेत्र विकास समित की बैठक में नहीं आता है उसमें सदस्य अपनी कठिनाई बताते हैं तो केवल ब्लाक प्रमुख के अलावा कोई नहीं रहता है लेकिन उसके पास कोई पावर नहीं है कि उन अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्यवाही वह करे। इसको सुनिश्चित कराया जाय ताकि क्षेत्र समिति की बैठक में जितने विभाग हैं उनके अधिकारी उसमें उपस्थित हों। अगर आप इतना कर सकें तो निश्चित है कि पंचायती राज विभाग अच्छे ढंग से काम कर पायेगा।

ट्राइसेम योजनायें जो चलती हैं उसके आंकड़े रखे गये हैं सन् 79 से 85 तक इन्होंने लगभग 1 लाख 74 हजार व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य रखा था और प्रशिक्षण 1 लाख 65 हजार को दिया और उसमें से रोजगार 73231 लोगों को दे पाये और उसमें 1006 लाख रुपया खर्च हुआ 1986 से 92 तक 3 लाख 22 हजार लोगों को प्रशिक्षित करने का लक्ष्य था उसमें 2 लाख 88 हजार को प्रशिक्षित कर पाये और 1 लाख 70 हजार को रोजगार दिया जिसमें 3040 लाख रुपया खर्च कर दिया। लेकिन आप जानते हैं आप कहीं भी देख लें यह योजना मखौल बन कर रह गयी है। जितने लोग प्रशिक्षण पाते हैं उनको कहीं भी ढंग से पैसा नहीं मिल पाता है बैंकों से भी लोन नहीं मिलता है। अभी पिछले दिनों माननीय विक्रमाजीत जी ने इलाहाबाद का मामला उठाया था कि ट्राइसेम योजना का पैसा बी० डी० ओ० खा गया जिसकी जांच भी हुई और शिकायत सही पायी गयी। अब बहरिया ब्लाक का बी०डी० ओ० तीन-तीन सौ रुपया लड़कों को देकर बाकी पैसे को हड़प कर रहा है। इसी ढंग से आर० ई०

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

एस० डिपार्टमेंट में काम हो रहा है । मामला इलाहाबाद से संबंधित है । मान्यवर, अध्यक्ष जी, आप भी जानते हैं 80 लाख रुपया दो तीन साल में आर० ई० एस० के इंजीनियर खा गये कहीं सड़कें नहीं बनीं जो हमने प्रस्तावित की थीं उन सड़कों का भुगतान नहीं किया गया । मेरा आपसे निवेदन है कि 80 लाख रुपये का जो घपला हुआ है उसकी जांच हो और जो लोग दोषी पाये गये हैं तो उनके खिलाफ कार्यवाही करें और जितना रुपया आवंटित हुआ था उसका सही ढंग से भुगतान किया जाय ।

श्री अध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री महेन्द्र प्रताप सिंह–

मान्यवर, एक मिनट में समाप्त करता हूं । इसी तरह से आपके विभाग में एक प्रान्तीय रक्षक दल है जो विकास कार्यों से संबंधित है । एवं युवक मंगल दल है जो गांवों में अच्छा काम करता है । मुझे जानकारी है यह कोई राजनैतिक संगठन नहीं है यह गांवों की सुरक्षा से लेकर वहां के विकास के कार्यों में लगा रहता है, गांव के विकास के काम आप उससे लेते हैं फिर भी उसे सही ढंग से पैसे नहीं देते हैं उसको प्रति दल प्रति वर्ष सौ रुपया दिया जाता है । मान्यवर, आप सोचें आज की महंगाई के जमाने में सौ रुपया प्रति वर्ष जिसके उसके अन्तर्गत 4-5 हजार की आबादी के गांव हैं, यह छोटी सी राशि एकदम अपर्याप्त सी हो जाती है इसलिए मैं चाहता हूं कि जो वह श्रमदान कर देते हैं उन पर पुलिया निर्माण आदि का काम आप करा दीजिए, तो आपका इससे काफी रुपया बच जायेगा और जनता के लिए पक्की सड़कें मिल जायेंगी यह बहुत ही महत्वपूर्ण नवजवानों का संगठन है, इसमें जिम्मेदारी के साथ अधिकारियों को लगाकर उनको सहायता दी जाय, प्रेरणा दी जाय तो गांव की शक्ति को सही दिशा मिल सकेगी और गांव का विकास हो सकेगा । मेरे क्षेत्र में एक सड़क है जहां पर तीन साल पहले वह सड़क बना दी गयी है, लेकिन अभी पता चला है कि अब फिर उस पर फर्जी ढंग से विभाग वाले काम होना दिखाकर पेमेंट ले रहे हैं । मैं चाहता हूं कि मंत्री जी इस भ्रष्टाचार को दिखवा लें और ऐसे दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करायें । मान्यवर, आपने जो कटौती पर बोलने का मौका दिया इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं ।

श्री अध्यक्ष–

अब नये सदस्य बोलें । इसके पहले मैं एक बात कहना चाहता हूं । अभी माननीय सदस्य ने अपने भाषण में यह बात कही कि यह तो बहुत बेवकूफी की बात है, तो मैं इस बात को इस तरह कर दूंगा कि यह धनराशि एकदम अपर्याप्त है । मैं इसे असंसदीय कहकर निकलवा तो नहीं सकता हूं ।

श्री रवीन्द्र प्रताप–

मान्यवर, ग्राम्य विकास और पंचायती राज मंत्रियों के बजट पर बोलने के लिए मैं खड़ा हुआ हूं । इस पर आपने मुझे मौका दिया उसके लिए आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं । भारतीय जनता पार्टी की घोषणा के अनुसार गांव, गरीब, किसान, झोपड़ियों के इन्सान, निर्बल अनुसूचित वर्गों के उत्थान की आकांक्षाओं के अनुरूप यह बजट आया है निर्बल वर्ग के सदियों से दबे पिसे जो इन्सान हैं उनके विकास के अनुरूप हमारा बजट आया है । आप देखें कि विकास का कार्य कितना हो रहा है । आज मुख्य मंत्री की मान्यता के अनुसार चारों तरफ काम हो रहा है । हरिवंश सहाय ने जो कहा है मालूम पड़ता है कि उन्होंने पहले की बात, अपने समय की बात कही है । अब गांव की जनता कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी आई है नयी रोशनी लाई है । पहले गांव के किसान परेशान थे । उनकी कोई सुनता नहीं था

लेकिन आज हालत यह है कि हर गांव में हमारे अधिकारी अनिवार्य रूप से "सरकार जनता के द्वार" हर महीने के दूसरे और चौथे सोमवार को अपने निर्धारित दिनों में पहुंचते हैं और जनता की शिकायतें सुनकर यथाशक्ति उन्हें वहीं दूर करने का प्रयास करते हैं, सार्वजनिक स्थानों पर सुलभ शौचालय का निर्माण कराये जाने के लिए मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। जो हमारी पूर्ववर्ती सरकारें थीं उन्होंने निर्बल वर्ग और अनुसूचित जतियों के लिए सदैव घड़ियाली आंसू बहाये हैं लेकिन हमारे मंत्री जी ने जो अनुसूचित जाति का कोटा था उस कोटे से ज्यादा उनकी नियुक्ति कर दी है। आज हमने गांव के विकास के लिए 60 प्रतिशत धन व्यय करने की बात कही है, जिसे हम पूरी तरह से कर रहे हैं। जिला परिषदों की जो स्थिति है उसके संबंध में हमें अपनी सरकार की विशाल हृदयता दिखायी दे रही हैं उसे देख कर हमें आश्चर्य होता है। आपके समय में ऐसी जिला परिषदों को भंग कर दिया जाता था। किन्तु उनकी समीक्षा करायी जानी चाहिए और उनके संबंध में उचित कदम उठाये जाने चाहिए आज जिला परिषदें अपने कार्य में असफल सिद्ध हो रही हैं। काफी घाटे में चल रही हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि इन ग्रामीण योजनाओं पर आप नये सिरे से विचार करें। मान्यवर, इसीलिए हमारी सरकार ने कुक्कुट पालन और मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया है जिससे आपका स्वास्थ्य बना रहे।

इन शब्दों के साथ मान्यवर, आपने जो प्रस्तुत बजट पर बोलने का अवसर दिया उसके लिए आप बधाई के पात्र हैं और जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसकी मैं प्रशंसा करते हुए मंत्री जी को बधाई देता हूं और बजट का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री भागवत पाल–

मान्यवर, आपने जो प्रस्तुत बजट पर कटौती के प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का समय दिया उसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

मान्यवर, मंत्री जी ने जो बजट भाषण पढ़ा उसको गौर से सुना। पूरे प्रदेश में एक गम्भीर समस्या है कि पूर्ववर्ती सरकारों ने मिनी ट्यूबवेलों को तो लगाया है लेकिन उनके रख-रखाव के लिए एक भी पैसे का प्राविधान आज के बजट में नहीं किया गया है। मान्यवर, मेरी निश्चित जानकारी है कि ग्राम्य विकास विभाग के 100 प्रतिशत ट्यूबवेल बेकार पड़े हैं 6 सालों से और यह बात सभी की जानकारी में है। मान्यवर, इसकी जानकारी मंत्री जी को है, यह प्रश्नकाल में भी मामला आया था और व्यक्तिगत रूप से भी मंत्री जी को बताया था लेकिन एक भी पैसा मिनी-ट्यूबवेलों के रखरखाव के लिए नहीं दिया है जो खेद की बात है। मान्यवर, मैं एक बात की प्रशंसा करूंगा कि ग्राम्य विकास के बजट में प्रशासनिक व्यवस्था आप अच्छी करने जा रहे हैं और आदेश भी दे दिये हैं। मान्यवर, मिर्जापुर में 22 से 30 फीट व्यास के कूप बनाये गये हैं जबकि नियमानुसार छः फिट होना चाहिए जो प्रशंसा की बात है। सही बात यह है कि 50 साल पहले जो कुयें बनाये गये थे उन्हें दिखा दिया गया है और धन हड़प लिया गया है। मंत्री जी ने उसको मान भी लिया है किन्तु इसमें कोई भी कर्मचारी निलम्बित नहीं हुआ है और ऐसा मिर्जापुर में ही नहीं प्रदेश के तमाम जिलों में ऐसा हुआ है। मान्यवर, इनकी इच्छा शक्ति समाप्त हो गयी है क्योंकि 22 फीट कुयें का व्यास यह स्वीकार करते हैं किन्तु आज तक किसी दोषी कर्मचारी के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गयी है यह ताज्जुब की बात है। स्पष्ट है कि पुराने बने कूपों को दिखाकर धन निकाल लिया गया है।

पंचायती राज मंत्री जी स्वीकार करते हैं कि जिला परिषदों की पुराने बकायों की वसूली की जा रही है। मिर्जापुर में कालीन बुनकरों से, पत्थर जो तोड़ते हैं उनसे वसूल किया जा रहा है। मान्यवर, मजदूरों पर नाजायज कर लगाकर यह शासन चलाना चाहते हैं जो ठीक नहीं है। इस लिए विकास की जो

योजनायें हैं उनके संबंध में पहली बात तो यह सरकार स्वीकार कर ले कि जो जनप्रतिनिधि शिकायत करते हैं उसको यह सुनेंगे उस पर कार्यवाही करेंगे तो प्रदेश का भला हो सकता है । नहीं तो तमाम विधायकगण चिल्लाते रहेंगे । सबकी बातें तो पूरी नहीं होती हैं । जन प्रतिनिधियों ने शिकायत की है, तो यह निश्चित रूप से उस पर ध्यान दें तो प्रदेश का बड़ा भला होगा । लेकिन मान्यवर, इनकी इच्छा शक्ति समाप्त हो गयी है । यह कुछ नहीं करना चाहते हैं । अगर जिलाधिकारी से कोई विधायक शिकायत करे ग्राम सेवक के खिलाफ, बी० डी० ओ० के खिलाफ तो मेरा निश्चित मत है कि जिलाधिकारी द्वारा संबंधित कर्मचारियों, अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी । अगर यही शिकायत सदन में की जाती है तो पूरी सरकार उसको संरक्षण देने लगती है । न जाने यह ऐसा क्यों करते हैं । क्या यह अपने अधिकारियों, सिपाहियों से डरते हैं कि कोई मारने न दौड़ पड़े । जनप्रतिनिधि अगर शिकायत करता है, तो निश्चित रूप से उसमें सही जानकारी के हिसाब से शिकायत की गयी होगी । मान्यवर, इस तरह से विधायकों की शिकायतों पर कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । इसमें कोई दो राय नहीं है कि यह सरकार विरोधी जनप्रतिनिधियों के प्रति विरोध की भावना रखती है । इस तरह से देश का, प्रदेश का विकास नहीं हो सकता है । हम सबको मिलकर प्रदेश के विकास के लिए कार्य करना होगा । तभी इस प्रदेश का भला होगा अन्यथा इसका भला नहीं हो सकता है । मैं इन्हीं शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री लक्ष्मेश्वर सिंह–

मान्यवर, आपने मुझे माननीय हरवंश राय जी के द्वारा प्रस्तुत कटौती के प्रताव पर बोलने का अवसर दिया है, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । ग्राम्य विकास विभाग के आर० ई० एस० में आज कितना भ्रष्टाचार व्याप्त है और यह पूरा विभाग भ्रष्टाचार से ग्रसित है । मेरा आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से आग्रह है कि इस भ्रष्टाचार को किसी न किसी तरीके से रोका जाय । चाहे पम्पिंग सेट का सवाल हो, बैल हो, बैलगाड़ी हो यह सब ग्राम सेवक, जो ग्राम्य विकास अधिकारी के नाम से जाने जाते हैं, उनके माध्यम से गांव में उपलब्ध कराये जाते हैं । लेकिन यह ग्राम्य विकास अधिकारी बैंक की मिली भगत से 25 प्रतिशत धन जो गरीबों को मिलना चाहिए वह हड़प जाते हैं । जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत एक गांव में यदि एक हजार ईंट लगनी है तो मान्यवर, बीच-बीच में ढाई इंच की गैपिंग है । प्रदेश के समस्त गांवों के प्रत्येक 10 ग्रामों में से 5 ग्रामों में पूरे में दस-पांच जगह ऐसी गैपिंग पायेंगे और गिनती में 700 ईटें ही निकलेंगी । बजट में जैसा कहा गया है कि हमने इस चीज के लिए यह प्राविधान किया है, उस चीज के लिए यह प्राविधान किया है । मान्यवर, यह सब वास्तविक रूप में नहीं है । सिर्फ बजट में कह दिया गया है । मैं एक सुझाव देना चाहता हूं । शायद मेरा सुझाव सत्ता पक्ष वालों को अच्छा लगे । मेरे बस्ती क्षेत्र में मुख्य विकास अधिकारी जिस तरह से कार्य कर रहीं हैं, अगर सम्पूर्ण प्रदेश के समस्त मुख्य विकास अधिकारी भी उसी तरह से कार्य करें तो मैं नहीं समझता कि इस प्रदेश का सही विकास नहीं हो सकता । भ्रष्टाचार को नहीं रोका जा सकता । आज वह जिस तरह से काम कर रही हैं, वह समस्त मुख्य विकास अधिकारियों के लिए एक उदाहरण है । जिस समय वह विकास अधिकारी आठ घण्टे की ड्यूटी पर होती हैं, यहां से वहां आती-जाती रहती हैं । मुख्य विकास अधिकारी, किसी एक को भी वहां बस्ती भेजा जाय तो आपको पता लगेगा कि वहां की जनता, वहां के जनप्रतिनिधि किस तरह से उनकी तारीफ करेंगे । सब अधिकारी अगर उनका अनुकरण कर लें तो इस प्रदेश का अच्छा विकास हो सकता है । मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि जिला बस्ती की गवर्निंग बाडी जो डी० आर० डी० ए० की है उसमें विधायक और सांसद ही होते हैं लेकिन बहुत गलत

है कि उसमें एम० एल० सी० को भी शामिल कर लिया गया है। आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इसे भी देख लिया जाय। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री शिव लाल मित्तल–

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मौका दिया, मैं आभारी हूं। माननीय मंत्री जी द्वारा ग्राम्य विकास पंचायती राज्य का जो बजट रखा है इसके समर्थन के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी उधर के लोगों ने एक बात कही कि हमारी सरकार जन कल्याणकारी कार्य नहीं कर रही है। आप यह देखें कि सरकार तो बदली है लेकिन अधिकारी कर्मचारी वही हैं। 45 वर्ष में आपने इनको भ्रष्टाचारी बनाया है हमारी सरकार अब इसमें सजगता से कार्य कर रही है। मंत्रियों को दौरा करने की आवश्यकता है तभी सरकार की मंशा पूरी होगी। वरना दिक्कत पड़ जायेगी। निर्बलों को निर्बलों का हक नहीं मिल पा रहा है इसमें तेजी लाने की आवश्यकता है। दूसरी बात मैं यह कहना चाहूंगा कि पंचायतों में सम्पत्ति रजिस्टर नहीं हैं मैं आग्रह करूंगा कि सम्पत्ति रजिस्टर रखे जायं। प्रधानों के पास सम्पत्ति का ब्यौरा रहे। मान्यवर, जब कोई गलती होती है तो प्रधानों को निलम्बित कर दिया जाता है जबकि सेक्रेट्री की भी गलती होती है तो प्रधान के साथ-साथ सेक्रेट्री को भी निलम्बित किया जाय। पिछली सरकार में एक 10 लाख की कूप योजना थी सारा रुपया भ्रष्टाचार में चला गया 1989-90 व 1990-91 में इसकी जांच हुई, तो सरकार इस पर नजर रखे। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और एक मांग करता हूं कि जो क्षेत्र पिछड़े हैं उनको मस्टर रोल मिलना चाहिए। जो अगड़ा क्षेत्र है उसको और अगड़ा किया जा रहा है और जो पिछड़े क्षेत्र हैं वह पिछड़ते जा रहे हैं तो पिछड़े क्षेत्रों की ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और बजट का समर्थन करता हूं।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

मान्यवर, आपने जो कटौती पर बोलने का अवसर दिया मैं इसके लिए आपका आभार प्रकट करता हूं। सबसे पहले मैं अपने पंचायती राज मंत्री को धन्यवाद दूंगा इन्होंने स्वीकार किया भारत के भूतपूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी ने इस देश में हो रहे भ्रष्टाचार की तरफ पूरे प्रदेश का ध्यान आकृष्ट किया। उन्होंने स्वीकार किया कि भारतवर्ष में जो विकास के लिए आम जनता को पैसा पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंच पा रहा है उसमें चोरी हो रही है। भाजपा के लोग इसको स्वीकार करें या न करें शंका की बात है सुझाव के रूप में एक बात कहना चाहूंगा। हम जानते हैं और महसूस करते हैं उधर के लोगों ने भी हमारी बात का समर्थन किया। मैं अनुरोध करूंगा कि मान्यवर, एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत श्रीमन्, गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले किसानों को एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत 2500 का अनुदान दिया जाता था। पिछली सरकार ने इसको तीन हजार कर दिया। हम श्रीमन्, इस बात को बड़ी ईमानदारी से स्वीकार करते हैं कि जो खरीदारी इसमें हुई इसमें घोर अनियमितता हुई। जो यह तीन हजार अनुदान मिलता है यह अधिकारियों द्वारा हड़प लिया जाता है। सत्ता पक्ष के और इस पक्ष के सभी लोग मेरी बात का समर्थन करेंगे कि जो पैसा दिया जाता है वह पूरे का पूरा संबंधित व्यक्ति तक नहीं पहुंचता है। मेरा सुझाव है कि जो पैसा है वह पूरे का पूरा सीधे किसान तक पहुंचा दिया जाय जिससे वह यदि खरीदारी नहीं करेगा तो कम से कम उस पैसे से अपने परिवार का भरण पोषण तो करेगा ही। जो जानवर इस योजना में दिये जाते हैं उनका इंश्योरेंस होता है अगर गाय या भैंस मर जाती है तो इंश्योरेंस द्वारा भुगतान किया जाता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अधिकांश मामलों में इंश्योरेंस के द्वारा पैसा नहीं मिलता है। मेरे गांव में एक प्रभु धोबी है उसका गधा मर गया। एक सुराजी माली है उसकी भैंस मर गयी। 5 महीने से परमानेंटली जब मैं जाता हूं तो

जिलाधिकारी और संबंधित अधिकारियों से मिलता हूं लेकिन आज तक इंश्यारेंस का पैसा उनको नहीं मिला है। आर० सी० वसूली के लिए चली गयी है। तो इन मामलों पर भी ध्यान दें।

दूसरी बात निःशुल्क बोरिंग के बारे में कहना चाहता हूं। इसमें बड़ा भारी भ्रष्टाचार है इससे सभी लोग परिचित हैं। 50 फुट पाइप किसान को दे दिया जाता है और कह दिया जाता है कि बोरिंग करा लीजिए इससे किसान को कोई लाभ नहीं मिलता है। इसके बारे में आप क़दम उठायें। इसी तरह से निर्बल वर्ग आवास योजना है। आपने एक लाख आवास बनाने की बात कही है। आप और हम सभी देखते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार है। मैंने देखा कि लिंटर खुला और छत नीचे आ गयी। इसमें भारी अनियमिततायें की जा रही हैं। इस ओर ध्यान दें। इसी तरह से कुयें बनाने और तालाबों को गहरा करने की योजना है। लेकिन कहीं पर भी तालाब खुदवाने और कुयें बनाने का काम नहीं हो रहा है। दूसरी बात में कुटुम्ब रजिस्टर के संबंध में कहना चाहता हूं। मैंने मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर कहा था। यह पंचायत राज विभाग के जरिये बनाये गये थे, यह बहुत पुराने हो गये हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में यह रजिस्टर नये सिरे से बनाये जाने चाहिए। जिला परिषदों के बारे में आपने कहा कि उनकी आमदनी 30 प्रतिशत बढ़ा दी गयी है। श्रीमन्, मेरे क्षेत्र में जो ग्राम सभाओं में बाजार लगते थे और जहां पर गांव के गरीब आदमी शाक-भाजी बेचने जाते थे और उसका लाभ ग्राम सभा को मिलता था उन बाजारों को जिला परिषद ने नीलाम कर दिया है। इससे ग्राम सभा की आमदनी पर असर पड़ता है। इसका कोई औचित्य नहीं है। इसी सदन में मैंने कहा था, जिला परिषद की जमीन पर अगर किसी ने नाजायज कब्जा कर लिया है और किसी का मकान 30-40 साल पुराना है तो बिना परीक्षण कराये जिला प्रशासन मकान को गिरवा दे यह उचित नहीं है। मैं चाहता हूं कि जिन चीजों का मैंने उल्लेख किया है इस पर निश्चित रूप से ध्यान दें। इन शब्दों के साथ में माननीय श्री हरिवंश सहाय जी के कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री स्वामी नाथ यादव–

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी द्वारा जो बजट रखा गया है, उस पर जो कटौती प्रस्ताव रखा गया है, उसके समर्थन में खड़ा हुआ हूं। सारे लोगों ने एक ही ओर ध्यान आकृष्ट किया है कि गांव के विकास के लिये भ्रष्टाचार को आप दूर कर दें, चूंकि गांव एक कड़ी है, स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह ने कहा था कि देश की खुशहाली का रास्ता खेतों और खलिहानों से गुजरता है। गांव टूटेगा तो देश टूटेगा। गांव मे जो योजना भेज रहे हैं, उसका पैसा जाता है सरकार से। यह सही है, लेकिन गांव में कोई योजना भेज रहे हैं उसमें परसेन्टेज का रुपया अधिकारियों द्वारा, बैंकों द्वारा जो कमीशन लिया जा रहा है, उस पैसे को आप लाभार्थी को सीधे दे दें तो गांव का विकास होगा, लेकिन यदि ऐसा नहीं किया तो निश्चित है कि गांव का विकास होने वाला नहीं है। बैल, भैंस, बकरी जो दे रहे हैं सबमें 10 परसेंट बैंक लेता है, शेष ग्राम्य विकास अधिकारी लेता है। पैसा ऊपर जाता है या नीचे रहता है, लेकिन निश्चित है कि ऊपर तक पहुंचता है तभी इतना भ्रष्टाचार है। इस संदर्भ में गांव का विकास करना चाहते हैं तो एक सुझाव देना चाहता हूं ग्राम्य विकास और पंचायती राज मंत्री जी को कि जो बड़े गांव हैं, जिनकी मतदाता संख्या 2000 या 1500 हो गयी है और कई टोलों में बंटा है, तो आप गांव को तो लाभ दे रहे हैं, सड़क या बाकी तरीकों से लेकिन छोटे पुरवों को लाभ नहीं मिल रहा है। पुरवे धरातल में जा रहे हैं। दो हजार मतदाता वाले गांव में, जैसे कि उत्तरांचल राज्य की कल्पना की है, छोटे गांव बना दें तो हानि नहीं होगी। मेरा सुझाव है कि इस पर ध्यान दें और जो प्रस्ताव आए उन पर ध्यान दें। भ्रष्टाचार के बारे में माननीय शाक्य जी कहते हुए बोले थे कि एक उप

राजस्व अधिकारी जो शारदा सहायक समादेश योजना में है, गुलाब चन्द्र शुक्ला, उस पर मुकदमें चल रहे हैं, उसको अभी तक रखे हैं, जिसकी पत्रावली संख्या 800/30-92. दिनांक 30 जनवरी, 1992 आ चुकी है । फिर भी वह अधिकारी आज भी बैठा है । पंचायती राज मंत्री जी ने कहा कि अधिकारियों से निवेदन किया है तो "त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमैव, त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवः ।" तो कहने से अधिकारी सुनने वाले नहीं हैं । इनके सामने सर नीचा कर दें तो भी सुनने वाले नहीं हैं । ये भ्रष्टाचार की गंगोत्री में डूबे हैं । आप मानते हैं कि पिछली सरकारों का दोष है । मैं भी मानता हूं कि हमारी और पिछली सरकारों का दोष है । भ्रष्टाचार में डूबे अधिकारियों का विनाश करना चाहते हैं तो कम से कम कड़े दण्ड का प्राविधान करें और दण्ड दें तभी ठीक होंगे । इसके साथ ही मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्रीमती गुलाब देवी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं प्रस्तुत बजट का समर्थन करती हूं तथा उस पर बोलने के लिये आपने मुझे मौका दिया, उसके लिये अभारी हूं । मान्यवर, अभी हमारे सदस्यगण जो अपनी बात कह रहे थे विपक्ष के माननीय सदस्य, उनकी बात पूरी तरह से सत्य है । चूंकि ये विगत 43 वर्षों में छिपे हुए तनावपूर्ण स्थिति में रहे और अपनी बात नहीं कह सके, उस भ्रष्टाचार में पिसते रहे, अन्याय को सहन करते रहे । इसलिये यह स्थिति है । लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो भय मुक्त है, उनके लिये कहने का पूर्ण अवसर प्राप्त हुआ है । मैं आशा करूंगी कि उन्होंने जो भी अपने सुझाव रखे हैं, वह सही हैं । पूर्ण रूप से ध्यान दिया जाय । जिन अत्याचारों, भ्रष्टाचारों की बात माननीय विपक्ष के सदस्यों ने कही आज भी वही है क्योंकि जितना भी अधिकारी कर्मचारी वर्ग है वह विगत 42 वर्षों से भ्रष्टाचार करने का आदी है । आज जवाहर योजना के अन्तर्गत गांव का जो कार्य चल रहा है, वह केवल एक धोखा है । हमने घूम-घूम करके गांवों में देखा है, एलेक्शन के दिनों में भी और वैसे भी देखा है कि गांवों में 95 प्रतिशत प्रधान इस भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, न तो गांव में खड़ंजे हैं और न नाले हैं और न अन्य सुविधायें हैं । जहां तक किसानों की बात है सरकार के द्वारा जो आई० आर० डी० के अन्तर्गत ऋण दिया जाता है, उसमें भी धोखा है, 1-1 हजार रुपया वहां पर ग्राम्य विकास अधिकारी फाइल आगे बढ़ाने का लेता है । बैंकों में भी किसानों को ठगा जाता है । इस भ्रष्टाचार की बात तो स्व० श्री राजीव गांधी ने भी कही थी कि 1रु० और सरकार किसानों के हित के लिए भेजती है, तो अधिकारी 75 प्रतिशत खा जाते हैं, केवल 25 प्रतिशत किसानों को मिलता है । जब तक इन मामलों में कठोरता से कार्यवाही नहीं की जायगी, इसकी जांच नहीं की जायगी, तब तक ये प्रधान, बी०डी० ओ०, ग्राम विकास अधिकारी इस प्रकार से भ्रष्टाचार करते रहेंगे ।

मैं आपका ध्यान तहसील चन्दौसी जिला मुरादाबाद के बी० डी० ओ० की ओर ले जाना चाहती हूं, जोकि लगभग 14 साल से, वहां का स्थायी निवासी होते हुए भी वहीं चन्दौसी में रह रहा है । उसके भ्रष्टाचार की बाहें इतनी लम्बी हो चुकी हैं कि जिले के अधिकारियों से भी उसकी साठ-गांठ है । जिला मुख्य विकास अधिकारी श्री विचित्र सिंह से भी उनकी शिकायत की, लेकिन उनका पूर्ण सहयोग प्राप्त है, जिसकी वजह से उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जाती है । उदाहरणस्वरूप एक तो गांव कैथल में तथा बुद्धनगर खंडुआ में 10 लाख कुओं के अन्तर्गत जो गांवों में जो तालाब होते हैं, उनमें पानी भर जाता है, उस पानी को रोकने के लिए जो दीवारें बनाई जा रही हैं, उसमें 1/4 का सीमेंट लगना चाहिए, लेकिन 1/12 का सीमेंट लगाया गया है, जिसके बारे में लिखित शिकायत की गयी, लेकिन कार्य बराबर चल रहा है कोई रुकावट नहीं की गयी । इसी प्रकार से ग्राम विकास अधिकारी ठा० चन्द्र पाल सिंह जो एक-एक हजार रुपया लेकर आई० आर० डी० की फाइल आगे बढ़ाता है । जहां से किसानों को सामान मिलता है, वहां से भी इनकी सांठ-गांठ होती है, न तो पूरा सामान मिलता है और न ही पूरा रुपया मिलता है । इस प्रकार से किसानों के साथ धोखा किया जाता है और सरकारी सुविधा के नाम पर किसानों को लूटा जाता है । अन्त में मैं इस बजट का समर्थन करती हूं कि यह कल्याणकारी

बजट है, लेकिन यह कल्याणकारी बजट तभी सफल हो सकता है, जब कि भ्रष्ट प्रधान और भ्रष्ट अधिकारियों पर अंकुश रखा जाय ।

श्री लाल चन्द निषाद–

माननीय अध्यक्ष जी, ग्राम्य विकास और पंचायती राज का जो बजट है वास्तव में यह इतना महत्वपूण बजट है, यदि इसका सही रूप में क्रियान्वयन किया जाय, तो इससे गांव की 80 प्रतिशत जनता लाभान्वित होती है । आज भी ऐसी-ऐसी ग्राम सभायें हैं जिसमें 14-15 हजार वोटर्स हैं और वे ग्राम सभायें 20-20 की टोलियों में बंटी हुई हैं । प्रधान जिस टोली का होता है, वह अपनी टोली का विकास करता है, बाकी पूरा गांव विकास से अछूता रह जाता है । मैं सुझाव के रूप में कहना चाहता हूं कि ऐसी ग्राम सभाओं का पुनर्गठन किया जाय, छोटी-छोटी ग्राम सभाओं में परिवर्तित किया जाय । इसी तरह शहरों का विकास हो जाने से बहुत से ब्लाक मुख्यालय शहर की सीमा में आ गये हैं, उनको तोड़ कर नये ब्लाक बनाने चाहिए, जिससे अधिक से अधिक देहात के लोगों को लाभ पहुंच सके । मान्यवर, कुछ दिनों से स्थानीय बाजारों को जिला परिषद् को वसूली के लिये दे दिया गया है, उसमें बहुत धांधली हो रही है और गांव की गरीब जनता जो वहां पर साग भाजी लेकर बेचने के लिये जाती है, उसका बहुत शोषण होता है, तो मेरा निवेदन है कि वसूली की जैसी पहले व्यवस्था थी, उसी प्रकार से किया जाये, जिससे गरीब लोगों को परेशानी न हो ।

मान्यवर, एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूं । आपका जो आर० इ० एस० विभाग है, इसकी जो कार्य प्रणाली है, वह बहुत ही दोषपूर्ण है । जो गांव के विकास के कार्यक्रम हैं, वह सब इसी विभाग के माध्यम से किये जाते हैं । मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि इन कार्यों के लिये, जैसे पुल और पुलिया हैं, सार्वजनिक निर्माण विभाग एक्सपर्ट माना जाता है और वह अगर एक पुलिया को 3 लाख में बनाता है, तो इस विभाग द्वारा वही पुलिया 8 लाख में बनायी जाती है । इसमें होता क्या है कि अधिकारी ओवर बजट बनाते हैं और उसका परसेंटेज आपस में बांट लेते हैं ? इस प्रकार से सरकारी धन का दुरुपयोग हो रहा है, मेरा निवेदन है कि इसको कड़ाई के साथ देखा जाये । गांवों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है, जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत यह प्राविधान है कि 60 प्रतिशत लेबर का और 40 प्रतिशत अन्य चीजों का है, उसमें यह होता है कि जो पहले से मिट्टी पड़ी है, उसी को इधर से उधर करते रहते हैं और पैसा वसूल कर लिया जाता है । मान्यवर, कहना तो बहुत था, लेकिन समय की कमी के कारण कह सकने में असमर्थ हूं । इन शब्दों के साथ कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं ।

श्री विजय सिंह राणा–

मान्यवर, मैं कुछ सुझाव देकर अपनी बात को समाप्त कर दूंगा । मान्यवर, पहली बात तो यह है कि इस विभाग में अधिकारियों की खपत के लिये व्यर्थ के काम बढ़ा दिये गये हैं, आवास सम्बन्धी काम और निर्माण सम्बन्धी काम यह सब एक ही जगह पर हो सकते हैं, लेकिन यह सब अलग-अलग किये जा रहे हैं और इस कारण अधिकारियों की खपत बढ़ी हुई है । दूसरी और योजनायें हैं, जिनका काम एक ही स्थान पर किया जा सकता है । मैं चाहूंगा कि उनको एक ही स्थान पर किया जाये, इससे पैसे की बचत होगी । दूसरा मेरा सुझाव है कि ग्राम सभा की जो जमीन है उसकी सुरक्षा नहीं हो पा रही है जमीनों के दाम जैसे जैसे बढ़ते जा रहे हैं, ग्राम सभा की जमीन का दुरुपयोग हो रहा है । भूमि प्रबन्ध समिति बनी हुई है, लेकिन प्रधान जो चाहता है, वह करता है और बाद में वह एस० डी० एम० से स्वीकृति प्राप्त कर लेता है । इस प्रकार से सारी जमीन चली जाती है । मैं चाहता हूं कि ब्लाक प्रमुख सांसद विधायकों की एक कमेटी बना दी जाये और ग्राम समाज की जमीन उसी कमेटी के माध्यम से किसी को दी जाये । दूसरा सुझाव ग्रामों में बने सामुदायिक विकास भवनों और पंचायत घरों के बारे में कहना चाहता हूं । उनका दुरुपयोग किया जाता है । मेरे यहां पर बुढ़ाना एक गांव है, जिसका ग्राम प्रधान पंचायत घर भवन में अपनी भैंस बांधता है, इसको मैंने लिखकर भी दिया है, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई और वह आज तक अपनी भैंस बांध रहा है । आप इसको दिखवायें ।

मान्यवर, अभी आप कह रहे थे कि जिला परिषदों से हम सड़के बनवायेंगे और न जाने क्या-क्या काम करेंगे परन्तु जब हमने पूछा कि कौन सा तो आप चुप हो गये । इस संबंध में मेरा कहना है कि जिला परिषद् के अपने पास आय के साधन हो सकते हैं पर उसके लिए व्यावहारिक दृष्टिकोण आपको अपनाना पड़ेगा । मैं सुझाव के रूप में कहना है कि आगरा में जिला परिषद् के जो भवन हैं उसमें स्वयं अपनी जमीन है उसमें एक अच्छा सा व्यावसायिक केन्द्र बन सकता है इस प्रकार से हर कस्बे में जहां जमीन फुटों के हिसाब से बिक रही हैं, वहां स्कूलों, मवेशीखानों और जिला परिषद् के अन्तर्गत तमाम जमीन पड़ी हुई है उसमें पगड़ी लेकर के ही दुकान बन सकती है आपको कुछ देना ही नहीं पड़ेगा । आप एक व्यावहारिक दृष्टिकोण बनाकर उन जगहों पर क्यों नहीं व्यावसायिक केन्द्र दुकान बाजार आदि खोल देते उससे जमीन का उपयोग भी हो जायेगा और जिला परिषद् की आय भी बढ़ जायेगी । इसी प्रकार से आगरा शहर में संजय पैलेस के अन्तर्गत विकास भवन के लिए जमीन खरीद ली गयी किन्तु विकास भवन आज तक नहीं बन सका । मैंने जिलाधिकारी से भी कहा कि आप चाहें तो सरकार को प्रस्ताव भेज दें । यहां नीचे की दो स्टोरियों में व्यावसायिक केन्द्र स्थापित करके कोई भी कालोनाइजर्स आपको पूरी इमारत बनाकर दे देगा पर जिलाधिकारी डरते हैं कि उनके ऊपर पगड़ी खाने का आरोप लगेगा इसलिए यह आज तक विकास भवन नहीं बनवा पा रहे हैं और हमसे कहते हैं कि जिला योजना के पैसे में विकास भवन के लिये धनराशि दे दें किन्तु यह कैसे सम्भव है जिले की धनराशि गांव के विकास के लिए है शहर में विकास भवन बनवाने के लिए नहीं है । तो मेरा सुझाव है कि आप व्यावहारिक दृष्टिकोण अपनायें और इस प्रकार जिला परिषदों की आय को बढ़ाने और उनके संसाधन जुटाने में नई योजनाएं लागू करें ।

मान्यवर, रिंग मशीन द्वारा गहरी बोरिंग किये जाने की योजना में आपने 30 हजार अनुदान का प्रविधान किया है । उस दिन प्रश्नोत्तर काल में मैंने आपसे कहा था कि इस धनराशि को बढ़ाकर 50 हजार कर दें तो आपने आश्वासन दिया था, विधान सभा की कार्यवाही में आपका आश्वासन लिखा हुआ है, आप स्वयं देख लें । किन्तु मैं देख रहा हूं कि आपकी यह पुस्तिका है इसमें फिर 30 हजार रुपये की बात लिखी गयी है आखिर क्यों ? आपके वित्त मंत्री श्री राजेन्द्र गुप्त जी भी उस दिन सदन में मौजूद थे उनके सामने आपने आश्वासन दिया था फिर भी आपने इस 30 हजार की धनराशि को बढ़ाकर 50 हजार क्यों नहीं किया ? रिंग मशीन के ट्यूबवेल पर लागत बहुत आ रही है किसान के बूते की बात नहीं है । अतः मेरा सुझाव है कि अनुदान की धनराशि को बढ़ाकर 50 हजार रुपये अवश्य कर दें ।

मान्यवर, एक आपका विभाग है भूगर्भ जल सर्वेक्षण संस्थान, इसने तो आज तक कोई काम किया ही नहीं, इसमें सभी लोग निकम्में और अकर्मण्य हैं । अगर यह विभाग सही ढंग से काम करता तो प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में प्रगति की दिशा निश्चित हो जाती । न तो इसने जमीन का व्यापक सर्वेक्षण किया और न जल श्रोत ढूंढ़ने का प्रयास किया और न ही उसने कोई ऐसा प्रयास किया जिससे जहां सारे पानी की समस्या है उसका स्थाई निदान ढूंढ़ा जा सके । मान्यवर, मैं गांव से आता हूं हमारा व्यवहारिक ज्ञान है कि खारे पानी के क्षेत्र में छोटे-छोटे तालतलैया दे दिया जाय तो खारा पानी मीठा हो सकता है । गांव में हमने स्वयं देखा है कि मीठे पानी के कुवें केवल तालाबों के किनारे मिलते हैं यह एक व्यवहारिक प्रयोग है पर इस संस्थान ने कभी इस प्रयोग का लाभ उठाने का प्रयास नहीं किया । मेरा अनुरोध है कि जहां खारा पानी है वहां पर छोटे-छोटे नदियों पर बांध बनाये जायं और जहां सम्भव हो सके वहां बड़े-बड़े जलाशय और झीलें आदि स्थापित कराई जायं तो खारा पानी मीठा हो जायेगा ।

(इस समय 7 बजकर 7 मिनट पर श्री उपाध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

माइनर इरीगेशन के संबंध में मान्यवर, इस पक्ष से और उस पक्ष से बड़ी शिकायतें आई हैं कि इसमें बहुत ही घोटाला होता है और किसानों का शोषण हो रहा है । इस संबंध में मेरा सुझाव है कि इस योजना के अन्तर्गत जो नलकूप स्थापित करायें जायं उनका पूरा भार सरकार वहन करे । सरकार स्वयं नलकूप स्थापित करायें और तब किसानों को सौंपे, इससे केवल संख्या ही तो कम हो जायेगी पर किसान शोषण से मुक्त हो जायेगा और भ्रष्ट अधिकारी गरीब जनता का शोषण नहीं कर सकेंगे । इसलिये खारे पानी के जितने गांव हैं, उनका सर्वे करा लीजिये । मीठे पानी के कुएं तालाबों के किनारे ही मिलते हैं । छोटी-छोटी नदियों पर छोटे-छोटे जल भराव बांध बनायें । सामुदायिक विकास केन्द्र बनवाये गये, बन गये हैं, खड़े हुए हैं । जिन उद्देश्यों से बनवाये गये थे, वह पूरा नहीं हुआ । न उनकी मरम्मत होती है न सफाई की व्यवस्था है । इतना पैसा सरकार का लगा है, वह व्यर्थ जा रहा है । मेरी मांग है कि उनकी बाउण्ड्री बनवाकर उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाय ।

* श्री किशोरी श्याम--

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बोलने का मौका दिया । मैं विधान सभा में देख रहा हूं कि कुछ लोग बड़े तीसमारखां बन रहे हैं और समझते हैं कि केवल श्री जागेश्वर और श्री किशोरी श्याम ही मूर्ख हैं ।

हमारा यह जो बजट है जो पंचायत घर बनाने के लिए कहा है बहुत अच्छी योजना है । गांव में जो चौपाल थी वह मिट गयी अब पंचायत घर बन जाएंगे तो अच्छा होगा । इसके साथ तीन-चार सुझाव दूंगा । ये जो गांव में घूरे के ढेर रहते हैं और गन्दगी बनी रहती है आजादी के बाद इस बात पर विचार हुआ था कि और उसके लिए गड्ढे खुदे थे लेकिन एक दो साल के बाद योजना समाप्त हो गयी । गड्ढे बनने से हमको गोबर की खाद मिलेगी, जो कि बहुत ही उपयोगी खाद है । और गांव के अन्दर गन्दगी नहीं फैलेगी । मनुष्यों के पीने के पानी की चर्चा तो चल रही है परन्तु जो पशुओं के पानी पीने के लिए व्यवस्था गांव में नहीं हो पा रही है । मेरे यहां जो पानी आता है पहले यमुना में शुद्ध पानी आता था, अब नहीं आता है । उसी पानी को पशु पीते हैं फलस्वरूप 10-15 हजार की गाय और भैंस बीमार हो जाती हैं इसलिए पानी की व्यवस्था हो जाय ताकि पशु पानी पी सकें । गांव में धार्मिक होने की वजह से सांड़ छोड़ देते हैं उससे पशुओं की नस्ल खराब हो जाती है । यह भी बहुत जरूरी है इस प्रकार के सांड़ों और भैंसों की उनकी बिल्कुल कोई नई व्यवस्था की जाय । मेरी सरकार के द्वारा नये ढंग से जो नस्ल सुधार का काम होगा जिससे गाय और भैंस की जो जाति हैं वह दुधारु बन सके इसके लिये भी प्रयास होना चाहिये । ग्रामीण खेलकूद के साधन ग्राम्य स्तर के लगे इसकी व्यवस्था हो । जो ग्रामों में मेले लगते हैं पुराने जो मेले लगते थे जो साल में गांव में मेले लगते थे उसकी ठीक प्रकार से व्यवस्था हो । मंत्री जी इन सुझावों को कृपया लिखें और गम्भीरता से इन पर विचार करें । मान्यवर, आज सामने बैठने वालों की हालत यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी स्वर्ग ले आयेगी तो उनको नरक दिखेगा । यह दृष्टि दोष है यह ठीक नहीं है बुराई करने से कोई अच्छी बात नहीं होगी । इसी के साथ बजट का समर्थन करता हूं और आपका आभार प्रकट करता हूं ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

श्रीमन्, आपने ग्राम्य विकास और पंचायती राज पर बोलने का अवसर प्रदान किया इसके लिये आपका आभार प्रकट करता हूं। माननीय हरिवंश सहाय द्वारा रखे गये कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं। आर० ई० एस० में सड़कों की बात कही गयी, मान्यवर, सारा पैसा जो जवाहर रोजगार के माध्यम से गांवों को दिया जा रहा है उसमें 20 प्रतिशत मिलता है उससे पुरानी सड़कों की मरम्मत नहीं हो पाती है।8 हजार रु० आप एक कि०मी० सड़क की मरम्मत के लिये दे रहे हैं बढ़े हुए मूल्यों को देखते हुए यह बहुत कम है उसकी मात्रा बढ़नी चाहिये। उससे न तो मरम्मत का काम चलेगा, सड़कें टूट जायेंगी जो शेष बची हैं वह भी। जवाहर रोजगार योजना ठीक है भारत सरकार ने लागू किया लेकिन उसमें तमाम दुरुपयोग हो रहा है गांव में उसके चेक बैलेंस के लिये कोई प्रभावी व्यवस्था नहीं हो सकी है। इसमें तमाम अनियमिततायें बरती जा रही हैं, जो जांच अधिकारी जाता है वह जांच करके रिपोर्ट प्रस्तुत करता है और इस पर परगनाधिकारी कार्यवाही करता है उसमें भी धांधली हो रही है उदाहरणतः तहसील मोहम्मदाबाद जनपद गाजीपुर के परगनाधिकारी। मैं कहना चाहता हूं कि इसमें कोई प्रभावी कदम उठाये। उसका सही-सही तरीके से सदुपयोग हो। प्रधान के साथ जो पंचायत अधिकारी है दोनों के साइन से चेक से पैसा निकल सकता है। जो व्यवस्था किया है किसी-किसी काम पर पैसा ज्यादा रहेगा उसमें जो एक्शन प्रभावी होना चाहिये वह नहीं हो रहा है। ग्रामीण आवास की व्यवस्था, इंदिरा आवास की बात है उसमें जो पैसा निर्धारित किया गया है उसमें कितने लोग बसर कर सकते हैं जो महंगाई की स्थिति है ईंट, सीमेंट के दाम बढ़ गये हैं, तो उसकी मात्रा पैसे की उसमें बढ़नी चाहिये। गांवों में जो पशुओं की पानी पीने की व्यवस्था है, आज जलाशय की स्थिति जो है, सब पट्टे हो चुके हैं, तालाब गांव में नहीं मिल पा रहे हैं। ग्रामीण अंचलों में सूखा था, कोई व्यवस्था किया जाय ताकि काम बन सके। मान्यवर, मिलियन वेल में इतना दुरुपयोग हो रहा है कि तमाम शिकायतें आयीं, कहीं बी० डी० ओ० सस्पेंड हुए हैं, मिलियन वेल के पैसे का दुरुपयोग हो रहा है गहराई में खुदाई हो रही है तब उसमें जमोट नहीं लग पा रहा है। यह गरीबों अनुसूचित जातियों के लिये यह मिलियन वेल स्कीम है उसमें जो व्यवस्था है अगर उसमें एमाउंट ज्यादा कर दें तो एक पम्प सेट उसके स्थान पर लग सकता है उससे काफी लोगों को फायदा पहुंच सकता है। फ्री बोरिंग का भी दुरुपयोग हो रहा है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह–

ग्रामीण शौचालयों की बात कही गयी, गांवों में महिला शौचालयों की व्यवस्था कर रहे हैं, क्या वह सही ढंग से बन रहे हैं उसमें प्रभावी कार्यक्रम चलाये जायं। जिलाधिकारियों के पास इतना टाइम नहीं रहता है कि वह जांच कर व्यापक रूप से उसकी जांच करें। इसके लिये जिले स्तर पर उच्चस्तरीय कमेटी बनायें जो ग्रामीण शौचालयों, इंदिरा आवासों, मिलियन वेल और फ्री बोरिंग तथा ग्रामीण बेरोज़गार युवकों को चलाये जाने वाले प्रशिक्षणों की जांच कर सके, जिससे प्रभावी कदम हो। जिला परिषदों की जो आर्थिक स्थिति दयनीय है उसे सुदृढ़ किया जाये वहां पर घाटों पर पक्के पुल सा० नि० वि० के बन गये हैं इसका आय सा० नि० वि० लेता है जिससे जिला परिषद् के आय के स्रोत कम हो गये हैं पुल बनाये जायें, उनके आय के स्रोत बढ़ाये जायें और यह स्रोत कैसे बढ़ेंगे इसको देखा जाये। अभी हमारे माननीय विधायक लाल चन्द्र जी ने कहा कि जो हाट में छोटे-छोटे सब्जी बेचते हैं उनसे कर लिया जाता है तो उसे समाप्त किया जाये। इन सब सुझावों के साथ मैं माननीय हरिवंश सहाय जी द्वारा

प्रस्तुत कटौती के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और यह भी कहना चाहता हूं कि जो मैंने सुझाव दिये हैं उसे ध्यान में रखें और इस पर प्रभावी कदम उठायें।

* श्री जागेश्वर प्रसाद –

माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, मैं उसका समर्थन करता हूं। मान्यवर, विकास के क्षेत्र में, विकास के मामले में अच्छे-अच्छे सुझाव आये और जो सरकार ने बजट प्रस्तुत किया है वह बहुत ही सुन्दर है उसमें कहीं कोई कमी नहीं है,बस प्रशासन जो है वह ढीला चल रहा है चाहे कोई भी प्रशासन हो चाहे इधर का या उधर का अगर वह ढीला है तो कोई भी कर्मचारी काम नहीं करेगा अगर चुस्तदुरुस्त है तो सब कर्मचारी काम करेंगे। मान्यवर, यह जो ग्राम विकास अधिकारी हैं, ग्राम सेवक हैं यह जनता को परेशान करते हैं कोई काम नहीं करते हैं। हमारे धाता ब्लाक में, हमारे क्षेत्र में तीन ब्लाक हैं विजयपुर और अशोथ। हमारे धाता में कोई कड़ाई नहीं की जा रही है वहां पर कोई सुधार का कार्य नहीं हो रहा है, सड़क नहीं बन रही है और न तो बिजली ही है, बिजली का कोई साधन नहीं है। विजयपुर में सड़क नहीं है, वहां सरकारी कर्मचारी कोई कार्य नहीं करते हैं, जनता उनसे त्रस्त रहती है यही हाल अशोथ का भी है।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें।

श्री जागेश्वर प्रसाद–

मान्यवर, अगर सरकार दमदार है, काम करने वाली है तो सुधार हो सकता है जैसे पावर हाऊस अगर फेल हो गयी तो बल्ब भी फेल हो जाता है तो अगर हमारे मुख्य मंत्री ईमानदार हैं, हमारे अध्यक्ष, श्री केशरी नाथ त्रिपाठी ईमानदार हैं तो हमारे सारे कर्मचारी ईमानदार होंगे। मेरा इनसे निवेदन है कि यह प्रशासन कड़ाई से करें। हमारे फतेहपुर जनपद में विजय शंकर पाण्डेय गये थे तो उन्होंने वहां पर हलचल मचा दी थी। उन्होंने वहां पर चोरी रोक दी चोर बदमाश सब भाग गये। तो प्रशासन ऐसा होना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री जागेश्वर प्रसाद–

मान्यवर, हमारे तीनों ब्लाक धाता, विजयपुर और अशोथ में पानी का अभाव है बिजली नहीं है, किसानों की भारी समस्याएं हैं, मान्यवर, आप लाल बत्ती जला रहे हैं अगर आपकी अनुमति नहीं है तो मैं नहीं बोलूंगा। बस इतना ही कहूंगा आप कड़े कदम उठायें फिर देखिये कैसे काम होता है आप कर्मठ हैं, ईमानदार हैं, कोई गड़बड़ी नहीं करते हैं आप ऐसा स्टेटमेंट दीजिये कि जो भी भ्रष्टाचार करेगा उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जायेगी। मान्यवर, जब मैं स्वास्थ्य मंत्री था उस समय डाक्टर पीछे-पीछे घूमा करते थे मैंने कहा कि देखिये मेरे पीछे मत घूमिये और न ही मुझे खरीदने की बात करें अगर आपने मुझे पैसा देना चाहा तो मैं आपको जेल भिजवा दूंगा। तो ऐसा प्रशासन होना चाहिए। हम पार्टी वार्टी कुछ नहीं जानते जो अच्छा काम करेगा वह आगे बढ़ेगा।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप कृपया समाप्त करें ।

श्री जागेश्वर प्रसाद–

मान्यवर, गीता में कहा गया है कि जो अच्छा काम करता है उसी को सम्मान मिलता है.... जो अच्छा काम करता है, उसे कुर्सी और सम्मान दोनों चीजें मिलती हैं, परन्तु जो धन के पीछे जाता है, उसे कुछ नहीं मिलता है । इसलिए मेरा कहना है कि यह नई सरकार है, ऐसा काम यह करें कि जनता इनके पीछे चले ।

* श्री लाखीराम जोशी–

मा० उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे ग्राम्य विकास एवं पंचायती राज विभाग पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं । ग्रामीण विकास हेतु जो दिशा दी गयी है । उसके लिए मैं मंत्री जी को बधाई देता हूं । 1980 के बाद उत्तर प्रदेश में ग्राम सभाओं और विकास खण्डों का पुनर्गठन नहीं किया गया हैं । जिस कारण ग्राम सभाओं की संख्या में आज काफी वृद्धि हुई है साथ ही विकास में भी असमानता हुई है इसलिए मेरा सुझाव है कि ग्राम सभाओं का पुनर्गठन हेतु अभियान चलाया जाये । 1983-84 में विकास खण्डों के पुनर्गठन हेतु राज्य सरकार ने जिलों से प्रस्ताव आमंत्रित किये थे । इसलिए उन प्रस्ताव पर शीघ्रातिशीघ्र विचार कर विकास खण्डों का पुनर्गठन किया जाय । श्रीमन्, उत्तरांचल की अपनी कुछ समस्यायें हैं । यहां पर पशुपालन समाज के लिये अर्थव्यवस्था का मेरुदण्ड है इसलिए पशुपालन के विकास के लिये यथासम्भव प्रयास किये जाने चाहिये । पर्वतीय क्षेत्रों में क्षेत्रीय छोटी-छोटी नदियां हैं उनमें मत्स्य पालन का व्यवसाय अच्छा हो सकता है और बेरोजगारों को रोजगार भी मिल सकता है । माननीय पंचायती राज्य मंत्री जी ने कहा कि न्याय पंचायतों के गठन की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं इसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं और साथ ही प्रस्तुत बजट का समर्थन करता हूं ।

श्री बाबू राम यादव–

मान्यवर, आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं । कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं । गांव-गरीब-किसान झुग्गी-झोपड़ी का इंसान आदि जैसे नारों को लेकर यह सरकार आई थी परन्तु आज एक वर्ष पूरा होने जा रहा है इनके वे नारे सब खोखले साबित हो रहे हैं । मुख्य मंत्री जी ने ऐलान किया कि 60% गांव को देंगे परन्तु जो आज ग्राम्य विकास व पंचायती राज का बजट पेश किया गया है उसमें वह परिलक्षित नहीं होता है । एक तरफ से फासिस्ट तरीका अपनाकर सारे प्रदेश की जनता को धोखा देकर यह सत्ता में बने रहना चाहते हैं । यह कितना हास्यास्पद है कि एक वर्ष में एक भी कार्य नहीं हुआ है । जो इस समय मौजूदा बजट है उसमें गांव के लिये पैसा पिछले वर्ष से भी कम रखा गया है तो गांवों का विकास कैसे होगा आप 60 फीसदी गांव में खर्च करने की बात करते हैं जब आपने बजट बनाकर पढ़ने के लिये दिया उस समय आपने इस पर विचार क्यों नहीं किया कि हम क्या करने जा रहे हैं ? पिछले वर्ष से भी कम धनराशि में कैसे गांव का विकास होगा । आपके नारे बहुत हैं इसी तरह से जवाहर रोजगार योजना, एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, पेय जल योजना न जाने कितनी-कितनी योजनायें बना रखी हैं लेकिन उनके लिये धन कहां से आयेगा वह कैसे सफलीभूत होंगी जिसके लिये दोनों तरफ के माननीय सदस्य चिंतित हैं चिंतित इसलिये भी हैं कि यह विभाग आकंठ तक

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है । अभी आर० ई० एस० की बात हो रही थी लोगों को आई० आर० डी० के अन्तर्गत भैंस खरीदने के लिये, दुधारू पशु खरीदने के लिये निर्बल वर्ग आवास बनाने के लिये पैसा देने की बात है तो इनके लिये धन कहां से आयेगा । आपका सारा का सारा विभाग भ्रष्टाचार में आकंठ डूबा है तो लाभार्थियों को कहां से धन मिलेगा । पिछली सरकार ने जो धन दिया था उससे भी आपने कटौती कर दी तो फिर विकास कैसे होगा । लाखों बेरोजगारों को रोजगार देने के लिये माननीय मुख्य मंत्री जी ने बड़े चाव से घोषणा की तो वह विकास कैसे होगा आपके वायदे धन के अभाव में पूरे नहीं होंगे । एक ही बात सरकार के दिमाग में है कि जो कार्य पिछली सरकारों ने किये हैं उनको कैसे उलटा जाय । हम नहीं कहते हैं कि हमने सारे अच्छे काम किये हैं लेकिन जो अच्छे काम किये हैं उनको उलट दिया जाय तो इससे ज्यादा फासिस्ट सरकार और कौन हो सकती है ।

जो चुने हुये जिला परिषद् के अध्यक्ष हैं जो हमारे पक्ष के हैं उनको आप बरखास्त कर रहे हैं । मैं उदाहरण दे रहा हूं इटावा जिले के जिला परिषद् के अध्यक्ष राम गोपाल को सरकार ने बरखास्त कर दिया उसमें न्यायालय ने स्थगन आदेश दे दिया कि आपका यह निर्णय समीचीन नहीं है । इसी तरह से कोआपरेटिव के अध्यक्षों का है ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बाबू राम यादव–

इनको सुनने दीजिये इनके कुकर्मों का फल क्या होगा ? तो जिन-जिन को इन्होंने बरखास्त किया उन सब को स्टे मिल गया है । लेकिन यह अपने कुकर्मों से बाज नहीं आ रहे हैं । यह कहावत है जब दीपक बुझने लगता है तो उसकी लौ तेज हो जाती है । (व्यवधान)

माननीय उपाध्यक्ष जी साल भर से यह वादे करते रहे पता नहीं क्या-क्या वायदे किये झुग्गी झोपड़ी का इन्सान, गांव का नौजवान आदि आदि । कहा गया कि गांव के बेरोजगारों को नौकरी देंगे लेकिन आज 10 महीने होने जा रहे हैं किसी को नौकरी नहीं दे पाये 9 महीने में तो परिणाम सामने आ जाता है तो यह 10 महीने में भी कुछ नहीं कर पाये क्योंकि इनके सारे झूठे वायदे हैं । मैं तो यही कहूंगा–तेरे इन झूठे वायदों पर मेरा दिल कब तक फरेब खाये, कोई ऐसा कर बहाना जिससे आस टूट जाये ।

मैं आपको एक उदाहरण इनके भ्रष्टाचार का बताता हूं हमारे यहां मैनपुरी में पंचायत राज मंत्री जी ने चिट्ठी भेजी कि इन 5 लड़कों को भेज रहा हूं जिनमें से एक इलाहाबाद का, एक मऊ का, एक आजमगढ़ का और एक गाजीपुर का है इनको ग्राम पंचायत अधिकारी पद पर नियुक्त कर दो जिसके लिये यह अर्ह हैं और इसकी सूचना मुझे दे दो । तो इस तरह से लड़कों से पैसा लेकर घुमा रहे हैं । मैनपुरी में इनको कोई लड़का नहीं मिला ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब आप समाप्त करें ।

श्री बाबूराम यादव–

तो यह भ्रष्टाचार की तरफ चल रहे हैं.....अधिकारियों पर यह भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हैं, लेकिन खुद अपने को सुधारें और देखें कि वह स्वयं कितने भ्रष्ट हैं । जहां तक आई० ए० एस० अधिकारियों का सवाल है जो इस विभाग में लगाये जा रहे हैं, इसमें ग्रामीण विकास शाखा के अधिकारी

लोग ही प्रमोट किये जायें क्योंकि उनको इस विभाग के कार्यों का गहरा ज्ञान रहता है क्योंकि वह इसी क्षेत्र में रहे हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री छत्रपाल वर्मा–

आपने इस कटौती के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मैं आपका आभारी हूं। देश की खुशहाली का रास्ता गांव के खेतों और खलिहानों से गुजरता है इसको देखने से मालूम पड़ता है कि मंत्री जी गांव के विकास के बारे में कुछ जानते ही नहीं हैं। वह शहरों से संबंधित रहे हैं, गांव की समस्या-चाहे पानी की समस्या हो, चाहे बिजली की समस्या चाहे सड़कों की समस्या या फिर अस्पतालों की समस्या हो या ग्रामीण जीवन से जुड़ी अन्य कोई समस्या हो इसकी उन्हें जानकारी नहीं है। 10 माह से यह सरकार बैठी है और रामराज्य की स्थापना का स्वप्न देख रही है, लेकिन वहां गांवों में पानी की कमी के कारण हाहाकार मचा हुआ है उसकी ओर वह ध्यान नहीं दे रही है। कोरे कागज पर रामराज्य आने वाला नहीं है मेरा एक सुझाव है पंचायती राज के मामले में, पहले सरपंच हुआ करते थे। इसके पीछे यह भावना थी लोगों को सस्ता और जल्दी न्याय मिले। जिस समय पूज्य गांधी जी और जयप्रकाश नारायण जी की भावना से प्रेरित होकर इनकी स्थापना की गई थी उस समय इनका बड़ा ऊंचा लक्ष्य था। लेकिन आज यह संस्थायें मुर्दा पड़ी हैं आपसे निवेदन है कि आप इन्हें पुनः सही ढंग से जीवित करें। भ्रष्टाचार के बारे में तो हम सबको जानकारी है और सबका बराबर का दायित्व भी है लेकिन सत्ता पक्ष की ज्यादा जिम्मेदारी होती है। अधिकारी भ्रष्टाचारी है लेकिन यह कहां के कम भ्रष्टाचारी हैं आपने देखा होगा चौधरी चरण सिंह जी का एक जमाना था। वह जैसे मुख्य मंत्री बने तो प्रदेश के हर विभाग में एक तहलका मच गया था, भ्रष्टाचारियों में हड़कम्प मच गई थी और वह अपनी खैर मनाने लगे थे। ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग में बजट का मात्र 40% खर्च होता है और शेष 60% भ्रष्टाचार में अधिकारियों की जेबों में चला जाता है। मंत्री जी इस व्याप्त भ्रष्टाचार को दूर करने के लिये अपने में साहस लायें और इन भ्रष्टाचारियों का उन्मूलन करने का प्रयास करें और यह कार्य निष्पक्ष भावना से दलगत भावना से ऊपर उठ कर करें।

श्री उपाध्यक्ष––

अब कृपया आप समाप्त करें।

श्री हरिवंश सहाय––

माननीय उपाध्यक्ष जी, कटौती के प्रस्ताव का जिन माननीय सदस्यों ने समर्थन किया है उनका मैं आभारी हूं। अब मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं पहली बात यह कहना चाहता हूं कि मान्यवर, ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत उन्होंने पंचायती राज विभाग की पुस्तक के पेज 10 पर आंकड़ा पेश किया है कि 90-91 में 22 लाख व्यक्तिगत शौचालयों का निर्माण हुआ और एक हजार सामुदायिक शौचालयों का निर्माण हुआ। उसके पहले एक लाख व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण के लिये बजट में प्राविधान किया गया था और 167 सामुदायिक शौचालयों का। इस सरकार ने जो 92-93 का बजट लाई में केवल 88 हजार व्यक्तिगत शौचालयों के निर्माण कराने की योजना है। मैं चाहूंगा जिस रफ्तार से शौचालयों का आंकड़ा 2 लाख से 1 लाख घटता जा रहा है इसको बढ़ना चाहिए, यह मेरा सुझाव है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में शौचालय बढ़ने से जनता को लाभ होगा।

मान्यवर, वर्तमान मुख्य मंत्री जी की बात मैं मंत्री जी को याद दिलाना चाहता हूं, जो उन्होंने 12 अगस्त, 1985 को यहीं भाषण में कहा था कि "गांव के लगान का 32 करोड़ रुपये जो गांव के विकास

में लगाना चाहिए और यह भी कहा था कि 32 करोड़ से अनुदान ज्यादा बढ़ा दें, वह अनुदान ऊंट के मुंह में जीरा के समान है ;'' जो लगान का पैसा है वह गांवों को नहीं दिया है तो यह अच्छी बात नहीं है । इसलिये गांव सभाओं की माली हालत सुधारने के लिये लगान का पैसा गांव सभाओं को दिया जाये, यह मेरा सुझाव है ।

मान्यवर, ग्राम पंचायत या ब्लाक स्वयं सेवी संस्था हैं और इसके विकास की जो योजना है उसके संबंध में ब्लाक स्तर पर मीटिंग करके नियोजन कर लें और आने वाले दिनों में पंचवर्षीय योजना की तरह योजनाबद्ध तरीके से काम करें तो आपको सहूलियत होगी, यह मेरा सुझाव है ।

मान्यवर, दो मंत्रियों ने अलग-अलग बजट पेश किया है । ग्रामीण स्तर पर इनके दो छोटे कर्मचारी हैं । एक ग्राम विकास अधिकारी और दूसरा पंचायत विकास अधिकारी, यह दोनों न्याय पंचायतों में रहते हैं । मेरा सुझाव है कि दोनों अधिकारियों के कामों का बंटवारा कर दें और एक अधिकारी को कुछ गांवों का और दूसरे को कुछ गांवों का काम दें इससे जनता को सुविधा होगी ।

अगला मेरा सुझाव है कि प्रमुख जो हैं उनको भत्ता जो दिया जाता है उसमें बढ़ोत्तरी की जाये । अगला सुझाव है कि 1991 की जनगणना के अनुसार दो हजार की आबादी वाले गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़ा जाये ।

अगला सुझाव है कि जिला परिषद् के कर्मचारियों को राज्य कर्मचारी मान लें ।

अगला सुझाव है कि जिला परिषद् की जो सड़कें हैं वहां मजदूर जो 30 सालों से काम करते है जैसे बेलदार, मेट जो डेली वेजेज पर काम करते हैं उनका सरकारीकरण कर लिया जाये क्योंकि वह बहुत पीड़ित हैं जबकि 240 दिन काम करने वाले को आप सरकारी घोषित कर देते हैं तो 30 साल से जो सड़कों पर जिला परिषद् की काम करते हैं वह सरकारी सुविधा से क्यों वंचित रहें ? इसलिये इस ओर आप ध्यान दें ।

मान्यवर, मेरा यह भी सुझाव है कि क्षेत्रीय समितियों को आप प्रभावशाली बनायें । आप मंडल स्तर पर मीटिंग करके विधायकों से और आपके अन्य जो ग्राम्य विकास विभाग के अच्छे अधिकारी हैं ..... या जो विधिवेत्ता है उनके माध्यम से जानकारी करके क्षेत्र समिति को काफी क्रियाशील बनाने के लिये मैं आपको सुझाव देता हूं । ग्राम्य विकास और जिला परिषद् विभाग में जो इंजीनियर्स काम करते है । बड़ा हल्ला हुआ है, वर्तमान मुख्य मंत्री ने कहा कि ''यह जो आर० ई० एस० के विभाग हैं, यह भ्रष्टाचार के पिरामिड हैं ।'' जिला परिषद् के विभाग में या ब्लाक में जहां ए० डी० ओ० एम० आई० हैं । प्रदेश स्तर पर (एक आडिट सेल) एक तकनीकी विभाग का गठन करें । जिस तरह से पी० डब्ल्यू० डी० में सिंचाई विभाग के इंजीनियर उनका काम देखते हैं, उनके काम का जांच करते हैं ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप थोड़ा संक्षिप्त कर दें ।

श्री हरिवंश सहाय--

बस संक्षिप्त ही कर रहा हूं । मान्यवर, इस तरह से इस विभाग में भी एक तकनीकी सेल का गठन किया जाना चाहिए । मैं समझता हूं कि जो भ्रष्टाचार की बात कहीं गई है, वह इस सेल के गठन होने से दूर होगी । नीचे के अधिकारी थोड़ा डरेंगे कि हमारे काम को ऊपर से कोई अधिकारी जांच कर सकता है । जिला परिषद् में जो इंजीनियर्स है 10-10-, 20-20 साल से एक ही जगह पर हैं । वह गोल

बनाये बैठे हैं किसी और को वहां नहीं आने देते । मैं चाहता हूं कि इसमें भी कुछ परिवर्तन किया जाय । 10 साल से अधिक या दस साल तक किसी को एक जगह हो गया है । अपने जिले में हों या उसी क्षेत्र के हों, उनको दूसरी जगह, दूसरे जनपदों में हटाया जाय । अभी एक सुझाव और देना चाहता हूं । मान्यवर, पूर्वांचल में खासतौर से देवरिया जनपद में व्यापक पैमाने में आग लगी है । 100 गांव जल गये । मेरा निवेदन है कि इसमें हरिजन लोग ही ज्यादा रहे हैं जो घर से बेघर हो गये हैं । मेरा निवेदन है कि उन्हें इंदिरा आवास योजना या निर्बल आवास योजना में घर की सुविधा उपलब्ध करायी जाय । जिनके घर जल गये है उन्हें अपना घर बनाने के लिये धन की व्यवस्था की जाय । दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि अभी तमाम माननीय सदस्यों ने, दोनों पक्षों के सदस्यों ने कहा है कि निःशुल्क बोरिंग में भारी भ्रष्टाचार है । मेरा सुझाव है कि पाइप की ढुलाई में, पाइप गाड़ने में और मशीन द्वारा टेस्टिंग में जो पैसा आता है, वह किसान को सीधे चेक से दिया जाना चाहिए क्योंकि पैसा अधिकारी खा जाते हैं । किसान बेचारा स्वयं पाइप की ढुलाई करता है, स्वयं उसे गाड़ता है और मशीनों पर टेस्टिंग स्वयं करता है । इस तरह से यदि यह पैसा चेक द्वारा किसानों को दिया जाय तो भ्रष्टाचार को काफी हद तक रोका जा सकता है ।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं जैसा कि तमाम सदस्यों ने कहा कि बैंक पर आप कैसे अंकुश लगायेंगे । हर बैंक से जो ऋण मिलता है उसका 10% कमीशन के रूप में बैंक कर्मचारी किसान से पहले ही वसूल कर लेता है । अगर यह कमीशन के रूप में यह धनराशि न दे तो उससे कहा जाता है कि तुम्हारी फाइल ठीक नहीं है । आप इस सरकार में हैं । आप विचार करें कि इसे आप कैसे रोक सकते हैं । इस पर यदि आप अंकुश लगायेंगे तो यह 10% जो कमीशन के रूप में लिया जाता है किसानों का यह पैसा बच जायेगा । मस्टररोल में भारी भ्रष्टाचार है । 40 हजार रुपये पर एक किलोमीटर सड़क बनाई जा रही है और पेमेंट हो रहा है बीस हजार का । जिलाधिकारी के कार्यालय में मस्टर रोल जमा करा लिया जाय जिससे यह भ्रष्टाचार स्वतः समाप्त हो जायेगा । आर० ई० एस० विभाग को तोड़कर जिला परिषद् में मिला लिया जाय तो आर० ई० एस० विभाग का भ्रष्टाचार समाप्त हो जायेगा । अंत में एक बात और कहना चाहता हूं कि मेरे एक साथी ने बताया कि निःशुल्क बोरिंग की बात कही थी । बुन्देलखण्ड के इलाके में जो पैसा एलाटेड है वह 1984 का हिसाब लगाया गया था कि कितना खर्च होगा ट्यूबवेल खोदने में । जितना बुन्देलखंड में खर्च हो रहा है उसको संशोधन करके घोषणा कर दें । इन्हीं शब्दों के साथ मैं कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य—

मान्यवर, पंचायती राज विभाग के बजट पर चर्चा के समय माननीय सदस्य मैनपुरी ने इटावा जिला परिषद् के अध्यक्ष को बर्खास्त करने के प्रकरण पर चर्चा की । मैं इस संबंध में कहना चाहता हूं कि दिसम्बर के महीने में उत्तर प्रदेश जिला परिषद् के अध्यक्ष संघ के प्रधान इस प्रदेश के भूतपूर्व मुख्य मंत्री स्व० श्री वीरबहादुर सिंह के भाई गुलाब सिंह ने उत्तर प्रदेश के समस्त अध्यक्षों का सम्मेलन आयोजित किया । मैंने कहा सरकार को बने 6 महीने हो गये । बहुत से लोग आये, जिला परिषदों के बारे में अपने सुझाव दिये अपनी राय दी । प्रदेश का एक भी अध्यक्ष हमारे पास जिला परिषदों के बारे में कुछ कहने नहीं आया । लखनऊ में अध्यक्षों की सभागार में भी कोई अध्यक्ष नहीं गया । मान्यवर, 1977 में जब रामनरेश जी की सरकार बनी थी उस समय जिला परिषद् और नगरपालिकायें भंग कर दी गई थीं, इस संबंध में यह भी सुनने में आया कि भाजपा की सरकार आई है और जितने जिला परिषदों में अध्यक्ष हैं यह गैरभाजपाई हैं तो जिला परिषदों को भंग न कर दिया जाये इसलिये अध्यक्ष मिलने नहीं आये उनका

साहस नहीं पड़ रहा था । इस सरकार ने बड़ी उदारता दिखाई है । लोकतन्त्र की आस्थाओं के प्रति सम्मान दिखाया है । उत्तर प्रदेश 63 जिला परिषद् में नौ-दस जिला परिषदें ऐसी हैं जिनके खिलाफ शिकायत आयी । इसमें आयुक्त स्तर से जांच कराई गई । तो एक जिला परिषद् के अध्यक्ष को बर्खास्त किया गया उनके खिलाफ आयुक्त महोदय ने आरोप सिद्ध किये । उनको उत्तर देने का अवसर प्रदान किया गया लेकिन वह दोषी पाये गये और उनकी बर्खास्त कर दिया गया । उनसे स्पष्टीकरण भी मांगा गया अब वह उच्च न्यायलय में चले गये, उच्च न्यायालय ने उनको कोई रियायत नहीं दी । माननीय उच्च न्यायालय में यह प्रकरण विचाराधीन है । मैं अपनी प्रतिबद्धता को दोहराना चाहता हूं । उत्तर प्रदेश की जिला परिषदों के अध्यक्ष गैर भाजपाई हैं लेकिन हमने अपने व्यवहार में कोई दुराव नहीं रखा है और उनके प्रति सम्मान को बनाये रखा है जिला परिषदों के अध्यक्षों के कार्यों में अगर कोई भ्रष्टता पाई जायेगी तो उनको अवसर देने के बाद कार्यवाही की जायेगी । हमारे बहुत से मित्रों ने कहा कि दूसरी पार्टी के अध्यक्ष हैं उनकी छवि अच्छी नहीं है तो जिला परिषदों को भंग किया जाये, लेकिन सरकार ने पंचायती राज्य में आस्था होने के कारण भंग नहीं किया । ऐसा मैनपुरी के सदस्य का मानना है । दूसरे मैनपुरी सदस्य ने जिला परिषद् के अध्यक्षों के बारे में कहा है कि पिछली सरकार आई तो सामान्य निर्वाचन की घोषणा हो गई । सामान्य निर्वाचन की घोषणा होने के बाद नामांकन नहीं होते हैं । इसमें पूर्व मुख्य मंत्री ने निर्वाचन की घोषणा के बाद नोटिफिकेशन के होने के बाद मैनपुरी में एक मित्र का नामांकन किया चुनाव की घोषणा नोटिफिकेशन होने के बाद । इसमें हमने कार्यवाही की है यह मामला उच्च न्यायालय में विचाराधीन है ।

श्री उपाध्यक्ष---

कृपया संक्षिप्त करें ।

श्री कृष्ण स्वरूप वैश्य---

मैंने प्रारम्भ में कहा माननीय सदस्य ने आरोप लगाया जी० आर० वाई० में ग्राम पंचायतों के अधिकारियों के आचरण पर कहा गया हम यह नहीं कह सकते कि पंचायत राज विभाग में हर कर्मचारी ईमानदार है । मगर यह जो कार्य कलाप हैं यह 9 महीने की देन नहीं हैं पिछले 40 सालों से जो तरीका चला आ रहा है उसका यह परिणाम है । हमारी सरकार प्रतिबद्ध है जो भ्रष्ट आचरण करेगा वह पकड़ा जायगा और उसके खिलाफ कार्यवाही की जायगी । इस वर्ष जितनी शिकायतें आयीं उनके संबंध में 249 ग्राम पंचायत अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी जिनमें से 213 को निलंबित किया गया और 36 के खिलाफ जांच चल रही है । सभी वर्गों के कर्मचारियों के खिलाफ निलंबन और जांच के आदेश किये गये हैं । यदि कोई भ्रष्ट आचरण करता पाया जायगा तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी । मैं एक बात कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य इलाहाबाद कह रहे थे कि शारदा सहायक के कामों के संबंध में पैसा ज्यादा लिया जाता है । 5-8 हेक्टेयर तक नाली के निर्माण या अन्य काम निःशुल्क किये जाते हैं यदि आप कोई जानकारी देंगे कि कहीं पर अधिक पैसा लिया गया है तो जानकारी कराकर कार्यवाही की जायगी और अधिक पैसा लिया गया होगा तो वापस कराया जायगा । जो बड़ी ग्राम सभायें हैं उनको छोटी करके नयी ग्राम सभायें बनाने का अभियान लिया गया है । इस संबंध में मैंने माननीय सदस्यों को पत्र लिखकर उनके सुझाव मांगे हैं । जो सुझाव आयेंगे उन पर विचार किया जायगा । जो ग्राम सभाओं में लगने वाले बाजार हैं उन पर किसी प्रकार का कर लगाने का अधिकार जिला परिषद् को नहीं दिया गया है । यदि ऐसे हाट, मेलों में कहीं पर कर लगाया गया है तो उसकी लिखित सूचना दें उस संबंध में कार्यवाही की जायगी ।

माननीय सदस्य मैनपुरी ने कहा कि इस वर्ष पंचायत राज विभाग पर कम पैसा रखा गया है। 1991-92 में आयोजनागत में 4482 लाख तथा आयोजनेतर में 5048.33 लाख तथा इस वर्ष 1992-93 में 8281.63 आयोजनागत में तथा आयोजनेतर में 4345.74 लाख रुपया रखा गया है। इन शब्दों के साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं, माननीय सदस्य देवरिया ने, जिन्होंने कटौती का प्रस्ताव रखा है, सन् 69 में जब मैं चुनकर आया तो आप भी विधान सभा के सदस्य थे। उन्होंने एक व्यक्तिगत आरोप लगाया जिससे मुझे बड़ी पीड़ा हुई। आपने कहा कि कृष्ण स्वरूप वैश्य नगर के रहने वाले हैं वे पंचायत राज विभाग चला रहे हैं। मैं समझता हूं कि यह सोच, यह दृष्टिकोण बड़े निचले स्तर का है। क्या वकील सिर्फ वकील का हित सोचता है। क्या किसान सिर्फ किसान का हित सोचता है क्या शहर वाला सिर्फ शहर वालों का और कर्मचारी केवल कर्मचारियों के हित की रक्षा करता है। देश का नागरिक इस देश की भूमि में पैदा हुआ लड़का, सम्पूर्ण देश का रहने वाला वर्ग और समाज चिन्ता कर सकती है। मेरा जन्म शहर में जरूर हुआ लेकिन इसका अभिप्राय यह नहीं है कि गांव की समस्या के बारे में, उसकी कठिनाइयों के बारे में जानता नहीं हूं या कर नहीं सकता। मेरी शुरू से आस्था रही है कि गांव इस देश के लिए मेरुदण्ड हैं। गांव सम्पन्न और खुशहाल नहीं बनेंगे तो कस्बे और शहर खुशहाल नहीं हो सकते। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राज्य मंत्री, ग्राम्य विकास, कृपया संक्षेप में बात कहें।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करना चाहता हूं। सभी सदस्यों के विचार मैंने ध्यानपूर्वक सुना और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि निश्चित रूप से सभी माननीय सदस्य चिंतित हैं कि किस प्रकार से भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाय, किसी प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र की योजनाओं को ग्रामीण क्षेत्र तक पहुंचाया जाय और उसका लाभ जनता को मिल सके। मान्यवर, यह हमारा दुर्भाग्य रहा है कि 40 साल की आजादी के पश्चात भी आज स्थिति ऐसी है कि जहां पर देश की 85 प्रतिशत जनता निवास करती है, वहां पर हमको पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कुछ सुझाव हमारे माननीय सदस्यों ने रखे हैं उनका मैं स्वागत करता हूं और उनको विश्वास दिलाता हूं कि जहां पर अनियमितता पाई जायगी, उसको नजरंदाज नहीं किया जायगा और जो भी अनियमितता करेगा, चाहे जिस स्तर का अधिकारी या कर्मचारी हो, उससे सख्ती से निपटा जायगा। इसके साथ ही निःशुल्क बोरिंग पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है। मान्यवर, मैं माननीय सदस्यों की भावनाओं का स्वागत करते हुए उनकी इस बात की ओर इंगित करना चाहता हूं कि निश्चित रूप से अनियमितता भी हुई होंगी, परन्तु ये पिछले 9 महीने की बातें नहीं हैं। अगर अनियमितताएं हुई हैं तो सख्ती से निपटा भी जायगा। मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूं कि आज भी ग्रामीण क्षेत्र की जो सिंचाई योजना हैं, जो भूमि सिंचित हुई उसका 64 परसेंट भाग लघु सिंचाई के माध्यम से सिंचित हुआ। मान्यवर, जवाहर रोजगार योजना के बारे में कुछ बात कही गयी। मैं इस बात के लिये आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने सुझाव दिये हैं।

श्री उपाध्यक्ष–

मा० मंत्री जी कटौती का प्रस्ताव वापस लेने के लिये अनुरोध कर लीजिये।

श्री विजय सिंह राणा–

माननीय मंत्री जी, आपको याद होगा, यह जो फ्री- बोरिंग वाला मामला है, उसमें आपने किसानों को 30,000 तक अनुदान की बात कही है । आप ग्राम्य विकास विभाग का प्रगति–विवरण वर्ष 1991-92 के पृष्ठ 36 पर देखें । इसमें लिखा है, प्रदेश के कठिन एवं गहरे बोरिंग स्टेटा वाले क्षेत्रों में विभागीय/प्राइवेट रिंग मशीन द्वारा निर्मित नलकूपों पर 50 प्रतिशत अधिकतम रुपया 30,000 तक अनुदान । माननीय मंत्री जी, इस विषय के संबंध में मैं आपसे पूर्व में मिला था और आपसे कहा था कि इस 30 हजार की धनराशि को बढ़ाकर 50 हजार कर दिया जाय और आपने सदन में आश्वासन भी दिया था और माननीय राजेन्द्र कुमार गुप्ता, वित्त मंत्री जी यहां उपस्थित थे, तो क्या माननीय मंत्री जी उसे 50 हजार की धनराशि करने की कृपा करेंगे ?

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय राणा जी आप कृपा करके बैठ जायं मैं इसकी अनुमति नहीं देता हूं ।

श्री हरवंश कपूर–

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने ग्रामीण क्षेत्रों के आवास की बात कही थी । जो आंकड़े उन्होंने प्रस्तुत किया था, जहां तक मैं समझता हूं वह आंकड़े जो उन्होंने दिया वह दिसम्बर तक के आंकड़े थे, मार्च 92 तक के आंकड़े के आधार पर मैं बताना चाहता हूं कि इस समय 31 मार्च, 1992 तक 1 लाख 85 हजार तक निर्माण कार्य करा लिया है । इसके साथ-साथ 1992-93 के लिए हमारा 1 लाख आवास बनाने का लक्ष्य है । अभी जो माननीय राणा जी ने 30,000 से अधिक राशि बढ़ाने की बात कही है, मैंने इसके बारे में कहा था कि इस पर विचार किया जायगा । मैं माननीय राणा जी को बताना चाहता हूं कि इस समय हमारे पास संसाधन की कमी है, उसके आधार पर मैं इतना तो नहीं कह सकता, लेकिन उन्होंने जो सुझाव दिया है, व्यक्तिगत रूप से मैं इस बात को महसूस करता हूं । जहां बोरिंग की कास्ट इतनी बढ़ गयी है, जो भी धनराशि कम होती है, उसे सरकार की तरफ से दिया जाता है । उसमें जो भी बढ़ोत्तरी की जा सकती है, उसके लिए हम प्रयास करेंगे ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय हरिवंश सहाय जी, आप अपना कटौती का प्रस्ताव वापस ले रहे हैं ?

श्री हरिवंश सहाय–

मान्यवर, मैंने जो सुझाव दिया है, उस पर माननीय मंत्री जी ने कोई आश्वासन नहीं दिया, इसलिए मैं अपने कटौती के प्रस्ताव पर बल देता हूं ।

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 12- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटा कर एक रुपया कर दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 12- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (क्षेत्रीय विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि

की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 32,54,56,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 13- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 13- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8,05,67,55,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि अनुदान संख्या 14- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत सम्पूर्ण मांग की धनराशि घटाकर एक रुपया कर दी जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री उपाध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 1993 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या 14- कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिये आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 68,68,93,000 रुपये से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

जनपद आगरा में यातायात की समस्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 52 के अन्तर्गत होने वाली चर्चा का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

मद सं० 10 माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित की जाती है ।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री उपाध्यक्ष–

आज दिनांक 22-4-1992 को नियम 51 के अन्तर्गत कुल 14 सूचनायें प्राप्त हुईं । जिनमें पहली सूचना श्री दिनेश चन्द्र सोनकर की जनपद इलाहाबाद की नगर महापालिका सीमान्तर्गत कतिपय मोहल्लों में यह सीवर, पेयजल एवं सड़कों की खराब स्थिति के कारण नागरिकों में व्याप्त असन्तोष से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसको वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है । दूसरी सूचना श्री महराज सिंह

यादव तथा श्री धनीराम वर्मा की जनपद इटावा में भरथना के अन्तर्गत ग्राम सभा चदेठी में हुई श्री राजेन्द्र सिंह की हत्या से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इसको नियम 56 में सुना जा चुका है, अतः अस्वीकृत की गयी । तीसरी सूचना श्री सुरेन्द्र नाथ अवस्थी की जनपद बाराबंकी की तहसील हैदरगढ़ के अन्तर्गत नगर व ग्रामीण क्षेत्रों की सार्वजनिक प्रयोजन की भूमि पर सुनियोजित ढंग से अवैध कब्जेदारी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इसको केवल वक्तव्य के लिए स्वीकार किया गया है । चौथी सूचना श्री पवन कुमार पाण्डेय की जनपद फैजाबाद की तहसील अकबरपुर के ग्राम अलीपुर काड़रा के निवासियों की फसलों को जला दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है । इस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । पांचवी सूचना श्री सुरेन्द्र सिंह और श्री गिरधारी लाल की है जनपद गाजीपुर की बाराचवर ब्लाक के बसावर एवं डेकमा ग्रामों के प्रधानों द्वारा जवाहर रोजगार योजना के धन का दुरुपयोग किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, छठीं सूचना श्री विजय सिंह राणा जनपद आगरा के विकास खण्ड अकोला के ग्राम मनकेड़ा के ग्राम प्रधान द्वारा पद का दुरुपयोग करने तथा मनमानी किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस सूचना की ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है, सातवीं सूचना श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय की जनपद मऊ में घाघरा नदी की बाढ़ से प्रभावित ग्रामों में राहत कार्य में लगी नौकाओं का बकाया पैसा भुगतान न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में है इस सूचना की ओर भी शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है । अन्य सूचना है माननीय रमेश पोखरियाल "निशंक", श्री अवधपाल सिंह यादव, श्री दलवीर सिंह, श्री मोहम्मद हसन एडवोकेट, श्री मातवर सिंह कण्डारी, श्री स्वामी नाथ यादव और श्री मोहम्मद रिजवानुल हक की है इन सूचनाओं को अस्वीकृत किया जाता है ।

प्रदेश में मच्छरों के प्रकोप से संक्रामक रोगों के फैलने की आशंका से उत्पन्न स्थिति के संबंध में नियम 51 के अन्तर्गत केवल वक्तव्य

* स्वास्थ्य मंत्री (डा० अमर सिंह)–

प्रदेश में मच्छरों से फैलने वाली.....

एक सदस्य–

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय सदस्यों की इच्छा है कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय इसलिए इसे पढ़ा हुआ माना गया ।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया ।)

श्री अमर सिंह–

[मुख्य बीमारियों मलेरिया, फाइलेरिया व इन्सेफलाइटिस के प्रकोप पर नियंत्रण है । मच्छरों से संक्रामक रोग फैलने की आशंका नहीं है । मलेरिया के प्रकोप में पिछले 5 वर्षों में लगातार कमी हुई है । राष्ट्रीय घोषित नीति के अनुसार प्रति हजार जनसंख्या पर 4.8 मलेरिया केसों से दर घटाकर वर्ष 1990 में 1.9 लाने का लक्ष्य था इसके विरुद्ध दर 1989 में 0.8 और 0.71 तथा 1991 में 0.7 रही । इस प्रकार

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

राष्ट्रीय लक्ष्य से भी अधिक उपलब्धि रही । पिछले वर्षों के आंकड़े तालिका–1† में संलग्न हैं । इसी प्रकार जिन 28 नगरों में फाइलेरिया इकाइयां स्थापित हैं उनमें स्थापना के वर्ष के मुकाबले वर्तमान में फाइलेरिया के प्रकोप में निरन्तर कमी आई है (संलग्नक–2) †† जहां तक इन्सेफलाइटिस ††† का प्रश्न है यह बीमारी वर्ष 1978 में महामारी के रूप में प्रदेश में प्रकट हुई थी । इस महामारी से पूर्वी जिले विशेषकर गोरखपुर मण्डल अधिक प्रभावित हुए । इस बीमारी की रोकथाम के लिए मलेरिया आदि बीमारियों की तरह प्रभावी उपाय नहीं सम्भव है फिर भी रोकथाम के लिए सम्यक् उपाय युद्धस्तर पर किये गये हैं ।

2–मादा मच्छर जल में अण्डे देती हैं । जल भराव का विस्तार होने पर मच्छरों का प्रजनन भी बढ़ता है । जल भराव वास्तव में इंजीनियरिंग समस्या है । सिंचाई का विस्तार, सड़क निर्माण, जनसंख्या वृद्धि पानी के निकास का अभाव, ग्रामों का नगरीकरण व पेयजल व्यवस्था आदि कारणों से जल भराव होता है ।

3–यह सही नहीं है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा ग्रामों में धुआं कराकर व अन्य किसी प्रकार से मच्छरों की संख्या पर नियंत्रण हेतु कोई उपाय किया जाता रहा है । वास्तव में मलेरिया की रोकथाम के लिए उपलब्ध रणनीति के अनुसार केवल मलेरिया प्रभावित ग्रामों में (जहां 2 केस प्रति हजार जनसंख्या से अधिक पाये जाते हैं) वहीं डी० डी० टी० अथवा बी० एच० सी० का छिड़काव घरों में कराया जाता है । यह छिड़काव भी मच्छरों की सम्पूर्ण जनसंख्या को नियंत्रित करने के लिए नहीं होता है बल्कि मलेरिया फैलाने वाले मच्छरों का नियंत्रण इससे अवश्य होता है । जहां तक धुआं कराने (फागिंग का प्रश्न है) यह इन्सेफलाइटिस की रोकथाम के लिए प्रभावित क्षेत्रों के ग्रामों व नगरों में आवश्यकतानुसार कराया जाता है । इसका उद्देश्य उन मच्छरों को तत्काल समाप्त करना होता है जिनके अन्दर इन्सेफलाइटिस के विषाणु उपलब्ध होते हैं । मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा धुआं अथवा फागिंग कार्य को इस समय रोक देने का प्रश्न ही नहीं उठता क्योंकि इसका कोई नियमित छिड़काव कराने का प्राविधान नहीं है ।

अन्त में यह पुनः स्पष्ट करना है कि स्वास्थ्य विभाग द्वारा मच्छरों का सम्पूर्ण उन्मूलन करने का कोई कार्यक्रम नहीं है । केवल विशेष बीमारियों के लिए विशेष समय रणनीति के अन्तर्गत विशेष जातियों के मच्छरों की संख्या में कमी लाकर बीमारी पर नियंत्रण प्राप्त करना है । मच्छरों की संख्या पर नियंत्रण प्रत्येक व्यक्ति द्वारा आस-पास जल भराव को न होने देने तथा विभिन्न इंजीनियरिंग विभागों द्वारा जल निकास आदि की व्यवस्था को सही रखने से ही सम्भव है ।]

जनपद देवरिया के माध्यमिक विद्यालयों में बिना पद सृजन के फर्जी रूप से प्रबन्ध समितियों द्वारा अध्यापकों की नियुक्तियां किये जाने विषयक नियम 51 के अन्तर्गत दिये जाने वाले केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री उपाध्यक्ष–

इसे माननीय मंत्री जी के अनुरोध पर स्थगित किया गया ।

---

†देखिये नत्थी 'झ' आगे पृष्ठ संख्या 230 पर ।

†† देखिये नत्थी 'ञ' आगे पृष्ठ संख्या 231-232 पर ।

††† देखिये नत्थी 'ट' आगे पृष्ठ संख्या 233 पर ।

उ० प्र० कांग्रेस कमेटी पर उ० प्र० परिवहन निगम के करोड़ों रुपये के बकाया होने विषयक दिनांक 9 अप्रैल, 1992 के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न संख्या 1 के संबंध में नियम 49 के अन्तर्गत चर्चा

श्री उपाध्यक्ष–

चर्चा प्रारम्भ की जाय ।

[समय 8 बजकर 12 मिनट]

श्री सुभाष चन्द्र पटेल–

मान्यवर, आपने उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी पर करोड़ों रुपये के बकाये पर जो आधे घण्टे की चर्चा हेतु समय दिया है इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करना चाहता हूं । मान्यवर,

जनता की नादानी थी जो कांग्रेस से दिल लगाया था,

हमसे भी बिगड़ी थी उन्हें अपना बनाया था ।

लेकिन इन्होंने उनके अरमानों पर पानी फेर दिया, उनकी नीयत खराब थी इसलिए नीति भी खराब बनाई । अनाचार, दुराचार, भ्रष्टाचार के कारण देश के करोड़ों किसानों गरीब मजदूरों के खून पसीने की कमाई का अरबों खरबों रुपया पानी की तरह बहा दिया, इतना ही नहीं इन्होंने अपनी सरकार को भी धोखा दिया है । इन्होंने आवास का किराया, बिजली का किराया, पानी का किराया और यहां तक मान्यवर, किराये का 2 करोड़ 67 लाख रुपये से ज्यादा उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के काफी पुराने बकाये की धनराशि को आज तक जमा नहीं किया है । मैं चाहूंगा कि इनकी जो भी सम्पत्ति है उसको कुर्क कराकर नीलाम कर ब्याज सहित जो बकाये की धनराशि है उसको तुरन्त लिया जाय । मान्यवर, मैं यह भी चाहूंगा कि कौन-कौन राजनीतिक दलों के ऊपर इस प्रकार के बकाया हैं माननीय मंत्री जी उसको उजागर करें । साथ में यह भी चाहूंगा कि बहुत से पुराने मंत्री विधायक लोग जिन पर सरकारी टेलीविजन, फ्रिज और फर्नीचर, कूलर आदि कुछ सामान था वह उसे अपने-अपने घर लिये गये और आज तक जमा नहीं किया उनकी भी सूची दर्शाई जाय कि ऐसे कौन-कौन से लोग हैं जिन्होंने सरकारी सम्पत्ति का दुरुपयोग कर अपने कब्जे में कर रखा है । बड़े शर्म की बात है कि जब रक्षक ही भक्षक बन जाता है तो समाज का क्या होगा, जनता ऐसे लोगों को कभी माफ नहीं करेगी । आज हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में है । इन्हीं की हरकतों के कारण बहुत जल्दी हमारी पार्टी दिल्ली पर भी कब्जा कर लेगी । मान्यवर, अपना दिल आईना हो तो नफरत हो ही नहीं सकती, नेता इंसाफ वाले हों तो बगावत हो नहीं सकती । कांग्रेस पार्टी के नेता लोग सदन छोड़कर चले जायें । सत्यता सुनने का हौसला नहीं । निश्चित रूप से अगले चुनाव में जनता बगावत करेगी और दिल्ली की कुर्सी पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होगा । हमारा रास्ता कांटों भरा अवश्य है लेकिन ईमानदारी का है हम वह सभी बन्धन तोड़ेंगे जिससे देश आर्थिक रूप से गुलाम हुआ । यही हमारी प्रतिबद्धता है ।

श्री उपाध्यक्ष–

जिस पर चर्चा हो रही है उससे संबंधित तथ्य ही रखें ।

श्री सुभाष चन्द्र पटेल–

मान्यवर, हम ऐसे वंश के हैं जिसके बारे में कहा गया है कि रघुकुल रीति सदा चल आई प्राण जाय पर बचन न जाई ।

(व्यवधान होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

जिन मा० सदस्यों का इसमें नाम है वह अगर हैं तो बोलेंगे, जिनका नाम नहीं है उन्हें बोलने की अनुमति नहीं दी जायेगी ।

श्री रामदेव आचार्य–

मान्यवर, कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा मंत्रियों के आदेश से इस तरह से व्यय किया गया । परिवहन निगम की बसों को किराये पर लिया गया । पार्टी के लाभ के लिए व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति के लिए पद का दुरुपयोग किया गया । कांग्रेस पर दो करोड़ चौसठ लाख के करीब बकाया है । कांग्रेस पार्टी की प्रदेश भर में जितनी गाड़ियां हैं कार्यालय हैं उनके सामान को नीलाम करके, गड़ियों की नीलामी करके यह कांग्रेस के ऊपर जो बकाया है सरकार को उसकी वसूली शीघ्र करनी चाहिए । यह गलत परम्परा है कि इतना रुपया बकया हो सरकारी पद का दुरुपयोग करके पार्टी के लिए लाभ उठाया जाय । इसकी वसूली में विलम्ब न किया जाय ।

(श्री स्वामी नाथ यादव के खड़े होने पर व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष–

आप बैठें ।

श्री महेन्द्र नाथ पाण्डेय–

आपने चर्चा पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद देता हूं । आज मैं कुछ तथ्य रखना चाहता हूं । तत्कालीन कांग्रेस सरकार के चलते एक ऐसा ईमानदार अधिकारी शहीद हुआ उनके गलत आदेशों का पालन न करने के लिए । कोई बड़ी मुश्किल से बड़ी तैयारी के बाद आई० ए० एस० होता है आधी रात को कांग्रेस के नेताओं ने आई० ए० एस० पंकज कुमार जो उस समय परिवहन आयुक्त थे उन्हें बाध्य करके जबरदस्ती 1700 बसें लगाने के लिए कहा गया उस व्यक्ति ने माननीय मंत्री जी के आदेशों का पालन करने से इन्कार करते हुए आई० ए० एस० से ही रिजाइन कर दिया यह शर्मनाक घटना कांग्रेस के कार्यकाल में हुई (सत्ता पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें) यह शासन में बैठे हुए लोगों ने उसका दुरुपयोग किया इनके नेता आ रहे हैं मैं नाम का उल्लेख नहीं कर रहा हूं वे सदन के सदस्य नहीं हैं उनके स्वागत में 1700 बसें, 900 बसें लगा दी जाती थीं । उन बसों में गांव के गरीब आदमियों को भर कर लाने का काम किया जाता रहा उनसे कहा जाता था कि चलो लखनऊ नौकरी दिला देंगे फ्री ले चल रहे हैं वह अपने चीथड़े कपड़ों में यहां आते थे रैलियों में लाकर माननीय नेता को शकलें दिखाने का काम किया करते थे वे लोग यहां आकर लखनऊ की सड़कों पर भूखे घूमते रहते थे । ऐसे अन्याय करने वाली सरकार के लोगों ने जो अत्याचार किया, उसके संबंध में यह चर्चा का प्रस्ताव आया है उस पर बल देता हूं । इस सरकार में जो साधारण से साधारण आदमी से उसके बकाये की वसूली के लिए तमाम कार्यवाही सुनिश्चित की जाती है ।

(कुछ माननीय सदस्यों के खड़े होने पर)

श्री उपाध्यक्ष–

जिनके इसमें नाम नहीं हैं, मैं उनको अनुमति नहीं दे रहा हूं । आप समाप्त करें पाण्डेय जी । आप लोग बैठ जायं ।

श्री महेन्द्र नाथ पाण्डे :

उनको 14 दिन जेलों में बन्द कर दिया जाता है चाहे रईस हों या गरीब उनके साथ सरकारी कार्यवाही होती है [illegible] चाहता हूं कि इनका जो माल एवेन्यू का दफ्तर है जहां यह रात दिन माल काटते हैं उस [illegible] उसको नीलाम कर दिया जाय ।

श्री मेजर जे० [illegible] :

मैं मान्यवर [illegible] आपने इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया । कुछ दिन पहले सम्मानित [illegible] इस समय नहीं हैं, वे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर थे उसी कांग्रेस सरकार में, वे खुद स्वयं कह [illegible] सरकार है आप लोग कश्मीर अपने पास से किराया देकर बस लेकर गये जब [illegible] से बस लेकर जाया करते थे हम महीनों उन बसों का इस्तेमाल करते थे । आप [illegible] किराया देकर बस लेकर कश्मीर गये । जहां कहीं भी रैलियां हुईं यह वहां रोडवेज की [illegible] जाया करते थे उस समय उन्होंने इन सरकारी बसों का दुरुपयोग किया । मैं प्रार्थना करता हूं [illegible] कांग्रेस के जितने भी यहां दफ्तर हैं जितनी गाड़ियां हैं, उनको जब्त किया जाय, उनको नीलाम किया जाय और बकाये सरकारी धन की वसूली हो । मान्यवर, यह सरकारी निवासों में जाते थे, वहां के [illegible] टी० वी०, बल्ब आदि निकाल लाते थे । मान्यवर, इनके दफ्तरों को इनकी [illegible] नीलाम किया जाय और जो परसनली इन्वाल्व हैं उनके घरों की सामग्री नीलाम की जाय [illegible] प्रार्थना है कि सरकारी पैसा वसूल किया जाय ।

*परिवहन राज्य मंत्री (श्री ब्रजेश कुमार शर्मा)–

मान्यवर, मैं [illegible] नहीं बोलना चाहता था कोई इच्छा नहीं थी । लेकिन मन में जो पीड़ा है कष्ट है उस [illegible] होने के [illegible] जब पिछले आंकड़े देखे जाते हैं तो लगता है कि पिछली सरकारों ने निगम [illegible] यह मे [illegible] किया है यह सोचने पर दिल बैठ जाता है आज चारों तरफ चर्चा है कि परिवहन निगम में घाटा है । मान्यवर, उस समय इन गाड़ियों का उपयोग केवल दौरे पर नहीं किया गया मैं बताऊं इन गाड़ियों का उपयोग अय्याशी में किया गया (सत्ता पक्ष की ओर से शेम-शेम की आवाजें) केवल निगम की बड़ी-बड़ी बस ही नहीं मांगते थे बल्कि कारों पर नगर के संभ्रान्त इलाकों से अलग हटकर बीहड़ों में जाया करते थे और वहां पिकनिक मनाया करते थे । इतना ही नहीं अपने छोटे-छोटे कार्यकर्ताओं को जिन्हें मंत्री जी सलाम किया करते थे वह भी सारे के सारे लोग अपने-अपने चमचों को हमारे निगम की [illegible] प्रोवाइड किया करते थे । मान्यवर, मेरा कहना यह है कि कभी इन्हें दर्द नहीं हुआ, कभी इन्हें पीड़ा नहीं हुई, क्या इन्होंने कभी निगम की ओर नहीं देखा । मेरा एक निवेदन है कि आज यह बड़ा ही [illegible] चरित्र रखते हों, अगर उनमें नैतिकता हो तो इनसे कहें कि निगम घाटे में है, निगम टूटने की कगार में खड़ा है, आज अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार न होती तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इसे बचाया नहीं जा सकता था । आज बड़ी मेहनत और लगन के साथ सभी कर्मचारियों ने उसे [illegible] का कार्य किया, तो इन नेताओं से कहें निगम के ऊपर जो बकाया है, उसका भुगतान करें । इसी के साथ मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया ।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वलोकन नहीं किया ।

आबकारी, परिवहन, पूर्त धर्मस्व मंत्री (श्री सत्य प्रकाश विकल)–

इस चर्चा में माननीय सदस्यों ने चिन्ता प्रकट की है कि दो करोड़, सड़सठ लाख, बीस हजार, दो सौ चौदह रुपये परिवहन निगम का कांग्रेस पार्टी पर बकाया है। मुझे दुख है यह कहते हुए इस चर्चा में कि सत्ता से प्राप्त जो शक्ति इस दल को मिली उसका यह इस तरह खेदजनक ढंग से दुरुपयोग करेंगे। 1981 से 89 तक 8 वर्षों तक लगातार 21 मौकों पर परिवहन निगम की बसें कई मात्रा में मांगी गयीं और उसका भुगतान नहीं किया गया। 1989 से अब तक कई बार पत्र लिखे जा चुके हैं परन्तु पत्रों का जवाब तो आ जाता है मगर भुगतान नहीं आता है। अब माननीय सदस्यों ने कहा कि कुर्की कर नीलामी करें। लेकिन हमने पहली बार इस सरकार में आने के बाद पत्रों के द्वारा 5-3-92 को इन्हें नोटिस दिया है और इस नोटिस के मिलने के बाद भी जो इस पार्टी की प्रतिष्ठा है जो इसका नाम है जिसमें अनेक महान नेता हुए हैं और जिनका नाम इस पार्टी से जुड़ा है तो उसका लिहाज करके कुछ शर्म हो, कुछ नैतिकता हो तो वे उसका भुगतान कर दें। मान्यवर, इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि जो पैसा इनके ऊपर बकाया है और जो पैसा इनसे बार-बार मांगा जा रहा है, तो मुझे दुख इस बात का है कि बार-बार मांग करने पर भी इन्होंने उसका भुगतान नहीं किया। मुझे दुख इस बात का भी है कि जब यह प्रश्न सदन में उठा था तो कांग्रेस पार्टी के नेता यहां नहीं थे और आज इस पार्टी के लोग यहां पर नहीं हैं सिर्फ अमरेश चन्द्र जी ही यहां पर बैठे हैं। श्री पाण्डेय जी सारी बातों को सुनने के लिए यहां बैठे हैं। ये सारी बातें उनके माध्यम से उन तक चली जायेंगी। अभी तो हमने नोटिस दिया है, अगर उस पर अमल नहीं हुआ तो हम कुछ और कदम उठाने के लिए मजबूर हो जायेंगे। मुझे विश्वास है कि वह ऐसा मौका नहीं देंगे। कांग्रेस को छोड़कर अन्य पार्टियों ने भी गाड़ियां लीं, परन्तु पैसे का सभी ने भुगतान कर दिया। हमें मालूम नही था कि कांग्रेस पार्टी इतनी निर्लज्ज पार्टी होगी। जब रक्षक ही भक्षक हो जायेंगे तब क्या होगा। हमें विश्वास है कि अगर उनमें कुछ भी नैतिकता होगी, कुछ भी चरित्र होगा और कुछ भी ईमान होगा, तो वह अवश्य पैसा दे देंगे। जिससे हम जनता की सेवा कर सकें और बसें खरीद सकें और यात्रियों को बेहतर सुविधा दे सकें।

एक सदस्य–

यह पैसा वह कब तक दे देंगे। यदि उसके बाद वह नहीं देंगे तो सरकार क्या कार्यवाही करेगी ?

श्री सत्य प्रकाश विकल–

मान्यवर, मैंने कहा कि नोटिस दिया है। पैसा न मिलने पर हम कानूनी संघर्ष का विकल्प वसूली हेतु करेंगे। यह पहला मौका है, जब 11 वर्ष के बाद हमने कानूनी नोटिस दी है, जैसा अब तक नहीं हुआ था।

लखनऊ नगर के स्टेशन रोड पर के० के० सी० कालेज के पास अवैध रूप से गौशाला खोले जाने विषयक दिनांक 28 फरवरी, 92 के तारांकित प्रश्न संख्या 114 के संबंध में नियम 47 के अन्तर्गत चर्चा

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

माननीय उपाध्यक्ष जी, विधान सभा के प्रथम सत्र 1992 के तीसरे शुक्रवार के अतारांकित प्रश्न संख्या-114 के सन्दर्भ में मैंने जो प्रश्न किया था, वह यह था "क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के स्टेशन रोड पर रेलवे इंस्टीट्यूट और के० के० सी० कालेज के पास से बायीं ओर जाने वाली सड़क से थोड़ी दूर पर जुबली गर्ल्स महाविद्यालय की सड़क पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से गौशाला खोल रखी है, जिससे सड़क पर भारी मात्रा में खाद गोबर और कूड़ा इकट्ठा हो गया

है?'' इसका जो उत्तर आया है, उसमें कहा गया है ''विद्यालय की सड़क के किनारे गड़े खूंटे महापालिका द्वारा समय-समय पर हटाये जाते रहे हैं। वर्तमान समय में कथित स्थल पर कोई गौशाला नहीं है। सड़क के किनारे एकत्रित कूड़ा-करकट आदि को नगर महापालिका लखनऊ के स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय-समय पर हटाया जाता है।'' दूसरा प्रश्न मैंने किया था ''क्या यह सही है कि के० के० सी० कालेज से सटी नजूल की जमीन पर भी इन्हीं लोगों का गौशाला चलता है जिससे कालोनी तथा विद्यालय परिसर में सदैव गन्दगी बनी रहती है ?'' इसका उत्तर आया है जहां तक नजूल की भूमि पर स्थित गौशाला का प्रश्न है, यह भूमि आवास विकास विभाग के नियंत्रणाधीन है। अतः इस संबंध में कोई कार्यवाही नगर विकास विभाग द्वारा किया जाना सम्भव नहीं है। मान्यवर, आपने नियम-49 में इस पर चर्चा की। माननीय मंत्री जी के विभाग के श्री डी० सी० गोयल, उप नगर अधिकारी व श्री दिनेश राय, प्रशासक, महापालिका द्वारा वहां पर सफाई कराई गई है। लेकिन पुनः वहां पर फिर अतिक्रमण हो गया है। वही काम वहां पर होने लगा जो पहले होता था वहां पर जिसकी गौशाला है वह उद्दंड किस्म का गुण्डा है। आज की तारीख में वहां पर जांच कराई जाय तो वहां पर गोबर इकट्ठा मिलेगा। वहां पर 5-5 महाविद्यालयों का मार्ग है। वहां एक सेवाग्राम नाम की कालोनी है जिसमें जानवर छुट्टे घूमते हैं।

श्री किशोरी श्याम–

कोई आप में से धन्धा करता होगा क्यों उसको कह रहे हो।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय किशोरी श्याम जी आपने उनको काफी कोस दिया काफी खरी खोटी सुना दी अब जरा सुन लें। आप बैठें।

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

वहां उस कालोनी में प्रभावी लोग निवास करते हैं। मैंने वहां देखा है दिन भर वहां गन्दगी रहती है। जो गौशाला बनी हुई है उसको उठाया गया खूंटे नाद सब हट गये थे लेकिन फिर वही हाल है। बरसात में वहां पर गोबर ही गोबर हो जाता है जो सड़क पर फैला रहता है।

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)–

मान्यवर, मुझे एक शेर याद आ गया माननीय पाण्डे जी को देख कर–मैं अकेला ही चला था जानिके मंजिल मगर , लोग साथ आते गये और कारवां बनता गया। मैं पाण्डे जी को बधाई देता हूं कि वह अकेले बैठे रहे। इस उम्मीद के साथ कि लोग साथ रहेंगे परन्तु वह अकेले रह गये तो मान्यवर, इसमें दो बातें कही गयीं एक तो सड़क पर गौशाला सार्वजनिक स्थान पर है और दूसरा वहां कूड़ा-करकट रहता है जिससे जन स्वास्थ्य की हानि होती है इसके अलावा वहां पर प्रभावी लोग रहते हैं। मान्यवर, जहां तक गौशाला का सवाल है वहां कोई गौशाला स्थित नहीं है 7-8 जानवर हैं के० के० सी० के प्रांगण से मिला हुआ एरिया है उसमें 8-10 लोग जो वहीं के कर्मचारी हैं कुछ रिटायर्ड हैं वह वहीं पर रहते हैं उन्हीं लोगों ने जानवर पाल रखे हैं। इस प्रांगण में कहीं 5 फुट और कहीं 6 फुट की दीवार से वह कवर किया हुआ है। प्रारम्भ में यह जगह इंप्रूवमेंट ट्रस्ट की थी जो बाद में विकास प्राधिकरण को प्राप्त हुई। 50 वर्ष पहले यह लीज पर ली गयी थी और इस समय के० के० सी० के प्रांगण में है जिसमें नगर पालिका का प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कोई संबंध नहीं है जिसके तहत वह हस्तक्षेप करे। हां इतना जरूर है कि नगर महापालिका जानवरों को पालने का जो लाइसेंस देता है उसको लेने के लिए बाध्य कर सकती है और उसके बाद लोग जानवर पालें। इसके लिए मान्यवर, कंट्रोल एण्ड रेगुलेशन आफ मिल्क एनीमल बना है उसमें दिया है कि गाय या उसकी संतति जो 1 वर्ष से ऊपर है उस पर

5 रुपया लाइसेंस फीस का पड़ेगा और भैंस या उसकी संतति पर लाइसेंस फीस 15 रु० पड़ेगी । तो यह प्राविधान है तो उसके तहत ही हम कार्यवाही कर सकते हैं । इसमें जैसे ही जानकारी मिली समय-समय पर हमने चालान किया जिन लोगों की ओर आपने इशारा किया है, उनका सात बार चालान हुआ है । पुरुषोत्तम का सात बार चालान हुआ है । बालक राम के पास तीन भैंस हैं और सात बार उनका चालान हुआ । तीन भैंस पुरुषोत्तम के पास हैं और इनका भी चालान हुआ है । इस मामले में मैंने फिर से निदेश दिया था कि मामले को फिर से दिखवा लिया जाय कि वहां कोई गोबर या कूड़ा-करकट तो नहीं है तो पुनः सी० सी० मिश्र और बालक राम का 3-4-92 और 7-4-92 को दोनों का चालान किया गया है । सी० सी० मिश्रा के खिलाफ चार बार नगर पालिका द्वारा चालान किये गये हैं । जहां कूड़ा-करकट की बात आती है, गन्दगी फैलने की बात आती है, पूरी सफाई की व्यवस्था है । वहां तीन कर्मचारियों द्वारा बराबर सफाई की व्यवस्था है और वह सफाई करते रहते हैं । जन स्वास्थ्य का कोई खतरा वहां नहीं है । गोबर को तो हम पवित्र मानते हैं और उसे मकानों की सफाई के लिए लीपने में प्रयोग करते हैं । वह तभी हानिकारक है, जब वह सड़ जाये ।

(व्यवधान)

श्री अमरेश चन्द्र पाण्डेय–

यह बात है तब मंत्री जी भाजपा सरकार में सब जगह पूरे शहर में गोबर छिड़कवा दिया जाये जिससे पूरा शहर पवित्र हो जाये । मैंने बहुत मजबूती से इस बात को कहा था लेकिन मंत्री जी हमारी बात को घुमा रहे हैं । यह सही है कि चर्चा शुरू होने से पहले बड़ी ईमानदारी से वास्तव में उसे हटवा लिया गया था लेकिन पांच दिन बाद वह काम फिर शुरू हो गया जो वहां के लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ के साथ-साथ संक्रामक रोग फैलने का अन्देशा पैदा कर रहा है । उसको आप फिर दिखवा लीजिए । उसको कृपा करके जनता की भावना का आदर करते हुए हटवा दीजिए ।

श्री उपाध्यक्ष–

माननीय पाण्डेय जी ने जो अन्त में कही है आप उसके बारे में केवल उत्तर दें ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना–

मैंने स्वयं उस स्थान का निरीक्षण किया है वहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि तुरन्त बीमारी फैलने का अन्देशा हो । जहां तक उनकी बात है, मैं माननीय सदस्य की भावना से अवगत हो गया, इसे दिखवा लूंगा और व्यवस्था करा दूंगा ।

श्री उपाध्यक्ष–

अब हम उठते हैं और कल 11 बजे पुनः मिलेंगे ।

(इसके बाद सदन रात्रि 8 बजकर 40 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हो गया ।)

लखनऊ
22 अप्रैल, 1992

प्रेम चन्द्र सक्सेना,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

नत्थी 'क'

(देखिये अ० सू० ता० प्र० सं० 1 का उत्तर पीछे पृ० 1 पर)

मांग-पत्र

1–(अ) विद्युत परिषद् की कार्य-प्रणाली एवं प्रबन्ध-व्यवस्था में सुधार हेतु दिये गये सुझावों का क्रियान्वयन किया जाय।

(ब) ऊंचाहार ताप विद्युत गृह का उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् में विलीनीकरण किया जाए तथा उ० प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम एवं माईक्रो हाइडिल कारपोरेशन को भंग करके निर्माणाधीन/चालू परियोजनाओं को विद्युत परिषद् को हस्तान्तरित किया जाय।

(स) कोआपरेटिव इलेक्ट्रिक सप्लाई सोसाइटी, लखनऊ को विद्युत परिषद् को हस्तान्तरित किया जाए।

(द) विद्युत परिषद् की प्रस्तावित परियोजनाओं की स्वीकृति केन्द्र सरकार से प्राप्त करके निर्णय प्रारम्भ किया जाए।

(य) छोटे विद्युत गृहों का नवीनीकरण आवश्यक तकनीकी सुधार से अधिष्ठापित क्षमता में वृद्धि करके किया जाए।

(र) आर० पी० एच०, कानपुर को गैस आधारित बिजली घर में बदलने के लिए आवश्यक कार्यवाही की जाए।

2–उद्योग को सुचारु रूप से चलाने हेतु प्रबन्ध में प्रत्येक स्तर पर कर्मचारियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।

3–(अ) 1-4-1984 से प्रदत्त वेतनमानों की विसंगतियां दूर की जायें।

(ब) एक/दो वार्षिक वृद्धियों का लाभ सभी को समान रूप से दिया जाय।

(स) 2 मार्च, 1988 के वर्गीकरण संबंधी परिषदादेश में छूटे हुए पदों का समायोजन किया जाए तथा जिन पदों के साथ अनियमितता हो गयी है उसे सुधारा जाय।

(द) समयबद्ध वेतनमान दिये जाने में पदोन्नत एवं सीधी भर्ती के भेद-भाव को समाप्त करते हुए 19 वर्ष की सेवा अवधि में तीन पदोन्नति पदों का वेतनमान दिया जाय तथा इस सुविधा को समान रूप से 1 अप्रैल, 1977 से प्रभावी किया जाए।

(य) चयन श्रेणी के पद/वेतनक्रम समाप्त किये जाएं तथा प्रत्येक संवर्ग के लिए पदोन्नति के पदों का सृजन एवं निर्धारण किया जाय।

(र) वर्कचार्ज/प्रशिक्षण की सेवा अवधि को समयबद्ध वेतनमान एवं सेवा निवृत्त लाभों हेतु आगणित किया जाय ।

4– 1 अप्रैल, 1989 से वेतन पुनरीक्षण द्विपक्षीय वार्ता द्वारा किया जाय तथा पुनरीक्षण होने तक 25 प्रतिशत अन्तरिम सहायता प्रदान की जाय ।

5–(अ) आर० जी० सी० के संबंध में न्यायालय का निर्णय लागू किया जाय ।

(ब) वर्ष 1986 के समझौते के अनुरूप पी० ए० (एम०), एच० ए० एवं आई० एल० ए० की वेतन विसंगतियां दूर की जायें ।

6–ठेकेदारी प्रथा समाप्त की जाय । सभी कार्य विभागीय कर्मचारियों द्वारा कराये जायें, बढ़े हुये कार्य के अनुसार पदों का सृजन किया जाए, रिक्त पदों को भरा जाय, नई नियुक्तियों पर प्रतिबन्ध समाप्त किया जाए, मस्टर-रोल/वैकल्पिक/संविदा श्रमिकों को नियमित सेवा में भर्ती किया जाये ।

7–(अ) कर्मचारी के एक आश्रित को परिषदीय सेवा में लिया जाए ।

(ब) समस्त परियोजनाओं पर महाविद्यालय खोले जायें ।

(स) समस्त परियोजनाओं पर कर्मचारियों एवं अधिकारियों को एक चिकित्सालय से चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करायी जाये ।

(द) जी० पी० एफ० का रख-रखाव क्षेत्र/परियोजना स्तर पर किया जाए तथा तत्सम्बन्धी पास-बुक दी जाये ।

(य) ई० पी० एफ० एवं सामूहिक बीमा की धनराशि को जी० पी० एफ० में स्थानान्तरित किया जाये ।

(र) सेवा-निवृत्त के दिन कर्मचारी को पेंशन स्वीकृति-पत्र तथा समस्त देय धनराशि का एक मुश्त भुगतान किया जाय ।

(ल) जी० पी० एफ० भुगतान पर लगी अवैध पाबन्दी समाप्त की जाय तथा इसकी देख-भाल के लिये एक ट्रस्ट बनाया जाय ।

(व) नैनीताल जोन का मुख्यालय नैनीताल से हटाकर हल्द्वानी किया जाय ।

8–भत्ते :–

(अ) पारेषण, वितरण एवं लघु जल-विद्युत परियोजनाओं में पाली में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को विद्युत गृहों की भांति पाली भत्ता दिया जाय ।

(ब) सभी भत्तों का पुनरीक्षण समान नीति अपना कर किया जाय ।

(स) राजाज्ञा के अनुरूप पर्वतीय विकास भत्ते की दर बढ़ाई जायं ।

(द) जल विद्युत गृहों के कर्मचारियों को उत्पादन प्रोत्साहन बोनस दिया जाय, उत्पादन प्रोत्साहन/तेल बचत बोनस वेतन स्लैब पर दिया जाय ।

(य) लघु जल विद्युत परियोजना के कर्मचारियों को स्थल प्रतिकर भत्ता विशेष वेतन तथा पर्वतीय अंचलों में कार्यरत कर्मचारियों को कोयला भत्ता दिया जाए ।

(र) समस्त कर्मचारियों को स्थानीय बहिर्गमन भत्ता दिया जाए ।

(ल) उच्च पद का समयबद्ध वेतनमान पाने वाले कर्मचारियों को अधिकारियों की भांति उच्च पद के समयबद्ध भत्ते दिये जायें ।

(व) गर्म वर्दी एवं सिलाई की दरें बढ़ाई जायें ।

(श) रेवेन्यू एवं डिजाइन में कार्यरत सभी कर्मचारियों को समान नीति से रेवेन्यू एवं डिजाइन भत्ता दिया जाये ।

9– (अ) परिचालकीय एवं यान्त्रिक कर्मचारियों की सेवा शर्तों निर्धारित की जायें ।

(ब) कार्यालय कर्मचारियों की सेवा शर्तों में संशोधन किया जाय तथा शक्ति भवन सहित वरिष्ठता प्रदेश स्तर पर बनायी जाय ।

(स) कर्मचारियों के पदनामों में संशोधन किया जाय ।

10–(अ) भूतपूर्व लाइसेंसी कर्मचारियों की सही फिटमेंट किया जाय तथा समान पद पर समान वेतनक्रम किए जायें, लाइसेंसी की सेवाओं को वरिष्ठता/पेंशन तथा पदोन्नति हेतु जोड़ा जाय ।

(ब) भूतपूर्व लाइसेंसी कर्मचारियों पर भी परिषदीय अवकाश नियम लागू किया जाय तथा नकदीकरण की सुविधा प्रदान की जाय ।

11–परिचालकीय के परीक्षा उत्तीर्ण कर्मचारियों को जूनियर इंजीनियर के पद पर पदोन्नति दी जाय, निम्न पदस्थ डिप्लोमाधारियों को जूनियर इंजीनियर बनाया जाय तथा एडहाक जूनियर इंजीनियरों को नियमित किया जाय ।

12–अनुसूचित जाति/जन जाति का पदोन्नति/भर्त्ती का कोटा भरा जाय ।

13–कार्य मूल्यांकन की गोपनीय पद्धति को समाप्त कर कार्य मूल्यांकन की खुली पद्धति का सृजन किया जाए ।

14–राष्ट्रीय अवकाश के दिन परिषदीय कार्य करने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में समान नीति अपनायी जाए ।

15–वरदराजन कमेटी की संस्तुतियों को लागू किया जाय ।

नत्थी 'ख'

(देखिये ता० प्र० सं० 3 का उत्तर पीछे पृष्ठ 10 पर)

संलग्नक–जनपदवार ग्रामों की तालिका

क्रम सं०	जनपद	1981 की जनगणना के अनुसार ग्रामों की संख्या	फरवरी, 1992 तक एल० टी० मेन्स द्वारा विद्युतीकृत ग्रामों की		फरवरी, 1992 तक अर्ध-विद्युतीकृत (के० वी० प्रा०) की परिभाषानुसार विद्युतीकृत		फरवरी, 1992 तक अर्ध-विद्युतीकरण से वंचित ग्रामों की संख्या	
			संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत	संख्या	प्रतिशत
1	बलिया	1920	994	51.6	730	38.02	192	10.0
2	मऊ एवं आजमगढ़	4935	1264	25.34	3273	66.32	394	8.0

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये ता० प्र० सं० 19 का उत्तर पीछे पृष्ठ 30 पर)

प्रदेश के तीस सबसे बड़े बकायेदारों की सूची

क्र०सं०	उपभोक्ता का नाम	बकाया धनराशि (लाख रुपये में)	टिप्पणी
1	2	3	4
1	कनौरिया केमिकल्स, रेनूकूट	1923.98	न्यायालय में लम्बित रु० 1744.58 लाख
2	जल संस्थान, कानपुर	1737.17	सरकारी विभाग
3	उ० प्र० राज्य सीमेण्ट निगम	1534.76	राज्य सरकार का प्रतिष्ठान
4	मोदी उद्योग समूह, मोदीनगर	1358.52	1–650.71 न्यायालय में लम्बित
5	हिन्डाल्को रेनूकूट पिपरी (सोनभद्र)	873.67	2–112.84 परिषद् हाई पावर कूटी में विचाराधीन 3–130.12 इलेक्ट्रिकसिटी ड्यूटी शासन में लम्बित
6	मे० यू० पी० सी० सी० एल०, देहरादून	638.01	सरकारी विभाग
7	अधि० अभियन्ता, जल संस्थान, पिथौरागढ़	575.49	–तदैव–
8	जी० राम०, गढ़वाल जल संस्थान	573.33	–तदैव–
9	सरस्वती स्टील एण्ड एलायड, मुजफ्फरनगर	416.32	न्यायालय में लम्बित
10	स्वदेशी काटन मिल, कानपुर	363.00	अधिग्रहण से पूर्व की धनराशि/क्लेम कमिश्नर, नई दिल्ली में लम्बित।
11	प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, मुरादाबाद	301.24	अर्ध-सरकारी विभाग
12	जल संस्थान, लखनऊ	283.51	सरकारी विभाग

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4
13	जल निगम, अल्मोड़ा	282.54	सरकारी विभाग
14	यू० पी० जल निगम, देहरादून	261.42	तदैव
15	मे० आई० डी०पी० एल० वीरचन्द्र	222.86	न्यायालय में विचाराधीन
16	जी० एम० गढ़वाल जल संस्थान	197.15	सरकारी विभाग
17	बेलवाल स्पिनिंग मिल, रामनगर	154.96	न्यायालय में लम्बित
18	जलकल अभियन्ता, कुमायूं जल संस्थान, अल्मोड़ा	152.88	सरकारी विभाग
19	अधि० अभियन्ता, जी० जे० एस०, पौड़ी	127.89	सरकारी विभाग
20	जलकल अभि०, रानी खेत	119.10	सरकारी विभाग
21	कुमायूं जल संस्थान, नैनीताल	118.30	सरकारी विभाग
22	मे० अग्रवाल पल्प एण्ड पेपर मिल, मु० नगर	95.04	न्यायालय में लम्बित
23	अधि० अभि०, जल संस्थान, कानपुर (ई० डी० जी०)	78.32	सरकारी विभाग
24	उ० प्र० जल नि०	66.75	सरकारी विभाग
25	प्रभारी अधिकारी, नगरपालिका, मुरादाबाद(मार्ग प्रकाश)	63.74	अर्धसरकारी प्रतिष्ठान
26	मे० स्टील्स, मुजफ्फरनगर	65.23	न्यायालय में लम्बित
27	अधि० अभि०, पब्लिक नलकूप, बरेली	63.27	सरकारी विभाग
28	अधि० अभि०, नलकूप निर्माण खण्ड, गाजियाबाद	61.52	सरकारी विभाग
29	अधि० अभि०, बी० जे० एम०/जल निगम, देहरादून	53.56	सरकारी विभाग
30	ईस्टर इण्डिया, खटीमा	53.47	न्यायालय में लम्बित

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 18 का उत्तर पीछे पृष्ठ 36 पर)

मुख्य अभियन्ता (वितरण) पूर्वी/पश्चिमी/मध्य अंचल

1–परिषद् के नीतियों के अनुरूप दीर्घावधि लक्ष्यों व नीतियों के निर्धारण द्वारा कार्मिकों, यन्त्रों व सामग्रियों की समुचित उत्पादकता बनाये रखना जिससे संभाग के समग्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो सके।

2–निर्धारित दीर्घावधि लक्ष्यों व नीतियों के सन्दर्भ में मण्डलों/जिलों के बजट (आय-व्ययक) को अनुमोदित करना।

3–लागत/परिचालन मूल्य का प्रबन्ध व प्रभाविता।

4–निवेश पर परिलाभ को बढ़ाना/उन्नत करना व अधिकोष (बचत) सृजन की दिशा में प्रगति करना अर्थात् लाभोत्पादकता की दिशा में अग्रसारित होना।

5–अंचल के नियन्त्रणाधीन संगठन का विकास करना तथा अधिकाधिक उत्पादकता देने वाली इकाइयों का खण्डों/मण्डलों/क्षेत्रों में विकास करना तथा उन इकाइयों के क्रियाकलापों/उपलब्धियों का पुनरीक्षण करना/अनुश्रवण करना व उसकी समीक्षा करना (विशेषकर मण्डल स्तर तक की इकाइयों की)।

6–आन्तरिक/वाह्य औद्योगिक वातावरण का निरन्तर विश्लेषण करते रहना तथा घनात्मक कार्य वातावरण पैदा करने के लिए प्रभावी कदम का सूत्रपात करना तथा कम उत्पादकता व अन्य प्रेरित कार्यदल/शक्ति को अधिक उत्पादकता तथा सूप्रेरित कार्यदल/शक्ति में रूपान्तरित करना।

7–अंचल/वितरण क्षेत्रों को सृजनात्मक सहायता एवं समस्याओं के अनुभव पर आधारित मदद सहित विशेष सहयोग व संसाधन (इनपुट्स) प्रदान करना।

8–आधुनिकीकरण की योजनायें बनाना। उसे लागू कराना तथा उन योजनाओं की प्रगति को देखते रहना, विशेषकर अंकीय प्रक्रिया पद्धति को प्रतिस्थापित करके इलेक्ट्रानिक अंकीय प्रक्रिया पद्धति लागू करना।

उत्तर प्रदेश सरकार

नत्थी 'ङ'

(देखिये अता० प्र० सं० 25 का उत्तर पीछे पृष्ठ 39 पर)

जंगल सफाई का पूर्ण विवरण–1991-92 अतर्रा क्षेत्र

क्र० सं०	नहर का नाम	मात्रा		कार्यादेश संख्या		धनराशि
1.	2	3		4		5
1	बल्लान माइनर	1-3 कि०मी०	2000 वर्गमी०	16/349	दि० 2-4-91	1300.00
2	अलिहा माइनर	1-5 ..	1000 ..	19/349	दि० 2-4-91	650.00
3	पिस्टा माइनर	1-8 ..	1000 ..	20/349	दि० 2-4-91	650.00
4	अलिहा राजबहा	4-8 ..	7000 ..	21/349	दि० 2-4-91	4550.00
5	इटरा माइनर	1-5 ..	2000 ..	22/349	दि० 2-4-91	1300.00
6	छिबाव माइनर	4-8 ..	2600 ..	23/349	दि० 2-4-91	1690.00
7	हस्तम माइनर	4-4 ..	4400 ..	28/349	दि० 9-4-91	2860.00
8	महुंटा राजबहा	3-2 ..	2000 ..	29/349	दि० 9-4-91	1300.00
9	रहुसत माइनर	2-5 ..	2500 ..	31/349	दि० 10-4-91	1625.00
10	खम्होरा माइनर	1-4 ..	2000 ..	32/349	दि० 12-4-91	1300.00
11	शिवहद माइनर	1-6 ..	2000 ..	36/349	दि० 18-4-91	1300.00
12	सहेवा माइनर	2-2 ..	2500 ..	39/349	दि० 18-4-91	1625.00
13	बरसडा माइनर	2-6 ..	2500 ..	40/349	दि० 18-4-91	1625.00
14	छनेहरा माइनर	1-4 ..	3000 ..	41/349	दि० 18-4-91	1950.00
15	बांदा ब्रांच	1-0 ..	1500 ..	7/353	दि० 6-7-91	975.00
16	बसरेही राजबहा	1-6 ..	2500 ..	15/353	दि० 9-7-91	1625.00
17	महोतरा माइनर	3-0 ..	7500 ..	17/353	दि० 9-7-91	4875.00
18	अलिहा राजबहा	3-0 ..	2500 ..	35/353	दि० 12-7-91	1625.00
19	महुंटा राजबहा	3-0 ..	7500 ..	49/356	दि० 30-10-91	4875.00
20	चटसरा माइनर	3-0 ..	1500 ..	2/361	दि० 3-11-91	975.00
21	प्रेमपुर माइनर	1-6 ..	1500 ..	4/361	दि० 3-11-91	975.00
22	खुरहण्ड माइनर	3-0 ..	1500 ..	2/361	दि० 3-11-91	975.00
23	अलिहा राजबहा	3-0 ..	7600 ..	3/361	दि० 3-11-91	4875.00

1	2	3		4		5
24	सहेवा माइनर	2-0 कि० मी०	3000 वर्ग मी०	6/361	दि० 3-11-91	1950.00
25	बनसखा माइनर	3-0 ..	3000 ..	7/361	दि० 3-11-91	950.00
26	नाई माइनर	4-8 ..	3000 ..	10/361	दि० 3-11-91	950.00
27	बसरेही माइनर	3-2 ..	2000 ..	26/361	दि० 15-11-91	1300.00
28	लोघांरा माइनर	2-0 ..	4700 ..	27/361	दि० 15-11-91	3055.00
29	पिण्डखर माइनर	3-0 ..	2000 ..	29/361	दि० 15-11-91	1300.00
30	महुटा राजबहा	2-6 ..	3500 ..	54/361	दि० 15-12-91	2275.00
31	[illegible] माइनर	1-6 ..	3000 ..	55/361	दि० 15-12-91	1950.00
32	पटसरा माइनर	2-0 ..	2000 ..	56/361	दि० 15-12-91	1300.0[illegible]
33	तरखरी माइनर	1-5 ..	1500 ..	58/361	दि० 15-12-91	975.[illegible]
	टोटल ..	81-3 कि०मी०	97800 वर्गमी०			63505.[illegible]

विधान सभा मुद्रण

नत्थी 'घ'

(देखिये अता० प्र० सं० 55 का उत्तर पीछे पृष्ठ- 49 पर)

संलग्नक–''क''

इन्दिरानगर, प्रयाग नारायण रोड तथा विवेकानन्दपुरी, लखनऊ में अवैध रूप से कब्जा किये हुए अधिकारी एवं कर्मचारियों का विवरण

क्र०सं०	कर्मचारी का नाम	पदनाम	तैनाती स्थान
1	सर्वश्री पी० एन० तिवारी	दै० श्रे० लि०	मुख्य अभियन्ता (लखनऊ क्षेत्र)
2	आर० के० अवस्थी	दै० श्रे० लि०	मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत)
3	आई० डी० शर्मा	आशुलिपिक	मुख्य अभियन्ता, पूर्वांचल,वाराणसी
4	रमेश चन्द्र शर्मा	का० अधीक्षक	मुख्य अभियन्ता (आगरा)
5	बी० के० श्रीवास्तव	यू० डी० ए०	शक्ति भवन
6	आर० सी० सिन्हा	आशुलिपिक	मुख्य अभियन्ता (तापीय परि–कल्पना एवं अभि०)
7	राम मूर्ति पाण्डे	सेवा समाप्ति कर्मचारी	
8	वी० के० सिंह	यू० डी० ए०	शक्ति भवन
9	डी० पी० सिन्हा		शक्ति भवन
10	वी० बी० शर्मा	सदस्य सचिव (सेवा निवृत्त)	

संलग्नक–"ख"

परिषदीय आवास जो अवैध कब्जाधारियों को भवन आवंटन समिति, मुख्य अभियन्ता (जल-विद्युत) द्वारा आवंटित किये गये हैं, का विवरण

क्रमांक	अधिकारी/कर्मचारी का नाम	पद	भवन संख्या	कालोनी का नाम
1	सर्वश्री पी० के० माथुर	दै० श्रे० लि०	11/81	इन्द्रलोक
2	रवीन्द्र सिंह	तदैव	11/136	तदैव
3	पी० के० आनन्द	तदैव	11/78	तदैव
4	एस० के० बोस	तदैव	11/24	तदैव
5	चन्दन सिंह	तदैव	11/72	तदैव
6	अशोक कुमार अग्रवाल	तदैव	11/134	तदैव
7	पी० के० गुप्ता	तदैव	11/115	तदैव
8	प्रमोद कुमार दीक्षित	तदैव	11/30	तदैव
9	अनिल कुमार जोशी	तदैव	डी-157/8	इन्द्रानगर
10	आर० आर० सिंह असवाल	तदैव	डी-157/6	तदैव
11	अरुण कुमार द्विवेदी	आशुलिपिक	11/120	इन्द्रलोक
12	चन्द्र प्रकाश निगम	दै० श्रे० लि०	11/119	तदैव
13	श्रीमती निर्मला गुप्ता	तदैव	11/135	तदैव
14	सर्वश्री राम प्रसाद	चपरासी	1/21	तदैव
15	हरिश्चन्द्र जोशी	दै० श्रे० लि०	11/70	तदैव
16	नन्दा बल्लभ पाण्डेय	तदैव	11/77	तदैव
17	घनश्याम सिंह	लाइन मैन	11/88	तदैव
18	दया शंकर शर्मा	अवर वर्ग सहा०	11/55	तदैव
19	संजय गंगल	तदैव	II/147	तदैव

उत्तर प्रदेश संसद

नत्थी 'ड'

(देखिये अता० प्र० सं० 60 का उत्तर पीछे पृष्ठ 51 पर)

संलग्नक "क"

समस्यायें	समाधान
1–कालोनी में समुचित प्रकाश की व्यवस्था उपलब्ध करायी जाये।	कालोनी में समुचित प्रकाश की व्यवस्था करा दी गयी है।
2–आवासों के स्विच,प्लग, बोर्ड, वायरिंग आदि जो टूटे हैं या खराब हो गये हैं, उनके बदलवाने की व्यवस्था कराई जाय।	आवासों के स्विच, प्लग, बोर्ड, वायरिंग आदि जो टूटे या खराब हैं उसकी व्यवस्था समय-समय पर की जाती है।
3–आवासों में पावर कनेक्शन दिये जायं।	आवासों में पावर कनेक्शन देने का कोई प्राविधान नहीं है।
4–प्रथम/द्वितीय/तृतीय/चतुर्थ टाइप आवासों में क्रमशः एक, दो, तीन-तीन ट्यूब लाइटें और इसी प्रकार एक, दो, तीन-तीन सीलिंग फैन लगवाने की व्यवस्था कराई जाये।	आवासों में ट्यूब लाइट और सीलिंग फैन लगाने की व्यवस्था विभागीय प्राविधान के अनुसार की गयी है।
5–आवासों में पावर प्लग एवं स्विच लगवाने एवं आवासों में लगे सीलिंग फैन की ओवर हालिंग/ ग्रिसिंग करायी जाये।	आवासों में पावर प्लग एवं सीलिंग फैन की ओवर हालिंग/ग्रिसिंग का कार्य फण्ड की उपलब्धता एवं आवश्यकतानुसार की जाती है।
6–आवासों के कनेक्शन के केबिलों को ठीक कराया जाय तथा नये केबिल लगवाया जाय और मेन स्विच व सेक्शन बाक्स लगवाया जाय।	आवासों में कनेक्शन के केबिलों को ठीक करा दिया गया है तथा जहां पर आवश्यकता थी वहां पर नये केबिल व मेन स्विच लगा दिये गये हैं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ज'

(देखिये अता० प्र० सं० 164 का उत्तर पीछे पृष्ठ 86 पर)

संलग्नक–क

उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम लिमिटेड (यू० पी० एस० आई० डी० सी०) द्वारा प्रदेश के आठ जनपदों के औद्योगिक क्षेत्र में विद्युत उत्पादन इकाई/संस्थापन/विद्युत वितरण इत्यादि से संबंधित विवरण

क्रमांक	औद्योगिक क्षेत्र का नाम	विद्युत इकाई की उत्पादन क्षमता	आंकलित लागत (रु० करोड़ में)	औद्योगिक क्षेत्र के उपभोक्ताओं को विद्युत उपलब्ध कराना	विद्युत इकाई का स्थापना	उ० प्र० राज्य विद्युत परिषद् से आपात कालीन विद्युत क्रय	परिषद् के प्रणाली के समान्तर प्रचालन	परिषद् को अतिरिक्त विद्युत विक्रय	विद्युत उत्पादन लागत दर पैसे प्रति इकाई	प्लान्ट लोड फैक्टर
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	मंसूरी गुलाबारी, गाजियाबाद	20 मेगा वाट	51.13	हां	हां	हां	हां	हां	177	70%
2	कोसी–2, मथुरा	20 मेगा वाट	50.90	हां	हां	हां	हां	हां	179	70%
3	ताला नगरी, अलीगढ़	10 मेगा वाट	23.55	हां	हां	हां	हां	हां	174	70%
4	जैनपुर,कानपुर देहात	15 मेगा वाट	32.58	हां	हां	हां	हां	हां	171	70%

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	सोहरिया, जौनपुर	15 मेगा वाट	32.57	हां	हां	हां	हां	हां	177	70%
6	लोनी, गाजियाबाद	30 मेगा वाट	73.70	हां	हां	हां	हां	हां	173	70%
7	सण्डीला, हरदोई	40 मेगा वाट	84.02	हां	हां	हां	हां	हां	164	70%
8	खुर्जा, बुलन्दशहर	30 मेगा वाट	72.18	हां	हां	हां	हां	हां	172	70%

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'झ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 208-209 पर)

संलग्नक–1

मलेरिया उन्मूलन कार्यक्रम की वर्षवार उपलब्धि

वर्ष	जनसंख्या (लाखों में)	जांची गयी रक्त पट्टिकाओं की संख्या	धनात्मक	पी० एफ० रोगियों की संख्या	मलोपचारित रोगियों की संख्या	ए० वी० ई०	ए० पी० आई०	एस० पी० आर०	एस० एफ० आर०
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1978	96.70	86.70	360059	8472	322928	8.9	3.6	4.1	0.09
1979	99.03	79.75	149919	2365	140664	7.9	1.5	1.9	0.02
1980	102.68	92.16	182308	10871	168969	8.9	1.7	1.9	0.11
1981	104.41	89.19	175930	11211	164719	8.5	1.6	1.9	0.12
1982	106.42	74.64	170233	16307	162509	7.0	1.6	2.2	0.21
1983	108.97	80.56	285618	65915	271110	7.4	2.6	3.5	0.8
1984	114.63	91.47	419708	70663	387737	8.0	3.6	4.5	0.7
1985	117.11	87.31	373006	55010	354080	7.4	3.1	4.2	0.6
1986	119.18	78.01	228244	19384	217466	6.5	1.9	2.9	0.2
1987	120.83	79.73	126181	10496	121605	6.5	1.04	1.5	0.13
1988	123.67	94.92	135096	9918	131987	8.6	1.2	1.4	0.1
1989	125.00	88.86	101815	6601	99058	7.1	0.8	1.1	0.07
1990	127.44	93.71	103222	7645	101825	7.3	0.71	1.1	0.08
1991	136.18	91.58	106734	7721	103344	----	0.7	----	-----

अवैध वेबसाइट

नत्थी 'अ'

(देखिये पीछे पृष्ठ 208-209 पर)

फाइलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम की उपलब्धि

संलग्नक–2

क्रम सं०	फाइलेरिया क्लीनिक्स के नाम	स्थापना का वर्ष	स्थानिक भारी दर नियंत्रण इकाई स्थापना के पूर्व का	स्थानिक भारी दर 1990 (प्रतिशत में)
1	2	3	4	5
1	लखनऊ	1980	14.72 प्रतिशत	3.8
2	इलाहाबाद	1980	11.72 ..	4.2
3	कानपुर	1980	14.5 ..	2.5
4	रायबरेली	1980	11.3 ..	7.1
5	बाराबंकी	1980	13.06 ..	2.6
6	बस्ती	1981	18.16 ..	8.3
7	बहराइच	1981	14.1 ..	3.2
8	देवरिया	1981	16.5 ..	4.1
9	फैजाबाद	1986	17.7 ..	4.7
10	गोरखपुर	1986	23.4 ..	12.6
11	आजमगढ़	1986	19.4 ..	7.9
12	गाजीपुर	1986	16.1 ..	7.3
13	हमीरपुर	1986	8.6 ..	8.6
14	जौनपुर	1987	10.5 ..	3.4
15	गोण्डा	1987	13.58 ..	9.6
16	खीरी	1987	0.7 ..	10.6
17	फर्रुखाबाद	1987	11.7 ..	5.1
18	प्रतापगढ़	1987	11.6 ..	8.7
19	गोरखपुर	1988	23.4 ..	12.6
20	सुल्तानपुर	1988	12.43 ..	7.12
21	बलिया	1982	22.9 ..	6.6
22	शाहजहांपुर	1988	10.5 ..	7.7
23	मिर्जापुर	1988	16.1 ..	2.8

उत्तर प्रदेश विधान सभा

1	2	3	4	5
24	हरदोई	1988	19.1 प्रतिशत	6.4
25	जालौन एटा उरई	1988	10.1 ..	3.5
26	पीलीभीत	1988	10.4 ..	9.5
27	उन्नाव	1988	14.16 ..	1.5
28	फतेहपुर	1988	16.7 ..	8.2
29	रामनगर (वाराणसी)	1988	19.2 ..	5.2

विधान सभा प्रदेश उत्तर

नत्थी 'ट'

(देखिये पीछे पृष्ठ 208-209 पर)

इन्सेफ्लाइटिस

संलग्नक—3

वर्ष	केस	मृत्यु
1	2	3
1978	3449	1072
1979	150	72
1980	1604	530
1981	'81	26
1982	633	199
1983	149	58
1984	02	00
1985	1187	409
1986	1800	626
1987	172	76
1988	4485	1413
1989	1574	548
1990	183	73
1991	1827	631
(22-11-91)		

पी० एस० यू० पी०–एल० 223 विधान सभा (374)–1993–572 (डी० टी० पी०) ।